"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 235] नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 13 मई 2026 — वैशाख 23, शक 1948

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13 मई 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENS/20989/2026/38-2.— छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक 10816/कृ.वि.ग्लो.यू./प्र.परि./प्र.अ./2026/23959 दिनांक 06.05.2026 द्वारा कृष्णा विकास ग्लोबल विश्वविद्यालय, रायपुर के प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 25 एवं प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 39 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 26(5) एवं धारा 28(4) के तहत् किया गया है।

2. राज्य शासन, एतद् द्वारा, उपरोक्त परिनियमों एवं अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता हैं।

3. उपरोक्त परिनियम एवं अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार मिश्रा, उप–सचिव.

कृष्णा विकास ग्लोबल यूनिवर्सिटी, रायपुर

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005, संशोधन अधिनियम 2025 (क्रमांक 13 of 2025) के तहत स्थापित]

प्रथम परिनियम

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 26 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृष्णा विकास ग्लोबल यूनिवर्सिटी, रायपुर का शासी निकाय निम्नलिखित प्रथम विधियाँ बनाता है;

संक्षिप्त शीर्षक, क्षेत्राधिकार एवं प्रवर्तन

(1) इन विधियों को कृष्णा विकास ग्लोबल यूनिवर्सिटी, रायपुर की प्रथम विधियाँ कहा जाएगा।

(2) ये विधियाँ छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

(3) प्रथम विधियाँ छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 26 के तहत निर्मित की गई हैं।

(4) "परिनियम" से तात्पर्य विश्वविद्यालय की परिनियम से है।

(5) इन विधियों में कोई भी बात विश्वविद्यालय को अधिनियम की धारा 27 के उपबंध के अनुसार बाद में विधियों में संशोधन करने से रोकने वाली नहीं समझी जाएगी और यदि कोई संशोधित विधियाँ होंगी, तो वे अधिसूचना में निर्धारित तिथि से तत्काल, पूर्वव्यापी या भावी प्रभाव से लागू होंगी।

परिभाषाएँ

इन विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(1) **"अधिनियम"** से तात्पर्य "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005" से है। अधिनियम और नियमों में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम और नियमों में उन्हें प्रदत्त किए गए हैं।

(2) **"शैक्षणिक वर्ष"** से तात्पर्य लगभग बारह माह की उस अवधि से है जो संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम(कार्यक्रमों) की योजना और पाठ्यचर्या में निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित होती है और इसे विनियमों में निर्धारित "सत्रों/सेमेस्टर" में विभाजित किया जाता है।

(3) **"अध्ययन बोर्ड"** से तात्पर्य विश्वविद्यालय के संबंधित विषय के अध्ययन बोर्ड से है।

(4) **"सीजीपीयूआरसी"** से तात्पर्य 'छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग' से है।

(5) **"आयोग"** से तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है।

(6) **"दीक्षांत समारोह"** से तात्पर्य विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह से है।

(7) **"पाठ्यक्रम"** से तात्पर्य निर्धारित अध्ययन क्षेत्र(क्षेत्रों) या अध्ययन के पाठ्यक्रम(पाठ्यक्रमों) या कार्यक्रम(कार्यक्रमों) और/या किसी अन्य घटक(घटकों) से है जो विश्वविद्यालय की ओर से डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या किसी अन्य शैक्षणिक उपाधि या खिताब के प्रदान या पुरस्कार की ओर अग्रसर करता है।

(8) **"कर्मचारी"** से तात्पर्य विश्वविद्यालय के वेतनभोगी पद पर कार्यरत किसी भी व्यक्ति से है।

(9) **"संकाय"** से तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है।

(10) **"सरकार"** से तात्पर्य छत्तीसगढ़ सरकार से है।

(11) **"कार्यक्रम"** या **"अध्ययन कार्यक्रम"** से तात्पर्य यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 22 की उप-धारा (3) के तहत आयोग द्वारा निर्दिष्ट डिग्री के लिए किए जाने वाले उच्च शिक्षा कार्यक्रम से है।

(12) **"नियमित शिक्षा"** से तात्पर्य शिक्षकों द्वारा कक्षाओं में या अन्यथा विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों को सीधे निर्देश, शिक्षण, अधिगम, शिक्षा और संबंधित गतिविधियाँ प्रदान करना है और इसमें यह शामिल है।

(13) **"विनियम"** से तात्पर्य विश्वविद्यालय के विनियमों से है।

(14) **"नियम"** से तात्पर्य "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005" से है।

(15) **"योजना एवं पाठ्यचर्या"** से तात्पर्य विश्वविद्यालय के संबंधित पाठ्यक्रम(पाठ्यक्रमों) के लिए प्रकृति, अवधि, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, पात्रता और ऐसे अन्य संबंधित विवरणों (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) से है और इसमें यह शामिल है।

(16) **"मुहर"** से तात्पर्य विश्वविद्यालय की आम मुहर (कॉमन सील) से है।

(17) **"विषय/पाठ्यक्रम"** से तात्पर्य निर्देश, शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान आदि की मूल इकाई(इकाइयों) से है, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जैसा कि योजना और पाठ्यचर्या के तहत निर्धारित किया गया है।

(18) **"विश्वविद्यालय"** से तात्पर्य कृष्णा विकास ग्लोबल यूनिवर्सिटी, रायपुर से है।

(19) **"कुलाध्यक्ष"** से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल से है।

अनुक्रमणिका

परिनियम - 1 .....

विश्वविद्यालय के उद्देश्य .....

परिनियम - 2 .....

विश्वविद्यालय की मुहर एवं प्रतीक चिह्न .....

परिनियम - 3 .....

कुलाध्यक्ष [छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 15 के संदर्भ में] .....

परिनियम - 4 .....

कुलाधिपति की नियुक्ति, शर्तें एवं शक्तियाँ .....

परिनियम - 5 .....

कुलपति की नियुक्ति, शर्तें एवं शक्तियाँ .....

परिनियम – 6 .....

कुलसचिव की नियुक्ति, शर्तें एवं शक्तियाँ .....

परिनियम - 7 .....

मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी (सीएफएओ) की नियुक्ति, शर्तें एवं शक्तियाँ .....

परिनियम - 8 .....

विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारी .....

परिनियम - 9 .....

शासी निकाय की शक्तियाँ एवं कार्य .....

परिनियम - 10 .....

प्रबंधन बोर्ड (बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट) की शक्तियाँ एवं कार्य .....

परिनियम - 11 .....

शैक्षणिक परिषद (एकेडमिक काउंसिल) का गठन, शक्तियाँ एवं कार्य .....

परिनियम - 12 .....

वित्त समिति (फाइनेंस कमेटी) की शक्तियाँ एवं कार्य .....

परिनियम - 13 .....

परीक्षा परिषद .....

परिनियम - 14 .....

अध्ययन बोर्ड .....

परिनियम - 15 .....

अन्य प्राधिकारी .....

परिनियम - 16 .....

संकाय एवं पाठ्यक्रम / विषय .....

परिनियम - 17 .....

विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति .....

परिनियम - 18 .....

अन्य प्रशासनिक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति .....

परिनियम - 19 .....

मानद उपाधि एवं शैक्षणिक सम्मान का प्रदान .....

परिनियम - 20 .....

छात्रवृत्ति, फेलोशिप एवं स्टूडेंटशिप का पुरस्कार .....

परिनियम - 21 .....

मध्यस्थता / शिकायत निवारण समिति [छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 26 के संदर्भ में] .....

परिनियम - 22 .....

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारियों, प्रशासनिक कर्मचारियों एवं अन्य कर्मचारियों को हटाया जाना .....

परिनियम - 23 .....

शक्तियों के वैधानिक प्रयोग की धारणा .....

परिनियम - 24 .....

कार्य या कार्यवाही की वैधता की धारणा एवं सामान्य कार्यवाहियों से संरक्षण .....

परिनियम - 25 .....

विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह .....

परिनियम - 1

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 3 के संदर्भ में]

अधिनियम की धारा 3 में वर्णित विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य भी होंगे:

(1) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, फार्मेसी, प्रबंधन एवं अन्य संबंधित अध्ययन क्षेत्रों में आवश्यक कौशलों सहित समसामयिक ज्ञान प्रदान करना।

(2) समाज एवं राष्ट्र की भलाई के लिए अनुसंधान एवं नवाचार करना।

(3) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, उद्योगों, सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करना।

(4) किसी अन्य उद्देश्य को पूरा करना जो समय-समय पर विनियामक आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए।

परिनियम - 2

विश्वविद्यालय की मुहर एवं प्रतीक चिह्न

(1) विश्वविद्यालय के पास एक आम मुहर (कॉमन सील) होगी जिसका उपयोग विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा और मुहर का डिज़ाइन विश्वविद्यालय द्वारा निर्णित किया जाएगा, जो समय-समय पर आवश्यक समझे जाने पर आगे परिवर्तन या संशोधन के अधीन होगा।

(2) विश्वविद्यालय समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले प्रयोजनों के लिए ऐसे ध्वज, गान, प्रतीक चिह्न, वाहन ध्वज और अन्य प्रतीकात्मक या ग्राफिक अभिव्यक्तियों, संक्षिप्ताक्षरों या इसी प्रकार की चीजों को बनाने और उपयोग करने का भी निर्णय ले सकता है, जो ऐसी प्रकृति के न हों जिनकी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी गई हो।

परिनियम - 3

कुलाध्यक्ष

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 15 के संदर्भ में]

(1) छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष (विजिटर) होंगे।

(2) कुलाध्यक्ष विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह (कॉनवोकेशन) की अध्यक्षता करेंगे तथा डिग्री एवं डिप्लोमा प्रदान करेंगे।

(3) मानद उपाधि एवं शैक्षणिक सम्मान प्रदान करने से संबंधित सभी प्रस्ताव अंतिम अनुमोदन हेतु कुलाध्यक्ष के समक्ष रखे जाएंगे।

(4) कुलाध्यक्ष की शक्तियाँ वैसी होंगी जैसी अधिनियम में निर्धारित की गई हैं और समय-समय पर संशोधित की जाती हैं।

परिनियम - 4

कुलाधिपति की नियुक्ति, शर्तें एवं शक्तियाँ

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 16 के संदर्भ में]

(1) अधिनियम के अनुसार, कुलाधिपति की नियुक्ति प्रायोजक निकाय द्वारा, कुलाध्यक्ष (विजिटर) की पूर्व स्वीकृति से, तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। प्रायोजक निकाय, साधारण बहुमत से, कुलाधिपति के नाम का अंतिम निर्णय करेगा। प्रायोजक निकाय के अध्यक्ष / सचिव, प्रस्तावित कुलाधिपति का नाम, उनके बायो-डाटा सहित, अनुमोदन हेतु कुलाध्यक्ष के पास भेजेंगे। कुलाध्यक्ष की स्वीकृति के पश्चात, कुलाधिपति की नियुक्ति प्रायोजक निकाय द्वारा की जाएगी।

(2) कुलाधिपति अधिनियम की धारा 16 में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

(3) कुलाधिपति का पद कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और वे इस विधि के खंड (1) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, कुलाध्यक्ष की स्वीकृति से पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। बशर्ते कि कुलाधिपति, कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद, तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका पुनः नियुक्त नहीं किया जाता या उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता।

(4) कुलाधिपति की बीमारी, अनुपस्थिति या मृत्यु जैसी आपात स्थिति में, कुलपति (वाइस-चांसलर) उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जब तक कि कुलाधिपति पुनः पदभार ग्रहण नहीं कर लेते या नए कुलाधिपति की नियुक्ति नहीं हो जाती।

(5) यह सुनिश्चित करना कुलाधिपति का कर्तव्य होगा कि अधिनियम, विधियों, विनियमों (अध्यादेशों) और नियमों का ईमानदारी से पालन किया जाए।

(6) कुलाधिपति विश्वविद्यालय के कार्यों पर सामान्य नियंत्रण का प्रयोग करेंगे।

(7) कुलाधिपति प्रायोजक निकाय द्वारा निर्धारित मानदेय, व्यय और भत्ते पाने के हकदार होंगे।

(8) इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई एक विशेष बैठक में, प्रायोजक निकाय कुलाधिपति के विरुद्ध "अविश्वास प्रस्ताव" पर विचार कर सकता है और यदि यह दो-तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है, तो कुलाधिपति को हटाने के लिए कुलाध्यक्ष को सिफारिश कर सकता है।

(9) कुलाधिपति कुलाध्यक्ष को संबोधित हस्तलिखित त्यागपत्र देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। कुलाधिपति उस तिथि से पद धारण नहीं करेंगे जिस दिन उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता है।

परिनियम - 5

कुलपति की नियुक्ति, शर्तें एवं शक्तियाँ

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 17 के संदर्भ में]

(1) कुलपति विश्वविद्यालय के प्रमुख कार्यकारी एवं शैक्षणिक अधिकारी होंगे।

(2) कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष (विजिटर) द्वारा अधिनियम की धारा 17 में निर्धारित अनुसार की जाएगी।

(3) कुलाध्यक्ष, कुलाधिपति की सलाह पर, प्रथम कुलपति की नियुक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए करेगा।

(4) बाद के कुलपति अधिनियम की धारा 17 के खंड (4) के उपबंधों के अनुसार, चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। बशर्ते कि, कार्यकाल समाप्त होने पर, कुलपति एक और कार्यकाल के लिए नियुक्ति के पात्र हो सकते हैं। यह भी बशर्ते कि, कुलपति की बीमारी, लंबी अनुपस्थिति, त्यागपत्र या मृत्यु जैसी आपात स्थिति में, कुलाधिपति कुलपति के कर्तव्यों को विश्वविद्यालय के किसी वरिष्ठ प्रोफेसर को सौंपेंगे। हालाँकि, यह अंतरिम व्यवस्था की अवधि छह माह से अधिक नहीं होगी।

(5) अधिनियम की धारा 17 में वर्णित सभी शक्तियों के अतिरिक्त, कुलपति विभिन्न विधियों में निर्धारित शक्तियों का भी प्रयोग करेंगे।

(6) कुलपति प्रायोजक निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतन और अन्य भत्ते प्राप्त करेंगे।

(7) कुलपति की सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष होगी। वे 70 वर्ष की आयु तक या अपने कार्यकाल की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे।

(8) कुलपति की योग्यता वैसी होगी जैसा कि यूजीसी द्वारा समय-समय पर अपने विनियमों में निर्धारित किया जाए।

(9) कुलपति कुलाध्यक्ष को संबोधित हस्तलिखित पत्र द्वारा त्यागपत्र दे सकते हैं, साथ ही इस आशय की एक प्रति कुलाधिपति को भी भेजेंगे। कुलपति उस तिथि से पद धारण नहीं करेंगे जिस दिन उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता है।

परिनियम – 6

कुलसचिव की नियुक्ति, शर्तें एवं शक्तियाँ

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 18 के संदर्भ में]

(1) कुलसचिव विश्वविद्यालय का एक पदाधिकारी होगा। सभी अनुबंधों (कॉन्ट्रैक्ट) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और सभी दस्तावेजों एवं अभिलेखों को कुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय की ओर से प्रमाणित किया जाएगा।

(2) कुलसचिव पद के लिए योग्यता यूजीसी मानदंडों के अनुसार होगी।

(3) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी पदाधिकारी होगा और कुलपति के सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(4) कुलसचिव की नियुक्ति शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी) द्वारा, इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। हालाँकि, प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति प्रायोजक निकाय द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। प्रथम कुलसचिव के अलावा, बाद के कुलसचिवों की नियुक्ति शासी निकाय द्वारा, इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:

(क) कुलपति – (अध्यक्ष)

(ख) कुलाधिपति का नामांकित व्यक्ति

(ग) विनियामक आयोग का नामांकित व्यक्ति

(घ) शासी निकाय द्वारा नामांकित दो सदस्य

(5) कुलसचिव का चयन:

विश्वविद्यालय कुलसचिव के चयन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा:

(क) विश्वविद्यालय व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से पद के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा।

(ख) पद के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों का सारांश, शासी निकाय द्वारा इस उद्देश्य के लिए स्वीकृत, विश्वविद्यालय के तीन प्रोफेसरों की एक समिति द्वारा तैयार किया जाएगा।

(ग) चयन समिति की बैठक की तिथि निर्धारित की जाएगी और इस आशय की सूचना चयन समिति के सदस्यों को कम से कम 15 दिन पहले दे दी जाएगी।

(घ) चयन समिति प्रत्येक उम्मीदवार का साक्षात्कार लेगी और उनकी योग्यता का आकलन करेगी तथा अपनी अंतिम सिफारिश अनुमोदन हेतु शासी निकाय को भेजेगी।

(ङ) यदि कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलता है, तो आगामी विज्ञापन जारी किए जाएंगे।

जब कुलसचिव का पद रिक्त हो जाता है या जब कुलसचिव बीमारी या किसी अन्य कारण से लंबी अनुपस्थिति के कारण अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है, तो पद के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलाधिपति और/या कुलपति इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर सकते हैं।

(6) कुलसचिव शासी निकाय द्वारा समय-समय पर अनुमोदित वेतन और अन्य भत्ते प्राप्त करेगा।

(7) कुलसचिव की सेवानिवृत्ति आयु बासठ वर्ष होगी।

(8) कुलसचिव के कर्तव्य और शक्तियाँ निम्नलिखित होंगी:

(क) अभिलेखों, सामान्य संपत्ति और विश्वविद्यालय की ऐसी किसी अन्य संपत्ति का रखरखाव करना, जैसा कि शासी निकाय निर्णय ले।

(ख) शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, शैक्षणिक परिषद और किसी अन्य निकाय या समिति, जिसका वह सचिव हो सकता है, के आधिकारिक पत्राचार का संचालन करना।

(ग) सदस्यों को विश्वविद्यालय प्राधिकारियों की बैठकों की तिथियों की सूचना देने वाली अधिसूचनाएँ जारी करना, बैठकों के संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्था करना और प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कर्तव्यों हेतु वांछित सहायता प्रदान करना।

(घ) शासी निकाय, शैक्षणिक परिषद, प्रबंधन बोर्ड और कुलाधिपति/कुलपति के निर्देश पर गठित अन्य निकायों की बैठकों की कार्यसूची (एजेंडा) की प्रतियां उपलब्ध कराना, कार्यवृत्त (मिनट्स) दर्ज करना और उन्हें कुलपति एवं कुलाधिपति को भेजना। वे ऐसे सभी कागजात, दस्तावेज और सूचनाएं भी उपलब्ध कराएंगे जैसा कि कुलाध्यक्ष/कुलाधिपति/कुलपति चाह सकते हैं।

(ङ) ऐसे सभी कार्यों का निर्वहन करना जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति/कुलपति द्वारा उन्हें सौंपे जाएं।

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों/इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों के कार्य का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना तथा उनकी गोपनीय रिपोर्ट लिखना।

(छ) आवश्यकता पड़ने पर, विनियमों में निर्धारित अनुसार, विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षण कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना।

(9) कुलसचिव तीन माह की अवधि के लिए नोटिस देकर, विश्वविद्यालय के कुलपति को संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। वे अपने त्यागपत्र की स्वीकृति की तिथि से पद धारण नहीं करेंगे।

परिनियम - 7

मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी (सीएफएओ) की नियुक्ति, शर्तें एवं शक्तियाँ

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 19 के संदर्भ में]

(1) मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी (सीएफएओ) विश्वविद्यालय का एक पदाधिकारी होगा जो विश्वविद्यालय के लेखांकन और वित्त के संचालन के लिए उत्तरदायी होगा।

सीएफएओ की योग्यता चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई अन्य समकक्ष योग्यता होगी। किसी भी विश्वविद्यालय / संस्थान / संगठन में वित्त प्रबंधक / लेखा अधिकारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्ति भी इस पद के लिए पात्र होंगे।

(2) सीएफएओ विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी पदाधिकारी होगा और कुलपति के सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) सीएफएओ की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा, इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। हालाँकि, प्रथम सीएफएओ की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। प्रथम सीएफएओ के अलावा, बाद के सीएफएओ की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा, इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:

(क) कुलपति – (अध्यक्ष)

(ख) कुलाधिपति का नामांकित व्यक्ति

(ग) विनियामक आयोग का नामांकित व्यक्ति

(घ) शासी निकाय द्वारा नामांकित दो विशेषज्ञ सदस्य

(ङ) कुलसचिव – सदस्य सचिव

(4) सीएफएओ का चयन:

विश्वविद्यालय सीएफएओ के चयन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा:

(क) विश्वविद्यालय व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से पद के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा।

(ख) पद के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों का सारांश, शासी निकाय द्वारा इस उद्देश्य के लिए स्वीकृत, विश्वविद्यालय के तीन प्रोफेसरों की एक समिति द्वारा तैयार किया जाएगा।

(ग) चयन समिति की बैठक की तिथि निर्धारित की जाएगी और उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा तथा चयन समिति के सदस्यों को कम से कम 15 दिन पहले सूचना भी दी जाएगी।

(घ) चयन समिति प्रत्येक उम्मीदवार का साक्षात्कार लेगी और उनकी योग्यता का आकलन करेगी तथा अपनी अंतिम सिफारिश अनुमोदन हेतु शासी निकाय को भेजेगी।

(ङ) यदि कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलता है, तो आगामी विज्ञापन जारी किए जाएंगे।

(च) जब सीएफएओ का पद रिक्त हो जाता है या जब सीएफएओ बीमारी या किसी अन्य कारण से लंबी अनुपस्थिति के कारण अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है, तो पद के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलाधिपति/कुलपति इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर सकते हैं।

(छ) यदि कभी प्रतिनिधित्व (रिप्रेजेंटेशन) किए जाने पर या अन्यथा, और आवश्यक समझी गई जांच के पश्चात, स्थिति यह आश्वस्त करती है कि सीएफएओ का बने रहना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, तो कुलपति कुलाधिपति से सीएफएओ को हटाने के लिए, उसमें कारण बताते हुए, लिखित में अनुरोध कर सकते हैं। कुलाधिपति इस मामले को शासी निकाय के विचारार्थ रखेंगे, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

बशर्ते कि हटाने की ऐसी कार्रवाई करने से पूर्व, सीएफएओ को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(5) सीएफएओ शासी निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतन और अन्य भत्ते प्राप्त करेगा।

(6) सीएफएओ की सेवानिवृत्ति आयु बासठ वर्ष होगी।

(7) सीएफएओ के कर्तव्य निम्नलिखित होंगे:

(क) अभिलेखों को उचित रूप से बनाए रखने और नियमित रूप से उनका लेखापरीक्षण (ऑडिट) कराने के लिए विश्वविद्यालय के लेखांकन और निधियों (फंड) का प्रबंधन करना।

(ख) विश्वविद्यालय के लेखांकन और वित्त के कार्य का पर्यवेक्षण, नियंत्रण और विनियमन करना।

(ग) वित्तीय अभिलेखों और विश्वविद्यालय के ऐसे किसी अन्य वित्त-संबंधी अभिलेखों का रखरखाव करना, जैसा कि शासी निकाय निर्णय ले।

(घ) ऐसे सभी कार्यों का निर्वहन करना जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति/कुलपति द्वारा सौंपे जाएं।

(8) सीएफएओ कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को तीन माह का नोटिस देकर त्यागपत्र दे सकते हैं। वे अपने त्यागपत्र की स्वीकृति की तिथि से पद धारण नहीं करेंगे।

परिनियम - 8

विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारी

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 20 के संदर्भ में]

प्रति-कुलपति (प्रो-वाइस चांसलर)

(क) प्रति-कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा, विश्वविद्यालय के कुलपति की सिफारिश पर, चार वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी।

(ख) प्रति-कुलपति उपरोक्त खंड (1) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, बाद के कार्यकालों के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

(ग) कुलपति की अनुपस्थिति में, प्रति-कुलपति विश्वविद्यालय के नियमित मामलों के निपटान हेतु कुलपति के कर्तव्यों का पालन करेंगे।

(घ) प्रति-कुलपति प्रायोजक निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतन और अन्य भत्ते पाने के पात्र होंगे।

(ङ) प्रति-कुलपति कुलाधिपति एवं कुलपति के अधीक्षण में अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। वे कुलाधिपति एवं कुलपति द्वारा समय-समय पर विशेष रूप से सौंपे गए किसी भी अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

(च) प्रति-कुलपति कुलाधिपति को संबोधित आवेदन लिखकर, उसमें कारण बताते हुए, कम से कम एक सप्ताह पहले त्यागपत्र दे सकते हैं। वे अपने त्यागपत्र की स्वीकृति की तिथि से पद धारण नहीं करेंगे।

महानिदेशक (डायरेक्टर जनरल)

1. विश्वविद्यालय के महानिदेशक की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा, प्रायोजक निकाय की सिफारिश पर, सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी।
2. महानिदेशक उपरोक्त खंड (1) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, बाद के कार्यकालों के लिए पुनर्नियुक्त किए जा सकते हैं।
3. महानिदेशक कुलाधिपति / प्रायोजक निकाय द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कर्तव्यों और कार्यों का पालन करेंगे।
4. महानिदेशक कुलाधिपति / प्रायोजक निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतन और अन्य भत्ते पाने के पात्र होंगे।
5. महानिदेशक निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होंगे:

   (क) शासी निकाय की बैठक के कार्यवृत्त (मिनट्स) का संज्ञान लेना और उसकी प्रतियां सदस्यों को परिचालित करना।

(ख) कुलाधिपति के निर्देश पर, विश्वविद्यालय के नियोजन और विकास पर, विशेष रूप से विश्वविद्यालय में शिक्षा, शिक्षण और अनुसंधान के मानदंडों और मानकों के संबंध में, सलाह देना।

(ग) कुलपति को अवगत कराते हुए, अन्य संस्थानों जैसे एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज, एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आदि की सदस्यता के लिए सिफारिश करना और आवेदन करना।

(घ) भारत तथा विदेशी देशों में किसी भी विश्वविद्यालय / अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग के संबंध में संबंधित अधिष्ठाताओं के साथ समन्वय करना।

(ङ) शिक्षण, अनुसंधान एवं विकास बजट में से, सेमिनार / सम्मेलनों के आयोजन / प्रकाशनों / यात्रा अनुदानों / अतिथि व्याख्यानों / विजिटिंग प्रोफेसरों आदि हेतु अनुदान सहित विभिन्न मदों के तहत अनुदानों का संचालन करना।

(च) प्रायोजक निकाय / कुलाधिपति द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य और जिम्मेदारी का निर्वहन करना।

अधिष्ठाता शैक्षणिक मामले

1. अधिष्ठाता, शैक्षणिक मामले की नियुक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा, कुलाधिपति की सिफारिश पर, तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी।
2. अधिष्ठाता, शैक्षणिक मामले उपरोक्त खंड (1) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, बाद के कार्यकालों के लिए पुनर्नियुक्त किए जा सकते हैं।
3. अधिष्ठाता, शैक्षणिक मामले कुलपति द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कर्तव्यों और कार्यों का पालन करेंगे।
4. अधिष्ठाता, शैक्षणिक मामले प्रायोजक निकाय / कुलाधिपति / कुलपति द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते पाने के पात्र होंगे।
5. अधिष्ठाता, शैक्षणिक मामले निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होंगे:

   (क) विभिन्न विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों द्वारा अध्यक्षों के माध्यम से किए गए छात्र प्रवेश की प्रक्रिया का समन्वय और पर्यवेक्षण करना।

   (ख) शाम की कक्षाओं, डिप्लोमा पाठ्यक्रमों आदि सहित सभी विश्वविद्यालय कक्षाओं के लिए स्थान की व्यवस्था करना।

   (ग) शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करवाना और उसे अनुमोदित करवाना।

   (घ) अंतर-संकाय (इंटर-स्कूल) मामलों के संबंध में अधिष्ठाताओं के साथ समन्वय करना।

   (ङ) कुलाधिपति / कुलपति द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य और कर्तव्यों का निर्वहन करना।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

1. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण (डीएसडब्ल्यू) की नियुक्ति कुलपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

   बशर्ते कि, भले ही उनका तीन वर्ष का कार्यकाल समाप्त न हुआ हो, प्रबंधन बोर्ड, कुलपति से प्राप्त रिपोर्ट पर, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण की नियुक्ति समाप्त कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि अधिष्ठाता, छात्र कल्याण का बने रहना उस उद्देश्य के लिए हानिकारक होगा जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया था या विश्वविद्यालय के हित में नहीं होगा।

2. जहाँ अधिष्ठाता, छात्र कल्याण एक पूर्णकालिक वेतनभोगी पदाधिकारी हो, वहाँ वे:

   (क) किसी विषय में द्वितीय श्रेणी में कम से कम स्नातकोत्तर (मास्टर) डिग्री के साथ पीएच.डी. की उपाधि धारक होंगे तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाने का लगभग पांच वर्ष का अनुभव या डिग्री कक्षाओं को पढ़ाने का दस वर्ष का अनुभव, पाठ्येतर गतिविधियों के निर्देशन का अनुभव और छात्रों की समस्याओं की समझ रखते होंगे।

   (ख) शासी निकाय द्वारा निर्धारित वेतनमान में वेतन प्राप्त करेंगे।

3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, यदि विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है, तो वे अपने मूल पद पर अपनी पदाधिकारिता (लीन) बनाए रखेंगे और उन सभी लाभों के पात्र होंगे जो अधिष्ठाता, छात्र कल्याण के रूप में उनकी नियुक्ति न होने पर उन्हें प्राप्त होते।

4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण अवकाश, अवकाश वेतन, भत्ते, भविष्य निधि (पीएफ), चिकित्सा और अन्य लाभों का हकदार होगा, जैसा कि विश्वविद्यालय के शासी निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए निर्धारित किया जाए।

5. (i) अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विश्वविद्यालय छात्र परिषद का सलाहकार सह कोषाध्यक्ष (एडवाइजर कम ट्रेजरर) होगा।

   (ii) कुलपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण निम्नलिखित कार्य करेंगे:

   (क) छात्रों के लिए उपयुक्त आवास सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्था करना;

   (ख) कुलपति द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अनुसार छात्रों के रोजगार की व्यवस्था करना;

   (ग) छात्रों के कल्याण के संबंध में छात्रों के अभिभावकों से संवाद करना;

   (घ) सक्षम प्राधिकारियों से छात्रों के लिए यात्रा सुविधाएं प्राप्त करना;

   (ङ) छात्रों को उनसे संबंधित जानकारी देकर छात्रवृत्तियाँ (स्कॉलरशिप), छात्रवृत्तियाँ (स्टूडेंटशिप) आदि प्राप्त करने में सहायता करना;

   (च) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो कुलपति की स्वीकृति से कुलसचिव द्वारा समय-समय पर उन्हें सौंपे जाएं।

परीक्षा नियंत्रक

1. परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का एक पदाधिकारी होगा और उसकी नियुक्ति कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों / पदाधिकारियों में से की जाएगी।
2. जब परीक्षा नियंत्रक का पद बीमारी या किसी अन्य कारण से अनुपस्थिति के कारण रिक्त हो या वे पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हों, तो पद के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति इस उद्देश्य के लिए शिक्षकों / पदाधिकारियों में से कोई नियुक्त करें।
3. परीक्षा नियंत्रक सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, परीक्षा के संचालन और सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुगम बनाएगा तथा परीक्षा और परिणामों की घोषणा से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को कार्यान्वित करेगा।
4. परीक्षा नियंत्रक की शक्तियाँ और कर्तव्य वही होंगे जो विश्वविद्यालय के विनियमों में निर्दिष्ट हैं।

संकायों के अधिष्ठाता/निदेशक

1. विश्वविद्यालय में प्रत्येक संकाय (स्कूल) के लिए एक अधिष्ठाता/निदेशक होगा।
2. संबंधित संकाय के अधिष्ठाता/निदेशक की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा, कुलपति की सिफारिश पर, संबंधित संकाय के उपलब्ध संकाय सदस्यों में से प्रोफेसरों में से या योग्यता के आधार पर चार वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी।
3. संकाय के अधिष्ठाता/निदेशक की जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित होंगी:
   (क) अधिष्ठाता/निदेशक संकाय से संबंधित विधियों, विनियमों (अध्यादेशों) और नियमों के पालन के लिए उत्तरदायी होगा।
   (ख) अधिष्ठाता/निदेशक संकायों में शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य के संगठन और संचालन के समग्र पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा।
   (ग) अधिष्ठाता/निदेशक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों एवं कर्तव्यों का पालन करेगा जो शासी निकाय / कुलाधिपति / कुलपति द्वारा सौंपे जाएं।

सुचारू संचालन और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय समय-समय पर आवश्यकतानुसार पदाधिकारियों के कुछ अतिरिक्त पद, जैसे निदेशक / अधिष्ठाता, उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव, मुख्य अनुशासक, अनुसंधान विभाग के अधिष्ठाता, लेखा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट अधिकारी, खेल अधिकारी, पुस्तकालयाध्यक्ष, नोडल अधिकारी आदि सृजित कर सकता है। इन पदाधिकारियों की नियुक्ति स्वतंत्र रूप से की जा सकती है, या किसी शिक्षक/पदाधिकारी को अतिरिक्त प्रभार सौंपा जा सकता है। नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यता, शक्तियाँ, कर्तव्य और वेतन कुलपति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएंगे, जिस पर कुलाधिपति की अंतिम सहमति होगी।

परिनियम - 9

शासी निकाय की शक्तियाँ एवं कार्य

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 22 के संदर्भ में]

अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (3) के उपबंधों के अनुसार शासी निकाय में निहित शक्तियों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के शासी निकाय के पास निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कार्य भी होंगे:

(1) विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए व्यापक नीतियों, योजनाओं और प्रक्रियाओं की समय-समय पर समीक्षा और अनुमोदन करना तथा उपाय सुझाना।

(2) कुलाधिपति / प्रायोजक निकाय द्वारा निर्देशित किसी भी मामले पर सिफारिशें करना।

(3) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों / शिक्षकों / कर्मचारियों के नए पदों के सृजन के लिए प्रायोजक निकाय को सिफारिशें करना।

(4) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन करना जो प्रायोजक निकाय द्वारा सौंपे जाएं।

(5) प्रबंधन बोर्ड / शैक्षणिक परिषद / कुलाधिपति / कुलपति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना।

परिनियम - 10

प्रबंधन बोर्ड (बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट) की शक्तियाँ एवं कार्य

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 23 के संदर्भ में]

(1) प्रबंधन बोर्ड का गठन और कार्य वही होंगे जो अधिनियम की धारा 23 के तहत निर्धारित किए गए हैं।

(2) प्रबंधन बोर्ड के नामांकित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। कोई भी सदस्य लगातार दो कार्यकाल से अधिक के लिए नामांकित नहीं किया जाएगा।

(3) प्रबंधन बोर्ड की शक्तियाँ एवं कार्य निम्नलिखित होंगे:

(क) वित्तीय लेखों (खातों) को उनके समक्ष प्रस्तुत लेखापरीक्षण (ऑडिट) रिपोर्ट सहित परीक्षण करना और उस पर उचित कार्रवाई करना।

(ख) विश्वविद्यालय का वार्षिक / अनुपूरक बजट तैयार करना और उसे विचार एवं अनुमोदन हेतु शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना।

(ग) शासी निकाय द्वारा स्वीकृत व्यय बजट को अपनाना और उसका पालन करना।

(घ) कोई अन्य कार्य करना जो शासी निकाय / प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा सौंपा जाए।

(ङ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अन्य पदाधिकारियों और कर्मचारियों के नए पदों के सृजन का प्रस्ताव करना और अनुमोदन हेतु शासी निकाय को इसकी सिफारिश करना।

(च) प्रबंधन बोर्ड के ऐसे निर्णयों के कार्यान्वयन से पूर्व शासी निकाय की स्वीकृति प्राप्त करना जिनका विश्वविद्यालय के वित्त पर प्रभाव पड़ सकता हो।

(छ) शिक्षकों / कर्मचारियों के लिए चयन समिति के कार्यवृत्त (मिनट्स) पर विचार और अनुमोदन करना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु उसे शासी निकाय को अग्रेषित करना।

परिनियम - 11

शैक्षणिक परिषद (एकेडमिक काउंसिल) का गठन, शक्तियाँ एवं कार्य

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 24 के संदर्भ में]

शैक्षणिक परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी तथा यह विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों और कार्यक्रमों पर समन्वय और सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(1) शैक्षणिक परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(क) कुलपति (अध्यक्ष)

(ख) निदेशक / अधिष्ठाता (शैक्षणिक मामले)

(ग) सभी संकायों के अधिष्ठाता (डीन)

(घ) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के सभी अध्यक्ष

(ङ) कुलाधिपति द्वारा नामांकित वैज्ञानिकों / शिक्षाविदों / प्रौद्योगिकीविदों / उद्योगपतियों में से तीन प्रतिनिधि

(च) कुलाधिपति का एक नामांकित व्यक्ति

(छ) विश्वविद्यालय के दो पूर्व छात्र (एलुम्नाई)

(ज) कुलसचिव – सदस्य सचिव

(2) शैक्षणिक परिषद के नामांकित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। कोई भी सदस्य लगातार दो कार्यकाल से अधिक के लिए नामांकित नहीं किया जाएगा।

(3) कुलपति, अध्यक्ष के रूप में, शैक्षणिक परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में कुलाधिपति द्वारा नामांकित कोई अन्य व्यक्ति बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(4) कुलसचिव शैक्षणिक परिषद का सदस्य-सचिव होगा और कुलसचिव की अनुपस्थिति में, कुलपति द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(5) बैठक में अध्यक्ष सहित शैक्षणिक परिषद के आधे सदस्य गणपूर्ति (कोरम) का निर्माण करेंगे।

बशर्ते कि स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

सामान्यतः शैक्षणिक परिषद की सभी बैठकों के लिए पंद्रह दिन का स्पष्ट नोटिस दिया जाएगा और कार्यसूची (एजेंडा) के कागजात बैठक की तिथि से कम से कम सात दिन पहले जारी किए जाएंगे। आपातकालीन बैठक के लिए नोटिस सामान्यतः 3 दिन का होगा।

(6) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, शैक्षणिक परिषद के पास निम्नलिखित शक्तियाँ और कार्य होंगे, अर्थात्:

(क) ऐसे व्यक्तियों को सह-चुनित (को-ऑप्ट) करना, जिन्हें परिषद के समक्ष विचार हेतु आने वाले किसी विशेष कार्य के विषय वस्तु का विशेष ज्ञान या अनुभव हो। इस प्रकार सह-चुनित किए गए सदस्यों को उस कार्य के लेन-देन के संबंध में परिषद के सदस्यों के सभी अधिकार प्राप्त होंगे जिसके लिए उन्हें सह-चुनित किया गया हो।

(ख) विश्वविद्यालय में शिक्षण, अनुसंधान और संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना।

(ग) विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों (फैकल्टी) से प्राप्त प्रस्तावों पर, डिग्री, मानद उपाधि या विश्वविद्यालय की ऐसी किसी अन्य उपाधि या सम्मान प्रदान करने के लिए, शासी निकाय को सिफारिशें करना।

(घ) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों और कार्यक्रमों पर सामान्य पर्यवेक्षण करना तथा निर्देश, शिक्षण की विधियों और अनुसंधान के मूल्यांकन या शैक्षणिक मानकों में सुधार के संबंध में निर्देश देना।

(ङ) स्वयं अपनी पहल पर या किसी संकाय (स्कूल) या प्रबंधन बोर्ड या शासी निकाय द्वारा किए गए संदर्भ पर सामान्य शैक्षणिक हित के मामलों पर विचार करना और उस पर उचित कार्रवाई करना।

(च) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, छात्रवृत्तियाँ (स्टूडेंटशिप), प्रदर्शन वृत्तियाँ (एग्जीबिशन), पदक और पुरस्कारों की स्थापना के लिए शासी निकाय को प्रस्ताव देना और उनके प्रदान करने के लिए नियम बनाना।

(छ) संकायों (FACULTIES/SCHOOLS)/विभागों को विषयों के संगठन और असाइनमेंट के लिए योजनाएँ तैयार करना, उनमें संशोधन करना, और विश्वविद्यालय के किसी संकाय/विभाग को समाप्त करने, पुनर्गठित करने या विभाजित करने की उपयुक्तता के बारे में शासी निकाय को रिपोर्ट देना।

(ज) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों के प्रमाणपत्रों, डिप्लोमा और डिग्रियों को मान्यता देना और उनकी समकक्षता निर्धारित करना।

(झ) विश्वविद्यालय के संकायों/विभागों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक-संबंधी प्रस्तावों पर विचार करना।

(ञ) संकायों/विभागों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों के पाठ्यक्रम (सिलेबस) को अनुमोदित करना और इस उद्देश्य के लिए बनाए गए विनियमों (अध्यादेशों) के अनुसार परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करना।

(ट) परीक्षा कार्य के लिए पारिश्रमिक और भत्तों की दरों की सिफारिश शासी निकाय से करना।

(ठ) अपनी कुछ शक्तियाँ अधिष्ठाता (डीन) / अध्यक्ष को सौंपना, जैसा वह उचित समझे।

(ड) कुलाधिपति या शासी निकाय या प्रबंधन बोर्ड, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्देशित किसी भी मामले पर रिपोर्ट देना या सिफारिशें करना।

(ढ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो समय-समय पर निर्धारित किए जाएं।

परिनियम - 12

वित्त समिति (फाइनेंस कमेटी) की शक्तियाँ एवं कार्य

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 26 (1)(क) के संदर्भ में]

(1) वित्त समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:

(i)	कुलाधिपति	अध्यक्ष
(ii)	कुलपति	सदस्य
(iii)	कुलसचिव	सदस्य
(iv)	शासी निकाय द्वारा नामांकित एक सदस्य	सदस्य
(v)	मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी	सदस्य सचिव

(2) पदेन (एक्स-ऑफिशियो) सदस्यों के अलावा, वित्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(3) वित्त समिति की बैठक प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम दो बार होगी। वित्त समिति की बैठक का नोटिस समिति के सदस्यों को बैठक से कम से कम दस दिन पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिए और बैठक की कार्यसूची (एजेंडा) सदस्यों को बैठक से कम से कम पांच दिन पूर्व भेज दी जाएगी।

(4) बैठकों में अध्यक्ष सहित वित्त समिति के तीन सदस्य गणपूर्ति (कोरम) का निर्माण करेंगे।

(5) वित्त समिति के कार्य और शक्तियाँ निम्नलिखित होंगी:

(क) विश्वविद्यालय की आय और व्यय के वार्षिक अनुमान तैयार करना और उन्हें विचार एवं अनुमोदन हेतु शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना।

(ख) कुलपति के निर्देशन में तैयार किए गए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों (खातों) पर विचार करना और उन्हें विचार एवं अनुमोदन हेतु शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना।

(ग) शासी निकाय को विश्वविद्यालय को संपत्ति के वसीयत (बीक्वेस्ट) और दान को उचित समझी गई शर्तों पर स्वीकार करने के लिए अपनी सिफारिशें देना।

(घ) विश्वविद्यालय के लिए संसाधन जुटाने हेतु तंत्र और साधन एवं तरीके सुझाना।

(ङ) शासी निकाय द्वारा निर्देशित किसी अन्य मामले पर विचार करना और उस पर अपनी सिफारिशें देना।

(च) वित्त को प्रभावित करने वाले किसी भी मामले पर सलाह देना।

परिनियम - 13

परीक्षा परिषद

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 26 (1)(क) के संदर्भ में]

1. परीक्षा परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

   (क) कुलपति

   (ख) कुलाधिपति का एक नामांकित व्यक्ति

   (ग) निदेशक / अधिष्ठाता (शैक्षणिक मामले)

   (घ) कुलसचिव

   (ङ) परीक्षा नियंत्रक – सदस्य सचिव

2. कुलपति परीक्षा परिषद के अध्यक्ष होंगे।
3. परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जाएगी।
4. तीन सदस्य गणपूर्ति (कोरम) का निर्माण करेंगे।
5. परीक्षा परिषद की कार्यप्रणाली एवं संचालन विश्वविद्यालय के विनियमों (अध्यादेशों) के अनुसार होगा।

परिनियम - 14

अध्ययन बोर्ड

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 26 (1)(क) के संदर्भ में]

1. प्रत्येक विषय के लिए एक अध्ययन बोर्ड होगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
   (क) विभागाध्यक्ष – अध्यक्ष
   (ख) विभाग के सभी प्रोफेसर एवं सभी एसोसिएट प्रोफेसर
   (ग) विभाग के दो असिस्टेंट प्रोफेसर, जिन्हें कुलपति द्वारा घूर्णन (रोटेशन) के आधार पर नामांकित किया जाएगा
   (घ) विश्वविद्यालय के बाहर से एक विषय विशेषज्ञ, जो प्रोफेसर के पद से नीचे न हो, जिसे कुलपति द्वारा नामांकित किया जाएगा
   (ङ) उद्योग से एक सदस्य, जिसे कुलपति द्वारा नामांकित किया जाएगा
   (च) विषय में एक पूर्व छात्र (एलुम्नस), जिसे कुलपति द्वारा नामांकित किया जाएगा
2. कुलपति विभिन्न विषयों के लिए अध्ययन बोर्ड का गठन करेंगे।
3. अध्ययन बोर्ड का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
4. विभिन्न कार्यक्रमों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम (सिलेबस) संबंधित विषय के अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किए जाएंगे, जिन्हें संकाय के अधिष्ठाता (डीन) के माध्यम से अनुमोदन हेतु शैक्षणिक परिषद (एकेडमिक काउंसिल) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
5. अध्ययन बोर्ड की बैठकें वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जाएंगी।

परिनियम - 15

अन्य प्राधिकारी

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 26 (1)(घ) एवं 25 के संदर्भ में]

1. विश्वविद्यालय अपने सुचारू संचालन हेतु आवश्यकतानुसार अन्य प्राधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है।
2. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की संरचना, संवैधानिक शक्तियाँ एवं कार्य वैसे ही होंगे जैसे विधियों (स्टैच्यूट्स) एवं विनियमों (अध्यादेशों) द्वारा निर्धारित किए जाएँ।

परिनियम - 16

संकाय एवं पाठ्यक्रम / विषय

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 26 (1)(क) के संदर्भ में]

1. प्रत्येक संकाय (फैकल्टी) में ऐसे विभाग होंगे जैसा कि शैक्षणिक परिषद (एकेडमिक काउंसिल) द्वारा समय-समय पर उसे आवंटित किया जाए।
2. संकाय (स्कूल) के अंतर्गत सभी शाखाएँ / विषय / विशेषज्ञता तथा प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / स्नातक / परास्नातक / डॉक्टरेट इनमें से प्रत्येक संकाय के अंतर्गत होंगे।
3. पी एच.डी., डी.लिट. / डी.एससी. तथा फेलोशिप योग्यताओं के पुरस्कार हेतु अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए, अध्ययन के सभी क्षेत्रों में तथा ऐसे अन्य संकाय जैसा कि राज्य सरकार / यूजीसी द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किए जाएँ, उन्हें शामिल किया जाएगा।

क्र.सं.	संकाय का नाम	विषय / पाठ्यक्रम
1	अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी / वास्तुकला / डिजाइन	कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी (सीएसई), सीएसई (एआई), सीएसई (एआई/एमएल), सिविल अभियांत्रिकी, सिविल अभियांत्रिकी (एआई/एमएल), मैकेनिकल अभियांत्रिकी, मैकेनिकल अभियांत्रिकी (एआई/एमएल), इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी (एआई/एमएल), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार अभियांत्रिकी (एआई/एमएल), मैकेनिकल अभियांत्रिकी (रोबोटिक्स एवं स्वचालन), ऑटोमोबाइल (इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहन), सूचना प्रौद्योगिकी, बायोमेडिकल अभियांत्रिकी, उत्पादन एवं औद्योगिक अभियांत्रिकी, डेटा विज्ञान, साइबर सुरक्षा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड प्रौद्योगिकी, ब्लॉकचेन, योगात्मक विनिर्माण, वास्तुकला, योजना, सतत वास्तुकला, आंतरिक वास्तुकला, शहरी एवं क्षेत्रीय योजना, पर्यावरणीय योजना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग, आंतरिक डिजाइन, आंतरिक एवं फर्नीचर डिजाइन, फैशन डिजाइन, फैशन एवं परिधान डिजाइन, फैशन प्रौद्योगिकी, वस्त्र डिजाइन, फैशन प्रबंधन, उत्पाद डिजाइन, उत्पाद एवं औद्योगिक डिजाइन, औद्योगिक डिजाइन एवं नवाचार, उत्पाद डिजाइन एवं विनिर्माण प्रौद्योगिकी, उत्पाद नवाचार एवं विकास, उत्पाद एवं औद्योगिक डिजाइन, डिजाइन थिंकिंग एवं नवाचार रणनीति
2	विज्ञान	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, सांख्यिकी, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, भूविज्ञान, डेटा विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई अनुप्रयोग, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड प्रौद्योगिकी, एनीमेशन एवं विजुअल इफेक्ट्स (वीएफएक्स), कंप्यूटर अनुप्रयोग, फोरेंसिक विज्ञान, खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नैनो विज्ञान, नैनो प्रौद्योगिकी, पोषण एवं आहारिकी, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, बायोमेडिकल विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, आण्विक जीव विज्ञान, जैव सूचना विज्ञान, आनुवंशिकी, पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण प्रबंधन, पर्यावरण रसायन विज्ञान, सतत विकास, जल संसाधन प्रबंधन, औद्योगिक रसायन विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान

क्र.सं.	संकाय का नाम	विषय / पाठ्यक्रम
3	व्यवसाय प्रशासन / वाणिज्य / प्रबंधन / वित्त	वाणिज्य, ई-कॉमर्स, वित्त, लेखांकन एवं वित्त, बैंकिंग एवं बीमा, कराधान, व्यवसाय विश्लेषिकी, वित्तीय बाजार, अर्थशास्त्र, लॉजिस्टिक्स एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, विपणन, वित्त, मानव संसाधन प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय, डेटा विश्लेषिकी, उद्यमिता, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएँ, व्यवसाय के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल विपणन, व्यवसाय विश्लेषिकी, इवेंट प्रबंधन, जनसंपर्क
4	कला / मानविकी / सामाजिक विज्ञान	अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, दर्शनशास्त्र, भाषा विज्ञान, उदार कला, कला एवं मानविकी, पर्यटन अध्ययन, शिक्षा, एनीमेशन एवं मल्टीमीडिया, मानव अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक नीति एवं शासन, भूगोल, समाज कार्य, शांति एवं संघर्ष अध्ययन, योग, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, जनसंपर्क
5	फार्मेसी / भेषज विज्ञान	फार्मेसी (भेषज विज्ञान), फार्माकोलॉजी (औषधि प्रभाव विज्ञान), फार्मास्यूटिक्स (भेषज निर्माण विज्ञान), फार्माकोग्नॉसी (औषधि द्रव्य विज्ञान), फार्मा केमिस्ट्री (भेषज रसायन शास्त्र), फार्मास्युटिकल जैव प्रौद्योगिकी
6	विधि	कानूनी आधार, सार्वजनिक विधि, निजी विधि, व्यवसाय एवं कॉर्पोरेट विधि
7	शिक्षा / अध्यापक प्रशिक्षण	शारीरिक शिक्षा, यौगिक विज्ञान (योग विज्ञान), शारीरिक शिक्षा एवं खेल, खेल कोचिंग, खेल विज्ञान, खेल चिकित्सा, खेल पोषण, खेल प्रबंधन, खेल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कला एवं शिक्षा, वाणिज्य एवं शिक्षा, विज्ञान एवं शिक्षा, नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शैक्षिक प्रबंधन, विशेष शिक्षा
8	पत्रकारिता / जनसंचार / मीडिया	पत्रकारिता, जनसंचार, मीडिया अध्ययन, डिजिटल मीडिया, फिल्म, टेलीविजन एवं मीडिया निर्माण, फिल्म एवं टीवी निर्माण, विज्ञापन एवं जनसंपर्क
9	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान
10	ललित कला / प्रदर्शन कला / दृश्य कला / अनुप्रयुक्त कला	दृश्य कला, ललित कला, अनुप्रयुक्त कला, प्रदर्शन कला (संगीत/नृत्य/रंगमंच), चित्रकला, मूर्तिकला, मुद्रण कला, कला इतिहास
11	होटल प्रबंधन / आतिथ्य / पर्यटन / यात्रा	आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन, डिजिटल विपणन, स्वास्थ्य देखभाल एवं अस्पताल प्रबंधन, इवेंट प्रबंधन, होटल प्रबंधन, पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन, आतिथ्य प्रबंधन, केटरिंग प्रौद्योगिकी एवं पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रबंधन, आतिथ्य एवं होटल प्रबंधन
12	पुनर्वास विज्ञान	पुनर्वास विज्ञान, वाक् एवं श्रवण विज्ञान (स्पीच एंड हियरिंग), ऑडियोलॉजी एवं वाक् चिकित्सा, पुनर्वास मनोविज्ञान, विशेष शिक्षा

2. विश्वविद्यालय विभिन्न संकायों के दो विभागों द्वारा संयुक्त रूप से कुछ पहचाने गए अंतःविषयक (इंटरडिसिप्लिनरी) प्रकृति के कार्यक्रम संचालित कर सकता है। ऐसे मामलों में, संबंधित अध्ययन बोर्डों की संयुक्त बैठक पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना तैयार करेगी, जिसे शैक्षणिक परिषद (एकेडमिक काउंसिल) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। कुलपति किसी भी विभाग से एक पाठ्यक्रम समन्वयक (कोर्स कोऑर्डिनेटर) नियुक्त कर सकते हैं। स्नातक स्तर पर, अंतःविषयक अध्ययन के दृष्टिगत, शैक्षणिक परिषद की स्वीकृति से अन्य संकायों के कुछ विषयों को भी अनुमति दी जा सकती है।

परिनियम - 17

विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 26 के संदर्भ में]

1. प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद (एकेडमिक काउंसिल) के माध्यम से संकाय/विभाग से प्रस्ताव प्राप्त करने के पश्चात, यूजीसी एवं अन्य नियामक निकायों के अनुसार, समय-समय पर संकायों/विभागों में शिक्षण पदों, अर्थात् प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्तियों का अंतिम निर्णय करेगा। प्रबंधन बोर्ड सीधी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने हेतु पदों के अनुमोदन के लिए शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी) को सिफारिशें अग्रेषित करेगा।
2. शासी निकाय शैक्षणिक परिषद की सिफारिश का आकलन करेगा और खुले विज्ञापन एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षण रिक्तियों को भरने की स्वीकृति प्रदान करेगा, जिससे संस्थागत आवश्यकताओं के अनुसार आवधिक भर्ती सुनिश्चित हो सके।
3. रिक्त शिक्षण पदों का विज्ञापन व्यापक प्रसार वाले राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक विज्ञापित पद के लिए आवश्यक एवं वांछनीय योग्यताएँ, विशेषज्ञता (यदि कोई हो), वेतनमान का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा, जैसा कि यूजीसी एवं संबंधित नियामक निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया हो। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
4. प्राप्त आवेदनों को स्क्रीनिंग से पूर्व विधिवत दर्ज किया जाएगा। कुलपति द्वारा नियुक्त तीन सदस्यों वाली एक स्क्रीनिंग समिति, सभी आवेदनों की जांच करेगी और आवश्यक योग्यताओं को पूरा करने वाले तथा साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले सभी उम्मीदवारों की शैक्षणिक अंक सहित एक सारांश तैयार करेगी। पात्र एवं अपात्र उम्मीदवारों की सूची, अपात्र उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के कारणों सहित, विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट/वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
5. सभी पात्र उम्मीदवारों के आवेदन, उनके शैक्षणिक अंकों सहित सारांश तथा संबंधित दस्तावेज चयन समिति के समक्ष रखे जाएंगे।
6. चयन समिति एवं गणपूर्ति (कोरम):

   क. चयन समिति में निम्नलिखित लोग शामिल होंगे:

      (i) कुलपति – अध्यक्ष

      (ii) सीजीपीयूआरसी द्वारा नामांकित एक शिक्षाविद्, जो प्रोफेसर के पद से नीचे न हो।

(iii) संबंधित विषय के तीन विशेषज्ञ, जिन्हें कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के संबंधित वैधानिक निकाय द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से नामांकित किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय के बाहर से होंगे।

(iv) संकाय के अधिष्ठाता (डीन)

(v) विभाग/संकाय (स्कूल) के प्रमुख/अध्यक्ष, जो प्रोफेसर के पद से नीचे न हों।

(vi) कुलपति द्वारा नामांकित एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिला/दिव्यांग श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिक्षक, यदि इनमें से किसी भी श्रेणी का कोई उम्मीदवार आवेदक है और यदि चयन समिति का कोई सदस्य उस श्रेणी से संबंधित नहीं है।

(vii) विश्वविद्यालय का कुलसचिव – सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।

ख. पांच सदस्य (सदस्य सचिव को छोड़कर), जिनमें कम से कम दो बाह्य विषय विशेषज्ञ शामिल हों, गणपूर्ति (कोरम) का निर्माण करेंगे।

नोट:

(i) चयन समिति के लिए नामांकित शिक्षाविद् और विषय विशेषज्ञ आवेदक के कैडर स्तर से कम से कम एक स्तर पर के होंगे।

(ii) प्रोफेसर के चयन के लिए, विशेषज्ञ अनुभवी प्रोफेसर होंगे। अधिष्ठाता/प्रमुख प्रोफेसर के पद से नीचे नहीं होंगे।

(iii) पुस्तकालयाध्यक्ष और खेल प्रशासन जैसे पदों के चयन के लिए, जैसा भी मामला हो, कम से कम एक सदस्य को क्रमशः अभ्यासरत पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक शिक्षा/खेल निदेशक में से विशेषज्ञ के रूप में नामांकित किया जाएगा।

7. चयन समिति की सिफारिशें उचित निर्णय हेतु प्रबंधन बोर्ड/शासी निकाय या विश्वविद्यालय के समकक्ष वैधानिक निकाय के समक्ष रखी जाएंगी।

8. चयन में किसी विवाद/असहमति नोट की स्थिति में, मामला कुलाधिपति को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

9. प्रबंधन बोर्ड/शासी निकाय की स्वीकृति के पश्चात, कुलसचिव, यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार, विश्वविद्यालय के लेटरहेड पर अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ, चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करेगा, जिसमें सेवा शर्तों, बीमा, सेवानिवृत्ति लाभों आदि का उल्लेख होगा।

10. प्रत्यक्ष भर्ती के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय यूजीसी एवं अन्य नियामक निकायों के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) का अनुसरण करते हुए मौजूदा संकाय सदस्यों के कैडर को उन्नत करेगा। इस प्रकार की उन्नति की प्रक्रिया यूजीसी द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

11. नियमित शिक्षकों के अतिरिक्त, शैक्षणिक परिषद/प्रबंधन बोर्ड/शासी निकाय, विश्वविद्यालय की शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों में शैक्षणिक नवाचार एवं उत्कृष्टता लाने के लिए, यूजीसी दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए, उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं अनुसंधान उपलब्धियों वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों जैसे प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस, डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर, एडजंक्ट प्रोफेसर, विजिटिंग प्रोफेसर, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की नियुक्ति करेंगे। शर्तें, नियम, अवधि, मानदेय आदि विश्वविद्यालय द्वारा यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार परस्पर सहमति से निर्धारित किए जा सकते हैं।
12. पूर्णकालिक शिक्षकों के अतिरिक्त, कुलपति, प्रबंधन बोर्ड/शासी निकाय की स्वीकृति से, राज्य सरकार के दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए, निश्चित अवधि के लिए अंशकालिक, संविदा और/या असाइनमेंट-आधारित पदों पर नियुक्ति करने का निर्णय ले सकते हैं।
13. नियुक्ति में किसी भी विवाद/कानूनी मामले का निर्णय संबंधित जिला न्यायालय/छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा।

परिनियम - 18

अन्य प्रशासनिक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 26 के संदर्भ में]

1. अन्य प्रशासनिक एवं गैर-शिक्षण पदों की संख्या एवं उनका पारिश्रमिक वैसा होगा जैसा प्रबंधन बोर्ड (बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट) द्वारा अनुशंसित और शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी) द्वारा अनुमोदित किया जाए। शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड की सिफारिश पर, विश्वविद्यालय में किसी अन्य प्रशासनिक एवं गैर-शिक्षण पद को समाप्त या स्थगित भी कर सकता है।
2. अन्य प्रशासनिक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएँ राज्य / सीजीपीयूआरसी द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुसार होंगी। विश्वविद्यालय नियुक्ति की अन्य न्यूनतम शर्तों को भी पूरा करेगा।
3. अन्य प्रशासनिक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष होगी।
4. गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु चयन समिति:

   (क) समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

   (I) कुलपति – अध्यक्ष

   (II) कुलाधिपति का एक नामांकित व्यक्ति

   (III) शासी निकाय का एक नामांकित व्यक्ति

   (IV) मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी (सीएफएओ) या उनका नामांकित व्यक्ति

   (V) कुलसचिव – सदस्य सचिव

   (ख) चयन समिति की बैठकें:

   (I) चयन समिति की बैठकें समिति के अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार बुलाई जाएंगी।

   (II) चयन समिति के तीन सदस्य गणपूर्ति (कोरम) का निर्माण करेंगे।

   (III) चयन समिति के अध्यक्ष के पास विचार-विमर्शात्मक (डिलिबरेटिव) तथा निर्णायक (कास्टिंग) दोनों प्रकार के वोट होंगे।

   (IV) चयन समिति द्वारा अनुशंसित, प्रबंधन बोर्ड एवं शासी निकाय द्वारा स्वीकृत नियुक्ति के पश्चात, कुलसचिव द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।

   (ग) सभी कर्मचारी विश्वविद्यालय द्वारा नियमों एवं विनियमों में निर्धारित आचार संहिता का पालन करेंगे।

   (घ) सामान्य:

(I) नियुक्ति में किसी भी विवाद / कानूनी मामले का निर्णय छत्तीसगढ़ के जिला न्यायालय / उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा।

(II) उपरोक्त में शामिल नहीं किए गए किसी भी अन्य प्रावधान को विश्वविद्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (सीजीपीयूआरसी) की पूर्व स्वीकृति से समय-समय पर बनाए गए नियमों एवं विनियमों द्वारा विनियमित किया जाएगा।

(III) यदि विधि के हिंदी संस्करण में किसी प्रकार की अस्पष्टता हो, तो अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।

परिनियम - 19

मानद उपाधि एवं शैक्षणिक सम्मान का प्रदान

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 26 के संदर्भ में]

1. किसी प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को मानद उपाधि या शैक्षणिक सम्मान प्रदान करने का प्रस्ताव, प्रस्तावित व्यक्ति के विवरण सहित, शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी) द्वारा कुलाधिपति (चांसलर) के माध्यम से अंतिम अनुमोदन हेतु कुलाध्यक्ष (विजिटर) को लिखित रूप में भेजा जाएगा।
2. मानद उपाधि या शैक्षणिक सम्मान प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव अलग से किया जाएगा और प्रस्तावित व्यक्ति के लिए उस पर विचार किया जाएगा।

परिनियम - 20

छात्रवृत्ति, फेलोशिप एवं स्टूडेंटशिप का पुरस्कार

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 26 के संदर्भ में]

1. छात्रों को छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप), फेलोशिप और स्टूडेंटशिप प्रदान करना तथा शुल्क में छूट देना योग्यता (मेरिट) या योग्यता-सह-आय (मेरिट-कम-मीन्स) के आधार पर किया जाएगा। ऐसे लाभार्थी छात्रों की नीति और पहचान प्रबंधन बोर्ड (बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट) द्वारा की जाएगी।
2. छात्रों को शुल्क में छूट, छात्रवृत्ति, फेलोशिप एवं स्टूडेंटशिप देने की स्वीकृति, मामले के गुण-दोष के आधार पर, शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी) द्वारा दी जाएगी।

परिनियम - 21

मध्यस्थता / शिकायत निवारण समिति

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 26 के संदर्भ में]

1. विश्वविद्यालय में छात्रों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु एक मध्यस्थता / शिकायत निवारण समिति होगी।
2. शिकायत निवारण समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

   (क) अनुशासक (प्रॉक्टर) – अध्यक्ष

   (ख) अधिष्ठाता, छात्र कल्याण (डीन स्टूडेंट वेलफेयर)

   (ग) मुख्य वार्डन

   (घ) कुलपति द्वारा नामांकित दो सदस्य, जिनमें से एक सदस्य महिला होगी

   (ङ) उप कुलसचिव (स्थापना) – सदस्य सचिव
3. समिति उसे लिखित रूप में प्रस्तुत शिकायतों या परिवादों पर विचार करेगी।
4. समिति के लिए ऐसी शिकायतों या परिवादों पर विचार करना आवश्यक होगा। शिकायत निवारण समिति शिकायतों का सुनवाई करेगी और यथासंभव एक माह के भीतर उनका निपटान करेगी, यदि आवश्यक हो तो इसे पंद्रह दिन तक बढ़ाया जा सकता है। सिफारिशों सहित रिपोर्ट अंतिम निर्णय हेतु कुलपति को प्रस्तुत की जाएगी।
5. यदि शिकायतकर्ता, जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी है, कुलपति के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह प्रबंधन बोर्ड (बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट) के समक्ष अपील कर सकता है। ऐसी रिपोर्टों पर प्रबंधन बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।
6. विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा समय-समय पर निर्धारित पात्रता एवं प्रक्रिया के अधीन, विश्वविद्यालय के लिए 'लोकायुक्त' की नियुक्ति करेगा। लोकायुक्त अपनी शक्तियों का प्रयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अधिसूचित मानदंडों के अधीन करेगा।

परिनियम - 22

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारियों, प्रशासनिक कर्मचारियों एवं अन्य कर्मचारियों को हटाया जाना

1. विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारियों, प्रशासनिक कर्मचारियों एवं गैर-शैक्षणिक एवं गैर-प्रशासनिक कर्मचारियों की सेवा अनुबंध या नियुक्ति की शर्तों में निहित किसी भी बात के बावजूद, ऐसे व्यक्ति को नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय सेवा से हटाया जा सकता है, यदि ऐसा व्यक्ति पाया जाता है कि:

   (क) वह अस्वस्थ दिमाग का है, अथवा

   (ख) उसे किसी न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें सदाचार से संबंधित (मोरल टर्पिट्यूड) मामला हो, दोषसिद्ध किया गया हो और उसके संबंध में कारावास की सजा सुनाई गई हो, अथवा

   (ग) अन्यथा, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर कदाचार और शक्तियों के दुरुपयोग का दोषी हो, अथवा

   (घ) विधिवत स्थापित जांच समिति द्वारा दोषी पाया गया हो।

2. यदि ऐसे शैक्षणिक कर्मचारियों, प्रशासनिक कर्मचारियों, या गैर-शैक्षणिक एवं गैर-प्रशासनिक कर्मचारियों को हटाया जाना उपरोक्त खंड 1 में निर्दिष्ट कारणों के अलावा किसी अन्य कारण से है, तो ऐसे व्यक्ति को रोजगार अनुबंध की शर्तों के अनुसार सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

3. उपरोक्त (क) से (घ) में उल्लिखित किसी भी कारण से आरोपित किसी भी कर्मचारी को, उसके विरुद्ध कोई अंतिम कार्रवाई किए जाने से पूर्व, सुनवाई का अवसर प्रदान करके अपना बचाव करने का अवसर दिया जाएगा।

परिनियम - 23

शक्तियों के वैधानिक प्रयोग की धारणा

इन विधियों के विभिन्न प्रावधानों के अधीन रहते हुए, जहां ये विधियां किसी व्यक्ति को निम्नलिखित के लिए प्राधिकार प्रदान करती हैं:

(क) कोई अधीनस्थ विधान (सब्सिडियरी लेजिस्लेशन) बनाना,

(ख) कोई लिखत (इंस्ट्रूमेंट) बनाना,

(ग) कोई शक्ति या कार्य का प्रयोग करना।

शक्ति प्रदान करने वाली विधि उन शर्तों को निर्धारित करती है, जिनके पालन, निष्पादन या अस्तित्व के अधीन रहते हुए ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है; यह धारणा की जाएगी कि ऐसी शर्तें विधिवत पूरी हो गई हैं, यदि प्राधिकार के प्रयोग को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज में यह कथन है कि ऐसा प्राधिकार ऐसी विधि द्वारा प्रदान किया गया था।

परिनियम - 24

कार्य या कार्यवाही की वैधता की धारणा एवं सामान्य कार्यवाहियों से संरक्षण

1. इन विधियों के अधीन रहते हुए, शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, या विश्वविद्यालय के किसी अन्य पदाधिकारी, प्राधिकारी, निकाय, समिति या बोर्ड के कार्य या कार्यवाहियों को केवल उनके गठन में किसी रिक्ति या दोष के अस्तित्व के आधार पर अमान्य या प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
2. इन विधियों या उनके अधीन बनाए गए किसी विनियम (अध्यादेश), नियम के उपबंधों के तहत शक्तियों और कार्यों के निर्वहन में विश्वविद्यालय या उसके किसी पदाधिकारी, प्राधिकारी, निकाय, समिति या कर्मचारियों के किसी कार्य या चूक के लिए कोई वाद, अभियोजन या कोई अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी, बशर्ते कि ऐसा कार्य या चूक सद्भावना (गुड फेथ) से किया गया हो।

परिनियम - 25

विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह

1. विश्वविद्यालय की डिग्रियाँ, डिप्लोमा और अन्य उपाधियाँ प्रदान करने के लिए एक दीक्षांत समारोह सामान्यतः प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा और इसे वार्षिक दीक्षांत समारोह कहा जाएगा। आवश्यकता एवं सुविधानुसार ऐसे समय पर एक विशेष दीक्षांत समारोह भी आयोजित किया जा सकता है। दीक्षांत समारोह की तिथि कुलपति द्वारा कुलाधिपति के परामर्श से और कुलाध्यक्ष की स्वीकृति से निर्धारित की जाएगी।

2. कुलाध्यक्ष, उपस्थित होने पर, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। बशर्ते कि जब कुलाध्यक्ष उपस्थित न हों, तो कुलाधिपति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

   बशर्ते कि कुलाध्यक्ष और कुलाधिपति दोनों की अनुपस्थिति में, कुलपति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

3. कुलपति, प्रबंधन बोर्ड के परामर्श से, दीक्षांत समारोह के कार्यवृत्त (मिनट्स) और संचालन का निर्णय करेंगे और उसे अधिसूचित करेंगे। इसमें दीक्षांत समारोह की अधिसूचना, दीक्षांत समारोह की तिथि और समय, शैक्षणिक परिधान (एकेडमिक रोब्स), मंच पर बैठने की व्यवस्था, दीक्षांत सभागार/पोडियम में बैठने की व्यवस्था, दीक्षांत जुलूस आदि शामिल हैं।

कृष्णा विकास ग्लोबल यूनिवर्सिटी, रायपुर

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005, संशोधन अधिनियम 2025 (क्रमांक 13 of 2025) के तहत स्थापित]

प्रथम अध्यादेश

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 28 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृष्णा विकास ग्लोबल यूनिवर्सिटी, रायपुर के कुलपति निम्नलिखित प्रथम अध्यादेश बनाते हैं;

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(क) इस अध्यादेश को कृष्णा विकास ग्लोबल यूनिवर्सिटी, रायपुर का प्रथम अध्यादेश कहा जा सकता है।

(ख) ये अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएँ

इन अध्यादेशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "विश्वविद्यालय" से तात्पर्य कृष्णा विकास ग्लोबल यूनिवर्सिटी, रायपुर से है।

(ख) "एआईयू" से तात्पर्य एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज से है।

(ग) "योग्यता परीक्षा" (क्वालीफाइंग एग्जामिनेशन) से तात्पर्य उस परीक्षा से है, जिसे उत्तीर्ण करने से छात्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल., डॉक्टरेट, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र की ओर अग्रसर किसी विशिष्ट अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हो जाते हैं।

(घ) "एटीकेटी" (ATKT) उम्मीदवार से तात्पर्य ऐसे उम्मीदवार से है, जो सेमेस्टर परीक्षा में कुल पेपरों की संख्या के 35% से अधिक में अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है, जहाँ 35% की गणना सदैव पूर्णांकित की जाएगी, और वह उसी सेमेस्टर की परीक्षा में पुनः उपस्थित हो रहा है, जो अगले सेमेस्टर की परीक्षा के साथ आयोजित की जाती है।

(ङ) "समतुल्य परीक्षा" (इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन) से तात्पर्य निम्नलिखित द्वारा आयोजित समतुल्य परीक्षा से है:

(i) कोई मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अथवा

(ii) कोई भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय या संगठन जो संबंधित वैधानिक प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त हो, अथवा

(iii) कोई भारतीय विश्वविद्यालय जो तत्समय प्रवृत्त किसी कानून द्वारा स्थापित हो और विश्वविद्यालय द्वारा उसकी संगत परीक्षा के समतुल्य मान्यता प्राप्त हो।

(च) "अंतराल अवधि" (गैप पीरियड) से तात्पर्य किसी शैक्षणिक संस्थान (कोचिंग संस्थानों को छोड़कर) में नियमित छात्र के रूप में अंतिम उपस्थिति की तिथि और विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने की तिथि के बीच की अवधि से है।

नोट: इन अध्यादेशों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित नहीं किए गए "शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ", जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता हो, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों में उन्हें प्रदत्त किए गए हैं।

3. सामग्री में उल्लिखित विषयों पर प्रथम अध्यादेश, यहाँ संलग्न अनुसूची (शेड्यूल) के अनुसार होंगे।

अनुक्रमणिका

अध्यादेश - 1 .....

नई शिक्षा नीति (2020): स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम .....

अध्यादेश – 2 .....

छात्रों के प्रवेश एवं पंजीयन हेतु दिशानिर्देश .....

अध्यादेश – 3 .....

विश्वविद्यालय परीक्षाओं का संचालन .....

अध्यादेश – 4 .....

डिग्रियों, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों एवं अन्य शैक्षणिक उपाधियों का प्रदान.....

अध्यादेश – 5 .....

फेलोशिप, छात्रवृत्तियाँ, वजीफे, पदक एवं पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें.....

अध्यादेश – 6 .....

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक प्रदर्शन एवं वातावरण में सुधार हेतु अन्य निकायों का सृजन .....

अध्यादेश – 7 .....

रैगिंग को रोकने हेतु नीतियाँ, तथा विशाखा समिति की स्थापना एवं विश्वविद्यालय में जाति-आधारित भेदभाव की रोकथाम.....

अध्यादेश – 8 .....

विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास हेतु मानदंड .....

अध्यादेश – 9 .....

छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई .....

अध्यादेश – 10.....

अन्य विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ सहयोग एवं संयोजन .....

अध्यादेश – 11.....

बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी. फार्म.) .....

अध्यादेश - 12 .....

मास्टर ऑफ फार्मेसी (एम.फार्म.) .....

अध्यादेश - 13 .....

फार्मेसी में डिप्लोमा (डी. फार्म.) .....

अध्यादेश - 14 .....

डॉक्टर ऑफ फार्मेसी (फार्म.डी. कार्यक्रम / फार्म.डी. पोस्ट बैकलॉरिएट कार्यक्रम).....

अध्यादेश - 15 .....

बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.).....

अध्यादेश - 16 .....

मास्टर ऑफ एजुकेशन (एम.एड.).....

अध्यादेश - 17 .....

बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एससी.बी.एड.).....

अध्यादेश - 18 .....

बैचलर ऑफ आर्ट्स एवं बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.ए.बी.एड.) .....

अध्यादेश - 19 .....

बैचलर ऑफ कॉमर्स एण्ड बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.कॉम.बी.एड.) .....

अध्यादेश - 20 .....

डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (डी.एल.एड.).....

अध्यादेश – 21.....

बैचलर ऑफ एजुकेशन - स्पेशल एजुकेशन (बी.एड. स्पेशल एड.).....

अध्यादेश - 22 .....

बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बी.पी.एड.) .....

अध्यादेश - 23 .....

मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (एम.पी.एड.).....

अध्यादेश - 24 .....

बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स (बी.पी.ई.एस.) .....

अध्यादेश - 25 .....

मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स (एम.पी.ई.एस.) .....

अध्यादेश - 26 .....

डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग (डी.एन.टी.टी.) .....

अध्यादेश – 27.....

बैचलर ऑफ लॉ (एलएलबी) .....

अध्यादेश – 28.....

बैचलर ऑफ आर्ट्स एवं बैचलर ऑफ लॉ (बी.ए.एल.एल.बी.).....

अध्यादेश – 29.....

बैचलर ऑफ कॉमर्स और बैचलर ऑफ लॉ (बी.कॉम.एलएलबी) .....

अध्यादेश – 30.....

बैचलर ऑफ साइंस एण्ड बैचलर ऑफ लॉ (बी.एससी.एलएलबी) .....

अध्यादेश – 31.....

बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड बैचलर ऑफ लॉ (बी.बी.ए.एलएलबी) .....

अध्यादेश – 32.....

मास्टर ऑफ लॉ (एलएलएम).....

अध्यादेश – 33.....

पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन (पी.जी.डी.सी.ए.) .....

अध्यादेश – 34.....

डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए.).....

अध्यादेश – 35.....

बैचलर ऑफ साइंस (बी.एससी.) इन रिहैबिलिटेशन साइंस .....

अध्यादेश – 36.....

मास्टर ऑफ साइंस (एम.एससी.) इन रिहैबिलिटेशन साइंस .....

अध्यादेश – 37.....

बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस (बी.लिब.आई.एससी.).....

अध्यादेश – 38.....

मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस (एम.लिब.आई.एससी.).....

अध्यादेश – 39.....

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी.) .....

अध्यादेश - 1

नई शिक्षा नीति (2020): स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करने के लिए शिक्षण के न्यूनतम मानक) विनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार स्नातक डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करने हेतु अध्यादेश।

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

1.1 यह अध्यादेश कृष्णा विकाश ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, स्नातक डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करने हेतु अध्यादेश कहा जाएगा। हालाँकि, भारतीय अधिवक्ता परिषद (बीसीआई), भारतीय फार्मेसी परिषद (पीसीआई), भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अलावा किसी अन्य नियामक निकाय द्वारा विनियमित कार्यक्रम इस अध्यादेश के दायरे से बाहर होंगे।

1.2 यह अध्यादेश शैक्षणिक सत्र 2025-26 से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर से लागू होगा।

1.3 इस अध्यादेश के प्रावधान तीन वर्षीय (छह सेमेस्टर) स्नातक डिग्री, चार वर्षीय (आठ सेमेस्टर) स्नातक डिग्री (ऑनर्स/ऑनर्स विद रिसर्च), एक वर्षीय स्नातक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, दो वर्षीय स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम, एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, दो वर्षीय परास्नातक डिग्री कार्यक्रम और एक वर्षीय परास्नातक डिग्री कार्यक्रम पर लागू होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रम निम्नलिखित होंगे:-

क्र.सं.	संकाय का नाम	कार्यक्रम का नाम
1	अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी / वास्तुकला / डिजाइन	बी.टेक. एम.टेक. कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी (सीएसई), सीएसई (एआई), सीएसई (एआई/एमएल), सिविल अभियांत्रिकी, सिविल अभियांत्रिकी (एआई/एमएल), मैकेनिकल अभियांत्रिकी, मैकेनिकल अभियांत्रिकी (एआई/एमएल), इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी (एआई/एमएल), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार अभियांत्रिकी (एआई/एमएल), मैकेनिकल अभियांत्रिकी (रोबोटिक्स एवं स्वचालन), ऑटोमोबाइल (इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहन), सूचना प्रौद्योगिकी, बायोमेडिकल अभियांत्रिकी, उत्पादन एवं औद्योगिक अभियांत्रिकी, डेटा विज्ञान, साइबर सुरक्षा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड प्रौद्योगिकी, ब्लॉकचेन, योगात्मक विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग बी.आर्क. एम.आर्क. सतत वास्तुकला, आंतरिक वास्तुकला बी.प्लान. एम.प्लान. शहरी एवं क्षेत्रीय योजना, पर्यावरणीय योजना बी.डेस. एम.डेस. आंतरिक डिजाइन, आंतरिक एवं फर्नीचर डिजाइन, फैशन डिजाइन, फैशन एवं परिधान डिजाइन, फैशन प्रौद्योगिकी, वस्त्र डिजाइन, फैशन प्रबंधन, उत्पाद डिजाइन, उत्पाद एवं औद्योगिक डिजाइन, औद्योगिक डिजाइन एवं नवाचार, उत्पाद डिजाइन एवं विनिर्माण प्रौद्योगिकी, उत्पाद नवाचार एवं विकास, उत्पाद एवं औद्योगिक डिजाइन, डिजाइन थिंकिंग एवं नवाचार रणनीति बी.आई.डी. एम.आई.डी. बी.एफ.टेक. एम.एफ.टेक.

क्र.सं.	संकाय का नाम	कार्यक्रम का नाम
2	विज्ञान	बी.एससी. एम.एससी. भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, सांख्यिकी, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, भूविज्ञान, डेटा विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई अनुप्रयोग, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड प्रौद्योगिकी, एनीमेशन एवं विजुअल इफेक्ट्स (वीएफएक्स), कंप्यूटर अनुप्रयोग, फोरेंसिक विज्ञान, खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नैनो विज्ञान, नैनो प्रौद्योगिकी, पोषण एवं आहारिकी, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, बायोमेडिकल विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, आण्विक जीव विज्ञान, जैव सूचना विज्ञान, आनुवंशिकी, पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण प्रबंधन, पर्यावरण रसायन विज्ञान, सतत विकास, जल संसाधन प्रबंधन, औद्योगिक रसायन विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान बी.सी.ए. एम.सी.ए. डेटा विज्ञान (डेटा साइंस), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), एआई अनुप्रयोग, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड प्रौद्योगिकी, एनीमेशन एवं विजुअल इफेक्ट्स (वीएफएक्स), कंप्यूटर अनुप्रयोग
3	व्यवसाय प्रशासन / वाणिज्य / प्रबंधन / वित्त	बी.कॉम. एम.कॉम. बी.बी.ए. एम.बी.ए. ई-कॉमर्स, वित्त, लेखांकन एवं वित्त, बैंकिंग एवं बीमा, कराधान, व्यवसाय विश्लेषिकी, वित्तीय बाजार, अर्थशास्त्र, लॉजिस्टिक्स एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, विपणन, वित्त, मानव संसाधन प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय, डेटा विश्लेषिकी, उद्यमिता, उद्यमिता, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएँ, व्यवसाय के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल विपणन, व्यवसाय विश्लेषिकी, इवेंट प्रबंधन, जनसंपर्क बी.एच.एम. एम.एच.एम. बी.टी.एच.एम. एम.टी.एच.एम.
4	कला / मानविकी / सामाजिक विज्ञान	बी.ए. एम.ए. अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, दर्शनशास्त्र, भाषा विज्ञान, उदार कला, कला एवं मानविकी, पर्यटन अध्ययन, शिक्षा, एनीमेशन एवं मल्टीमीडिया, मानव अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक नीति एवं शासन, भूगोल, समाज कार्य, शांति एवं संघर्ष अध्ययन, योग, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, जनसंपर्क बी.एस.डब्ल्यू. एम.एस.डब्ल्यू.

क्र.सं.	संकाय का नाम	कार्यक्रम का नाम
5	पत्रकारिता / जनसंचार / मीडिया	बी.ए. एम.ए. पत्रकारिता, जनसंचार, मीडिया अध्ययन, डिजिटल मीडिया, फिल्म, टेलीविजन एवं मीडिया निर्माण, फिल्म एवं टीवी निर्माण, विज्ञापन एवं जनसंपर्क बी.जे.एम.सी. एम.जे.एम.सी.
6	ललित कला / प्रदर्शन कला / दृश्य कला / अनुप्रयुक्त कला	बी.ए. एम.ए. दृश्य कला, ललित कला, अनुप्रयुक्त कला, प्रदर्शन कला (संगीत/नृत्य/रंगमंच), चित्रकला, मूर्तिकला, मुद्रण कला, कला इतिहास बी.एफ.ए. एम.एफ.ए. बी.वी.ए. एम.वी.ए. बी.ए.ए. एम.ए.ए. बी.पी.ए. एम.पी.ए.
7	होटल प्रबंधन / आतिथ्य / पर्यटन / यात्रा	बी.ए. एम.ए. बी.एच.एम. एम.एच.एम. आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन, डिजिटल विपणन, स्वास्थ्य देखभाल एवं अस्पताल प्रबंधन, इवेंट प्रबंधन, होटल प्रबंधन, पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन, आतिथ्य प्रबंधन, केटरिंग प्रौद्योगिकी एवं पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रबंधन, आतिथ्य एवं होटल प्रबंधन बी.बी.ए. एम.बी.ए.

2. परिभाषाएँ

इस अध्यादेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

i. **"अधिनियम"** का अर्थ छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 है, जो समय-समय पर संशोधित होता रहता है;

ii. **"शैक्षणिक परिषद्"** या **"सीनेट"** का अर्थ वह निकाय है जो विश्वविद्यालय में सभी शैक्षणिक मामलों में निर्णय लेने के लिए सशक्त है;

iii. **"शैक्षणिक वर्ष"** का अर्थ बारह महीने की अवधि है जो प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के प्रत्येक वर्ष या तो जनवरी/फरवरी में या जुलाई/अगस्त के महीने में शुरू होती है, जैसा भी मामला हो;

iv. **"पुरस्कार"** का अर्थ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली योग्यताएँ जैसे प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और डिग्री है, जब कोई छात्र योग्यताओं की आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है;

v. **"क्रेडिट का शैक्षणिक बैंक (एबीसी)"** का अर्थ एक शैक्षणिक सेवा तंत्र है जो एक डिजिटल, आभासी या ऑनलाइन इकाई के रूप में आयोग द्वारा केंद्र सरकार की स्वीकृति के साथ स्थापित किया गया है ताकि छात्रों को इसका खाताधारक बनने की सुविधा मिल सके, जिससे क्रेडिट मान्यता, क्रेडिट संचय, क्रेडिट हस्तांतरण और क्रेडिड मोचन की एक औपचारिक प्रणाली के माध्यम से विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच या भीतर निर्बाध छात्र गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त हो सके, ताकि वितरित और लचीले शिक्षण-अधिगम को बढ़ावा दिया जा सके;

vi. **"मूल्यांकन बैंड"** का अर्थ एनसीआरएफ स्तरों के अनुसार दो अनिवार्य चरणों के बीच के स्तरों का समूहीकरण है, जो मूल्यांकन चरण के समकक्ष होगा जो एक छात्र/शिक्षार्थी के लिए पास करना अनिवार्य चरण होगा;

vii. **"अर्ध-वार्षिक प्रवेश"** का अर्थ छात्रों को वर्ष में दो बार अर्थात जुलाई/अगस्त में और जनवरी/फरवरी में प्रवेश देने की प्रक्रिया है;

viii. **"सीजीपीयूआरसी"** का अर्थ छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग है;

ix. **"पसंद आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस)"** का अर्थ ऐसी प्रणाली है जिसमें छात्र अपनी पसंद के पाठ्यक्रम ले सकते हैं, अपनी गति से सीख सकते हैं, अतिरिक्त पाठ्यक्रम कर सकते हैं और आवश्यक क्रेडिट से अधिक अर्जित कर सकते हैं, और सांविधिक निकाय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एक अंतःविषय दृष्टिकोण अपना सकते हैं;

x. **"आयोग"** का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) है;

xi. **"पाठ्यक्रम"** का अर्थ निर्दिष्ट इकाइयों में से एक है जो मिलकर अध्ययन के किसी निर्दिष्ट कार्यक्रम का गठन करती हैं;

xii. **"क्रेडिट"** का अर्थ राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) में डिज़ाइन किए गए अनुसार एक सेमेस्टर की अवधि में प्रति सप्ताह आवश्यक शिक्षण के घंटों की संख्या है;

xiii. **"क्रेडिट पॉइंट"** का अर्थ एक पाठ्यक्रम के लिए ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट की संख्या का गुणनफल है;

xiv. **"क्रेडिट आवश्यकता"** का अर्थ किसी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के लिए निर्धारित मूल्य है। एक छात्र जो क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा कर चुका है, उसका अर्थ है कि उसने पाठ्यक्रम कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है;

xv. **"क्रेडिट हस्तांतरण"** का अर्थ वह तंत्र है जिसके द्वारा एबीसी के साथ पंजीकृत उच्च शिक्षण संस्थान ऑफलाइन/ऑनलाइन/प्राइवेट/आरपीएल मोड के माध्यम से छात्रों द्वारा किए गए पाठ्यक्रमों/प्राप्त अनुभवों के लिए मानदंडों के पालन में व्यक्तिगत शैक्षणिक बैंक खातों को निर्धारित क्रेडिट प्राप्त या प्रदान करने में सक्षम होते हैं;

xvi. **"संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (सीजीपीए)"** का अर्थ सभी सेमेस्टरों में एक छात्र का समग्र संचयी प्रदर्शन है। सीजीपीए संबंधित सेमेस्टर तक विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक छात्र द्वारा प्राप्त कुल क्रेडिट पॉइंट और उन संबंधित सेमेस्टरों में सभी पंजीकृत पाठ्यक्रमों के कुल क्रेडिट पॉइंट के योग का अनुपात है। इसे दो दशमलव स्थानों तक व्यक्त किया जाता है;

xvii. **"डिग्री"** का अर्थ यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 22(3) के प्रावधानों के अनुसार किसी उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान की गई डिग्री है;

xviii. **"दोहरी डिग्री"** का अर्थ एक या एक से अधिक उच्च शिक्षण संस्थानों से दो अलग-अलग डिग्रियाँ अर्जित करना है;

xix. **"सरकार"** का अर्थ छत्तीसगढ़ शासन है;

xx. **"ग्रेड पॉइंट"** का अर्थ 10-बिंदु पैमाने पर प्रत्येक अक्षर ग्रेड को आवंटित एक संख्यात्मक भार है, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है;

xxi. **"ग्रेड शीट"** का अर्थ छात्र द्वारा अर्जित ग्रेड पर आधारित एक प्रमाण पत्र है। ग्रेड शीट में पाठ्यक्रम का विवरण (कोड, शीर्षक, क्रेडिट की संख्या, प्राप्त ग्रेड आदि) उस सेमेस्टर के एसजीपीए और उस सेमेस्टर तक अर्जित सीजीपीए के साथ होगा। अंतिम सेमेस्टर की ग्रेड शीट अधिकतम अंकों में से छात्र द्वारा सभी सेमेस्टरों में प्राप्त अंकों के संचयी योग को भी दर्शाएगी, जिसके लिए कार्यक्रम के ग्रेड का मूल्यांकन किया गया था। हालाँकि, अंतिम परिणाम ग्रेड/सीजीपीए पर आधारित होगा;

xxii. **"उच्च शिक्षण संस्थान"** का अर्थ उच्च शिक्षण संस्थान (एचईआई) हैं जो यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 22 के अनुसार स्वयं या अपने संबद्ध विश्वविद्यालयों के माध्यम से डिग्री प्रदान करने के लिए सशक्त हैं;

xxiii. **"सीखने के परिणाम"** का अर्थ उन कथनों से है जो एक शिक्षार्थी एक सीखने की प्रक्रिया और अध्ययन के कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के पूरा होने पर क्या जानता है, समझता है और करने में सक्षम है;

xxiv. **"अक्षर ग्रेड"** का अर्थ एक पाठ्यक्रम में एक छात्र के प्रदर्शन का एक सूचकांक है। ग्रेड को अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है - ओ, ए+, ए, बी+, बी, सी, पी, एफ और एबी;

xxv. **"स्तर"** का अर्थ राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) में दिए गए अनुसार क्रमिक चरणों की एक श्रृंखला है, जिसे सीखने के परिणामों की एक सीमा के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, जिसके विरुद्ध विशिष्ट योग्यताएँ स्थित/अवस्थित होती हैं;

xxvi. **"मैसिव ओपन लर्निंग कोर्स (एमओओसी)"** का अर्थ ऐसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम हैं जो निम्नलिखित चार-चतुर्थांश दृष्टिकोण का पालन करते हुए विकसित किए जाते हैं;

xxvii. **"बहु प्रवेश और निकास"** का अर्थ एक सक्षम तंत्र है जिसमें शिक्षार्थी एक स्तर के बाद बाहर निकल सकता है और कार्यक्रम में जारी रखने के लिए फिर से शामिल हो सकता है और एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर उच्च योग्यता प्राप्त कर सकता है;

xxviii. **"राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ)"** का अर्थ एक व्यापक क्रेडिट फ्रेमवर्क है जिसमें प्रारंभिक, स्कूली, उच्चतर, और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण शामिल है, जो अकादमिक, व्यावसायिक कौशल और अनुभवात्मक शिक्षा सहित प्रासंगिक अनुभव और दक्षता/व्यावसायिक स्तरों सहित विभिन्न आयामों में सीखने के क्रेडिटीकरण को एकीकृत करता है;

xxix. **"राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ)"** का अर्थ यूजीसी द्वारा तैयार किया गया एक वर्णनात्मक फ्रेमवर्क है जो ज्ञान/कौशल के स्तरों की एक श्रृंखला के अनुसार योग्यताओं को व्यवस्थित करता है;

xxx. **"ऑनलाइन मोड"** का अर्थ इंटरनेट, ई-लर्निंग सामग्री और प्रौद्योगिकी-सहायता प्राप्त तंत्र और संसाधनों के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से पूर्ण कार्यक्रम वितरण का उपयोग करके शिक्षक और शिक्षार्थी के पृथक्करण को दूर करके लचीले सीखने के अवसर प्रदान करने का एक तरीका है;

xxxi. **"मुक्त और दूरस्थ शिक्षा मोड (ओडीएल)"** का अर्थ शिक्षक और शिक्षार्थी के पृथक्करण को दूर करके लचीले सीखने के अवसर प्रदान करने का एक तरीका है, जिसमें व्यावहारिक और कार्य अनुभवों सहित शिक्षक-शिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन और शिक्षार्थियों के साथ कभी-

कभी इंटरैक्टिव आमने-सामने बैठकें या शिक्षार्थी सहायता सेवाओं सहित विभिन्न मीडिया का उपयोग किया जाता है;

xxxii. **"कार्यक्रम"** या **"अध्ययन कार्यक्रम"** का अर्थ यूजीसी अधिनियम की धारा 22 के उप-खंड (3) के तहत यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट डिग्री के लिए किया जाने वाला उच्च शिक्षा कार्यक्रम है;

xxxiii. **"सेमेस्टर"** का अर्थ शिक्षण कार्य की अवधि के 14-20 सप्ताह तक फैला एक शैक्षणिक सत्र है। जुलाई से शुरू होने वाले शैक्षणिक वर्ष के मामले में, विषम सेमेस्टर सामान्यतः जुलाई से दिसंबर तक निर्धारित किया जाएगा और सम सेमेस्टर जनवरी से जुलाई तक निर्धारित किया जाएगा। जनवरी से शुरू होने वाले शैक्षणिक वर्ष के मामले में, विषम सेमेस्टर सामान्यतः जनवरी से जुलाई तक निर्धारित किया जाएगा और सम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक निर्धारित किया जाएगा;

xxxiv. **"सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट औसत (एसजीपीए)"** का अर्थ किसी विशेष सेमेस्टर में एक छात्र के प्रदर्शन का माप है। यह एक सेमेस्टर में पंजीकृत विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक छात्र द्वारा प्राप्त कुल क्रेडिट पॉइंट और उस सेमेस्टर में सभी पाठ्यक्रमों के कुल क्रेडिट का अनुपात है। एसजीपीए को दो दशमलव स्थानों तक व्यक्त किया जाएगा;

xxxv. **"पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल)"** का अर्थ एक मूल्यांकन प्रक्रिया है जिसे औपचारिक, गैर-औपचारिक, या अनौपचारिक शिक्षण अनुभवों के माध्यम से प्राप्त किसी व्यक्ति के कौशल, ज्ञान और अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है;

xxxvi. **"छात्र"** का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे विश्वविद्यालय में किसी विशिष्ट क्रेडिट-आधारित पाठ्यक्रम/अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश दिया गया है और वह उसका पालन कर रहा है;

xxxvii. **"प्रतिलेख (ट्रांसक्रिप्ट)"** का अर्थ किसी कार्यक्रम में सभी नामांकित छात्रों को कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद जारी किया गया एक प्रमाण पत्र है। इसमें सभी सेमेस्टरों का एसजीपीए और सीजीपीए होगा;

xxxviii. **"स्नातक प्रमाणपत्र"** का अर्थ एक स्नातक कार्यक्रम में अध्ययन के चुने हुए क्षेत्रों में 1 वर्ष (2 सेमेस्टर) का अध्ययन पूरा करने के बाद प्रदान किया जाने वाला प्रमाणपत्र है;

xxxix. **"स्नातक डिप्लोमा"** का अर्थ एक स्नातक कार्यक्रम में अध्ययन के चुने हुए क्षेत्रों में 2 वर्ष (4 सेमेस्टर) के बाद प्रदान किया जाने वाला डिप्लोमा है;

xl. **"विश्वविद्यालय"** का अर्थ कृष्णा विकाश ग्लोबल यूनिवर्सिटी, रायपुर है;

3. प्रवेश के लिए पात्रता एवं सीटों की उपलब्धता

(क) जिस उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से स्तर 4/कक्षा 12 की स्कूली शिक्षा उत्तीर्ण की है, या तो औपचारिक स्कूली शिक्षा के माध्यम से या मुक्त विद्यालय प्रणाली के माध्यम से, या उसके समकक्ष, वह विश्वविद्यालय में स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होगा। प्रवेश योग्यता के आधार पर और किसी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश नियमों एवं दिशानिर्देशों तथा यूजीसी एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए विनियमों के अनुसार दिया जाएगा।

(ख) एक उम्मीदवार, स्तर 4/कक्षा 12 की स्कूली शिक्षा में उसके द्वारा लिए गए विषयों की परवाह किए बिना, स्नातक कार्यक्रम की किसी भी विधा में प्रवेश के लिए पात्र है, बशर्ते छात्र स्नातक कार्यक्रम की विधा में राष्ट्रीय स्तर या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करता है। विश्वविद्यालय छात्रों को ज्ञान अंतराल को दूर करने के लिए आवश्यक ब्रिज कोर्स प्रदान करेगा, यदि विभिन्न विधाओं से छात्रों को प्रवेश दिए जाने पर इसकी आवश्यकता हो।

(ग) एक छात्र एक साथ दो स्नातक कार्यक्रम कर सकता है और विधा परिवर्तन/संस्थान/सीखने के तरीके में लचीलेपन के साथ दोहरी डिग्री अर्जित कर सकता है, जैसा कि यूजीसी के स्नातक कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क और एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रम करने के लिए यूजीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों में दिया गया है, विश्वविद्यालय को सूचना देते हुए। एक छात्र दो शैक्षणिक कार्यक्रम कर सकता है, एक पूर्णकालिक भौतिक मोड में और दूसरा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल)/ऑनलाइन मोड में, बशर्ते कि एक कार्यक्रम की कक्षा का समय दूसरे कार्यक्रम की कक्षा के समय के साथ ओवरलैप न हो। इसके अलावा, ओडीएल/ऑनलाइन मोड के तहत डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम केवल ऐसे उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ किए जाएंगे जो ऐसे कार्यक्रम चलाने के लिए यूजीसी/सांविधिक परिषद/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

(घ) नियमित मोड के अलावा अन्य मोड जैसे ओडीएल, ऑनलाइन और आरपीएल मोड से सीखना एक अच्छी तरह से परिभाषित मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से क्रेडिट योग्य होगा और यह यूजीसी द्वारा समय-समय पर ओडीएल, ऑनलाइन और आरपीएल पर अधिसूचित दिशानिर्देशों/विनियमों के अधीन होगा।

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को विश्वविद्यालय में "भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश और अधिसंख्य सीटों के लिए दिशानिर्देश" के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित होता है। विश्वविद्यालय कुल स्वीकृत सीटों से ऊपर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए विशेष रूप से 25% तक अधिसंख्य सीटें (सुपरन्यूमेररी सीट्स) बना सकता है, जिसमें विनिमय कार्यक्रमों के तहत या विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच या भारत सरकार और अन्य देशों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्र शामिल नहीं होंगे। विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को उनके पास मौजूद प्रवेश योग्यता की समतुल्यता के आधार पर प्रवेश देगा, जो यूजीसी या

ऐसे उद्देश्य के लिए यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य निकाय या देश के संबंधित नियामक निकाय द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(च) औपचारिक शिक्षा के बाहर या कार्यस्थल में या समुदाय में सीखने और प्रशिक्षण के माध्यम से छात्र द्वारा प्राप्त सीख, किसी विशेष पेशे में अनुभव और विशेषज्ञता वाले ऐसे छात्र द्वारा प्राप्त पूर्व सीखने के परिणामों के सत्यापन पर आधारित होगी, जिसका मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा, जैसा कि यूजीसी के "उच्च शिक्षा में पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश" के अनुसार, समय-समय पर संशोधित होता है।

(छ) किसी भी स्नातक कार्यक्रम में एक कार्यक्रम में छात्र नामांकन 60 सीटों तक सीमित होगा और स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए यह 40 सीटों तक सीमित होगा। यदि किसी कार्यक्रम में प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर अधिक प्रवेश की अधिक मांग है, तो विश्वविद्यालय सीजीपीयूआरसी और सरकार की अनुमति से अधिक सेक्शन खोल सकता है।

(ज) शैक्षणिक और भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर, अधिकतम 10% सीटें दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष में पात्र पार्श्व प्रवेशकों (लेटरल एंट्रेंट्स) के लिए आरक्षित की जा सकती हैं, यदि छात्र ने क्रमशः उसी कार्यक्रम का पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अध्ययन में ब्रेक के बाद कार्यक्रम में फिर से प्रवेश लेना चाहता है, सीजीपीयूआरसी को सूचना देते हुए।

(झ) सभी कार्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर के लिए प्रवेश की प्रक्रिया सामान्यतः प्रत्येक वर्ष जून/जुलाई से शुरू होगी। हालाँकि, यूजीसी द्वारा परिकल्पित "अर्ध-वार्षिक प्रवेश" के मद्देनजर, कुछ परिस्थितियों में, विश्वविद्यालय दिसंबर/जनवरी के महीने में भी किसी कार्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर के लिए प्रवेश देने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, जिसके लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचा और शिक्षक उपलब्ध हों और सीजीपीयूआरसी एवं सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद।

(ञ) सभी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए सूचना विश्वविद्यालय द्वारा अपनी वेबसाइट और अन्य उपयुक्त स्थानों पर प्रकाशित की जाएगी, जिसमें आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि और तरीका, उपलब्ध सीटों की संख्या, पात्रता मानदंड, प्रवेश के लिए जमा किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज, कार्यक्रम की अवधि आदि का उल्लेख होगा।

(ट) बहु प्रवेश और निकास बिंदुओं का प्रावधान होगा, बशर्ते कि बाद में इस अध्यादेश में निर्धारित मानदंडों की पूर्ति हो।

(ठ) शैक्षणिक कार्यक्रमों में बहु प्रवेश और निकास बिंदुओं को सक्षम करने के लिए, प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, और डिग्री जैसी योग्यताएं स्तर 4.5 से स्तर 6 तक आरोही क्रम में स्तरों की एक श्रृंखला में व्यवस्थित की जाती हैं। स्तर 4.5 प्रमाणपत्र का प्रतिनिधित्व करता है, स्तर 5 डिप्लोमा का प्रतिनिधित्व करता है, स्तर 5.5 स्नातक डिग्री

का प्रतिनिधित्व करता है और स्तर 6 स्नातक डिग्री (ऑनर्स/ऑनर्स विद रिसर्च)/बी.टेक/बी.ई./पीजी-डिप्लोमा योग्यता का प्रतिनिधित्व करता है और न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताएं तालिका-1 में उल्लिखित हैं, साथ ही उन छात्रों के लिए प्रवेश और निकास विकल्प भी दिए गए हैं, जो स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश लेते हैं।

(ङ) इन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज (स्थानांतरण प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/अंकसूचियाँ/स्थानांतरण प्रमाण पत्र आदि) वैसे होंगे जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा, उपयुक्त निकाय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों/निर्देशों के अनुसार, तय किए जा सकते हैं।

4. डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्रों की नामावली (नामकरण) और क्रेडिट आवश्यकताएँ

(क) **स्नातक प्रमाणपत्र:** एक छात्र जो प्रथम वर्ष (द्वितीय सेमेस्टर) के सफल समापन के बाद बाहर निकलने का विकल्प चुनता है और कम से कम 40 क्रेडिट प्राप्त कर चुका है, उसे स्नातक प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा, यदि उसने द्वितीय सेमेस्टर के पूरा होने के बाद उसके द्वारा अर्जित क्रेडिट के अतिरिक्त न्यूनतम 4-क्रेडिट कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम भी किए हों। उसे तीन वर्षों के भीतर डिग्री कार्यक्रम में फिर से प्रवेश लेने और निर्धारित अधिकतम सात वर्षों की अवधि के भीतर डिग्री कार्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जा सकती है।

(ख) **स्नातक डिप्लोमा:** एक छात्र जो द्वितीय वर्ष (चतुर्थ सेमेस्टर) के सफल समापन के बाद बाहर निकलने का विकल्प चुनता है और कम से कम 80 क्रेडिट प्राप्त कर चुका है, उसे स्नातक डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, यदि उसने चतुर्थ सेमेस्टर के पूरा होने के बाद उसके द्वारा अर्जित क्रेडिट के अतिरिक्त न्यूनतम 4-क्रेडिट कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम भी किए हों। उसे तीन वर्षों के भीतर डिग्री कार्यक्रम में फिर से प्रवेश लेने और निर्धारित अधिकतम सात वर्षों की अवधि के भीतर डिग्री कार्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जा सकती है।

(ग) **3 वर्षीय स्नातक डिग्री:** एक छात्र जो 3 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम करना चाहता है, उसे तीन वर्षों के सफल समापन पर, 120 क्रेडिट प्राप्त करने और न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकता को पूरा करने पर, मुख्य विधा (मेजर डिसिप्लिन) में स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी।

(घ) **4 वर्षीय स्नातक डिग्री (ऑनर्स):** एक छात्र जो चार वर्षीय डिग्री कार्यक्रम 160 क्रेडिट के साथ पूरा करता है और न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकता को पूरा करता है, उसे मुख्य विधा में चार वर्षीय स्नातक ऑनर्स डिग्री प्रदान की जाएगी।

(ङ) **4 वर्षीय स्नातक डिग्री (ऑनर्स एंड रिसर्च):** एक छात्र जो प्रथम छह सेमेस्टर में कम से कम 75% अंक प्राप्त करता है और स्नातक स्तर पर अनुसंधान करना चाहता है, वह चौथे वर्ष में अनुसंधान स्ट्रीम चुन सकता है। उसे विश्वविद्यालय के एक संकाय सदस्य के मार्गदर्शन में एक शोध परियोजना या शोध-प्रबंध (डिसर्टेशन) करना आवश्यक होगा। एक शोध परियोजना/शोध-प्रबंध मुख्य विधा में होगा। एक छात्र जो 160-क्रेडिट पॉइंट प्राप्त

करता है, जिसमें शोध परियोजना/शोध-प्रबंध में 12 क्रेडिट शामिल हैं, उसे स्नातक डिग्री (ऑनर्स एंड रिसर्च) प्रदान की जाएगी।

(च) **एकल मुख्य विषय (सिंगल मेजर) के साथ स्नातक डिग्री कार्यक्रम:** एक छात्र जो 3-वर्षीय/4-वर्षीय स्नातक डिग्री के लिए मुख्य विधा से न्यूनतम 50% क्रेडिट प्राप्त करता है, उसे एकल मुख्य विषय से सम्मानित किया जाएगा। शेष 50% क्रेडिट के लिए, छात्र कौशल पाठ्यक्रम, शिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) और बहु-विषयक (मल्टीडिसिप्लिनरी) विषयों का चयन करेगा।

(छ) **दोहरे मुख्य विषय (डबल मेजर) के साथ स्नातक डिग्री कार्यक्रम:** एक छात्र जो 3-वर्षीय/4-वर्षीय स्नातक डिग्री के लिए मुख्य विधा से न्यूनतम 40% क्रेडिट प्राप्त करता है, उसे दोहरे मुख्य विषय से सम्मानित किया जाएगा।

(ज) **अंतर-विषयक (इंटरडिसिप्लिनरी) स्नातक कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम में, मुख्य पाठ्यक्रमों (कोर कोर्सेस) के क्रेडिट को घटक विधा/विषयों के बीच इस प्रकार वितरित किया जाएगा ताकि अंतर-विषयक कार्यक्रम में मुख्य दक्षताएँ (कोर कम्पीटेंसीज) प्राप्त की जा सकें।

(झ) **बहु-विषयक (मल्टीडिसिप्लिनरी) स्नातक कार्यक्रम:** एक छात्र के लिए जो अध्ययन के बहु-विषयक कार्यक्रम का पालन कर रहा है, मुख्य पाठ्यक्रमों के क्रेडिट को व्यापक विधा जैसे जीवन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणितीय और कंप्यूटर विज्ञान, डेटा विश्लेषण, सामाजिक विज्ञान आदि के बीच वितरित किया जाएगा।

नोट:-

(क) सभी कार्यक्रमों की नामावली यूजीसी द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

(ख) विश्वविद्यालय मुख्य श्रेणी के अंतर्गत पाठ्यक्रमों की सूची और दोहरे मुख्य विषय, अंतर-विषयक और बहु-विषयक कार्यक्रमों के लिए क्रेडिट वितरण पर निर्णय लेगा। प्रत्येक श्रेणी के तहत डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताएँ नीचे एक तालिका के रूप में दी गई हैं।

तालिका-1: योग्यता का प्रकार और क्रेडिट आवश्यकताएँ

क्र.सं.	एनएचईक्यूएफ स्तर	योग्यता शीर्षक	क्रेडिट आवश्यकताएँ (न्यूनतम)
1	स्तर 4.5	स्नातक प्रमाणपत्र (अधिगम/विधा के क्षेत्र में) उन लोगों के लिए जो स्नातक कार्यक्रम के प्रथम वर्ष (दो सेमेस्टर) के बाद बाहर निकलते हैं। (कार्यक्रम अवधि: स्नातक कार्यक्रम का प्रथम वर्ष या दो सेमेस्टर)	40
2	स्तर 5	स्नातक डिप्लोमा (अधिगम/विधा के क्षेत्र में) उन लोगों के लिए जो स्नातक कार्यक्रम के प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर) के बाद बाहर निकलते हैं। (कार्यक्रम अवधि: स्नातक कार्यक्रम के प्रथम दो वर्ष या चार सेमेस्टर)	80
3	स्तर 5.5	स्नातक डिग्री (जैसे कला स्नातक, विज्ञान स्नातक, वाणिज्य स्नातक, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्नातक आदि) कार्यक्रम अवधि: तीन वर्ष या छह सेमेस्टर	120

4	स्तर 5.5	वोकेशन स्नातक (बी.वोक.) कार्यक्रम अवधि: तीन वर्ष या छह सेमेस्टर	120
5	स्तर 6	अभियांत्रिकी स्नातक, प्रौद्योगिकी स्नातक (बी.टेक.) कार्यक्रम अवधि: चार वर्ष या आठ सेमेस्टर	160
6	स्तर 6	बी.ए.-बी.एड., बी.एससी.-बी.एड., बी.कॉम.-बी.एड. (चार वर्षीय दोहरी डिग्री एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम)	160
7	स्तर 6	स्नातक डिग्री (ऑनर्स/ऑनर्स विद रिसर्च) कार्यक्रम अवधि: चार वर्ष या आठ सेमेस्टर	160
8	स्तर 6	स्नातकोत्तर डिप्लोमा। उन लोगों के लिए जो 2-वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम के प्रथम वर्ष या दो सेमेस्टर के सफल समापन के बाद बाहर निकलते हैं। कार्यक्रम अवधि: एक वर्ष या दो सेमेस्टर	40
9	स्तर 6.5	परास्नातक डिग्री (जैसे एम.ए., एम.कॉम., एम.एससी. आदि) कार्यक्रम अवधि: 3-वर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त करने के बाद दो वर्ष या चार सेमेस्टर	80
10	स्तर 6.5	परास्नातक डिग्री (जैसे एम.ए., एम.कॉम., एम.एससी. आदि) कार्यक्रम अवधि: 4-वर्षीय स्नातक डिग्री (ऑनर्स/ऑनर्स विद रिसर्च) प्राप्त करने के बाद एक वर्ष या दो सेमेस्टर	40
11	स्तर 7	परास्नातक डिग्री (जैसे एम.ई., एम.टेक., आदि) कार्यक्रम अवधि: 3-वर्षीय स्नातक डिग्री (जैसे बी.ई., बी.टेक. आदि) प्राप्त करने के बाद दो वर्ष या चार सेमेस्टर	80
12	स्तर 8	डॉक्टरेट डिग्री	पाठ्यक्रम कार्य और एक थीसिस एवं प्रकाशित कार्य हेतु क्रेडिट

नोट: -

(i) अनुसंधान न करने वाले ऑनर्स छात्र शोध परियोजना/शोध-प्रबंध के स्थान पर 12 क्रेडिट के 3 पाठ्यक्रम करेंगे।

(ii) यूजीसी/सांविधिक निकायों द्वारा प्रख्यापित दिशानिर्देशों के अनुसार, विश्वविद्यालय इस प्रकार अतिरिक्त क्रेडिट आवंटित कर सकता है जिससे छात्रों को न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने में सुविधा हो।

5. स्नातक कार्यक्रम के पाठ्यक्रम घटक

पाठ्यक्रम में मुख्य स्ट्रीम पाठ्यक्रम (मेजर स्ट्रीम कोर्सेस), गौण स्ट्रीम पाठ्यक्रम (माइनर स्ट्रीम कोर्सेस) और अन्य विधाओं के पाठ्यक्रम, भाषा पाठ्यक्रम, कौशल पाठ्यक्रम, और पर्यावरण शिक्षा, भारत को समझना, डिजिटल एवं तकनीकी समाधान, स्वास्थ्य एवं कल्याण, योग शिक्षा, तथा खेल एवं फिटनेस पर पाठ्यक्रमों का एक समूह शामिल होगा। द्वितीय सेमेस्टर के अंत में, एक छात्र या तो चुने हुए मुख्य विषय के साथ जारी रखने का निर्णय ले सकता है या मुख्य विषय में परिवर्तन का अनुरोध कर सकता है। गौण स्ट्रीम पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल हैं जो छात्र को नौकरी-उन्मुख कौशल से सुसज्जित करने में सहायता करेंगे।

6. विषयगत/अंतर-विषयक मुख्य विषय (मेजर)

मुख्य विषय एक छात्र को किसी विशेष विषय या विधा का गहन अध्ययन करने का अवसर प्रदान करेगा। एक छात्र को द्वितीय सेमेस्टर के अंत में व्यापक विधा के भीतर मुख्य विषय बदलने की अनुमति दी जा सकती है, जिससे उसे प्रथम वर्ष के दौरान अंतर-विषयक पाठ्यक्रमों का पता लगाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। उन्नत स्तर के

विषयगत/अंतर-विषयक पाठ्यक्रम, अनुसंधान पद्धति में एक पाठ्यक्रम, और एक परियोजना/शोध-प्रबंध सातवें सेमेस्टर में आयोजित किया जाएगा। अंतिम सेमेस्टर सेमिनार प्रस्तुति, तैयारी, और परियोजना रिपोर्ट/शोध-प्रबंध जमा करने के लिए समर्पित होगा। परियोजना कार्य/शोध-प्रबंध अध्ययन के विषयगत कार्यक्रम के किसी विषय पर या किसी अंतर-विषयक विषय पर होगा।

7. विषयगत/अंतर-विषयक गौण विषय (माइनर)

एक छात्र के पास विषयगत/अंतर-विषयक गौण विषयों और किसी चुने हुए व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित कौशल-आधारित पाठ्यक्रमों में से पाठ्यक्रम चुनने का विकल्प होगा। एक छात्र जो चुने हुए मुख्य विषय के अलावा किसी अन्य विधा या अंतर-विषयक अध्ययन क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पाठ्यक्रम लेता है, वह उस विधा या चुने हुए अंतर-विषयक अध्ययन क्षेत्र में गौण विषय के लिए योग्य होगा। एक छात्र विभिन्न पाठ्यक्रमों का पता लगाने के बाद, द्वितीय सेमेस्टर के अंत में गौण विषय और व्यावसायिक स्ट्रीम के चयन की घोषणा कर सकता है।

8. व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण

व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण सिद्धांत और व्यावहारिक के साथ-साथ कौशल प्रदान करने के लिए स्नातक कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग होगा। न्यूनतम 12 क्रेडिट व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण से संबंधित गौण स्ट्रीम को आवंटित किए जाएंगे और ये मुख्य या गौण विधा या छात्र की पसंद से संबंधित हो सकते हैं। ये पाठ्यक्रम उन छात्रों के लिए नौकरी खोजने में उपयोगी होंगे जो कार्यक्रम पूरा करने से पहले बाहर निकल जाते हैं।

9. अन्य विधाओं के पाठ्यक्रम (बहु-विषयक) (9 क्रेडिट)

सभी स्नातक छात्रों के लिए नीचे दी गई व्यापक विधाओं में से किसी से संबंधित 3 प्रारंभिक-स्तरीय पाठ्यक्रम करना आवश्यक है। ये पाठ्यक्रम बौद्धिक अनुभव को व्यापक बनाने के लिए अभिप्रेत हैं और उदार कला एवं विज्ञान शिक्षा का हिस्सा हैं। छात्रों को इस श्रेणी के तहत प्रस्तावित मुख्य और गौण स्ट्रीम में उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 12) पर पहले से लिए गए पाठ्यक्रमों को चुनने या दोहराने की अनुमति नहीं है।

(क) **प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञान:** एक छात्र विधाओं से बुनियादी पाठ्यक्रम चुन सकता है, जैसे प्राकृतिक विज्ञान, उदाहरण के लिए, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन, रसायन विज्ञान, भौतिकी, जैव भौतिकी, खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी, पृथ्वी एवं पर्यावरण विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, फोरेंसिक विज्ञान आदि।

(ख) **गणित, सांख्यिकी, एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग:** इस श्रेणी के अंतर्गत पाठ्यक्रम छात्र को उनके मुख्य और गौण विधाओं में उपकरणों और तकनीकों का उपयोग और अनुप्रयोग करने में सुविधा प्रदान करेंगे। पाठ्यक्रम में अन्य के साथ-साथ पायथन जैसे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और एसटीएटीए, एसपीएसएस, टैली आदि जैसे

अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर में प्रशिक्षण शामिल हो सकता है। इस श्रेणी के अंतर्गत बुनियादी पाठ्यक्रम डेटा विश्लेषण और मात्रात्मक उपकरणों के अनुप्रयोग में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में ज्ञान प्राप्त करने के लिए सहायक होंगे।

(ग) **पुस्तकालय, सूचना, एवं मीडिया विज्ञान:** इस श्रेणी के पाठ्यक्रम छात्र को सूचना और मीडिया विज्ञान (पत्रकारिता, जन मीडिया, और संचार) में हाल के विकास को समझने में सहायता करेंगे।
(घ) **वाणिज्य एवं प्रबंधन:** इस श्रेणी के पाठ्यक्रमों में व्यवसाय प्रबंधन, लेखांकन, वित्त, वित्तीय संस्थान, फिनटेक आदि शामिल हैं।

(घ) **मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान:** सामाजिक विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रम, उदाहरण के लिए, इनमें शामिल हैं - मानव विज्ञान, संचार एवं मीडिया, अर्थशास्त्र, इतिहास, भाषा विज्ञान, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज कार्य, समाजशास्त्र आदि। ये पाठ्यक्रम छात्रों को व्यक्तियों और उनके सामाजिक व्यवहार, समाज और राष्ट्र को समझने में सक्षम बनाएंगे। छात्रों को भारत के लिए उपलब्ध बड़े पैमाने के डेटाबेस से सर्वेक्षण पद्धति से भी परिचित कराया जाएगा। मानविकी के अंतर्गत पाठ्यक्रमों में, उदाहरण के लिए, पुरातत्व, इतिहास, तुलनात्मक साहित्य, कला एवं रचनात्मक अभिव्यक्तियाँ, रचनात्मक लेखन एवं साहित्य, भाषा(एँ), दर्शनशास्त्र आदि, और मानविकी से संबंधित अंतर-विषयक पाठ्यक्रम शामिल हैं। पाठ्यक्रमों की सूची जिसमें अंतर-विषयक विषय जैसे संज्ञानात्मक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, लैंगिक अध्ययन, वैश्विक पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक अर्थव्यवस्था एवं विकास, सतत विकास, महिला एवं लैंगिक अध्ययन आदि शामिल हो सकते हैं, समाज को समझने में उपयोगी होंगे।

10. क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (एईसी) (08 क्रेडिट): आधुनिक भारतीय भाषा (एमआईएल) एवं अंग्रेजी भाषा (भाषा एवं संचार कौशल पर केंद्रित)

छात्रों के लिए एक आधुनिक भाषा (एमआईएल) और अंग्रेजी भाषा में भाषा और संचार कौशल पर विशेष जोर देने के साथ दक्षता हासिल करना आवश्यक है। पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को मुख्य भाषाई कौशल हासिल करने और प्रदर्शित करने में सक्षम बनाना होगा, जिसमें आलोचनात्मक पठन और व्याख्यात्मक एवं शैक्षणिक लेखन कौशल शामिल हैं जो उन्हें अपने तर्कों को स्पष्ट और सुसंगत रूप से व्यक्त करने और ज्ञान एवं पहचान के मध्यस्थ के रूप में भाषा के महत्व को पहचानने में मदद करेंगे। यह छात्रों को चुनी गई एमआईएल और अंग्रेजी भाषा की सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विरासत से परिचित होने में भी सक्षम बनाएगा, साथ ही उन्हें एमआईएल और अंग्रेजी भाषा दोनों से संबंधित भाषा/साहित्य की संरचना और जटिलता की एक चिंतनशील समझ प्रदान करेगा। पाठ्यक्रम संचार, और चर्चा एवं वाद-विवाद में भाग लेने/संचालन करने की क्षमता जैसे कौशल के विकास और संवर्धन पर भी जोर देंगे।

11. कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (एसईसी)

इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए व्यावहारिक कौशल, प्रयोगात्मक प्रशिक्षण, सॉफ्ट स्किल्स आदि प्रदान करना है। विश्वविद्यालय छात्रों की आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करेगा।

12. मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम (वीएसी) (सभी स्नातक छात्रों के लिए सामान्य) (7 क्रेडिट)

i. **भारत को समझना:** इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ समकालीन भारत का ज्ञान और समझ, राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों और नीतियों की बुनियादी रूपरेखा, और संवैधानिक मूल्यों एवं मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों पर विशेष जोर देने के साथ संवैधानिक दायित्वों को प्राप्त करने और प्रदर्शित करने में सक्षम बनाना है। पाठ्यक्रम छात्र-शिक्षकों के बीच भारतीय ज्ञान प्रणालियों, भारतीय शिक्षा प्रणाली, और सामान्य रूप से राष्ट्र और विशेष रूप से स्कूल/समुदाय/समाज के प्रति शिक्षकों की भूमिकाओं और दायित्वों की समझ विकसित करने पर केंद्रित होगा। पाठ्यक्रम भारत के स्वतंत्रता संग्राम और उसके द्वारा प्रस्तुत मूल्यों एवं आदर्शों की समझ को गहरा करने का प्रयास करेगा ताकि देश के सभी वर्गों और क्षेत्रों के लोगों द्वारा किए गए योगदान की सराहना विकसित हो सके। यह पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों को भारत के संविधान में निहित मूल्यों को समझने और संजोने में मदद करेगा तथा उन्हें एक लोकतांत्रिक समाज के प्रभावी नागरिक के रूप में अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के लिए तैयार करने में सहायता करेगा।

ii. **पर्यावरण विज्ञान/शिक्षा:** इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को पर्यावरणीय क्षरण, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के प्रभावों को कम करने, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता का संरक्षण, जैविक संसाधनों का प्रबंधन, वन एवं वन्यजीव संरक्षण, सतत विकास एवं जीवन के लिए उचित कार्रवाई करने हेतु आवश्यक अर्जित ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों को लागू करने की क्षमता से सुसज्जित करना है। यह पाठ्यक्रम भारत के पर्यावरण, उसकी संपूर्णता में, उसकी अंतःक्रियात्मक प्रक्रियाओं और लोगों के जीवन की भविष्य की गुणवत्ता पर इसके प्रभावों के ज्ञान और समझ को भी गहरा करेगा।

iii. **डिजिटल एवं तकनीकी समाधान:** तेजी से प्रमुखता प्राप्त कर रहे अत्याधुनिक क्षेत्रों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), 3-डी मशीनिंग, बड़ा डेटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग, ड्रोन प्रौद्योगिकियां और डीप लर्निंग, जिनके स्वास्थ्य, पर्यावरण और सतत जीवन के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं, को युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए स्नातक शिक्षा में शामिल किया जाएगा।

iv. **स्वास्थ्य एवं कल्याण, योग शिक्षा, खेल एवं फिटनेस:** स्वास्थ्य से संबंधित पाठ्यक्रम घटक एक व्यक्ति की शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय भलाई की इष्टतम स्थिति को बढ़ावा देना चाहेंगे। खेल एवं फिटनेस गतिविधियाँ नियमित विश्वविद्यालय के घंटों के बाहर आयोजित की

जाएंगी। योग शिक्षा छात्रों को उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं के एकीकरण के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने पर केंद्रित होगी और साथ ही उन्हें किसी के व्यक्तित्व के बारे में बुनियादी ज्ञान, आत्म-अनुशासन और आत्म-नियंत्रण बनाए रखने, सभी जीवन स्थितियों में स्वयं को संभालना सीखने के लिए सुसज्जित करेगी। पाठ्यक्रमों के खेल एवं फिटनेस घटकों पर ध्यान शारीरिक फिटनेस जैसे शक्ति, गति, समन्वय, सहनशक्ति और लचीलेपन में सुधार; एक विशेष खेल के लिए प्रासंगिक मोटर कौशल के साथ-साथ बुनियादी गति कौशल सहित खेल कौशल का अधिग्रहण; सामरिक क्षमताओं में सुधार; और मानसिक क्षमताओं में सुधार पर होगा।

विश्वविद्यालय आवश्यकतानुसार विधा से संबंधित या सभी स्नातक कार्यक्रमों के लिए सामान्य अन्य नवीन मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम शुरू करेगा।

13. भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस)

आईकेएस से संबंधित पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे।

(क) आईकेएस से संबंधित विषय सभी विधाओं के लिए स्नातक पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग होंगे।

(ख) आईकेएस में लिए जाने वाले क्रेडिट 4-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में कुल अनिवार्य क्रेडिट का 5% होंगे। आईकेएस के लिए आवंटित क्रेडिट का 50% मुख्य विषयगत और बहु-विषयक पाठ्यक्रमों को दिया जाएगा। एक छात्र को आईकेएस का हिस्सा बनने वाली किसी भी विधा/विषय में इंटर्नशिप/प्रशिक्षुता का विकल्प चुनने की अनुमति दी जा सकती है।

(ग) इसके अलावा, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि आईकेएस पर एक/दो फाउंडेशन पाठ्यक्रम, अधिमानतः स्नातक कार्यक्रम के पहले चार सेमेस्टर के दौरान, क्रमशः तीन-वर्षीय/चार-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के लिए न्यूनतम तीन/चार क्रेडिट के साथ, मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम (वीएसी) के भाग के रूप में हों।

(घ) आईकेएस के अंतर्गत पाठ्यक्रमों को चयनित विधाओं/बहु-विधा में फाउंडेशन पाठ्यक्रम (आईकेएस के लिए विशिष्ट) और वैकल्पिक पाठ्यक्रम (विधा विशिष्ट) में वर्गीकृत किया जाएगा।

i. **फाउंडेशन पाठ्यक्रम:** इसमें आईकेएस का बुनियादी ज्ञान शामिल होगा और इसमें भारतीय साहित्य, संस्कृति, खगोल विज्ञान, कला एवं शिल्प, वास्तुकला, संगीत आदि का बुनियादी ज्ञान शामिल हो सकता है।

ii. **वैकल्पिक पाठ्यक्रम (विधा विशिष्ट):** इस पाठ्यक्रम में विशिष्ट विधा से संबंधित उन्नत ज्ञान शामिल होगा जैसे भारतीय गणित और भारतीय खगोल विज्ञान। यह मुख्य विधा का हिस्सा होगा।

14. ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप/प्रशिक्षुता (3 क्रेडिट)

नए स्नातक कार्यक्रम का एक प्रमुख पहलू छात्रों को वास्तविक कार्य स्थितियों में शामिल करना है। सभी छात्रों के लिए ग्रीष्मकालीन अवधि के दौरान किसी फर्म, उद्योग या संगठन में इंटर्नशिप/प्रशिक्षुता करना या विश्वविद्यालय या अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों/अनुसंधान संस्थानों में संकाय और शोधकर्ताओं के साथ प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा। छात्रों को स्थानीय उद्योग, व्यावसायिक संगठनों, स्वास्थ्य एवं संबद्ध क्षेत्रों, स्थानीय सरकारों (जैसे पंचायत और नगर पालिकाएं), संसद या निर्वाचित प्रतिनिधियों, मीडिया संगठनों, कलाकारों, कारीगरों और विभिन्न प्रकार के संगठनों के साथ इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे ताकि छात्र अपनी रोजगार क्षमता में और सुधार करने के लिए अपने सीखने के व्यावहारिक पक्ष से सक्रिय रूप से जुड़ सकें। एक छात्र जो पहले दो सेमेस्टर के बाद बाहर निकलना चाहता है, उसे स्नातक प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए गर्मियों के दौरान 4-क्रेडिट कार्य-आधारित शिक्षा/इंटर्नशिप करनी होगी।

15. सामुदायिक जुड़ाव एवं सेवा

'सामुदायिक जुड़ाव एवं सेवा' के पाठ्यक्रम घटक का उद्देश्य छात्रों को समाज में सामाजिक-आर्थिक मुद्दों से अवगत कराना होगा ताकि सैद्धांतिक शिक्षाओं को वास्तविक जीवन के अनुभवों द्वारा पूरक बनाया जा सके और वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान तैयार किया जा सके। यह ग्रीष्मकालीन अवधि की गतिविधि का हिस्सा हो सकता है या मुख्य विधा के आधार पर किसी मुख्य या गौण पाठ्यक्रम का हिस्सा हो सकता है, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा तय किया जाएगा।

16. क्षेत्र-आधारित शिक्षा/लघु परियोजना

क्षेत्र-आधारित शिक्षा/लघु परियोजना छात्रों को विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संदर्भों को समझने के अवसर प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य छात्रों को ग्रामीण और शहरी दोनों परिवेशों में विकास से संबंधित मुद्दों से अवगत कराना होगा। यह छात्रों को ग्रामीण और शहरी संदर्भों में स्थितियों का निरीक्षण करने, और सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों पर वास्तविक क्षेत्रीय स्थितियों का अवलोकन और अध्ययन करने के अवसर भी देगा। छात्रों को उन नीतियों, नियमों एवं विनियमों, संगठनात्मक संरचनाओं, प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों की प्रत्यक्ष समझ और ज्ञान प्राप्त करने के अवसर दिए जाएंगे जो विकास प्रक्रिया का मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें समुदाय में जटिल सामाजिक-आर्थिक समस्याओं और पहचानी गई समस्याओं के समाधान तैयार करने के लिए आवश्यक नवाचारों की समझ हासिल करने का अवसर मिलेगा। यह ग्रीष्मकालीन अवधि परियोजना का हिस्सा हो सकता है या मुख्य विधा के आधार पर किसी मुख्य या गौण पाठ्यक्रम का हिस्सा हो सकता है, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा तय किया जाएगा।

17. शोध परियोजना/शोध-प्रबंध (12 क्रेडिट)

4-वर्षीय स्नातक डिग्री (ऑनर्स विद रिसर्च) का विकल्प चुनने वाले छात्रों के लिए एक संकाय सदस्य के मार्गदर्शन में शोध परियोजनाएं लेना आवश्यक है। छात्रों से आठवें सेमेस्टर में शोध परियोजना पूरी करने की अपेक्षा की जाती है। उनके परियोजना कार्य के शोध परिणाम सहकर्मी-समीक्षित पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जा सकते हैं या सम्मेलनों/सेमिनारों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं या पेटेंट कराए जा सकते हैं।

स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए उद्योग में शिक्षार्थी/छात्र द्वारा प्राप्त प्रासंगिक अनुभवात्मक शिक्षा (अकादमिक ग्रेड/कौशल-आधारित कार्यक्रम के पूरा होने के बाद प्राप्त प्रासंगिक अनुभव और व्यावसायिक स्तरों तथा दक्षता प्राप्त स्तरों सहित) के आधार पर एक उम्मीदवार द्वारा अर्जित क्रेडिट की गणना का सिद्धांत नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है:

तालिका-2: प्रासंगिक अनुभव/दक्षता के लिए क्रेडिट आवंटन

अनुभव सह-दक्षता स्तर	प्रासंगिक अनुभवात्मक शिक्षा का विवरण जिसमें प्राप्त प्रासंगिक अनुभव और व्यावसायिक स्तर तथा दक्षता स्तरों की प्राप्ति शामिल है	भारांक/गुणन कारक	अनुभव के वर्षों की संख्या (केवल संकेतात्मक)
प्रशिक्षित योग्यता प्राप्त (Trained Qualification attained)	यदि किसी छात्र ने पाठ्यक्रम कार्य/शिक्षा/प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और उसे किसी विशेष कार्य या गतिविधि के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान सिखाया गया है।	1	1 वर्ष या उससे कम
दक्ष (Proficient)	दक्ष का अर्थ किसी विशेष पेशे, कौशल समूह या ज्ञान में उन्नति का स्तर होना होगा।	1.33	1 वर्ष से अधिक लेकिन 4 वर्ष या उससे कम
विशेषज्ञ (Expert)	विशेषज्ञ का अर्थ किसी व्यापार या पेशे में उच्च स्तर का ज्ञान और अनुभव होना है।	1.67	4 वर्ष से अधिक लेकिन 7 वर्ष या उससे कम
मास्टर (Master)	मास्टर वह होता है जिसके पास किसी विषय/क्षेत्र का असाधारण कौशल या ज्ञान हो।	2	7 वर्ष से अधिक

18. अन्य गतिविधियाँ

इस घटक में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), युवा रेड क्रॉस, वयस्क शिक्षा/साक्षरता पहल, स्कूली छात्रों को मेंटरिंग, और अन्य समान गतिविधियों से संबंधित सहभागिता शामिल होगी।

19. मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी)

एमओओसी शिक्षार्थियों को वैकल्पिक मोड (ऑफ-लाइन, ओडीएल, ऑनलाइन लर्निंग एवं हाइब्रिड मोड) में स्थानांतरित होने की सुविधा प्रदान करते हैं। विश्वविद्यालय, यूजीसी से प्राप्त दिशानिर्देशों/सिफारिशों के अनुसार, किसी सेमेस्टर में किसी कार्यक्रम में दिए जा रहे कुल पाठ्यक्रमों/क्रेडिट इकाइयों में से 40% तक की अनुमति एसडब्ल्यूएवाईएएम/एनपीटीईएल या किसी अन्य यूजीसी अनुमोदित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दे सकता है।

विश्वविद्यालय एमओओसी-आधारित पाठ्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अपने दिशानिर्देश विकसित करेगा। ये दिशानिर्देश पाठ्यक्रम चयन, क्रेडिट हस्तांतरण, और पाठ्यक्रम में एमओओसी के सुचारू एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए अन्य प्रासंगिक पहलुओं की प्रक्रिया की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे।

20. स्नातक कार्यक्रम के लिए संरचनाएँ: सेमेस्टर प्रणाली

3-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम/4-वर्षीय स्नातक ऑनर्स/ऑनर्स विद रिसर्च के लिए डिज़ाइन किए गए पाठ्यक्रम में, छात्रों को तालिका 1 के अनुसार आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट इकाइयों को पूरा करने के बाद प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री अर्जित करने के साथ कार्यक्रम में बहु निकास और प्रवेश के अवसर मिलते हैं।

*कार्यक्रम से 40 क्रेडिट (स्तर 4.5, जिन्हें स्नातक प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा) या 80 क्रेडिट (स्तर 5, जिन्हें स्नातक डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा) प्राप्त करने के बाद बाहर निकलने वाले छात्रों के लिए ग्रीष्मकालीन अवधि के दौरान दिए जाने वाले कार्य/क्षेत्र-आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों या औद्योगिक इंटर्नशिप/प्रशिक्षुता में 4 अतिरिक्त क्रेडिट प्राप्त करना भी आवश्यक है।

4-वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम को एक पसंदीदा विकल्प माना जाता है क्योंकि यह छात्र की पसंद के अनुसार चुने गए मुख्य और गौण विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा समग्र एवं बहु-विषयक शिक्षा की पूरी श्रृंखला का अनुभव करने का अवसर प्रदान करेगा (तालिका-IIA एवं तालिका-IIB)।

तालिका IIA: प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकता

क्र.सं.	पाठ्यक्रम की श्रेणी	3-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (क्रेडिट)	4-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (क्रेडिट)
1	मुख्य (कोर) पाठ्यक्रम	60 (50%)	80 (50%)
2	गौण (वैकल्पिक) पाठ्यक्रम	24	32
3	बहु-विषयक/अंतर-विषयक/संबद्ध पाठ्यक्रम	9	9
4	एईसी (क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम)	8	8
5	एसईसी (कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम)	9	9
6	वीएसी (मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम) (भारतीय ज्ञान प्रणाली - आईकेएस सहित)	7	7
7	ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप	3	3
8	शोध-प्रबंध (शोध परियोजना)	-	12*
कुल क्रेडिट		**120**	**160**

नोट:-

*ऑनर्स के वे छात्र जो शोध परियोजना नहीं कर रहे हैं, उन्हें शोध परियोजना/शोध प्रबंध के स्थान पर 12 क्रेडिट के तीन पाठ्यक्रम करने होंगे।

तालिका IIB: स्नातक कार्यक्रम के सेमेस्टरवार और व्यापक पाठ्यक्रम श्रेणीवार क्रेडिट वितरण:

सेमेस्टर	अनुशासन-विशिष्ट मुख्य पाठ्यक्रम	सहायक (माइनर)	अंतर-अनुशासनिक पाठ्यक्रम	योग्यता वृद्धि पाठ्यक्रम (भाषा)	कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम / इंटर्नशिप / शोध-प्रबंध	सामान्य मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम	कुल क्रेडिट
I	(100 स्तर)	(100 स्तर)	(1 पाठ्यक्रम)	(1 पाठ्यक्रम)	(1 पाठ्यक्रम)	(1 या 2 पाठ्यक्रम)	20
II	(100 स्तर)	(100 स्तर)	(1 पाठ्यक्रम)	(1 पाठ्यक्रम)	(1 पाठ्यक्रम)	(1 या 2 पाठ्यक्रम)	20
	एक छात्र जो 40 क्रेडिट प्राप्त करने के बाद कार्यक्रम से बाहर निकलता है, उसे संबंधित अनुशासन/विषय में यूजी प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा, बशर्ते उसने स्तर 4.5 पूरा करने के लिए अर्जित 40 क्रेडिट से अधिक न्यूनतम 4-क्रेडिट कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम किए हों।						40
III	(200 स्तर)	(200 एवं उससे ऊपर)	(1 पाठ्यक्रम)	(1 पाठ्यक्रम)	(1 पाठ्यक्रम)	-	20
IV	(200 स्तर)	(200 एवं उससे ऊपर)	-	(1 पाठ्यक्रम)	-	-	20
	एक छात्र जो 80 क्रेडिट प्राप्त करने के बाद कार्यक्रम से बाहर निकलता है, उसे संबंधित अनुशासन/विषय में यूजी डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, बशर्ते उसने प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष के ग्रीष्मकालीन सत्र के दौरान दिए गए कौशल-आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त 4 क्रेडिट प्राप्त किए हों।						80
V	(300 स्तर)	(200 एवं उससे ऊपर)	-	-	(इंटर्नशिप)	-	20
VI	(300 स्तर)	(200 एवं उससे ऊपर)	-	-	-	-	20
	जो छात्र 3-वर्षीय यूजी कार्यक्रम करना चाहते हैं, उन्हें 120 क्रेडिट प्राप्त करने पर संबंधित अनुशासन/विषय में यूजी डिग्री प्रदान की जाएगी।						120
VII	(400 स्तर)	(300 एवं उससे ऊपर)	-	-	-	-	20
VIII	(400 स्तर)	(300 एवं उससे ऊपर)	-	-	(शोध परियोजना/शोध-प्रबंध)	-	20
	एक छात्र को संबंधित अनुशासन/विषय में यूजी डिग्री (ऑनर्स) अनुसंधान सहित प्रदान की जाएगी, बशर्ते वह 160 क्रेडिट प्राप्त कर ले।						160

नोट:

(क) प्रत्येक सेमेस्टर में स्तंभ (8) में उल्लिखित क्रेडिट की कुल संख्या न्यूनतम है। न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय प्रत्येक पाठ्यक्रम (जैसे, मुख्य, सहायक, बहु-अनुशासनिक, आदि) के लिए क्रेडिट की संख्या तय कर सकता है। विश्वविद्यालय आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त 10% क्रेडिट भी प्रदान कर सकता है।

(ख) छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित अपनी पसंद के पाठ्यक्रमों को ऑडिट करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते वे उस पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित पूर्व-आवश्यकता (प्री-रीक्विज़िट) को पूरा करते हों।

(ग) किसी अनुशासन में स्नातक (यूजी) डिग्री मुख्य (मेजर) विषय के साथ प्राप्त करने के लिए, एक छात्र को उस अनुशासन में कुल क्रेडिट का न्यूनतम 50% अर्जित करना होगा।

(घ) सहायक (माइनर) स्ट्रीम के पाठ्यक्रमों का स्तर 300 या उससे ऊपर का हो सकता है। सहायक विषय से प्राप्त कुल क्रेडिट का 50% संबंधित विषय/अनुशासन में अर्जित किया जाना चाहिए और सहायक विषय से प्राप्त कुल क्रेडिट का अन्य 50% छात्र की पसंद के अनुसार किसी भी अनुशासन (बहु-अनुशासनिक) से अर्जित किया जा सकता है।

(ङ) छात्रों को अंतर-अनुशासनिक श्रेणी के अंतर्गत स्तर 4 / कक्षा 12 में पढ़े गए समान पाठ्यक्रम लेने की अनुमति नहीं है।

(च) किसी भी श्रेणी में 40% क्रेडिट मौजूदा यूजीसी विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से अर्जित किए जा सकते हैं।

(छ) आठवें सेमेस्टर का मुख्य (कोर मेजर) पाठ्यक्रम छात्रों की प्रस्तुतियों और चर्चाओं के साथ सेमिनार-आधारित होगा।

(ज) छात्रों को एनएसएस/एनसीसी/यूथ रेड क्रॉस आदि जैसी गतिविधियों में नामांकन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

21. स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रमों की संरचना

दो-वर्षीय पीजी कार्यक्रम के लिए:

तीन-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के बाद दो-वर्षीय पीजी कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र निम्न विकल्प चुन सकते हैं:

(i) तीसरे और चौथे सेमेस्टर में केवल पाठ्यक्रम कार्य,

(ii) तीसरे सेमेस्टर में पाठ्यक्रम कार्य और चौथे सेमेस्टर में शोध,

(iii) तीसरे और चौथे सेमेस्टर में केवल शोध।

एक-वर्षीय पीजी कार्यक्रम के लिए:

चार-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के बाद एक-वर्षीय पीजी में प्रवेश लेने वाले छात्र निम्न विकल्प चुन सकते हैं:

(i) केवल पाठ्यक्रम कार्य,

(ii) केवल शोध,

(iii) पाठ्यक्रम कार्य और शोध।

पांच-वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम (यूजी+पीजी) के लिए:

पीजी स्तर पर, पांच-वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम का पाठ्यक्रम घटक ऊपर उल्लिखित दो-वर्षीय पीजी कार्यक्रम के समान होगा।

क्रेडिट वितरण:

क) 1 वर्षीय स्नातकोत्तर के लिए

पाठ्यक्रम घटक	पीजी कार्यक्रम (एक वर्षीय) 4-वर्षीय पीजी (ऑनर्स/ऑनर्स विद रिसर्च) के लिए न्यूनतम क्रेडिट			
	पाठ्यक्रम स्तर	पाठ्यक्रम कार्य	शोध प्रबंध/परियोजना/पेटेंट	कुल क्रेडिट
पाठ्यक्रम कार्य + शोध	500	20	20	40
पाठ्यक्रम कार्य	500	40	-	40
शोध	-	-	40	40

ख) 2 वर्षीय स्नातकोत्तर के लिए

पाठ्यक्रम घटक		दो-वर्षीय पीजी कार्यक्रम (सामान्य एवं व्यावसायिक) न्यूनतम क्रेडिट			
		पाठ्यक्रम स्तर	पाठ्यक्रम कार्य	शोध प्रबंध/परियोजना/पेटेंट	कुल क्रेडिट
पीजी डिप्लोमा		400	40	-	40
प्रथम वर्ष (पहला एवं दूसरा सेमेस्टर)		400	24	-	40
		500	16		
जो छात्र 1 वर्ष (दूसरा सेमेस्टर) के अंत में कार्यक्रम से बाहर निकलते हैं, उन्हें स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा।					
द्वितीय वर्ष (तीसरा एवं चौथा सेमेस्टर)	पाठ्यक्रम कार्य एवं शोध	500	20	20	40
	पाठ्यक्रम कार्य (अथवा)	500	40	-	
	शोध	-	-	40	

निकास बिंदु (Exit Point):

दो-वर्षीय स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वालों के लिए केवल एक निकास बिंदु होगा। प्रथम वर्ष के अंत में बाहर निकलने वाले छात्रों को स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा) प्रदान किया जाएगा।

स्नातकोत्तर कार्यक्रम में चुने गए अनुशासन से संबंधित व्यावसायिक (वोकेशनल) पाठ्यक्रम शामिल होंगे।

22. पाठ्यक्रमों का स्तर (निर्धारण)

पाठ्यक्रमों को सीखने के परिणामों, कठिनाई के स्तर और शैक्षणिक कठोरता के आधार पर कोडित किया जाएगा। कोडिंग संरचना निम्नलिखित है:

i. **0-99:** पूर्व-आवश्यक (प्री-रिक्विज़िट) पाठ्यक्रम जो किसी प्रारंभिक पाठ्यक्रम को लेने के लिए आवश्यक हैं। यह बिना क्रेडिट वाला पास या फेल वाला पाठ्यक्रम होगा। यह कुछ महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में संचालित किए जाने वाले ब्रिज कोर्स (पुल पाठ्यक्रम) देने के मौजूदा अनौपचारिक तरीके का स्थान लेगा।

ii. **100-199:** फाउंडेशन या प्रारंभिक पाठ्यक्रम, जिनका उद्देश्य छात्रों को विषयों के बारे में समझ और बुनियादी ज्ञान प्राप्त करना तथा रुचि के विषय या अनुशासन को तय करने में मदद करना है। ये पाठ्यक्रम मुख्य विषय (मेजर) के पाठ्यक्रमों के लिए पूर्व-आवश्यकता (प्री-रिक्विज़िट) भी हो सकते हैं। ये पाठ्यक्रम उन्नत पाठ्यक्रमों

को लेने के लिए व्यापक समझ प्रदान करने हेतु आलोचनात्मक सोच (क्रिटिकल थिंकिंग) के मौलिक सिद्धांतों, अवधारणाओं, दृष्टिकोणों, विधियों और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये पाठ्यक्रम छात्रों को उन्नत अध्ययन के लिए आवश्यक सामान्य शिक्षा से लैस करना चाहते हैं; छात्रों को अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों की व्यापकता से परिचित कराते हैं; उच्च विशिष्ट उच्च-स्तरीय पाठ्यक्रम के लिए नींव प्रदान करते हैं; छात्रों को कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में (अंतर) अनुशासनिक क्षेत्रों की व्यापकता से परिचित कराते हैं, और व्यावसायिक या व्यावसायिक क्षेत्रों की ऐतिहासिक एवं समकालीन मान्यताओं और प्रथाओं से परिचित कराते हैं; तथा उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम के लिए नींव रखते हैं।

iii. **200-299:** उच्च-स्तरीय पाठ्यक्रम जिनमें विषय-विशिष्ट पाठ्यक्रम शामिल हैं, जिनका उद्देश्य सहायक (माइनर) या मुख्य (मेजर) सीखने के क्षेत्रों के लिए क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करना है। ये पाठ्यक्रम किसी मुख्य (मेजर) विषय का हिस्सा हो सकते हैं और उन्नत-स्तर के मुख्य (मेजर) पाठ्यक्रमों के लिए पूर्व-आवश्यक (प्री-रिक्विज़िट) पाठ्यक्रम हो सकते हैं।

iv. **300-399:** उच्च-स्तरीय पाठ्यक्रम जो डिग्री प्रदान करने के लिए किसी अनुशासनात्मक/अंतर-अनुशासनात्मक अध्ययन क्षेत्र में मुख्य (मेजर) विषय लेने के लिए आवश्यक हैं।

v. **400-499:** उन्नत पाठ्यक्रम जिनमें स्नातक स्तर पर या प्रथम वर्ष के स्नातकोत्तर (पीजी) सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पाठ्यक्रमों में प्रयोगात्मक कार्य (प्रैक्टिकम) वाले व्याख्यान पाठ्यक्रम, सेमिनार-आधारित पाठ्यक्रम, टर्म पेपर, शोध परियोजनाएँ, प्रयोगात्मक प्रशिक्षण (हैंड्स-ऑन-ट्रेनिंग), इंटर्नशिप/प्रशिक्षुता परियोजनाएँ शामिल होंगी।

vi. **500-599:** दो-वर्षीय मास्टर डिग्री कार्यक्रम के प्रथम वर्ष के मास्टर स्तर पर पाठ्यक्रम।

vii. **600-699:** दो-वर्षीय मास्टर या एक-वर्षीय मास्टर डिग्री कार्यक्रम के द्वितीय वर्ष के लिए पाठ्यक्रम।

viii. **700-799 एवं उससे ऊपर:** पाठ्यक्रम केवल डॉक्टरेट छात्रों के लिए सीमित।

23. स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए प्रवेश मार्ग

(क) 3-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों को दो-वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है, जिसमें दूसरा वर्ष पूरी तरह से शोध के लिए समर्पित होगा।

(ख) 4-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम ऑनर्स/रिसर्च के साथ पूरा करने वाले छात्रों को एक-वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है।

(ग) एक छात्र अपने स्नातक (यूजी) कार्यक्रम में लिए गए मुख्य (मेजर) या सहायक (माइनर) अनुशासन में स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र है।

(घ) स्नातक (यूजी) कार्यक्रम में छात्र द्वारा लिए गए मुख्य (मेजर) या सहायक (माइनर) अनुशासन के बावजूद, यदि छात्र पीजी कार्यक्रम के अनुशासन में राष्ट्रीय स्तर या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, तो वह पीजी कार्यक्रमों के किसी भी अनुशासन में प्रवेश के लिए पात्र है।

(ङ) जिन उम्मीदवारों ने स्टेम (STEM) विषयों में 4-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम या 3-वर्षीय स्नातक और 2-वर्षीय पीजी कार्यक्रम या 5-वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम (यूजी + पीजी) पूरा किया है, वे संबद्ध क्षेत्रों में एम.ई., एम.टेक. में प्रवेश के पात्र होंगे।

(च) विश्वविद्यालय निर्दिष्ट विषयों/कार्यक्रमों में पांच वर्षीय एकीकृत स्नातक कार्यक्रम भी चलाएगा।

प्रवेश स्तर 5: स्तर 6.5 के लिए प्रवेश आवश्यकता है:

(क) एक-वर्षीय/दो-सेमेस्टर मास्टर डिग्री कार्यक्रम के लिए स्नातक डिग्री (ऑनर्स/रिसर्च)।

(ख) दो-वर्षीय/चार-सेमेस्टर मास्टर डिग्री कार्यक्रम के लिए स्नातक डिग्री।

(ग) एक-वर्षीय/दो-सेमेस्टर स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए स्नातक डिग्री।

(घ) मास्टर डिग्री और स्नातकोत्तर डिप्लोमा तक ले जाने वाला अध्ययन कार्यक्रम उन लोगों के लिए खुला है जो कार्यक्रम प्रवेश विनियमों में निर्दिष्ट उपलब्धि के स्तर सहित प्रवेश आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। किसी अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश, जांच के विशेषज्ञ क्षेत्र में स्नातकोत्तर अध्ययन करने की आवेदक की क्षमता के दस्तावेजी साक्ष्य (शैक्षणिक रिकॉर्ड सहित) के मूल्यांकन पर आधारित होता है।

निकास स्तर 5: स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए, दो-वर्षीय मास्टर कार्यक्रम में शामिल होने वालों के लिए केवल एक निकास बिंदु होगा, अर्थात मास्टर कार्यक्रम के प्रथम वर्ष के अंत में। प्रथम वर्ष के बाद बाहर निकलने वाले छात्रों को स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा।

24. स्नातकोत्तर कार्यक्रम की क्रेडिट आवश्यकताएँ

(क) ऑनर्स/ऑनर्स विद रिसर्च के साथ स्नातक डिग्री के बाद एक-वर्षीय/दो-सेमेस्टर मास्टर डिग्री कार्यक्रम के लिए, उन व्यक्तियों के लिए 40 क्रेडिट की आवश्यकता होगी जिन्होंने ऑनर्स/ऑनर्स विद रिसर्च के साथ स्नातक डिग्री पूरी की है।

(ख) स्नातक डिग्री के बाद दो-वर्षीय/चार-सेमेस्टर मास्टर डिग्री कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम के दोनों वर्षों से कुल 80 क्रेडिट की आवश्यकता होगी, जिसमें प्रथम वर्ष में 40 क्रेडिट और स्तर 7 पर कार्यक्रम के द्वितीय वर्ष में 40 क्रेडिट होंगे।

(ग) स्नातक डिग्री के बाद एक-वर्षीय/दो-सेमेस्टर स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए, उन व्यक्तियों के लिए 40 क्रेडिट की आवश्यकता होगी जिन्होंने स्नातक डिग्री पूरी की है।

* एक छात्र को केवल विषम सेमेस्टर में प्रवेश/पुनः प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और वह केवल सम सेमेस्टर के बाद ही बाहर निकल सकता है। शैक्षणिक कार्यक्रम में पार्श्व प्रवेशी (लेटरल एंट्रेंट) के रूप में विभिन्न स्तरों पर पुनः प्रवेश अर्जित क्रेडिट और दक्षता परीक्षण रिकॉर्ड पर आधारित होना चाहिए।

* अर्जित क्रेडिट की वैधता अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिए या एबीसी (ABC) द्वारा निर्दिष्ट अनुसार होगी। अर्जित क्रेडिट जमा करने की प्रक्रिया, उनकी शेल्फ लाइफ (वैधता अवधि), क्रेडिट की वसूली (रिडेम्पशन) यूजीसी (उच्च शिक्षा में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) योजना की स्थापना और संचालन) विनियम, 2021 के अनुसार होगी।

25. तकनीकी कार्यक्रमों की अवधि, प्रवेश स्तर की योग्यता और वैधानिक आरक्षण हेतु मानदंड

प्रत्येक निकास (एग्जिट) के बाद छात्रों को रोजगार योग्य बनाने के लिए, संबंधित नियामक निकाय/विश्वविद्यालय/तकनीकी बोर्ड, जैसा भी मामला हो, द्वारा कार्यक्रम के पहले वर्ष से ही पाठ्यक्रम में संबंधित अनुशासनों में कौशल में प्रगतिशील वृद्धि वाले कौशल घटक को शामिल किया जा सकता है। पहले वर्ष के अंत में बाहर निकलने की अनुमति देते समय, संस्थान तकनीकी संचार और कंप्यूटर दक्षता (डेटा प्रविष्टि आदि), सिविल/मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैनशिप, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस आदि पर अनिवार्य कौशल पाठ्यक्रम मॉड्यूल निर्धारित कर सकते हैं।

क्रम संख्या	शैक्षणिक स्तर (अकादमिक लेवल)	प्रवेश स्तर की योग्यता (एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन)	निकास (एग्जिट) पर योग्यता	एनसीआरएफ स्तर
1	10वीं कक्षा (स्टैंडर्ड)	-	10वीं कक्षा (स्टैंडर्ड)	**3**
2	प्रथम डिप्लोमा वर्ष	10वीं उत्तीर्ण	एक उम्मीदवार 10+1 वर्षीय डिप्लोमा के साथ बाहर निकलता है; व्यवसाय प्रमाणपत्र (सी.वोक.)	**3.5**
3क	12वीं कक्षा (स्टैंडर्ड)	11वीं कक्षा उत्तीर्ण	12वीं कक्षा (स्टैंडर्ड)	**4**
3ख	डिप्लोमा का द्वितीय वर्ष	एक उम्मीदवार जिसने 10+1 वर्षीय डिप्लोमा (सी.वोक.) या स्तर 3.5 के साथ समकक्ष व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा किया हो या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो।	एक उम्मीदवार 10+2 वर्षीय डिप्लोमा ऑफ वोकेशन के साथ बाहर निकलता है	**4**
4क	डिप्लोमा का तृतीय वर्ष	एक उम्मीदवार जिसने 10+2 वर्षीय डिप्लोमा ऑफ वोकेशन या स्तर 4 के साथ समकक्ष व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा किया हो	इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	**4.5**

4ख	स्नातक डिग्री का प्रथम वर्ष	एक उम्मीदवार जिसने 10+2 वर्षीय डिप्लोमा ऑफ वोकेशन पूरा किया हो या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो या स्तर 4 के साथ समकक्ष व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो	स्नातक प्रमाणपत्र (यूजी सर्टिफिकेट)	**4.5**
5	स्नातक डिग्री का द्वितीय वर्ष	इंजीनियरिंग की उपयुक्त शाखा में डिप्लोमा / स्नातक प्रमाणपत्र / स्तर 4.5 के समकक्ष व्यावसायिक या प्रशिक्षण कार्यक्रम वाला उम्मीदवार	इंजीनियरिंग में स्नातक डिप्लोमा (यूजी डिप्लोमा)	**5**
6	स्नातक डिग्री का तृतीय वर्ष	उपयुक्त क्षेत्र में स्तर 5 के साथ ((10 + 3 + 1) / (12 + 2)) / स्नातक डिप्लोमा (इंजीनियरिंग) वाला उम्मीदवार	बी.वोक./बी.एससी. (इंजी.)/स्नातक डिग्री	**5.5**
7	स्नातक डिग्री का अंतिम वर्ष	स्तर 5.5 के साथ व्यवसाय में 3 वर्षीय स्नातक डिग्री /बी.एससी. (इंजी.)/स्नातक डिग्री वाला उम्मीदवार	बी.ई./बी.टेक./स्नातक डिग्री (ऑनर्स)	**6**
8	स्नातकोत्तर डिग्री का प्रथम वर्ष	4 वर्षीय स्नातक डिग्री (स्तर 6.00) वाला उम्मीदवार	पीजी डिप्लोमा/एम.वोक.	**6.5**
9	स्नातकोत्तर डिग्री का अंतिम वर्ष	उपयुक्त क्षेत्र में प्रथम वर्ष पीजी डिग्री/पीजी डिप्लोमा /एम.वोक. (स्तर 6.5)	एम.टेक. / पीजी डिग्री (इंजी.) / पीजी डिग्री	**7**
10	पीएच.डी./फेलो कार्यक्रम	75% अंक या समकक्ष सीजीपीए/पीजी के साथ बी.टेक.	-	**8**

26. अभियांत्रिकी में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ)

बी.टेक. पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष के बाद बाहर निकलने वाले छात्रों को आईटी/हार्डवेयर नेटवर्किंग/मैटलैब या शाखा-विशिष्ट कौशल मॉड्यूल से गुजरना होगा। बी.टेक. के तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष की पाठ्यक्रम संरचना पहले से ही अभियांत्रिकी-विशिष्ट है, 3 वर्षों के बाद बाहर निकलने वाले छात्रों को स्नातक डिग्री/बी.वोक./बी.एससी. (इंजी.) प्रदान की जा सकती है।

डिप्लोमा छात्रों के लिए, जो प्रथम वर्ष के बाद बाहर निकलते हैं, उन्हें व्यवसाय प्रमाणपत्र (सी.वोक.) और जो दूसरे वर्ष के बाद बाहर निकलते हैं, उन्हें औद्योगिक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (आईटीसी)/डिप्लोमा ऑफ वोकेशन प्रदान किया जा सकता है।

प्रत्येक प्रवेश स्तर पर, विश्वविद्यालय शैक्षिक अंतराल/कौशल अंतराल की पहचान करेगा और उपयुक्त ब्रिज पाठ्यक्रम (पुल पाठ्यक्रम) पेश किए जा सकते हैं।

विशेषज्ञता (स्पेशलाइजेशन) संबंधित नियामक निकायों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

27. उपस्थिति (अटेंडेंस)

उपस्थिति की आवश्यकता विश्वविद्यालय के परीक्षाओं को विनियमित करने वाले विनियम (अध्यादेश) के अनुसार होगी। सामान्यतः, अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में बैठने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में कम से कम पचहत्तर प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक होगी।

विशेष कारणों जैसे लंबी बीमारी के लिए, प्रत्येक पाठ्यक्रम में उपस्थिति के प्रतिशत में कमी को कुलपति द्वारा माफ किया जा सकता है।

28. परीक्षा एवं मूल्यांकन (इवैल्यूएशन)

मूल्यांकन सतत मूल्यांकन (कंटीन्यूअस असेसमेंट) पर आधारित होगा, जिसमें सत्रीय कार्य (सेशनल वर्क) और अंतिम परीक्षा (टर्मिनल एग्जामिनेशन) अंतिम ग्रेड में योगदान देंगे। सत्रीय कार्य में कक्षा परीक्षण, मध्य-सेमेस्टर परीक्षा, गृहकार्य असाइनमेंट आदि शामिल होंगे, जैसा कि अध्ययन के पाठ्यक्रम के प्रभारी संकाय द्वारा निर्धारित किया जाए। सीखने के परिणामों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति का आकलन निम्नलिखित का उपयोग करके किया जाएगा: समय-बद्ध परीक्षाएँ; बंद-पुस्तक और खुली-पुस्तक परीक्षण; समस्या-आधारित असाइनमेंट; व्यावहारिक असाइनमेंट प्रयोगशाला रिपोर्ट; व्यावहारिक कौशल का अवलोकन; व्यक्तिगत परियोजना रिपोर्ट (केस-स्टडी रिपोर्ट); टीम परियोजना रिपोर्ट; मौखिक प्रस्तुतियाँ, जिसमें सेमिनार प्रस्तुति शामिल है; मौखिक परीक्षा (वाइवा वोस); कंप्यूटर-अनुकूली मूल्यांकन, मांग पर परीक्षा, मॉड्यूलर प्रमाणन आदि।

प्रत्येक पाठ्यक्रम एक परीक्षा पेपर के अनुरूप होगा जिसमें बाह्य (एक्सटर्नल) और आंतरिक (इंटरनल) मूल्यांकन शामिल होंगे। मुख्य (मेजर), सहायक (माइनर), मुक्त/सामान्य और डीएससी (अनुशासन-विशिष्ट पाठ्यक्रम) व्यावसायिक, मूल्य वर्धित, एसईसी (कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम) और एबीसी (योग्यता वृद्धि पाठ्यक्रम) के लिए सेमेस्टर के अंत में होने वाली सैद्धांतिक परीक्षा की अवधि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित परीक्षा विनियमों के माध्यम से प्रख्यापित अवधि की होगी। सैद्धांतिक/प्रायोगिक/ट्यूटोरियल, आंतरिक, बाह्य परीक्षाओं के लिए क्रेडिट संरचना और परीक्षा के लिए कुल अंक विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद द्वारा यूजीसी मानदंडों के अनुसार अनुमोदित कार्यक्रम संरचना के अनुसार होंगे। छात्रों को संबंधित पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण घोषित किए जाने के लिए, शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित अनुसार, आंतरिक और बाह्य परीक्षाओं में अलग-अलग न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने होंगे।

(क) एक उम्मीदवार के शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रत्येक सेमेस्टर के लिए निर्धारित अध्ययन के पाठ्यक्रमों के संबंध में मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रवेशित छात्रों का मूल्यांकन अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं (कुल अंकों के 70% अंक) और सतत आंतरिक मूल्यांकन (कुल अंकों के 30%) पर आधारित होगा।

(ख) अंतिम सेमेस्टर परीक्षाएँ विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जाएंगी और अंतिम सेमेस्टर परीक्षा की अवधि तीन या दो घंटे की होगी।

(ग) कार्यक्रम को उत्तीर्ण करने के लिए प्रत्येक सेमेस्टर में न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत प्रत्येक पाठ्यक्रम में 40% होगा, जिसमें अंतिम सेमेस्टर परीक्षाएँ और सतत मूल्यांकन शामिल होंगे।

(घ) एक कार्यक्रम में प्रत्येक सेमेस्टर में निर्दिष्ट संख्या में क्रेडिट होंगे। क्रेडिट की संख्या, ग्रेड अंकों (ग्रेड पॉइंट्स) के साथ, जिन्हें छात्र ने संतोषजनक ढंग से स्पष्ट कर दिया है, छात्र के प्रदर्शन को मापेगी।

(ङ) सेमेस्टर परीक्षा परिणाम में निम्नलिखित श्रेणियाँ होंगी:

i. **उत्तीर्ण (पास):** अर्थात् वे जो सेमेस्टर परीक्षा के सभी पाठ्यक्रमों में आंतरिक और बाह्य परीक्षा में अलग-अलग उत्तीर्ण हुए हैं।

ii. **पदोन्नत (प्रमोटेड) (एटीकेटी):** अर्थात् वे जिन्होंने किसी विशेष वर्ष में, दोनों सेमेस्टर (सम और विषम) सहित, न्यूनतम 50% क्रेडिट अर्जित किए हैं या जिन्होंने विषम सेमेस्टर में कोई भी संख्या में क्रेडिट अर्जित किए हैं।

iii. **रोके गए (डिटेन):** अर्थात् वे जो उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार पदोन्नत नहीं हैं, उन्हें रोक दिया जाएगा। ऐसे छात्रों को इस विनियम (अध्यादेश) के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक क्रेडिट (पहले से अर्जित क्रेडिट को छोड़कर) अर्जित करने के लिए अगले शैक्षणिक सत्र की परीक्षा में शामिल होना होगा और तभी वे इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर कार्यक्रम जारी रख सकते हैं।

(च) हालाँकि, किसी भी सेमेस्टर का छात्र जो कम उपस्थिति/परीक्षा के लिए आवेदन न करने/आवेदन करने पर भी उपस्थित न होने के कारण रोक दिया गया है/परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ है, वह कार्यक्रम से बाहर हो जाएगा। ऐसे छात्र को अगले सत्र में विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई/अधिसूचित प्रक्रिया के माध्यम से पूर्व छात्र (एक्स-स्टूडेंट) के रूप में प्रवेश लेना होगा।

29. सतत आंतरिक मूल्यांकन (कंटीन्यूअस इंटरनल असेसमेंट)

(क) सतत आंतरिक मूल्यांकन पाठ्यक्रम के लिए आवंटित कुल अंकों का 30% होगा।

(ख) प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए सतत आंतरिक मूल्यांकन के घटक संबंधित विषय के अध्ययन बोर्ड (बोर्ड ऑफ स्टडीज) द्वारा तय किए जाएंगे।

(ग) सतत आंतरिक मूल्यांकन एटीकेटी छात्रों के मामले में आगे बढ़ाया जाएगा (कैरी फॉरवर्ड), किसी भी परिस्थिति में एटीकेटी छात्रों के लिए आंतरिक मूल्यांकन परीक्षण आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

30. मूक्स (MOOCs) और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन एवं प्रमाणन

मूक्स (MOOCs), व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, क्षेत्रीय परियोजनाओं/इंटर्नशिप/प्रशिक्षुता/सामुदायिक सहभागिता एवं सेवा/शोध परियोजना के मूल्यांकन एवं प्रमाणन के लिए विश्वविद्यालय/स्वयं (SWAYAM) पोर्टल/यूजीसी के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

31. अक्षर ग्रेड (लेटर ग्रेड्स) एवं ग्रेड अंक (ग्रेड पॉइंट्स)

सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज (एसजीपीए) की गणना किसी दिए गए सेमेस्टर में छात्र के प्रदर्शन के माप के रूप में ग्रेड से की जाती है। एसजीपीए वर्तमान सत्र के ग्रेड पर आधारित होता है, जबकि संचयी जीपीए (सीजीपीए) अध्ययन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लिए गए सभी पाठ्यक्रमों में ग्रेड पर आधारित होता है।

विश्वविद्यालय छात्रों के लाभ के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्राप्त अंक और सभी सेमेस्टरों में एक साथ प्राप्त अंकों के आधार पर अंकों का भारित औसत (वेटेड एवरेज) भी बता सकता है।

अक्षर ग्रेड	ग्रेड अंक	विवरण	अंकों की सीमा (%)
O	10	असाधारण (आउटस्टैंडिंग)	>90 से <=100
A+	9	उत्कृष्ट (एक्सीलेंट)	>80 से <=90
A	8	बहुत अच्छा (वेरी गुड)	>70 से <=80
B+	7	अच्छा (गुड)	>60 से <=70
B	6	औसत से ऊपर (अबव एवरेज)	>50 से <=60
C	5	औसत (एवरेज)	>40 से <=50
P	4	उत्तीर्ण (पास)	40
F	0	अनुत्तीर्ण (फेल)	<40
Ab	0	अनुपस्थित (एब्सेंट)	अनुपस्थित

एसजीपीए और सीजीपीए की गणना (कम्प्यूटेशन ऑफ एसजीपीए एंड सीजीपीए)

एसजीपीए और सीजीपीए की गणना यूजीसी की सिफारिशों के अनुसार की जाएगी; सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज (एसजीपीए) और संचयी ग्रेड पॉइंट एवरेज (सीजीपीए) की गणना के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

i. एसजीपीए, एक छात्र द्वारा लिए गए सभी पाठ्यक्रमों में प्राप्त क्रेडिट की संख्या और ग्रेड अंकों के गुणनफल के योग तथा छात्र द्वारा अध्ययन किए गए सभी पाठ्यक्रमों के क्रेडिट की संख्या के योग का अनुपात है। अर्थात्:

$$\text{एसजीपीए } (Si) = \Sigma(C_i \times G_i) / \Sigma C_i$$

जहाँ:

C_i, i-वें पाठ्यक्रम के क्रेडिट की संख्या है।

G_i, i-वें पाठ्यक्रम में छात्र द्वारा प्राप्त ग्रेड अंक (ग्रेड पॉइंट्स) हैं।

एसजीपीए की गणना का उदाहरण

सेमेस्टर	पाठ्यक्रम	क्रेडिट	अक्षर ग्रेड	ग्रेड अंक	क्रेडिट × ग्रेड अंक
1	पाठ्यक्रम 1	3	A	8	3 × 8 = 24
1	पाठ्यक्रम 2	4	B+	7	4 × 7 = 28
1	पाठ्यक्रम 3	3	B	6	3 × 6 = 18
1	पाठ्यक्रम 4	3	O	10	3 × 10 = 30
1	पाठ्यक्रम 5	3	C	5	3 × 5 = 15
1	पाठ्यक्रम 6	4	B	6	4 × 6 = 24
	योग	**20**			**139**
एसजीपीए = 139 / 20 = 6.95					

ii. संचयी ग्रेड पॉइंट एवरेज (सीजीपीए) की गणना भी उसी प्रकार की जाती है, जिसमें एक कार्यक्रम के सभी सेमेस्टरों में एक छात्र द्वारा अध्ययन किए गए सभी पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखा जाता है। अर्थात्:

सीजीपीए = $\Sigma(C_i \times S_i) / \Sigma C_i$

जहाँ:

$\mathbf{S_i}$: i-वें सेमेस्टर का एसजीपीए है।

$\mathbf{C_i}$: i-वें सेमेस्टर में कुल क्रेडिट की संख्या है।

सीजीपीए की गणना का उदाहरण

विवरण	सेमेस्टर 1	सेमेस्टर 2	सेमेस्टर 3	सेमेस्टर 4
क्रेडिट (Ci)	20	20	20	20
एसजीपीए (Si)	6.9	7.8	5.6	6
सीजीपीए = (20 X 6.9 + 20 X 7.8 + 20 X 5.6 + 20 X 6.0)/80 = 6.6				

एसजीपीए और सीजीपीए को 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करके ट्रांसक्रिप्ट (शैक्षणिक रिकॉर्ड) में दर्शाया जाएगा। स्नातक प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री प्रदान करने के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करने पर, सीजीपीए की गणना की जाएगी और यह मान प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पर अंकित किया जाएगा। 3-वर्षीय (6 सेमेस्टर) स्नातक डिग्री के लिए, नीचे दी गई तालिका 4 के अनुसार प्राप्त विभाजन (डिवीजन) का भी उल्लेख किया जाना चाहिए:

तालिका 4: प्रभागों का वितरण

विभाजन (डिवीजन)	मापदंड (क्राइटेरियन)
प्रथम श्रेणी (फर्स्ट डिवीजन) सहित विशिष्टता (डिस्टिंक्शन)	यदि छात्र डिग्री प्रदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट अर्जित करता है और उसका सीजीपीए 7.5 या उससे अधिक है।
प्रथम श्रेणी (फर्स्ट डिवीजन)	यदि छात्र डिग्री प्रदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट अर्जित करता है और उसका सीजीपीए 6.0 या उससे अधिक किंतु 7.5 से कम है।
द्वितीय श्रेणी (सेकंड डिवीजन)	यदि छात्र डिग्री प्रदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट अर्जित करता है और उसका सीजीपीए 4.5 या उससे अधिक किंतु 6.0 से कम है।
तृतीय श्रेणी (थर्ड डिवीजन)	यदि छात्र डिग्री प्रदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट अर्जित करता है और उसका सीजीपीए 4.00 या उससे अधिक किंतु 4.5 से कम है।

नोट:

सीजीपीए का प्रतिशत में रूपांतरण निम्नानुसार होगा ताकि अन्य शैक्षणिक मामलों में इसके आवेदन को सुविधाजनक बनाया जा सके।

समतुल्य प्रतिशत = सीजीपीए × 10

प्रतिशत को दूसरे दशमलव स्थान तक पूर्णांकित किया जाएगा।

उम्मीदवार को प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री तभी प्रदान की जाएगी जब वह प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के लिए आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट सफलतापूर्वक अर्जित कर लेता है।

32. उत्तीर्णता (प्रमोशन) हेतु नियम

(क) एक छात्र को प्रथम सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के तुरंत बाद, बैक पेपरों की किसी भी संख्या के बावजूद, पदोन्नत किया जाएगा और वह दूसरे सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है।

(ख) एक छात्र दूसरे सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के तुरंत बाद अनंतिम रूप से तीसरे सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है और उसका प्रवेश तभी पुष्ट किया जाएगा तथा वह तीसरे सेमेस्टर में तभी पदोन्नत होगा जब उसने पहले और दूसरे दोनों सेमेस्टरों सहित, न्यूनतम 50% क्रेडिट अर्जित कर लिए हों।

(ग) एक छात्र को तीसरे सेमेस्टर के तुरंत बाद, तीसरे सेमेस्टर में बैक पेपरों की किसी भी संख्या के बावजूद, पदोन्नत किया जाएगा और वह चौथे सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है।

(घ) एक छात्र चौथे सेमेस्टर की परीक्षा के तुरंत बाद अनंतिम रूप से पांचवें सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है और उसका प्रवेश तभी पुष्ट किया जाएगा तथा वह पांचवें सेमेस्टर में तभी पदोन्नत होगा जब उसने तीसरे और चौथे दोनों सेमेस्टरों सहित न्यूनतम 50% क्रेडिट अर्जित कर लिए हों। इसके अलावा, छात्र को पहले और दूसरे सेमेस्टर के सभी पेपरों को स्पष्ट करना होगा।

(ङ) एक छात्र को पांचवें सेमेस्टर के तुरंत बाद, बैक पेपरों की किसी भी संख्या के साथ, पदोन्नत किया जाएगा और वह छठे सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है।

(च) विषम सेमेस्टरों के बैक पेपरों की परीक्षा विषम सेमेस्टरों की अंतिम परीक्षाओं के साथ आयोजित की जाएगी, इसी प्रकार सम सेमेस्टरों के बैक पेपरों की परीक्षा सम सेमेस्टरों की अंतिम परीक्षाओं के साथ आयोजित की जाएगी।

(छ) इसके अलावा, पांचवें सेमेस्टर की एक विशेष परीक्षा छठे सेमेस्टर के साथ उन छात्रों के लिए आयोजित की जाएगी जिन्होंने चौथे सेमेस्टर तक के सभी पेपर स्पष्ट कर दिए हैं।

(ज) अंतिम सेमेस्टर परिणाम घोषित होने के बाद चौथे सेमेस्टर की एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें केवल छठे सेमेस्टर में बैक पेपर रखने वाले छात्र इस विशेष परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे।

(झ) एक छात्र छठे सेमेस्टर तक के सभी सेमेस्टर स्पष्ट करने के बाद ही सातवें सेमेस्टर (स्नातक का चौथा वर्ष) में प्रवेश ले सकता है।

(ञ) एक छात्र को सातवें सेमेस्टर की परीक्षा के तुरंत बाद, सातवें सेमेस्टर में बैक पेपरों की संख्या के बावजूद, अनंतिम रूप से आठवें सेमेस्टर (स्नातक का चौथा वर्ष) में प्रवेश के लिए पदोन्नत किया जाएगा। इसके अलावा, सातवें सेमेस्टर के बैक पेपरों को स्पष्ट करने के लिए सातवें सेमेस्टर की एक विशेष परीक्षा आठवें सेमेस्टर के साथ आयोजित की जाएगी।

(ट) सेमेस्टर परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद आठवें सेमेस्टर की एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। आठवें सेमेस्टर में बैक पेपर रखने वाला कोई भी छात्र इस विशेष परीक्षा में शामिल होने का पात्र होगा।

(ठ) एक छात्र चौथे वर्ष की शुरुआत से पहले, इसके लिए निर्धारित तरीके से आवेदन करके, चौथे वर्ष में ऑनर्स पाठ्यक्रम चुन सकता है। मुख्य (मेजर) अनुशासन में चार वर्षीय स्नातक ऑनर्स डिग्री उन लोगों को प्रदान की जाएगी जो तालिका 5 के अनुसार 160 या उससे अधिक क्रेडिट के साथ चार वर्षीय डिग्री कार्यक्रम पूरा करते हैं।

(ड) इसके अलावा, जो छात्र पहले छह सेमेस्टर में 75% या उससे अधिक अंक या समकक्ष 7.5 सीजीपीए प्राप्त करते हैं और स्नातक स्तर पर शोध करना चाहते हैं, वे चौथे वर्ष में शोध स्ट्रीम चुन सकते हैं। उन्हें विभाग के किसी संकाय सदस्य के मार्गदर्शन में एक शोध परियोजना या शोध-प्रबंध (डिसर्टेशन) करना होगा। शोध परियोजना/शोध-प्रबंध मुख्य (मेजर) अनुशासन में होगा। उनके परियोजना कार्य के शोध परिणाम सहकर्मी-समीक्षित पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जा सकते हैं या सम्मेलनों/सेमिनारों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं या पेटेंट कराए जा सकते हैं।

(ढ) यदि किसी छात्र को रोक दिया जाता है या उच्च सेमेस्टर में पदोन्नत नहीं किया जाता है, तो उसे तब तक रोका जाएगा जब तक कि बकाया पेपर स्पष्ट नहीं हो जाते, जिसके लिए वह अगली उपयुक्त परीक्षा में प्रयास कर सकता है, बशर्ते कि यह कार्यक्रम के लिए अनुमत अधिकतम अवधि के भीतर किया गया हो। ऐसे छात्रों के

सतत आंतरिक मूल्यांकन अंकों को संबंधित पाठ्यक्रम के लिए आगे बढ़ाया जाएगा (कैरी फॉरवर्ड) जिसमें वह उपस्थित हो रहा है।

(ण) 50% क्रेडिट की गणना के लिए सैद्धांतिक और साथ ही व्यावहारिक दोनों पाठ्यक्रमों पर विचार किया जाएगा और 0.5 को पूर्णांकित किया जाएगा।

33. ट्रांसक्रिप्ट (शैक्षणिक रिकॉर्ड) जारी करना

अक्षर ग्रेड, ग्रेड अंक और एसजीपीए और सीजीपीए पर सिफारिशों के आधार पर, विश्वविद्यालय प्रत्येक सेमेस्टर के लिए ट्रांसक्रिप्ट और सभी सेमेस्टरों में प्रदर्शन को दर्शाने वाला एक समेकित ट्रांसक्रिप्ट जारी करेगा।

34. क्रेडिट अंतरण (क्रेडिट ट्रांसफर)

(क) क्रेडिट अंतरण विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार लागू किया जाएगा, जो यूजीसी द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है।

(ख) अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की सदस्य संस्थाएँ, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना और संचालन) विनियम 2021 के माध्यम से स्थापित की गई हैं, समय-समय पर संशोधित इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार क्रेडिट स्वीकार और अंतरित करेंगी।

(ग) अनंतिम पदोन्नति (प्रोविजनल प्रमोशन) के मामलों को छोड़कर, विश्वविद्यालय छात्रों के बीच क्रेडिट अंतरण की सुविधा प्रदान करेगा। हालाँकि, छात्र को किसी पाठ्यक्रम के लिए समानता स्थापित करते हुए, उस विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक हो सकता है जिसमें छात्र प्रवेश चाहता है।

35. सामान्य (जनरल)

(क) एक बार जब छात्र कार्यक्रम स्पष्ट कर देता है, तो कार्यक्रम को दोहराने या सुधार (रिपीट या इम्प्रूवमेंट) का कोई प्रावधान नहीं होगा।

(ख) पुनर्मूल्यांकन (रिवैल्यूएशन) का कोई प्रावधान नहीं होगा। हालाँकि, पुन: योग करना (री-टोटलिंग) विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार अनुमेय है।

(ग) निकास (एग्जिट) विकल्प केवल सम सेमेस्टर के अंत में उपलब्ध होंगे और प्रवेश (एंट्री) विकल्प केवल विषम सेमेस्टर की शुरुआत में प्रचलित पाठ्यक्रम (सिलेबस) के साथ उपलब्ध होंगे।

(घ) यदि कोई छात्र दूसरे सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा में उपस्थित होता है और तीसरे सेमेस्टर के लिए अनुपस्थित रहता है और भविष्य में चौथे सेमेस्टर के लिए प्रवेश लेना चाहता है, तो उसे चौथे सेमेस्टर के लिए अनुमति नहीं

दी जाएगी। ऐसे छात्र को विश्वविद्यालय के विनियम के अनुसार, तीसरे सेमेस्टर में प्रवेश लेना होगा। यह अन्य विषम सेमेस्टरों पर भी लागू है।

(ङ) इस विनियम (अध्यादेश) द्वारा कवर न किए गए एनएचईक्यूएफ (NHEQF) से संबंधित किसी भी बिंदु पर विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विनियम/अध्यादेश/दिशानिर्देशों के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा।

(च) यदि विनियम में शामिल न किए गए मामलों से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो विश्वविद्यालय के विनियम/विधियों या यूजीसी में किए गए प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे।

(छ) एबीसी (ABC) और बहु प्रवेश एवं निकास (मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट) से संबंधित कोई भी बिंदु जो इस विनियम में शामिल नहीं हैं, उनसे विश्वविद्यालय के विनियमों के अनुसार, यूजीसी दिशानिर्देशों/विनियमों द्वारा समय-समय पर जारी प्रावधानों के अनुपालन में निपटा जाएगा।

(ज) यदि इस विनियम के प्रावधानों की व्याख्या से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसे उसकी राय के लिए प्रबंधन बोर्ड (बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट) को भेजा जाएगा।

(झ) इस कार्यक्रम से संबंधित, सांविधिक निकायों जैसे यूजीसी या किसी अन्य प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों को कार्यान्वयन के लिए अपनाया जाएगा।

(ञ) इस विनियम के तहत शामिल न किए गए मामलों में, विश्वविद्यालय के सामान्य नियम और विनियम लागू होंगे।

(ट) यूजीसी के संशोधन अधिसूचनाएं, यदि कोई हों, विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक परिवर्तनों (म्यूटैटिस म्यूटैंडिस) के साथ मौजूदा विनियम में शामिल मानी जाएंगी।

(ठ) उपरोक्त के बावजूद, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र प्रदान करने वाला अध्ययन कार्यक्रम यूजीसी या संबंधित सांविधिक निकाय के प्रासंगिक विनियमों और मानदंडों द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप हो।

तालिका: बहुविषयक अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए नमूना यूजीसीएफ

सेमेस्टर	मुख्य (डीएससी)	वैकल्पिक (डीएसई)	सामान्य वैकल्पिक (जीई)	योग्यता वृद्धि पाठ्यक्रम (एईसी)	कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम (एसईसी)	इंटर्नशिप / प्रशिक्षुता / परियोजना	मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम (वीएसी)	कुल क्रेडिट
I	अनुशासन A-1 (4) अनुशासन B-1 (4) अनुशासन C-1 (4)	-	पाठ्यक्रमों के समूह में से एक चुनें: जीई-1 (4)	एबीसी पाठ्यक्रमों के समूह में से एक चुनें: (2)	पाठ्यक्रमों के समूह में से एक चुनें: (2)	-	-	**22**
II	अनुशासन A-2 (4) अनुशासन B-2 (4) अनुशासन C-2 (4)	-	पाठ्यक्रमों के समूह में से एक चुनें: जीई-2 (4)	एबीसी पाठ्यक्रमों के समूह में से एक चुनें: (2)	पाठ्यक्रमों के समूह में से एक चुनें: (2)	-	-	**22**
प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में आवश्यक 44 क्रेडिट प्राप्त करने के बाद, छात्रों को बहुविषयक अध्ययन के क्षेत्र में स्नातक प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।								**44**
III	अनुशासन A-3 (4) अनुशासन B-3 (4) अनुशासन C-3 (4)	पाठ्यक्रमों के समूह में से एक चुनें: डीएसई ए/बी/सी (4) अथवा पाठ्यक्रमों के समूह में से एक चुनें: जीई-3 (4)		एबीसी पाठ्यक्रमों के समूह में से एक चुनें: (2)	एक एसईसी अथवा इंटर्नशिप/प्रशिक्षुता/परियोजना/सामुदायिक आउटरीच चुनें: (2)		पाठ्यक्रमों के समूह में से एक चुनें: (2)	**22**
IV	अनुशासन A-4 (4) अनुशासन B-4 (4) अनुशासन C-4 (4)	पाठ्यक्रमों के समूह में से एक चुनें: डीएसई ए/बी/सी (4) अथवा पाठ्यक्रमों के समूह में से एक चुनें: जीई-4 (4)		एबीसी पाठ्यक्रमों के समूह में से एक चुनें: (2)	एक एसईसी अथवा इंटर्नशिप/प्रशिक्षुता/परियोजना/सामुदायिक आउटरीच चुनें: (2)		पाठ्यक्रमों के समूह में से एक चुनें: (2)	**22**
सेमेस्टर IV के पूरा होने पर आवश्यक 88 क्रेडिट प्राप्त करने वाले छात्रों को (बहु-अनुशासनिक अध्ययन के क्षेत्र में) स्नातक डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा।								**88**
V	अनुशासन A-5 (4) अनुशासन B-5 (4) अनुशासन C-5 (4)	पाठ्यक्रमों के समूह में से एक चुनें: डीएसई ए/बी/सी (4)	पाठ्यक्रमों के समूह में से एक चुनें: जीई-5 (4)	-	एक एसईसी अथवा इंटर्नशिप/प्रशिक्षुता/परियोजना/सामुदायिक आउटरीच चुनें: (2)		-	**22**
VI	अनुशासन A-6 (4) अनुशासन B-6 (4) अनुशासन C-6 (4)	पाठ्यक्रमों के समूह में से एक चुनें: डीएसई ए/बी/सी (4)	पाठ्यक्रमों के समूह में से एक चुनें: जीई-6 (4)	-	एक एसईसी अथवा इंटर्नशिप/प्रशिक्षुता/परियोजना/सामुदायिक आउटरीच चुनें: (2)		-	**22**
सेमेस्टर VI के पूरा होने पर आवश्यक 132 क्रेडिट प्राप्त करने के बाद बाहर निकलने वाले छात्रों को (बहु-अनुशासनिक अध्ययन के क्षेत्र में) स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी।								**132**
VII	डीएससी-(4)	तीन डीएसई (3x4) पाठ्यक्रम चुनें अथवा दो डीएसई (2x4) और एक जीई (4) पाठ्यक्रम चुनें अथवा एक डीएसई और दो जीई (4) पाठ्यक्रम चुनें अथवा सभी तीन जीई 7,8 और 9 (कुल = 12)		-	-	मुख्य (मेजर) विषय में शोध-प्रबंध (डिसर्टेशन) (4+2) अथवा सहायक (माइनर) विषय में शोध-प्रबंध (4+2) अथवा शैक्षणिक परियोजना/उद्यमिता (4+2)		**22**
VIII	डीएससी-(4)	तीन डीएसई (3x4) पाठ्यक्रम चुनें अथवा दो डीएसई (2x4) और एक जीई (4) पाठ्यक्रम चुनें अथवा एक डीएसई और दो जीई (4) पाठ्यक्रम चुनें अथवा सभी तीन जीई 10,11 और 12 (कुल = 12)		-	-	मुख्य (मेजर) विषय में शोध-प्रबंध (डिसर्टेशन) (4+2) अथवा सहायक (माइनर) विषय में शोध-प्रबंध (4+2) अथवा शैक्षणिक परियोजना/उद्यमिता (4+2)		**22**
> **निकास (एग्जिट):** सेमेस्टर VIII के पूरा होने पर आवश्यक 176 क्रेडिट प्राप्त करने वाले छात्रों को (बहु-अनुशासनिक अध्ययन के क्षेत्र में) स्नातक डिग्री (ऑनर्स या ऑनर्स विद अकेडमिक प्रोजेक्ट/एंटरप्रेन्योरशिप) प्रदान की जाएगी।								**176**

UNIVERSITY LOGO

KRISHNA VIKAS GLOBAL UNIVERSITY, RAIPUR

GRADE SHEET

FIRST SEMESTER

Name of the Program -
Name of the University -
Address of the University -

Batch		Year	
Enrollment No.		Roll No.	
Name of the Student		Examination	
Father's / Husband's Name		Mother's Name	

Programm Code	Programme Title	Credits	Grade	Grade Point	Credit Points (Credit x Grade Point)
	Programme 1	6	A	8	48
	Programme 2	6	C	5	30
	Programme 3	4	B+	7	28
	Programme 4	4	O	10	40
	TOTAL	20			146
	SGPA	146/20			7.3

* Grade in Repeat Examination

RESULT SEMSTER WISE

SEMSTER	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
TOTAL CREDITS								
OBTAINED CREDITS								
ADDIONAL CREDITS								
SGPA								
ATTEMPT								
RESULT								

SGPA - Semester Grade Point Average
CGPA - Cumulative Grade Point Average
Equivalent Percentage = CGPA x 10

Date of Result **Registrar/Controller of Examination**

अध्यादेश – 2

छात्रों के प्रवेश एवं पंजीयन हेतु दिशानिर्देश

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 28 (1) (क) के संदर्भ में]

विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश एवं पंजीयन यहाँ उपबंधित तरीके से विनियमित किया जाएगा।

1. प्रयोज्यता (एप्लिकेबिलिटी)

यह अध्यादेश स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्रियों, डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्रों की ओर अग्रसर सभी कार्यक्रमों पर लागू होगा।

2. प्रवेश (एडमिशन)

(i) विश्वविद्यालय द्विवार्षिक प्रवेश का संचालन करेगा, जो जुलाई/अगस्त और जनवरी/फरवरी में या जैसा भी मामला हो, विषय में निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन, वर्ष में दो बार छात्रों को प्रवेश दे सकता है।

(ii) विश्वविद्यालय शैक्षणिक कार्यक्रमों में बहु प्रवेश एवं बहु निकास विकल्प उपलब्ध कराएगा।

(iii) विश्वविद्यालय में प्रवेश शैक्षणिक कैलेंडर एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अनुसार होंगे। विश्वविद्यालय केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / यूजीसी / सीजीपीयूआरसी द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

(iv) विश्वविद्यालय में प्रवेश उन सभी व्यक्तियों के लिए खुला है जो आवश्यक पात्रता योग्यताएँ रखते हैं।

(v) विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति प्रबंधन बोर्ड (बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट) द्वारा निर्मित की जाएगी और अनुमोदन हेतु शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी) को अनुशंसित की जाएगी।

(vi) प्रवेश किसी सरकारी बोर्ड या समतुल्य बोर्ड की योग्यता परीक्षाओं के अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक अथवा यदि लागू हो तो किसी सरकार-अनुमोदित एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

(vii) विश्वविद्यालय विभागों में सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश, यदि राज्य सरकार / किसी अन्य नियामक निकाय द्वारा कोई नियम बनाए गए हों, तो उनके अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक योग्यता (कम्पीटेटिव मेरिट) के आधार पर किया जाएगा।

(viii) व्यावसायिक शिक्षा से सामान्य शिक्षा या इसके विपरीत छात्र की गतिशीलता संबंधित नियामक निकायों द्वारा जारी प्रासंगिक दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी।

(ix) छात्र किसी भी उच्च विषम सेमेस्टर में भी प्रवेश ले सकते हैं, बशर्ते वे अध्यादेश में निर्धारित उत्तीर्णता नियमों को पूरा करते हों। एक छात्र स्वतः अगले सेमेस्टर में प्रवेशित माना जाएगा, बशर्ते वह अध्यादेश में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करता हो। यह शैक्षणिक सत्र जारी रखने वाले छात्रों पर लागू होता है।

(x) जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, कोई भी उम्मीदवार विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो।

(xi) कोई भी उम्मीदवार किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश नहीं पाएगा, जब तक कि उसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों के साथ स्नातक डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो या शैक्षणिक परिषद द्वारा डिग्री के समतुल्य मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो और उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएँ हों जैसा कि अध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जाएँ।

(xii) विश्वविद्यालय किसी उम्मीदवार को प्रवेश देने से इंकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(xiii) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र और उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक को इस आशय की एक घोषणा पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा कि छात्र स्वयं को विश्वविद्यालय के अनुशासनात्मक एवं आर्थिक क्षेत्राधिकार के अधीन करता है।

(xiv) एक छात्र जिसने किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त उपाधि प्रदान करने वाली संस्था से किसी डिग्री या डिप्लोमा का एक भाग उत्तीर्ण किया है, उसे शैक्षणिक परिषद द्वारा उसकी समतुल्यता निर्धारित किए जाने के पश्चात ऐसी परीक्षा के लिए अगली उच्च कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

(xv) विश्वविद्यालय में प्रवेश यूजीसी / सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(xvi) यदि निर्दिष्ट तिथि या शैक्षणिक परिषद द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि के रूप में निर्धारित तिथि अवकाश का दिन हो, तो अगला कार्य दिवस प्रवेश की अंतिम तिथि माना जाएगा।

(xvii) किसी छात्र का किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश उस विशिष्ट पाठ्यक्रम में योग्यता के आधार पर रिक्त सीट की उपलब्धता के अधीन होगा जिसमें प्रवेश की मांग की गई है।

(xviii) कोई उम्मीदवार जिसे किसी पाठ्यक्रम में गलत तरीके से प्रवेश दे दिया गया है, वह विश्वविद्यालय में अपने छात्र के अधिकार से वंचित हो जाएगा और उसे विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xix) किसी अन्य विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा जिस छात्र को निष्कासित (रस्टिकेटेड) किया गया है या परीक्षा में उपस्थित होने से अयोग्य ठहराया गया है, उसे निष्कासन या अयोग्यता की अवधि के दौरान इस विश्वविद्यालय के किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(xx) विश्वविद्यालय में पंजीकृत कोई भी छात्र किसी पाठ्यक्रम की किसी अगली उच्च कक्षा में तब तक पदोन्नत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह शैक्षणिक परिषद द्वारा इस संबंध में बनाए गए विनियमों के अनुसार पदोन्नति हेतु मानदंडों को पूरा नहीं करता।

(xxi) किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्थानांतरित (माइग्रेट) होने वाला कोई छात्र विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश नहीं पाएगा, जब तक कि उसने शासी निकाय द्वारा निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों के साथ योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो।

3. प्रवेश समिति (एडमिशन कमेटी)

(i) एक प्रवेश समिति होगी, जो कुलपति के मार्गदर्शन में संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(ii) शैक्षणिक परिषद विश्वविद्यालय में प्रवेशों को विनियमित करने के लिए एक प्रवेश समिति का गठन कर सकती है।

(iii) समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:

(क) उम्मीदवार के प्रवेश हेतु आवेदन पत्रों की जांच करना, शैक्षणिक परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रवेश शर्तों का अनुपालन करते हुए।

(ख) प्रवेश परीक्षा(ओं) और/या साक्षात्कार आयोजित करना, या जैसा कि शैक्षणिक परिषद द्वारा अन्यथा निर्देशित किया जाए।

(ग) विश्वविद्यालय में प्रवेश के मानदंडों के आधार पर मेरिट सूची तैयार करना।

4. अंतर्राष्ट्रीय छात्र (इंटरनेशनल स्टूडेंट्स)

(i) विदेशी छात्रों को भारत सरकार / विश्वविद्यालय / एआईयू / यूजीसी द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है।

(ii) शैक्षणिक परिषद अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश एवं मार्गदर्शन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ (इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सेल) स्थापित कर सकती है। यह प्रकोष्ठ न केवल छात्रों के प्रवेश को नियंत्रित करेगा, बल्कि प्रवेश प्राप्त करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन एवं परामर्श भी प्रदान करेगा।

(iii) अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) **विदेशी छात्र:** विदेशी देशों द्वारा जारी पासपोर्ट रखने वाले छात्र, जिनमें भारतीय मूल के वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने विदेशी देशों की राष्ट्रीयता प्राप्त कर ली है, विदेशी छात्र माने जाएंगे।

(ख) **अनिवासी भारतीय (एनआरआई):** केवल वे अनिवासी भारतीय छात्र जिन्होंने विदेशी देशों के विद्यालयों या महाविद्यालयों से अध्ययन किया है और योग्यता परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हैं, अंतर्राष्ट्रीय छात्र माने जाएंगे। इसमें विदेशी देशों में स्थित विद्यालयों या महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्र शामिल होंगे, भले ही वे भारत में स्थित माध्यमिक शिक्षा बोर्डों या विश्वविद्यालयों से संबद्ध हों, किंतु इसमें भारत में स्थित विद्यालयों या महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले और विदेशी देशों के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों या विश्वविद्यालयों से संबद्ध छात्र शामिल नहीं होंगे। विदेशी देशों में स्थित बोर्डों या विश्वविद्यालयों से बाह्य

छात्र (एक्सटर्नल स्टूडेंट) के रूप में योग्यता परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने वाले छात्र तथा भारत में अध्ययन करने वाले एनआरआई के आश्रित अंतर्राष्ट्रीय छात्र नहीं माने जाएंगे।

(iv) **अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज:**

(क) **वीज़ा:** सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए इस विश्वविद्यालय द्वारा समर्थित (एन्डोर्स्ड) छात्र वीज़ा की आवश्यकता होगी। शोध कार्यक्रम में प्रवेश लेने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार को इस विश्वविद्यालय द्वारा समर्थित शोध वीज़ा की आवश्यकता होगी। वीज़ा पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि के लिए वैध होना चाहिए। एनआरआई उम्मीदवारों के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। जो छात्र किसी अन्य संस्थान में पूर्णकालिक पाठ्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें अंशकालिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए अलग से वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि उनका मौजूदा वीज़ा पाठ्यक्रम की संपूर्ण अवधि के लिए वैध हो।

(ख) **अनापत्ति प्रमाण पत्र (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट):** कोई भी शोध कार्य करने या पीएच.डी. या एम.फिल. कार्यक्रमों में प्रवेश लेने की इच्छा रखने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय से अग्रिम सुरक्षा मंजूरी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, और यह इस विश्वविद्यालय द्वारा समर्थित शोध वीज़ा पर होना चाहिए।

(v) **पात्रता योग्यताएँ:** केवल वे छात्र जो विदेशी विश्वविद्यालयों या उच्च शिक्षा बोर्डों से योग्यता प्राप्त कर चुके हैं, जिन्हें एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू) के दिशानिर्देशों द्वारा शैक्षणिक परिषद द्वारा समतुल्य मान्यता प्रदान की गई है, प्रवेश के पात्र होंगे।

(vi) अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रवेश की प्रक्रिया इस संबंध में शैक्षणिक परिषद द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार होगी।

(vii) अंतर्राष्ट्रीय छात्र विश्वविद्यालय के नियमों और उन्हीं पाठ्यक्रमों को करने वाले भारतीय छात्रों पर लागू आचार संहिता तथा देश के कानून का पालन करेंगे।

(viii) विश्वविद्यालय में शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी होगा।

5. आरक्षण (रिजर्वेशन)

(i) विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्थानों पर लागू राज्य सरकार की प्रचलित आरक्षण नीतियों तथा राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को दिए गए किसी विशिष्ट निर्देश का पालन करेगा। यदि आरक्षित सीटें उपलब्ध न होने के कारण रिक्त रह जाती हैं, तो उन्हें योग्यता के अनुसार अन्य उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

(ii) प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीटों का एक निर्धारित अनुपात छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों द्वारा योग्यता के आधार पर भरा जाएगा, बशर्ते वे प्रवेश हेतु पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। शासी निकाय ऐसी सीटों की संख्या राज्य

सरकार के प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित करेगा। यदि आवंटित राज्य कोटा की सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो उन्हें सामान्य श्रेणी की सीटों में परिवर्तित किया जा सकता है।

(iii) छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों द्वारा भरी जाने वाली प्रत्येक पाठ्यक्रम की सीटों के लिए, राज्य सरकार की आरक्षण नीति लागू होगी।

6. विश्वविद्यालय में पंजीयन (एनरोलमेंट)

(i) कार्यक्रम में प्रवेशित प्रत्येक छात्र का पंजीयन प्रथम सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पंजीयन शुल्क का भुगतान करने के बाद किया जाएगा।

(ii) प्रवेश निदेशक प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद निर्धारित समयावधि के भीतर, शैक्षणिक परिषद द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रारूप में, सभी प्रासंगिक मूल दस्तावेजों और पंजीयन शुल्क सहित, प्रवेशित छात्रों का विवरण कुलसचिव को प्रस्तुत करेगा।

(iii) छात्रों द्वारा प्रवेश के समय प्रस्तुत किए गए स्थानांतरण प्रमाण पत्र (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) एवं अनुवाद प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) विश्वविद्यालय की संपत्ति हो जाएंगे।

(iv) पंजीकृत छात्रों को विश्वविद्यालय छोड़ने के समय विश्वविद्यालय की मुहर के साथ एक नया स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं अनुवाद प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

(v) कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं पाएगा, जब तक कि उसका विश्वविद्यालय में विधिवत पंजीयन न कर दिया गया हो।

(vi) यदि कोई छात्र किसी अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए अनुवाद प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) लेता है, तो जब तक वह बाद में उस विश्वविद्यालय से अनुवाद प्रमाण पत्र लेकर विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए वापस नहीं आता, तब तक उसका विश्वविद्यालय में पंजीयन समाप्त हो जाएगा। ऐसे मामलों में नया पंजीयन एवं पंजीयन शुल्क आवश्यक होगा।

(vii) प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के साथ, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित संलग्न होंगे:

(क) उम्मीदवार द्वारा अंतिम बार नियमित छात्र के रूप में उपस्थित संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित विद्यालय या महाविद्यालय छोड़ने का स्थानांतरण प्रमाण पत्र।

(ख) अंक-पत्रों की विधिवत सत्यापित / स्व-सत्यापित फोटोप्रतियां, जिनके आधार पर उम्मीदवार किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम में प्रवेश ले रहा है, मूल प्रतियों के साथ, जो सत्यापन के पश्चात वापस कर दी जाएंगी। यदि उम्मीदवार ने योग्यता परीक्षा निजी उम्मीदवार के रूप में उत्तीर्ण की है, तो राजपत्रित अधिकारियों से इस आशय के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी कि उसका चरित्र और नैतिकता अच्छी है। यदि उम्मीदवार ने योग्यता परीक्षा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अलावा किसी अन्य बोर्ड से या इस

विश्वविद्यालय के अलावा किसी अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है, तो उसे विद्यालय या महाविद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र के अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एक पात्रता प्रमाण पत्र और अनुवाद प्रमाण पत्र अनुवाद शुल्क सहित, तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भी दस्तावेज जाली, छेड़छाड़ या मिथ्या पाया जाता है, तो छात्र का प्रवेश स्वतः रद्द हो जाएगा और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

(viii) उम्मीदवार को पंजीयन से पूर्व योग्यता परीक्षा की स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(ix) विश्वविद्यालय का छात्र अनुभाग, कुलसचिव के मार्गदर्शन में, विभिन्न संकायों या स्कूलों में अध्ययनरत या विश्वविद्यालय में शोध कार्य कर रहे सभी पंजीकृत छात्रों का रिकॉर्ड बनाए रखेगा।

7. प्रवेश हेतु पात्रता मानदंड (डिप्लोमा / स्नातक / स्नातकोत्तर / पीएच.डी.)

(i) एक उम्मीदवार जिसने लेवल 4/कक्षा 12 की स्कूली शिक्षा (या तो औपचारिक स्कूली शिक्षा के माध्यम से या मुक्त विद्यालय प्रणाली के माध्यम से) या उसके समतुल्य उत्तीर्ण की है, वह स्नातक कार्यक्रम या एकीकृत स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होगा।

(ii) एक उम्मीदवार जिसने कक्षा 10 की स्कूली शिक्षा (या तो औपचारिक स्कूली शिक्षा के माध्यम से या मुक्त विद्यालय प्रणाली के माध्यम से) या उसके समतुल्य उत्तीर्ण की है, वह डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होगा।

(iii) एक उम्मीदवार लेवल 4/कक्षा 12 की स्कूली शिक्षा में उसके द्वारा लिए गए विषयों की परवाह किए बिना, स्नातक कार्यक्रम के किसी भी अनुशासन में प्रवेश के लिए पात्र है, यदि वह स्नातक कार्यक्रम के अनुशासन में राष्ट्रीय स्तर या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करता है। जहां आवश्यक हो, विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों के छात्रों को प्रवेश देने पर उत्पन्न होने वाले ज्ञान अंतराल को दूर करने के लिए आवश्यक ब्रिज पाठ्यक्रम (पुल पाठ्यक्रम) प्रदान कर सकता है।

(iv) एक उम्मीदवार स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होगा, यदि उसने 3-वर्षीय स्नातक डिग्री (लेवल 5.5, कुल 120 क्रेडिट) / 4-वर्षीय स्नातक डिग्री ऑनर्स/ऑनर्स विद रिसर्च (लेवल 6, कुल 160 क्रेडिट) उत्तीर्ण की है।

(v) स्नातक कार्यक्रम में छात्र द्वारा लिए गए मुख्य (मेजर) या सहायक (माइनर) अनुशासनों की परवाह किए बिना, एक छात्र स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के किसी भी अनुशासन में प्रवेश के लिए पात्र है, यदि छात्र स्नातकोत्तर कार्यक्रम के अनुशासन में राष्ट्रीय स्तर या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करता है।

(vi) एक छात्र यूजीसी के स्नातक कार्यक्रमों हेतु पाठ्यचर्या एवं क्रेडिट फ्रेमवर्क, तथा दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को एक साथ करने हेतु दिशानिर्देशों में दी गई अनुशासन/संस्थान/अधिगम मोड में परिवर्तन की सुविधा के साथ, एक साथ दो स्नातक कार्यक्रम कर सकता है।

(vii) एक छात्र यूजीसी के स्नातकोत्तर कार्यक्रमों हेतु पाठ्यचर्या एवं क्रेडिट फ्रेमवर्क, तथा दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को एक साथ करने हेतु दिशानिर्देशों में दी गई अनुशासन/संस्थान/अधिगम मोड में परिवर्तन की सुविधा के साथ, एक साथ दो स्नातकोत्तर कार्यक्रम कर सकता है।

अध्यादेश – 3

विश्वविद्यालय परीक्षाओं का संचालन

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 28 (1) (ङ) के संदर्भ में]

अध्याय – I

1. परिभाषाएँ

(i) **"शैक्षणिक कार्यक्रम"** से तात्पर्य स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर एवं स्नातक डिप्लोमा, एम.फिल., पीएच.डी. डिग्री तथा प्रमाणपत्रों की ओर अग्रसर पाठ्यक्रमों और/या किसी अन्य घटक के कार्यक्रम से है।

(ii) **"एटीकेटी उम्मीदवार / पदोन्नत उम्मीदवार"** से तात्पर्य ऐसे उम्मीदवार से है जिसने सेमेस्टर परीक्षा में एक या अधिक प्रश्न-पत्रों में 35% से कम अंक प्राप्त किए हैं और उसे उच्च सत्र में रखने की अनुमति दी गई है तथा उसे अनुत्तीर्ण सेमेस्टर की परीक्षा में पुनः उपस्थित होना होगा।

(iii) **"प्रमाणित"** से तात्पर्य प्रेषण अधिकारी (फॉरवर्डिंग ऑफिसर) द्वारा प्रमाणित से है।

(iv) **"सह-परीक्षक"** से तात्पर्य प्रश्न-पत्र निर्माता के अलावा किसी लिखित प्रश्न-पत्र में सह-परीक्षक से है।

(v) **"बाह्य परीक्षक"** से तात्पर्य ऐसे परीक्षक से है जो विश्वविद्यालय या उसके संस्थानों/केन्द्रों/विभागों द्वारा रोजगारित नहीं है।

(vi) **"पूर्व छात्र"** से तात्पर्य ऐसे उम्मीदवार से है जो विश्वविद्यालय में नियमित उम्मीदवार के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हुआ था और उत्तीर्ण घोषित नहीं किया गया था या यद्यपि उसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया था, परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सका और उक्त परीक्षा में पुनः प्रवेश चाहता है।

(vii) **"प्रेषण अधिकारी"** से तात्पर्य उस अधिकारी से है जो उस विभाग का प्रमुख है जहाँ से उम्मीदवार ने नियमित छात्र के रूप में अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम किया था या एक नियमित छात्र था और पूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में उपस्थित होना चाहता है।

(viii) **"आंतरिक परीक्षक"** से तात्पर्य ऐसे परीक्षक से है जो विश्वविद्यालय के रोजगार में है।

(क) सैद्धांतिक प्रश्न-पत्र के मामले में, एक परीक्षक, जिसमें प्रश्न-पत्र निर्माता भी शामिल है, विश्वविद्यालय विभागों/अध्ययन केन्द्रों का एक शिक्षक होता है।

(ख) प्रयोगात्मक एवं मौखिक परीक्षा के मामले में, एक परीक्षक विश्वविद्यालय, विभागों, संस्थान के अध्ययन केन्द्रों का एक शिक्षक होता है, जिसके उम्मीदवारों की उस परीक्षा केन्द्र में परीक्षा ली जा रही हो।

(ix) **"नियमित उम्मीदवार"** से तात्पर्य ऐसे उम्मीदवार से है जो शिक्षण विभाग में अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम कर रहा है और विश्वविद्यालय की परीक्षा में उपस्थित होना चाहता है।

(x) **"नियमित पाठ्यक्रम"** से तात्पर्य विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में प्रत्येक विषय में अध्ययन के पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रम से है जिसे एक उम्मीदवार परीक्षा में प्रस्तुत करना चाहता है।

(xi) **"छात्र"** से तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी विभाग में प्रवेशित ऐसे व्यक्ति से है जिस पर यह अध्यादेश लागू होता है।

(xii) **"विश्वविद्यालय"** से तात्पर्य कृष्णा विकास ग्लोबल यूनिवर्सिटी, रायपुर से है।

अध्याय – II

2. सामान्य

(i) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संचालन के संबंध में यूजीसी और अन्य संबंधित वैधानिक निकायों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों को अपनाएगा और उनका पालन करेगा।

(ii) मूल्यांकन की इकाइयाँ, अर्थात् परीक्षण, सेमिनार, प्रस्तुतियाँ, कक्षा प्रदर्शन, क्षेत्रीय कार्य आदि, तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम के संबंध में ऐसी प्रत्येक इकाई को दिया गया भारांक, विश्वविद्यालय के उपयुक्त शैक्षणिक निकाय द्वारा निर्धारित किया जाएगा और जैसा भी मामला हो, वर्ष के शैक्षणिक सत्र या सेमेस्टर के आरंभ में छात्रों को सूचित कर दिया जाएगा।

(iii) प्रत्येक पाठ्यक्रम के संबंध में अंतिम परीक्षा की प्रकृति, चाहे लिखित (ऑनलाइन/ऑफलाइन) हो या मौखिक या दोनों, भी शैक्षणिक सत्र के आरंभ में छात्रों को सूचित कर दी जाएगी। सेमेस्टर/वर्ष के अंत की परीक्षाओं के अतिरिक्त प्रत्येक पाठ्यक्रम में सतत मूल्यांकन होगा, और प्रत्येक पाठ्यक्रम के संबंध में क्रेडिट उपयुक्त शैक्षणिक निकाय द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और छात्रों को सूचित किए जाएंगे। कोई छात्र तब तक क्रेडिट अर्जित नहीं कर सकता जब तक किसी कार्यक्रम के वांछित कौशलों और परिणामों की उपलब्धि के लिए उसका आकलन नहीं किया जाता।

(iv) विश्वविद्यालय ग्रेडों का प्रतिशत में और प्रतिशत का ग्रेडों में रूपांतरण की एक तालिका विकसित करेगा और उसे अपनाएगा।

(v) यद्यपि मूल्यांकन की वास्तविक प्रक्रिया गोपनीय होगी, मूल्यांकन प्रणाली पर्याप्त रूप से पारदर्शी होगी, और एक छात्र को इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका तक पहुँच प्रदान की जाएगी।

(vi) विश्वविद्यालय सतत रचनात्मक आकलन (कंटीन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट) को प्राथमिकता देगा।

(vii) सभी विश्वविद्यालय परीक्षाओं का संचालन परीक्षा नियंत्रक (कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन) द्वारा किया जाएगा।

(viii) कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक के परामर्श से, कुलपति की अंतिम स्वीकृति के साथ, अधीक्षक / उप अधीक्षक / सहायक अधीक्षक की नियुक्ति करेगा।

(ix) प्रत्येक केन्द्र पर परीक्षा का अधीक्षक उसे भेजे गए प्रश्न-पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा और विश्वविद्यालय कार्यालय को प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त प्रश्न-पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं का पूरा विवरण देगा।

(x) अधीक्षक अपने अधीन कार्यरत निरीक्षकों (इनविजिलेटर्स) के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा और विश्वविद्यालय द्वारा उसे जारी किए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए परीक्षा का संचालन करेगा।

(xi) विश्वविद्यालय यदि उचित समझे तो बिना कोई कारण बताए परीक्षा के परीक्षा केन्द्र या समय को बदल सकता है।

(xii) विश्वविद्यालय समय-समय पर एक गुणवत्ता लेखा परीक्षक बोर्ड (बोर्ड ऑफ क्वालिटी ऑडिटर्स) की नियुक्ति कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परीक्षाएँ निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के सख्त अनुपालन में संचालित की जा रही हैं। यदि शैक्षणिक लेखा परीक्षक नियम या प्रक्रिया के उल्लंघन की ओर संकेत करते हैं, तो कुलपति आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं, जिसमें केन्द्र पर परीक्षा का पूर्णतः या आंशिक रूप से स्थगन या रद्द करना शामिल है, और यदि ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है तो की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रबंधन बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

(xiii) परीक्षा नियंत्रक निरीक्षण (इनविजिलेशन) के लिए विश्वविद्यालय से या अन्य शैक्षणिक संस्थानों से शिक्षण या गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है, और अन्य व्यावसायिक निकायों से या उपयुक्त पाए जाने वाले किसी योग्य व्यक्ति की भी नियुक्ति कर सकता है।

(xiv) कुलपति सभी केन्द्रों पर किसी परीक्षा को रद्द कर सकते हैं यदि वह संतुष्ट हो जाते हैं कि प्रश्न-पत्रों का रिसाव हुआ है या कोई अन्य अनियमितता हुई है, जो उनकी राय में ऐसा कदम उठाना आवश्यक बनाती है, और प्रबंधन बोर्ड की अगली बैठक में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(xv) प्रबंधन बोर्ड, शैक्षणिक परिषद के परामर्श से, परीक्षकों, केन्द्र अधीक्षकों, सारणीकारों (टैबुलेटर्स) और संकलनकर्ताओं (कोलेटर्स) के मार्गदर्शन के लिए ऐसे सामान्य निर्देश जारी कर सकता है, जैसा वह उनके कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझता है।

(xvi) यदि किसी उम्मीदवार को अपने परीक्षा प्रश्न-पत्र के विषय पर कोई संचार करना है, तो वह सीधे परीक्षा नियंत्रक को लिखित रूप में करेगा।

(xvii) यदि किसी उम्मीदवार द्वारा या उसकी ओर से उसकी परीक्षा के मामले में वरीयतापूर्ण व्यवहार प्राप्त करने का कोई प्रयास किया जाता है, तो मामला परीक्षा नियंत्रक को सूचित किया जाएगा, जो आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए मामला कुलपति के समक्ष रखेगा।

(xviii) जहाँ प्रयोगात्मक परीक्षा सैद्धांतिक प्रश्न-पत्रों की परीक्षा से पहले आयोजित की जाती है, वहाँ एक उम्मीदवार तब तक सैद्धांतिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं माना जाएगा जब तक उसे परीक्षा में उपस्थित होने के लिए प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) जारी नहीं कर दिया जाता।

(xix) सेमेस्टर के अंत की परीक्षाएँ और प्रयोगात्मक परीक्षाएँ परीक्षा नियंत्रक द्वारा संचालित की जाएंगी।

(xx) उपरोक्त में शामिल नहीं किसी अन्य प्रकार की परीक्षा के लिए, परीक्षा संचालन की विधि विशेष रूप से पाठ्यक्रम/परीक्षा योजना में प्रदान की गई होगी और ऐसे प्रावधान के अभाव में, परीक्षा संचालन की विधि परीक्षा नियंत्रक द्वारा, समन्वय समिति के लिए संबंधित संकाय (स्कूल) के निदेशक की सिफारिश पर, कुलपति की स्वीकृति के साथ निर्धारित की जाएगी।

अध्याय – III

3. परीक्षा शुल्क एवं परीक्षा प्रपत्र भरना

(i) परीक्षा नियंत्रक या, उनकी अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय का कुलसचिव, शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात, परीक्षाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों द्वारा देय परीक्षा शुल्क को अधिसूचित करेगा।

(ii) परीक्षा संचालन के लिए तैयार कार्यक्रम के अनुसार, छात्रों को संबंधित परीक्षा के लिए परीक्षा प्रपत्र (एग्जामिनेशन फॉर्म) सहित निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करना आवश्यक होगा।

(iii) शुल्क परीक्षा नियंत्रक द्वारा एकत्र किया जाएगा, और आवेदन प्रपत्र की विधिवत जांच परीक्षा नियंत्रक द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु की जाएगी।

(iv) यदि कोई छात्र परीक्षा प्रपत्र भरने और शुल्क जमा करने में विफल रहता है, तो उसे इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा।

(v) जो छात्र किसी भी कारणवश परीक्षा में उपस्थित नहीं होता है, वह परीक्षा शुल्क की किसी भी धनवापसी का हकदार नहीं होगा।

(vi) किसी उम्मीदवार का परीक्षा में उपस्थित होने का आवेदन, जो कपटपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने या गलत विवरण देने के कारण रद्द कर दिया जाता है, उसके द्वारा भुगतान की गई संपूर्ण शुल्क जब्त कर ली जाएगी।

(vii) यदि उम्मीदवार विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर परीक्षा प्रपत्र जमा करने में विफल रहता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा शासी निकाय द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित विलंब शुल्क प्रति दिन लिया जाएगा।

4. परीक्षा प्रश्न-पत्र निर्माण / मॉडरेशन

4.1 प्रत्येक विषय में परीक्षा समिति प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न-पत्र के प्रश्न-पत्र निर्माता की नियुक्ति के लिए तीन नामों का एक पैनल अनुशंसित करेगी।

4.2 कुलपति प्रश्न-पत्र निर्माताओं, सह-परीक्षकों, तथा प्रयोगात्मक/मौखिक परीक्षकों की नियुक्ति सामान्यतः परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों में से करेंगे। हालाँकि, वे किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं जिसका नाम विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित नामों की सूची में शामिल नहीं है।

4.3 एक परीक्षक का कार्य असंतोषजनक माना जाएगा यदि:

(i) जाँच और परीक्षण के दौरान उसके कार्य में ऐसी प्रकृति की त्रुटियाँ पाई जाती हैं, जो परिणाम को प्रभावित करती हैं, अथवा

(ii) विश्वविद्यालय की परीक्षा परिषद द्वारा यह पाया जाता है कि उसने बिना उचित कारण के कार्य में अत्यधिक विलंब किया है, अथवा

(iii) मुख्य परीक्षक से उसके विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होती है, अथवा

(iv) उसके प्रश्न-पत्र निर्माण के विरुद्ध गंभीर शिकायतें हैं।

4.4 प्रश्न-पत्र निर्माता सह-परीक्षकों के मार्गदर्शन के लिए एक निर्देश ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ इंस्ट्रक्शंस) निर्धारित करेगा ताकि सह-परीक्षक उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में प्रश्न-पत्र निर्माता के मानक का अनुपालन कर सकें।

4.5 प्रश्न-पत्र निर्माता से प्रश्न-पत्र प्राप्त होने के पश्चात, उनका मॉडरेशन मॉडरेटर(रों) द्वारा किया जाएगा, जिनकी नियुक्ति परीक्षा नियंत्रक द्वारा कुलपति की स्वीकृति से विषयवार की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रश्न-पत्र बैंक में प्रत्येक विषय में कम से कम तीन विधिवत मॉडरेटेड प्रश्न-पत्र उपलब्ध हों।

4.6 कोई भी व्यक्ति प्रश्न-पत्र निर्माता या सैद्धांतिक, मौखिक या प्रयोगात्मक परीक्षा में परीक्षक के रूप में कार्य नहीं करेगा, यदि उसका कोई संबंधी उस परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है; बशर्ते कि यह प्रावधान उसे उस केन्द्र के अलावा किसी अन्य केन्द्र पर प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए परीक्षक के रूप में कार्य करने से वंचित नहीं करेगा जहाँ उसका संबंधी उपस्थित हो रहा है।

4.7 कोई भी व्यक्ति किसी परीक्षा के लिए मॉडरेटर या सारणीकार (टैबुलेटर) के रूप में कार्य नहीं करेगा, यदि उसका कोई संबंधी उस परीक्षा में उपस्थित हो रहा है या उपस्थित हो चुका है।

5. प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड)

5.1 परीक्षा नियंत्रक पात्र उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी करेगा।

5.2 परीक्षा नियंत्रक किसी उम्मीदवार के पक्ष में प्रवेश पत्र जारी करेगा यदि:

(i) उम्मीदवार का आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण हो,

(ii) उम्मीदवार द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान कर दिया गया हो,

(iii) संबंधित विभागों से अनापत्ति प्राप्त हो गई हो।

(iv) परीक्षा नियंत्रक, यदि संतुष्ट हो जाता है कि प्रवेश पत्र खो गया है या नष्ट हो गया है, तो निर्धारित शुल्क के भुगतान पर डुप्लिकेट प्रवेश पत्र जारी कर सकता है।

5.3 किसी उम्मीदवार के पक्ष में परीक्षा में उपस्थित होने के लिए जारी किया गया प्रवेश पत्र वापस लिया जा सकता है, यदि यह पाया जाता है कि:

(i) प्रवेश पत्र गलती से जारी कर दिया गया था, या उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र नहीं था,

(ii) उम्मीदवार द्वारा पंजीयन, विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन में दी गई कोई भी विवरणी या प्रस्तुत किए गए दस्तावेज असत्य, कपटपूर्ण या गलत हैं।

6. विश्वविद्यालय परीक्षाओं का समय सारणी

(i) परीक्षाओं का कार्यक्रम विश्वविद्यालय परीक्षाओं के प्रारंभ से कम से कम 14 दिन पूर्व परीक्षा नियंत्रक द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

(ii) परीक्षाओं के कार्यक्रम में कोई परिवर्तन, यदि होता है, तो उसे परीक्षा नियंत्रक द्वारा विधिवत अधिसूचित किया जाएगा।

अध्याय – IV

7. परीक्षा का संचालन

(i) संबंधित परीक्षा का केन्द्र अधीक्षक (सेंटर सुपरिंटेंडेंट) निरीक्षण ड्यूटी चार्ट और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ii) केन्द्र अधीक्षक का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य होगा कि कोई परीक्षार्थी / प्रवेश पत्र धारक वही व्यक्ति है जिसने परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवेदन प्रपत्र भरा है।

(iii) कोई उम्मीदवार तब तक परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं पाएगा जब तक वह परीक्षा नियंत्रक द्वारा विधिवत जारी किया गया वैध प्रवेश पत्र प्रस्तुत नहीं करता।

(iv) केन्द्र अधीक्षक सभी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षाओं के तुरंत पश्चात विश्वविद्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करेगा।

(v) कोई भी परीक्षार्थी किसी भी प्रयोजन से परीक्षा प्रारंभ के आधे घंटे के भीतर परीक्षा भवन नहीं छोड़ेगा, और कोई देरी से आने वाला व्यक्ति इसके प्रारंभ के आधे घंटे के बाद परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं पाएगा।

(vi) परीक्षा भवन को अस्थायी रूप से छोड़ने की इच्छा रखने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्धारित अनुसार अनुमति दी जाएगी।

8. लेखक (अमानुएन्सिस) की नियुक्ति

8.1 निम्नलिखित मामलों में लेखक की अनुमति दी जाएगी:

(i) दृष्टिबाधित उम्मीदवार, और

(ii) वे उम्मीदवार जो किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण विकलांग हैं और अपने हाथों से लिखने में असमर्थ हैं।

उपरोक्त खंड 8.1 के अंतर्गत उम्मीदवारों को उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8.2 परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा प्रारंभ से एक सप्ताह पूर्व उम्मीदवार से आवेदन प्राप्त करने पर, लेखक की नियुक्ति की व्यवस्था करेगा और संबंधित केन्द्र अधीक्षक को सूचित करेगा।

(i) लेखक संबंधित उम्मीदवार से निम्न शैक्षणिक योग्यता का व्यक्ति होगा।

(ii) केन्द्र अधीक्षक विकलांग उम्मीदवार के लिए उपयुक्त कक्ष की व्यवस्था करेगा और परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची से एक विशेष निरीक्षक (स्पेशल इनविजिलेटर) की नियुक्ति करेगा। दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त घंटा दिया जाएगा।

(iii) कोई उम्मीदवार तब तक परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं पाएगा जब तक वह केन्द्र अधीक्षक या निरीक्षक के समक्ष प्रवेश पत्र प्रस्तुत नहीं करता। एक उम्मीदवार जब भी केन्द्र अधीक्षक या निरीक्षक द्वारा आवश्यक समझा जाए, अपना प्रवेश पत्र प्रस्तुत करेगा।

(iv) परीक्षा भवन में, उम्मीदवार केन्द्र अधीक्षक के अनुशासनात्मक नियंत्रण में होगा, और वह उसके निर्देशों का पालन करेगा। यदि कोई उम्मीदवार केन्द्र अधीक्षक के निर्देशों की अवहेलना करता है या उसका अविनीत आचरण या केन्द्र अधीक्षक या किसी निरीक्षक के प्रति अज्ञानतापूर्ण व्यवहार करता है, तो उम्मीदवार को उस दिन की परीक्षा से वंचित किया जा सकता है, और यदि वह दुर्व्यवहार जारी रखता है, तो परीक्षा के केन्द्र अधीक्षक द्वारा उसे शेष परीक्षाओं से भी वंचित किया जा सकता है। परीक्षा का केन्द्र अधीक्षक उसी दिन की गई कार्रवाई और ऐसी कार्रवाई के कारणों का विस्तृत विवरण परीक्षा नियंत्रक को भेजेगा।

(v) जब तक विश्वविद्यालय की परीक्षा परिषद द्वारा अन्यथा निर्णय न लिया जाए, परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएँ परीक्षा समाप्ति के पश्चात 1 वर्ष की अवधि के लिए विश्वविद्यालय द्वारा रखी जाएंगी। परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों की फॉयल और काउंटरफॉयल, सारणीबद्ध परिणामों को छोड़कर, परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि से 1 वर्ष पश्चात नष्ट या अन्यथा निपटा दी जाएंगी।

9. अनुचित साधनों का प्रयोग एवं दुर्व्यवहार

(i) कोई भी उम्मीदवार परीक्षा भवन में अपने साथ कोई पुस्तक, कागज, टिप्पणियाँ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, या अन्य सामग्री नहीं लाएगा जिसका उपयोग वह परीक्षा के संबंध में कर सकता है, न ही वह परीक्षा भवन में किसी अन्य उम्मीदवार से संवाद करेगा या कोई जानकारी प्राप्त करेगा।

(ii) कोई भी उम्मीदवार उसे उपलब्ध कराई गई उत्तर पुस्तिका के अलावा ब्लॉटिंग पेपर, प्रवेश पत्र या प्रश्न-पत्र या किसी अन्य वस्तु/सामग्री पर कुछ भी लिखेगा या अंकित नहीं करेगा।

(iii) कोई भी उम्मीदवार किसी परीक्षा में किसी अन्य उम्मीदवार या व्यक्ति की सहायता नहीं करेगा या उससे सहायता प्राप्त नहीं करेगा, न ही परीक्षा के संबंध में किसी बेईमानी या अनुचित साधन का उपयोग करेगा।

(iv) परीक्षा के संबंध में नकल करते हुए या किसी बेईमानी या अनुचित साधन का उपयोग करते हुए पाया गया कोई भी उम्मीदवार केन्द्र अधीक्षकों द्वारा या उसके माध्यम से किसी निरीक्षक या विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी द्वारा, जैसा भी मामला हो, परीक्षा नियंत्रक को सूचित किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक उपरोक्त मामले को विश्वविद्यालय की परीक्षा परिषद के विचारार्थ रखेगा, जो यदि संतुष्ट हो जाती है कि आरोप सत्य हैं, तो उम्मीदवार को उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने से अयोग्य ठहरा सकती है और उसे दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किसी भी विश्वविद्यालय परीक्षा में उपस्थित होने से प्रतिबंधित कर सकती है।

(v) परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया गया कोई भी उम्मीदवार संबंधित केन्द्र अधीक्षकों द्वारा या उसके माध्यम से किसी निरीक्षक या विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी द्वारा, जैसा भी मामला हो, परीक्षा नियंत्रक को सूचित किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक उपरोक्त मामले को लिखित रूप में विश्वविद्यालय की परीक्षा परिषद के समक्ष उचित कार्रवाई के लिए रखेगा, जैसा मामले में आवश्यक समझा जाए।

(vi) कोई भी उम्मीदवार, जो केन्द्र अधीक्षक की राय में परीक्षा भवन में किसी दुर्व्यवहार का दोषी है, उसे परीक्षा नियंत्रक द्वारा उस प्रश्न-पत्र के लिए निष्कासित किए जाने की अनुशंसा की जा सकती है, और इसकी सूचना विश्वविद्यालय की परीक्षा परिषद को उसकी स्वीकृति हेतु दी जाएगी।

(vii) कोई भी उम्मीदवार, जो किसी केन्द्र अधीक्षक, निरीक्षक, या विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को परीक्षा संचालन से संबंधित उनके कर्तव्यों से विरत रहने के लिए दबाव बनाने, परेशान करने या बल का प्रयोग करने या करने की धमकी देने के तरीके चाहने का दोषी पाया जाता है, वह अनुचित साधनों का उपयोग करने और घोर कदाचार में लिप्त होने का दोषी माना जाएगा। ऐसे मामले की सूचना संबंधित व्यक्ति द्वारा परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से विश्वविद्यालय की परीक्षा परिषद को दी जाएगी। विश्वविद्यालय की परीक्षा परिषद, यदि संतुष्ट हो जाती है कि आरोप सत्य हैं, तो उम्मीदवार को उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने से अयोग्य ठहरा सकती है और/या उसे विश्वविद्यालय से निष्कासित कर सकती है।

(viii) जिस उम्मीदवार पर उपरोक्त रूप से दंड लगाया गया है, उसे किसी भी कार्यक्रम में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को दंड की अवधि समाप्त होने के पश्चात ही अगली सत्रांत परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है, जिसमें वह पूर्व छात्र के रूप में उपस्थित होने का हकदार है।

(ix) यदि कोई उम्मीदवार अधीक्षक या केन्द्र के किसी व्यक्ति या उसके परिसर के अंदर उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला हिंसक व्यवहार करता है या बल का प्रयोग करता है या बल के प्रदर्शन की आशंका पैदा करता है या इस प्रकार से व्यवहार करता है जिससे प्राधिकारियों के लिए उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो, तो अधीक्षक उम्मीदवार को केन्द्र से निष्कासित कर सकता है और वह पुलिस सहायता ले सकता है।

(x) यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा केन्द्र के परिसर के भीतर कोई खतरनाक हथियार लाता है, तो उसे केन्द्र से निष्कासित किया जा सकता है और/या अधीक्षक द्वारा पुलिस को सौंप दिया जा सकता है।

(xi) उपरोक्त किसी भी आधार पर निष्कासित किया गया उम्मीदवार आगामी प्रश्न-पत्रों में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xii) प्रत्येक मामले में जहाँ परीक्षा नियंत्रक द्वारा उपरोक्त के तहत कार्रवाई की जाती है, विश्वविद्यालय को एक पूरी रिपोर्ट भेजी जाएगी और प्रबंधन बोर्ड अपराध की गंभीरता के अनुसार, उम्मीदवार को कारण बताने का अवसर देने और उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद, उसकी परीक्षा रद्द करके

और/या उसे एक या अधिक वर्षों के लिए विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने से प्रतिबंधित करके आगे दंडित कर सकता है।

(xiii) यदि कोई व्यक्ति, जो प्रतिरूपक (इम्पोस्टर) है, किसी वास्तविक उम्मीदवार की ओर से परीक्षा देते हुए पाया जाता है, तो यह मान लिया जाएगा कि यह प्रतिरूपण वास्तविक उम्मीदवार के कहने पर और उसकी मिलीभगत से किया जा रहा है, और ऐसे व्यक्ति और ऐसे वास्तविक उम्मीदवार के विरुद्ध निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी:

(क) वास्तविक उम्मीदवार जिसने स्वयं परीक्षा नहीं दी, उसे भविष्य में अध्ययन का कोई पाठ्यक्रम करने या विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

(ख) यदि वह व्यक्ति जिसने वास्तविक उम्मीदवार का प्रतिरूपण किया है, विश्वविद्यालय का छात्र है, तो उसे भविष्य में विश्वविद्यालय की कोई भी परीक्षा देने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। प्रतिरूपण का मामला पुलिस को सूचित किया जाएगा।

(ग) यदि वह व्यक्ति जिसने वास्तविक उम्मीदवार का प्रतिरूपण किया है, विश्वविद्यालय का छात्र नहीं है, तो उसे उचित कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले किया जा सकता है।

(xiv) केन्द्र अधीक्षक उस परीक्षार्थी के विरुद्ध कार्रवाई करेगा जो परीक्षा भवन में या परीक्षा केन्द्र के परिसर के अंदर परीक्षा के घंटों के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए या उपयोग करने का प्रयास करते हुए पाया जाता है, निम्नलिखित तरीके से:

(क) परीक्षार्थी को उसके पास पाई गई सभी आपत्तिजनक सामग्री, जिसमें उत्तर पुस्तिका भी शामिल है, को सौंपने के लिए कहा जाएगा, और तिथि और समय सहित एक ज्ञापन तैयार किया जाएगा।

(ख) परीक्षार्थी और निरीक्षक का कथन दर्ज किया जाएगा।

(ग) परीक्षार्थी को परीक्षा के लिए निर्धारित शेष समय के भीतर उत्तर लिखने के लिए 'डुप्लिकेट यूजिंग अनफेयर मीन्स' अंकित एक नई उत्तर पुस्तिका जारी की जाएगी।

(घ) इस प्रकार एकत्रित सभी सामग्री और संपूर्ण साक्ष्य, परीक्षार्थी के कथन और विधिवत हस्ताक्षरित उत्तर पुस्तिका सहित, केन्द्र अधीक्षक की टिप्पणियों के साथ, 'अनुचित साधन' अंकित एक अलग गोपनीय सीलबंद पंजीकृत पैकेट में नाम निर्दिष्ट करके परीक्षा नियंत्रक को भेजा जाएगा।

(ङ) परीक्षार्थी से एकत्रित की गई सामग्री को दोनों उत्तर पुस्तिकाओं, अर्थात् अनुचित साधनों का उपयोग करते समय एकत्रित की गई उत्तर पुस्तिका और बाद में उपलब्ध कराई गई दूसरी उत्तर पुस्तिका के साथ, परीक्षा नियंत्रक द्वारा परीक्षक को दोनों उत्तर पुस्तिकाओं का अलग-अलग मूल्यांकन करने और यह रिपोर्ट करने के लिए भेजा जाएगा कि क्या परीक्षार्थी ने उसके पास से एकत्रित की गई अनुचित साधन सामग्री का उपयोग किया है।

(च) केन्द्र अधीक्षक द्वारा रिपोर्ट किए गए परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग के मामलों पर, परीक्षक की रिपोर्ट सहित, विश्वविद्यालय की परीक्षा परिषद द्वारा विचार किया जाएगा। समिति, मामलों की जांच करने के पश्चात, प्रत्येक मामले में की जाने वाली कार्रवाई का निर्णय करेगी और इसे सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से प्रबंधन बोर्ड को रिपोर्ट करेगी।

(छ) परीक्षा के घंटों के दौरान बात करते हुए पाया गया उम्मीदवार को ऐसा न करने की चेतावनी दी जाएगी। यदि उम्मीदवार निरीक्षक की चेतावनी के बावजूद ऐसा करना जारी रखता है, तो ऐसे परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका वापस ले ली जाएगी, और दूसरी उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी। केवल दूसरी उत्तर पुस्तिका ही मूल्यांकन के लिए भेजी जाएगी। पहली पुस्तिका रद्द कर दी जाएगी और परीक्षा नियंत्रक को भेज दी जाएगी। यदि छात्र को फिर से चेतावनी देने की आवश्यकता हो, तो दूसरी प्रति नहीं दी जाएगी, और परीक्षार्थी को केन्द्र अधीक्षक द्वारा उस विशेष प्रश्न-पत्र से निष्कासित किया जा सकता है।

(xv) विश्वविद्यालय की परीक्षा परिषद किसी उम्मीदवार की परीक्षा रद्द कर सकती है और/या उसे एक या अधिक वर्षों के लिए विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने से प्रतिबंधित कर सकती है, यदि बाद में यह पता चलता है कि उम्मीदवार अपनी परीक्षा के संबंध में किसी भी प्रकार से कदाचार का दोषी था और/या विश्वविद्यालय के अभिलेखों में छेड़छाड़ करने में साधक था या उसका समर्थन किया था, जिसमें उत्तर पुस्तिका, अंक-पत्र, नियम चार्ट आदि शामिल हैं।

(xvi) परीक्षा नियंत्रक के पास निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर किसी परीक्षार्थी को बाद के परीक्षा दिनों में परीक्षाओं से निष्कासित करने की शक्ति होगी:

(क) कि परीक्षार्थी ने परीक्षा में अनुचित साधन अपनाए हैं।

(ख) कि परीक्षार्थियों ने परीक्षा केन्द्र में उपद्रव या गंभीर अशांति पैदा की है।

(ग) कि परीक्षार्थी ने निरीक्षक या परीक्षा कार्य से जुड़े कर्मचारियों के सदस्य के प्रति गंभीर आक्रामक रवैया दिखाया है।

(घ) यदि आवश्यक हो, तो विश्वविद्यालय पुलिस सहायता प्राप्त कर सकता है।

अध्याय – V

10. परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन

(i) परीक्षा नियंत्रक का कार्यालय प्रत्येक विषय के लिए परीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों के नामों की एक संस्थान-वार सूची तैयार करेगा। सूची दो भागों में होगी, पहले भाग में विश्वविद्यालय विभाग में शिक्षक के रूप में कार्यरत व्यक्तियों के नाम और दूसरे भाग में विश्वविद्यालय के बाहर से परीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र विश्वविद्यालय के शिक्षकों के अलावा अन्य व्यक्तियों के नाम होंगे।

(ii) इस अध्यादेश में निहित प्रावधानों के बावजूद, कुलपति, विश्वविद्यालय की परीक्षा परिषद के परामर्श से, जहाँ तक उस विशेष परीक्षा का संबंध है, बाधाओं को दूर करने के लिए सभी या कुछ नियमों को संशोधित कर सकते हैं।

11. परिणाम की घोषणा

(i) परीक्षा नियंत्रक, सेमेस्टर (सेमेस्टर के अंत की परीक्षाओं और आंतरिक सतत मूल्यांकन दोनों सहित) विश्वविद्यालय परीक्षा के परिणाम, विश्वविद्यालय की वेबसाइट के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रकाशित करेगा। हालाँकि, विस्तृत परिणाम की जांच के पश्चात, यदि परीक्षा नियंत्रक द्वारा यह देखा जाता है कि समग्र परीक्षा या किसी विशेष पाठ्यक्रम में मानक में स्पष्ट परिवर्तन आया है, तो वह मामले को मॉडरेशन समिति को भेज सकता है, जिसका गठन कुलपति द्वारा इस उद्देश्य हेतु विशेष रूप से किया जाएगा।

(ii) किसी छात्र द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाली पुरस्कार सूची (अवार्ड लिस्ट) परीक्षा नियंत्रक द्वारा परिणाम घोषित होने के पश्चात प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में जारी की जाएगी।

(iii) विश्वविद्यालय की परीक्षा परिषद परिणाम की घोषणा के लिए उत्तरदायी होगी। इस संबंध में, विश्वविद्यालय की परीक्षा परिषद के कार्य निम्नलिखित होंगे:

(क) प्रश्न-पत्रों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करना और आवश्यक कार्रवाई करना। उन उम्मीदवारों के मामलों का निर्णय करना जिनकी उत्तर पुस्तिकाएँ पारगमन में खो गई थीं।

(ख) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जैसा शैक्षणिक परिषद समय-समय पर उसे हस्तांतरित कर सकती है।

(ग) परिणामों के प्रकाशन में किसी भी अनपेक्षित त्रुटि के मामले में, त्रुटियों के संज्ञान में आने पर परिणामों का सही संस्करण 48 घंटों के भीतर पुनः प्रकाशित किया जाएगा।

नोट: यदि किसी परीक्षक, केन्द्र अधीक्षक या निरीक्षक के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जानी है, तो मामला विश्वविद्यालय की परीक्षा परिषद की सिफारिश के साथ प्रबंधन बोर्ड को भेजा जाएगा।

12. उत्तर पुस्तिकाओं का प्रदर्शन

(i) कोई उम्मीदवार परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर, शुल्क के आधार पर, किसी भी विषय की अपनी उत्तर पुस्तिका की प्रति के लिए आवेदन कर सकता है।

(ii) यदि पहली प्रति अस्पष्ट (अिलेजिबल) है या वह नहीं है जिसका उम्मीदवार ने अनुरोध किया था, तो विश्वविद्यालय निःशुल्क दूसरी प्रति उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा।

13. अनुग्रह अंक (ग्रेस मार्क)

(i) संबंधित अध्यादेश में निहित किसी भी बात के बावजूद, एक परीक्षार्थी जिसने नियमित उम्मीदवार के रूप में सेमेस्टर के अंत की परीक्षा में सभी सैद्धांतिक प्रश्न-पत्रों, प्रयोगात्मक, मौखिक, आंतरिक मूल्यांकन, क्षेत्रीय कार्य, परियोजना कार्य में उपस्थिति दी है और किसी भी परीक्षा में तीन से अधिक विषयों में कुल मिलाकर पाँच अंकों से अधिक नहीं अनुत्तीर्ण होता है, तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम बनाने के लिए कुल मिलाकर अधिकतम पाँच अंकों की अनुग्रह दी जा सकती है। ये अंक कुल योग में नहीं गिने जाएंगे। सैद्धांतिक प्रश्न-पत्रों के अलावा अन्य में और एटीकेटी छात्रों को कोई अनुग्रह अंक नहीं दिए जाएंगे।

(ii) यदि कोई उम्मीदवार प्रथम या द्वितीय श्रेणी से एक अंक कम रह जाता है, तो कुलपति द्वारा उसे अपनी श्रेणी में सुधार करने में सक्षम बनाने के लिए अधिकतम एक अंक की अनुग्रह दी जा सकती है।

अध्याय – VI

14. विविध

केन्द्र अधीक्षक परीक्षा के संचालन के बारे में परीक्षा नियंत्रक को एक गोपनीय रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें निरीक्षकों के प्रदर्शन और परीक्षार्थियों के सामान्य व्यवहार का उल्लेख होगा। वह प्रत्येक परीक्षा में उपस्थित होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या, अनुपस्थित पंजीयन संख्याओं और केन्द्र पर आयोजित की जा रही परीक्षाओं से संबंधित ऐसी अन्य जानकारी, जैसा आवश्यक समझा जाए, तथा कोई अन्य मामला जिसे वह विश्वविद्यालय के संज्ञान में लाना उचित समझता है, की दैनिक रिपोर्ट भी भेजेगा। वह परीक्षाओं के संचालन के संबंध में प्राप्त अग्रिम धन और किए गए व्यय के लेखे के रखरखाव और परीक्षा नियंत्रक को प्रस्तुत करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

15. विश्वविद्यालय परिणाम में संशोधन

जिस उम्मीदवार का परिणाम घोषित कर दिया गया है, वह निर्धारित प्रारूप में परीक्षा नियंत्रक को अपनी किसी भी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन / पुनः योग (री-टोटलिंग) अंकों या परिणाम के लिए पंद्रह दिनों के भीतर आवेदन कर सकता है, जिसके पश्चात प्रबंधन द्वारा निर्धारित विलंब शुल्क प्रति दिन लागू होगा, जो अगले 30 दिनों की देरी तक वसूल किया जाएगा।

बशर्ते कि पुनर्मूल्यांकन के मामले में, किसी उम्मीदवार को कुल सैद्धांतिक प्रश्न-पत्रों के 40% से अधिक का पुनर्मूल्यांकन कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और दशमलव के मामले में अगले पूर्ण अंक में पूर्णांकित किया जाएगा।

(उदाहरण – 6 प्रश्न-पत्रों के मामले में, उम्मीदवार 3 प्रश्न-पत्रों का पुनर्मूल्यांकन करा सकता है)।

यह भी बशर्ते कि प्रयोगात्मक, क्षेत्रीय कार्य, सत्रीय कार्य, परीक्षण, शोध-प्रबंध, और परीक्षा में किसी प्रश्न-पत्र के स्थान पर प्रस्तुत परियोजना कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के मामले में कोई पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अध्यादेश – 4

डिग्रियों, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों एवं अन्य शैक्षणिक उपाधियों का प्रदान

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 28 (1) (ग) के संदर्भ में]

1. किसी विशिष्ट प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्री के लिए निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात, उम्मीदवार, जैसा भी मामला हो, क्रमशः उक्त प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्री प्रदान किए जाने का हकदार हो जाएगा।
2. कुलसचिव, परिणाम घोषित होने के शीघ्र पश्चात, प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्री प्रदान करने के लिए सभी सफल उम्मीदवारों के नाम शैक्षणिक परिषद (एकेडमिक काउंसिल) के समक्ष रखेगा। शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदन के पश्चात, कुलसचिव द्वारा संबंधित उम्मीदवारों को अनंतिम प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और डिग्री जारी की जाएंगी।
3. प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, डिग्री या किसी अन्य उपाधि/पुरस्कार प्रदान करने के लिए शैक्षणिक परिषद द्वारा दी गई स्वीकृति, उसकी सहमति हेतु प्रबंधन बोर्ड (बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट) के समक्ष रखी जाएगी। प्रबंधन बोर्ड द्वारा सहमति दिए जाने पर, सफल उम्मीदवारों को दीक्षांत समारोह (कॉनवोकेशन) में डिग्रियाँ, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे।
4. प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और डिग्रियों पर कुलपति (वाइस-चांसलर) के हस्ताक्षर होंगे।

अध्यादेश – 5

फेलोशिप, छात्रवृत्तियाँ, वजीफे, पदक एवं पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 28 (1) (घ) के संदर्भ में]

1. योग्य एवं मेधावी छात्रों को अधिक वित्तीय बोझ के बिना विश्वविद्यालय में अध्ययन एवं अनुसंधान के पाठ्यक्रम/कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, विश्वविद्यालय वित्तीय सहायता के लिए पर्याप्त संख्या में छात्रवृत्तियाँ (स्कॉलरशिप्स), फेलोशिप्स, स्टूडेंटशिप्स और निःशुल्क छात्रवृत्तियाँ (फ्री-शिप्स) प्रदान करने का प्रयास करेगा तथा पदक एवं पुरस्कार प्रदान करने की भी व्यवस्था करेगा।

2. छात्रवृत्तियाँ विश्वविद्यालय के छात्रों को, निधियों की उपलब्धता के अधीन, प्रदान की जाएंगी। उन्हें प्रदान करने के नियम विनियमों में निर्धारित किए जाएंगे।

3. फेलोशिप, अनुसंधान छात्रवृत्तियाँ और अन्य छात्रवृत्तियों के सभी पुरस्कार प्रबंधन बोर्ड (बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट) द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर किए जाएंगे।

4. निधियों की उपलब्धता के अधीन, योग्यता / आवश्यकता-आधारित छात्रवृत्तियों की एक योजना भी होगी, जिसकी राशि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।

5. विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित छात्रवृत्तियों/फेलोशिप का मूल्य और अवधि वैसी होगी जैसी शैक्षणिक परिषद (एकेडमिक काउंसिल) द्वारा निर्धारित की जाए और प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाए। छात्रवृत्तियों/फेलोशिप हेतु उम्मीदवारों का चयन, पुरस्कार की शर्तें एवं नियम, छात्रवृत्तियों/फेलोशिप का निलंबन, समाप्ति और जारी रखना, प्रबंधन बोर्ड के निर्देशों द्वारा शासित होंगे।

6. विनियमों में निर्धारित सभी अनुसंधान फेलोशिप और छात्रवृत्तियों पर लागू सामान्य शर्तों के अधीन रहते हुए, अखिल भारतीय फेलोशिप (आल इंडिया फेलोशिप्स) के पुरस्कार के लिए मूल्य, अवधि और शर्तें वैसी होंगी जैसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सीएसआईआर/डीएसटी/अन्य निकायों द्वारा निर्धारित की जाती हैं या विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार होंगी।

अध्यादेश – 6

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक प्रदर्शन एवं वातावरण में सुधार हेतु अन्य निकायों का सृजन

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 28 (1) (आई) के संदर्भ में]

विश्वविद्यालय को, प्रबंधन बोर्ड (बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट) के आदेशों के अनुसार, आवश्यकता एवं उद्देश्य के आधार पर, जैसा भी मामला हो, स्थायी एवं तदर्थ (एड हॉक) दोनों प्रकार की समितियाँ बनाने की शक्ति होगी।

अध्यादेश – 7

रैगिंग को रोकने हेतु नीतियाँ, तथा विशाखा समिति की स्थापना एवं विश्वविद्यालय में जाति-आधारित भेदभाव की रोकथाम

1. रैगिंग विरोधी नीति: विश्वविद्यालय, रैगिंग के प्रति शून्य-सहिष्णुता (जीरो-टॉलरेंस) नीति लागू करने और माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में निर्धारित रैगिंग विरोधी दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए, केरल विश्वविद्यालय बनाम परिषद, प्रिंसिपल्स, कॉलेज, केरल एवं अन्य, 2009 मामले में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार एक रैगिंग विरोधी समिति (एंटी-रैगिंग कमेटी) का गठन करेगा।

2. यौन उत्पीड़न रोकथाम नीति: विश्वविद्यालय, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य-सहिष्णुता (जीरो-टॉलरेंस) नीति लागू करने और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम नीति को लागू करने के लिए, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार एक विशाखा समिति का गठन करेगा।

3. जाति-आधारित भेदभाव रोकथाम नीति: विश्वविद्यालय, जाति-आधारित भेदभाव के प्रति शून्य-सहिष्णुता (जीरो-टॉलरेंस) नीति लागू करने और जाति-आधारित भेदभाव रोकथाम नीति को लागू करने के लिए, (उच्च शैक्षणिक संस्थानों में समानता का संवर्धन) विनियम, 2012 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार एक आंतरिक शिकायत निवारण समिति (इंटरनल कंप्लेंट्स रिड्रेसल कमेटी) का गठन करेगा।

अध्यादेश – 8

विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास हेतु मानदंड

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 28 (1) (ज) के संदर्भ में]

1. विश्वविद्यालय पंजीकृत छात्रों के लिए छात्रावास (हॉस्टल) संचालित करेगा। यह एक प्रेरक एवं समग्र रहने का वातावरण प्रदान करेगा जो छात्रों के उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
2. प्रत्येक छात्रावासी सदैव अनुशासन का उच्च मानक बनाए रखेगा और विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार आचरण करेगा।
3. छात्रावास में प्रवेश कक्षों की उपलब्धता के अधीन होगा। यदि छात्रावास की क्षमता से अधिक कक्षों की मांग होती है, तो कक्षों का आवंटन कुलसचिव (रजिस्ट्रार) द्वारा, छात्रावास अधीक्षक (वार्डन) के परामर्श से किया जाएगा।
4. छात्रावास में प्रवेश पर, माता-पिता और छात्र प्रतिज्ञा-पत्र (अंडरटेकिंग) का प्रपत्र भरेंगे और स्थानीय अभिभावक का नामांकन करेंगे।
5. छात्र उसे आवंटित कक्ष में ही रहेगा। वह छात्रावास अधीक्षक की अनुमति के बिना कक्ष नहीं बदलेगा या अपने कक्ष के अंदर/बाहर फर्नीचर नहीं हटाएगा।
6. छात्रावास के निवासी टाइल्स, फर्नीचर, साज-सज्जा, फिक्स्चर आदि की देखभाल और रखरखाव के लिए उत्तरदायी होंगे। छात्रावास की किसी भी संपत्ति को क्षति पहुँचाने पर क्षतिपूर्ति निवासियों द्वारा की जाएगी।
7. निवासियों को उपलब्ध कराए गए विद्युत उपकरणों के अलावा किसी अन्य का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाएगा।
8. निवासियों को आग्नेयास्त्र, हथियार या संभावित खतरनाक उपकरण रखने से प्रतिबंधित किया जाएगा। अपराधियों के विरुद्ध गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें निष्कासन (रस्टिकेशन), पुलिस शिकायत या कानूनी कार्रवाई शामिल है।
9. छात्रावास परिसर में मादक पदार्थों/शराब/नशीले पदार्थों का सेवन/धूम्रपान सख्त वर्जित होगा। अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और उनके विरुद्ध निष्कासन (एक्सपल्शन) आदि जैसी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
10. विश्वविद्यालय छात्रावास में रहने वाले छात्र ऐसा शुल्क अदा करेंगे जो प्रबंधन बोर्ड (बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट) द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।
11. प्रत्येक छात्रावास में एक या अधिक अधीक्षक (वार्डन) होंगे, जिनकी नियुक्ति कुलपति (वाइस-चांसलर) द्वारा कुलसचिव की सिफारिश पर, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों पर की जाएगी जो प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएँ।

12. छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई छात्रावास नीति का अनुपालन करना होगा; अनुपालन न करने की स्थिति में, कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुपालन न करने की स्थिति में किसी भी छात्र को तत्काल प्रभाव से छात्रावास से निकालने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

अध्यादेश – 9

छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 28 (1) (ज) के संदर्भ में]

1. विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र सदैव अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करेगा, अध्ययन में परिश्रम दिखाएगा, शिष्टाचार एवं गरिमा बनाए रखेगा, पाठ्यक्रम गतिविधियों में उचित रुचि लेगा – परिसर के अंदर और बाहर दोनों जगह एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय के छात्र के अनुरूप आचार संहिता का पालन करेगा तथा विश्वविद्यालय के सभी नियमों का पालन करेगा।
2. प्रत्येक छात्र विश्वविद्यालय के अंदर और बाहर शिक्षकों, प्रशासकों और अन्य कर्मचारियों के प्रति उचित सम्मान और शिष्टाचार दिखाएगा तथा साथी छात्रों के प्रति सद्भावना रखेगा।
3. कुलपति (वाइस-चांसलर) एक अनुशासन समिति (डिसिप्लिनरी कमेटी) का गठन करेंगे जो विश्वविद्यालय के सभी अनुशासनात्मक मामलों का निपटान करेगी।
4. उपरोक्तानुसार दंड देने से पूर्व, अनुशासन समिति संबंधित छात्र को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देगी और दंड देने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगी।
5. संबंधित अनुशासन समिति को कथित अपराध के संबंध में उसके आचरण की जांच करने के लिए आवश्यक अवधि के लिए छात्र को अस्थायी रूप से निलंबित करने की शक्ति होगी।
6. छात्र द्वारा आचार संहिता के किसी उल्लंघन या विश्वविद्यालय के किसी नियम या विनियम का उल्लंघन करना अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी और वह कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई का भागीदार होगा।
7. निम्नलिखित कृत्य घोर अनुशासनहीनता के कृत्य होंगे, और उनमें से किसी में लिप्त छात्र अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा:
   (क) शिक्षकों की अवज्ञा करना और विश्वविद्यालय परिसर के अंदर और बाहर दुराचरण प्रदर्शित करना।
   (ख) तोड़फोड़/हिंसा में लिप्त होना और विश्वविद्यालय और/या सार्वजनिक संपत्ति या साथी छात्र की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना।
   (ग) विश्वविद्यालय परिसर में उसके शिक्षकों/कर्मचारियों/कैंटीन एवं मेस कर्मचारियों आदि के विरुद्ध झगड़ा करना, लड़ाई करना और अपमानजनक टिप्पणियाँ करना।
   (घ) आग्नेयास्त्र, हथियार और संभावित खतरनाक उपकरण आदि का कब्जा और उपयोग करना।
   (ङ) मादक पदार्थों/शराब/नशीले पदार्थों/तम्बाकू आदि का सेवन और बिक्री करना।
   (च) रैगिंग / यौन उत्पीड़न / जाति-आधारित भेदभाव में लिप्त होना, जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार सख्त वर्जित है और एक संज्ञेय अपराध है।

(छ) कोई अन्य कृत्य जिसे अनुशासन समिति अवांछनीय ठहरा सकती है।

8. विश्वविद्यालय कुलपति की स्वीकृति से मामले के विरुद्ध निम्नानुसार कार्रवाई करेगा:

(क) ऐसे छात्र को कक्षाओं में उपस्थित होने से निलंबित करना।

(ख) ऐसे छात्र को किसी भी आगामी परीक्षा में उपस्थित होने से निलंबित और अयोग्य ठहराना।

(ग) ऐसे छात्र को विश्वविद्यालय से निष्कासित (एक्सपेल) करना।

(घ) ऐसे छात्र को निष्कासित (रस्टिकेट) करना।

9. जिस अवधि के दौरान कोई छात्र जांच पूर्ण होने के लिए निलंबित रहता है, उसे परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उसकी उपस्थिति की गणना में तभी शामिल किया जाएगा जब वह निर्दोष पाया जाता है।

10. किसी छात्र का किसी संकाय/अध्ययन संकाय/केन्द्र से निष्कासन (रस्टिकेशन) उसका नाम पंजीकृत छात्रों के रजिस्टर से हटा दिए जाने का कारण होगा।

11. विश्वविद्यालय से निष्कासित (रस्टिकेटेड) छात्र की फीस जब्त कर ली जाएगी।

12. इस प्रकार निष्कासित (रस्टिकेटेड) छात्र को उसके निष्कासन की तिथि से तीन वर्ष या निर्धारित अवधि (जो भी पहले हो) की अवधि पूर्ण होने से पूर्व विश्वविद्यालय में पुनः प्रवेश नहीं दिया जाएगा। निष्कासन की तिथि से निर्धारित अवधि के पश्चात पुनः प्रवेश चाहने वाले निष्कासित छात्र को विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में रहने के दौरान सदाचार बनाए रखने का शपथ-पत्र (अफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।

अध्यादेश – 10

अन्य विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ सहयोग एवं संयोजन

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 28 (1) (झ) के संदर्भ में]

1. विश्वविद्यालय भारत और विदेशों में मौजूदा विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ सहयोग एवं संयोजन प्राप्त कर सकता है और आपसी सहमति से सहयोग एवं संयोजन की सीमा एवं क्षेत्र का विवरण देते हुए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित कर सकता है।

2. शैक्षणिक उत्कृष्टता के हित में, विश्वविद्यालय शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के संबंध में प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सहयोग करना चाह सकता है। ऐसे प्रस्ताव विश्वविद्यालय द्वारा भेजे जा सकते हैं या अन्य संस्थानों से प्राप्त किए जा सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रस्ताव को कुलपति (वाइस-चांसलर) द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा परीक्षण करवाएगा। तत्पश्चात प्रस्ताव आवश्यक कार्रवाई हेतु कुलपति के समक्ष रखा जाएगा।

3. विश्वविद्यालय समय-समय पर अनुसंधान एवं परामर्श कार्य के लिए देश और विदेश में उच्च शिक्षा में लगे विश्वविद्यालयों एवं उत्कृष्टता संस्थानों के साथ सहयोग कर सकता है।

4. विश्वविद्यालय छात्रों को प्रशिक्षण, शिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सरकारी संगठनों एवं संस्थानों के साथ सहयोग कर सकता है।

अध्यादेश – 11

बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी. फार्म.)

शीर्षक	:	बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी. फार्म.)
संकाय (फैकल्टी)	:	फार्मेसी
अवधि	:	चार वर्ष (आठ सेमेस्टर) तथा पार्श्व प्रवेश (लेटरल एंट्री) के लिए तीन वर्ष (छह सेमेस्टर), जैसा कि नियामक निकाय के विनियमों या दिशानिर्देशों में उल्लिखित हो।
पात्रता	:	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषयों सहित उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से फार्मेसी में डिप्लोमा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष उम्मीदवार, भारतीय फार्मेसी परिषद (फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया) द्वारा निर्धारित अनुसार, तीसरे सेमेस्टर/द्वितीय वर्ष में पार्श्व प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
सीटें	:	मूल इकाई 100 सीटों की होगी अथवा जैसा कि भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा आवंटित किया जाए।
प्रवेश प्रक्रिया	:	प्रवेश हेतु मेरिट सूची (योग्यता सूची) किसी सरकारी बोर्ड या मान्यता प्राप्त समतुल्य बोर्ड की योग्यता परीक्षाओं के अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा यदि लागू हो तो किसी सरकार-अनुमोदित एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी, या जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 में निर्दिष्ट किया गया है।
शैक्षणिक वर्ष	:	शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, विश्वविद्यालय की वेबसाइट और सूचना पट्ट पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा चयनित उम्मीदवारों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों के परिणाम लंबित हैं, वे अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) से पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा दी गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दी जाएगी। प्रवेश निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है: 1. नियत तिथि तक शुल्क का भुगतान न किया गया हो। 2. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अधूरा हो। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न न हों।

पंजीयन	:	सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क के सत्यापन व जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीयन संख्या प्रदान की जाएगी।
शुल्क	:	पाठ्यक्रम शुल्क, उपयुक्त निकाय की पूर्व स्वीकृति से, प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।
पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना	:	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी।
परीक्षा उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम अंक एवं विभाजन का पुरस्कार	:	सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। द्वितीय श्रेणी: कुल मिलाकर (एग्रीगेट) कम से कम 50% या उससे अधिक किंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। प्रथम श्रेणी: कुल मिलाकर 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रदान की जाएगी।
मूल्यांकन एवं परीक्षा	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
एटीकेटी हेतु पात्रता मानदंड	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
सामान्य	:	1. पाठ्यक्रम संबंधी सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, शैक्षणिक परिषद की सिफारिश पर, कुलपति छात्रों को पूर्व सूचना देते हुए, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं। 2. किसी भी विवाद का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किया जाएगा।

अध्यादेश - 12

मास्टर ऑफ फार्मेसी (एम.फार्म.)

शीर्षक	:	मास्टर ऑफ फार्मेसी (एम. फार्म.)
संकाय (फैकल्टी)	:	फार्मेसी
अवधि	:	दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
पात्रता	:	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फार्मेसी में स्नातक उत्तीर्ण अथवा भारतीय फार्मेसी परिषद (फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया) द्वारा निर्धारित अनुसार।
सीटें	:	मूल इकाई 15 सीटों की होगी अथवा जैसा कि भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा आवंटित किया जाए।
प्रवेश प्रक्रिया	:	प्रवेश हेतु मेरिट सूची (योग्यता सूची) किसी सरकारी बोर्ड / विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त समतुल्य बोर्ड की योग्यता परीक्षाओं के अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा यदि लागू हो तो किसी सरकार-अनुमोदित एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी, या जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 में निर्दिष्ट किया गया है।
शैक्षणिक वर्ष	:	शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, विश्वविद्यालय की वेबसाइट और सूचना पट्टों पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा चयनित उम्मीदवारों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों के परिणाम लंबित हैं, वे अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) से पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा दी गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दी जाएगी। प्रवेश निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है: 1. नियत तिथि तक शुल्क का भुगतान न किया गया हो। 2. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अधूरा हो। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न न हों।
पंजीयन	:	सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क के सत्यापन व जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीयन संख्या प्रदान की जाएगी।
शुल्क	:	पाठ्यक्रम शुल्क, उपयुक्त निकाय की पूर्व स्वीकृति से, प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।
पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना	:	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

परीक्षा उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम अंक एवं विभाजन का पुरस्कार	:	सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। द्वितीय श्रेणी: कुल मिलाकर (एग्रीगेट) कम से कम 50% या उससे अधिक किंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। प्रथम श्रेणी: कुल मिलाकर 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रदान की जाएगी।
मूल्यांकन एवं परीक्षा	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
एटीकेटी हेतु पात्रता मानदंड	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
सामान्य	:	1. पाठ्यक्रम संबंधी सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, शैक्षणिक परिषद की सिफारिश पर, कुलपति छात्रों को पूर्व सूचना देते हुए, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम सामग्री समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है। 2. किसी भी विवाद का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किया जाएगा।

अध्यादेश - 13

फार्मेसी इन डिप्लोमा (डी. फार्म.)

शीर्षक	:	डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी. फार्म.)
संकाय (फैकल्टी)	:	फार्मेसी
अवधि	:	दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
पात्रता	:	किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से विज्ञान विषयों सहित उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, तथा जैसा कि भारतीय फार्मेसी परिषद (फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया) द्वारा निर्धारित किया गया हो।
सीटें	:	मूल इकाई 60 सीटों की होगी अथवा जैसा कि भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा आवंटित किया जाए।
प्रवेश प्रक्रिया	:	प्रवेश हेतु मेरिट सूची (योग्यता सूची) किसी सरकारी बोर्ड या मान्यता प्राप्त समतुल्य बोर्ड की योग्यता परीक्षाओं के अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा यदि लागू हो तो किसी सरकार-अनुमोदित एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी, या जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 में निर्दिष्ट किया गया है।
शैक्षणिक वर्ष	:	शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, विश्वविद्यालय की वेबसाइट और सूचना पट्टों पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा चयनित उम्मीदवारों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों के परिणाम लंबित हैं, वे अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) से पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा दी गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दी जाएगी। प्रवेश निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है: 1. नियत तिथि तक शुल्क का भुगतान न किया गया हो। 2. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अधूरा हो। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न न हों।
पंजीयन	:	सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क के सत्यापन व जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीयन संख्या प्रदान की जाएगी।
शुल्क	:	पाठ्यक्रम शुल्क, उपयुक्त निकाय की पूर्व स्वीकृति से, प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।
पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना	:	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

परीक्षा उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम अंक एवं विभाजन का पुरस्कार	:	सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 40% अंक और कुल मिलाकर (एग्रीगेट) न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। द्वितीय श्रेणी: कुल मिलाकर 50% या उससे अधिक किंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। प्रथम श्रेणी: कुल मिलाकर 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रदान की जाएगी।
मूल्यांकन एवं परीक्षा	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
एटीकेटी हेतु पात्रता मानदंड	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
सामान्य	:	1. पाठ्यक्रम संबंधी सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, शैक्षणिक परिषद की सिफारिश पर, कुलपति छात्रों को पूर्व सूचना देते हुए, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम सामग्री समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है। 2. किसी भी विवाद का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किया जाएगा।

अध्यादेश - 14

डॉक्टर ऑफ फार्मेसी (फार्म.डी. कार्यक्रम / फार्म.डी. पोस्ट बैकलॉरिएट कार्यक्रम)

शीर्षक	:	डॉक्टर ऑफ फार्मेसी (फार्म.डी. कार्यक्रम / फार्म.डी. पोस्ट बैकलॉरिएट कार्यक्रम)
संकाय (फैकल्टी)	:	फार्मेसी
अवधि	:	6 वर्ष (5 वर्ष शैक्षणिक अध्ययन + 1 वर्ष इंटर्नशिप) तथा पार्श्व प्रवेश (लेटरल एंट्री) के लिए 3 वर्ष (2 वर्ष शैक्षणिक अध्ययन + 1 वर्ष इंटर्नशिप), जैसा कि नियामक निकाय के विनियमों या दिशानिर्देशों में उल्लिखित हो।
पात्रता	:	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिकी और रसायन विज्ञान को अनिवार्य विषयों के साथ गणित या जीव विज्ञान (पीसीबी/पीसीएम) सहित उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.फार्म. उत्तीर्ण अथवा समकक्ष उम्मीदवार, भारतीय फार्मेसी परिषद (फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया) द्वारा निर्धारित अनुसार, चतुर्थ वर्ष में पार्श्व प्रवेश (लेटरल एंट्री) के लिए पात्र होंगे।
सीटें	:	मूल इकाई 30 सीटें (फार्म.डी. कार्यक्रम के लिए) तथा 10 सीटें (फार्म.डी. पोस्ट बैकलॉरिएट कार्यक्रम के लिए) होगी, अथवा जैसा कि भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा आवंटित किया जाए।
प्रवेश प्रक्रिया	:	प्रवेश हेतु मेरिट सूची (योग्यता सूची) किसी सरकारी बोर्ड या मान्यता प्राप्त समतुल्य बोर्ड की योग्यता परीक्षाओं के अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा यदि लागू हो तो किसी सरकार-अनुमोदित एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी, या जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 में निर्दिष्ट किया गया है।
शैक्षणिक वर्ष	:	शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, विश्वविद्यालय की वेबसाइट और सूचना पट्ट पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा चयनित उम्मीदवारों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों के परिणाम लंबित हैं, वे अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) से पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा दी गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दी जाएगी। प्रवेश निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है: 1. नियत तिथि तक शुल्क का भुगतान न किया गया हो। 2. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अधूरा हो। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न न हों।
पंजीयन	:	सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क के सत्यापन व जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीयन संख्या प्रदान की जाएगी।

शुल्क	:	पाठ्यक्रम शुल्क, उपयुक्त निकाय की पूर्व स्वीकृति से, प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।
पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना	:	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी।
परीक्षा उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम अंक एवं विभाजन का पुरस्कार	:	सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। द्वितीय श्रेणी: कुल मिलाकर (एग्रीगेट) कम से कम 50% या उससे अधिक किंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। प्रथम श्रेणी: कुल मिलाकर 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रदान की जाएगी।
मूल्यांकन एवं परीक्षा	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
एटीकेटी हेतु पात्रता मानदंड	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
सामान्य	:	1. पाठ्यक्रम संबंधी सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, शैक्षणिक परिषद की सिफारिश पर, कुलपति छात्रों को पूर्व सूचना देते हुए, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं। 2. किसी भी विवाद का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किया जाएगा।

अध्यादेश - 15

बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.)

शीर्षक	:	बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.)
संकाय (फैकल्टी)	:	शिक्षा
अवधि	:	दो वर्ष (चार सेमेस्टर) अथवा जैसा कि एनसीटीई द्वारा निर्धारित किया जाए।
पात्रता	:	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी अनुशासन में स्नातक उत्तीर्ण अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा निर्धारित अनुसार।
सीटें	:	मूल इकाई 100 सीटों की होगी अथवा जैसा कि एनसीटीई द्वारा आवंटित किया जाए।
प्रवेश प्रक्रिया	:	प्रवेश हेतु मेरिट सूची (योग्यता सूची) किसी सरकारी बोर्ड / विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त समतुल्य बोर्ड / विश्वविद्यालय की योग्यता परीक्षाओं के अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा यदि लागू हो तो किसी सरकार-अनुमोदित एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी, या जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 में निर्दिष्ट किया गया है।
शैक्षणिक वर्ष	:	शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, विश्वविद्यालय की वेबसाइट और सूचना पट्टों पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा चयनित उम्मीदवारों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों के परिणाम लंबित हैं, वे अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) से पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा दी गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दी जाएगी। प्रवेश निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है: 1. नियत तिथि तक शुल्क का भुगतान न किया गया हो। 2. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अधूरा हो। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न न हों।
पंजीयन	:	सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क के सत्यापन व जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीयन संख्या प्रदान की जाएगी।
शुल्क	:	पाठ्यक्रम शुल्क, उपयुक्त निकाय की पूर्व स्वीकृति से, प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।
पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना	:	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी, जो एनसीटीई के मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

परीक्षा उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम अंक एवं विभाजन का पुरस्कार	:	सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 35% अंक और कुल मिलाकर (एग्रीगेट) न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। द्वितीय श्रेणी: कुल मिलाकर 45% या उससे अधिक किंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। प्रथम श्रेणी: कुल मिलाकर 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रदान की जाएगी।
मूल्यांकन एवं परीक्षा	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
एटीकेटी हेतु पात्रता मानदंड	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
सामान्य	:	1. पाठ्यक्रम संबंधी सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, शैक्षणिक परिषद की सिफारिश पर, कुलपति छात्रों को पूर्व सूचना देते हुए, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम सामग्री समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है। 2. एनसीटीई के दिशानिर्देश और निर्देश, यदि कोई हों, इस अध्यादेश के प्रावधानों पर प्रभावी होंगे। 3. किसी भी विवाद का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किया जाएगा।

अध्यादेश - 16

मास्टर ऑफ एजुकेशन (एम.एड.)

शीर्षक	:	मास्टर ऑफ एजुकेशन (एम.एड.)
संकाय (फैकल्टी)	:	शिक्षा
अवधि	:	दो वर्ष (चार सेमेस्टर) अथवा जैसा कि एनसीटीई द्वारा निर्धारित किया जाए।
पात्रता	:	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.) उत्तीर्ण अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा निर्धारित अनुसार।
सीटें	:	मूल इकाई 40 सीटों की होगी अथवा जैसा कि एनसीटीई द्वारा आवंटित किया जाए।
प्रवेश प्रक्रिया	:	प्रवेश हेतु मेरिट सूची (योग्यता सूची) किसी सरकारी बोर्ड / विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त समतुल्य बोर्ड / विश्वविद्यालय की योग्यता परीक्षाओं के अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा यदि लागू हो तो किसी सरकार-अनुमोदित एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी, या जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 में निर्दिष्ट किया गया है।
शैक्षणिक वर्ष	:	शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, विश्वविद्यालय की वेबसाइट और सूचना पट्टों पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा चयनित उम्मीदवारों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों के परिणाम लंबित हैं, वे अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) से पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा दी गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दी जाएगी। प्रवेश निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है: 1. नियत तिथि तक शुल्क का भुगतान न किया गया हो। 2. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अधूरा हो। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न न हों।
पंजीयन	:	सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क के सत्यापन व जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीयन संख्या प्रदान की जाएगी।
शुल्क	:	पाठ्यक्रम शुल्क, उपयुक्त निकाय की पूर्व स्वीकृति से, प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।
पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना	:	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी, जो एनसीटीई के मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

परीक्षा उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम अंक एवं विभाजन का पुरस्कार	:	सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 35% अंक और कुल मिलाकर (एग्रीगेट) न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। द्वितीय श्रेणी: कुल मिलाकर 45% या उससे अधिक किंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। प्रथम श्रेणी: कुल मिलाकर 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रदान की जाएगी।
मूल्यांकन एवं परीक्षा	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
एटीकेटी हेतु पात्रता मानदंड	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
सामान्य	:	1. पाठ्यक्रम संबंधी सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, शैक्षणिक परिषद की सिफारिश पर, कुलपति छात्रों को पूर्व सूचना देते हुए, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम सामग्री समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है। 2. एनसीटीई के दिशानिर्देश और निर्देश, यदि कोई हों, इस अध्यादेश के प्रावधानों पर प्रभावी होंगे। 3. किसी भी विवाद का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किया जाएगा।

अध्यादेश - 17

बैचलर ऑफ साइंस एण्ड बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एससी.बी.एड.)

शीर्षक	:	बैचलर ऑफ साइंस एण्ड बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एससी.बी.एड.)
संकाय (फैकल्टी)	:	शिक्षा
अवधि	:	चार वर्ष (आठ सेमेस्टर) अथवा जैसा कि एनसीटीई द्वारा निर्धारित किया जाए।
पात्रता	:	किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से विज्ञान विषयों सहित उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा एनसीटीई द्वारा निर्धारित अनुसार।
सीटें	:	मूल इकाई 50 सीटों की होगी अथवा जैसा कि एनसीटीई द्वारा आवंटित किया जाए।
प्रवेश प्रक्रिया	:	प्रवेश हेतु मेरिट सूची (योग्यता सूची) किसी सरकारी बोर्ड या मान्यता प्राप्त समतुल्य बोर्ड की योग्यता परीक्षाओं के अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा यदि लागू हो तो किसी सरकार-अनुमोदित एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी, या जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 में निर्दिष्ट किया गया है।
शैक्षणिक वर्ष	:	शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, विश्वविद्यालय की वेबसाइट और सूचना पट्टों पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा चयनित उम्मीदवारों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों के परिणाम लंबित हैं, वे अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) से पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा दी गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दी जाएगी। प्रवेश निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है: 1. नियत तिथि तक शुल्क का भुगतान न किया गया हो। 2. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अधूरा हो। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न न हों।
पंजीयन	:	सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क के सत्यापन व जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीयन संख्या प्रदान की जाएगी।
शुल्क	:	पाठ्यक्रम शुल्क, उपयुक्त निकाय की पूर्व स्वीकृति से, प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।
पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना	:	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी, जो एनसीटीई के मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

परीक्षा उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम अंक एवं विभाजन का पुरस्कार	:	सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 35% अंक और कुल मिलाकर (एग्रीगेट) न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। द्वितीय श्रेणी: कुल मिलाकर 45% या उससे अधिक किंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। प्रथम श्रेणी: कुल मिलाकर 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रदान की जाएगी।
मूल्यांकन एवं परीक्षा	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
एटीकेटी हेतु पात्रता मानदंड	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
सामान्य	:	1. पाठ्यक्रम संबंधी सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, शैक्षणिक परिषद की सिफारिश पर, कुलपति छात्रों को पूर्व सूचना देते हुए, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम सामग्री समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है। 2. एनसीटीई के दिशानिर्देश और निर्देश, यदि कोई हों, इस अध्यादेश के प्रावधानों पर प्रभावी होंगे। 3. किसी भी विवाद का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किया जाएगा।

अध्यादेश - 18

बैचलर ऑफ आर्ट्स एण्ड बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.ए.बी.एड.)

शीर्षक	:	बैचलर ऑफ आर्ट्स एण्ड बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.ए.बी.एड.)
संकाय (फैकल्टी)	:	शिक्षा
अवधि	:	चार वर्ष (आठ सेमेस्टर) अथवा जैसा कि एनसीटीई द्वारा निर्धारित किया जाए।
पात्रता	:	किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कला/वाणिज्य/विज्ञान विषयों सहित उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा एनसीटीई द्वारा निर्धारित अनुसार।
सीटें	:	मूल इकाई 50 सीटों की होगी अथवा जैसा कि एनसीटीई द्वारा आवंटित किया जाए।
प्रवेश प्रक्रिया	:	प्रवेश हेतु मेरिट सूची (योग्यता सूची) किसी सरकारी बोर्ड या मान्यता प्राप्त समतुल्य बोर्ड की योग्यता परीक्षाओं के अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा यदि लागू हो तो किसी सरकार-अनुमोदित एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी, या जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 में निर्दिष्ट किया गया है।
शैक्षणिक वर्ष	:	शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, विश्वविद्यालय की वेबसाइट और सूचना पट्टों पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा चयनित उम्मीदवारों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों के परिणाम लंबित हैं, वे अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) से पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा दी गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दी जाएगी। प्रवेश निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है: 1. नियत तिथि तक शुल्क का भुगतान न किया गया हो। 2. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अधूरा हो। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न न हों।
पंजीयन	:	सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क के सत्यापन व जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीयन संख्या प्रदान की जाएगी।
शुल्क	:	पाठ्यक्रम शुल्क, उपयुक्त निकाय की पूर्व स्वीकृति से, प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।
पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना	:	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी, जो एनसीटीई के मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

परीक्षा उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम अंक एवं विभाजन का पुरस्कार	:	सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 35% अंक और कुल मिलाकर (एग्रीगेट) न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। द्वितीय श्रेणी: कुल मिलाकर 45% या उससे अधिक किंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। प्रथम श्रेणी: कुल मिलाकर 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रदान की जाएगी।
मूल्यांकन एवं परीक्षा	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
एटीकेटी हेतु पात्रता मानदंड	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
सामान्य	:	1. पाठ्यक्रम संबंधी सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, शैक्षणिक परिषद की सिफारिश पर, कुलपति छात्रों को पूर्व सूचना देते हुए, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम सामग्री समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है। 2. एनसीटीई के दिशानिर्देश और निर्देश, यदि कोई हों, इस अध्यादेश के प्रावधानों पर प्रभावी होंगे। 3. किसी भी विवाद का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किया जाएगा।

अध्यादेश - 19

बैचलर ऑफ कॉमर्स एण्ड बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.कॉम.बी.एड.)

शीर्षक	:	बैचलर ऑफ कॉमर्स एण्ड बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.कॉम.बी.एड.)
संकाय (फैकल्टी)	:	शिक्षा
अवधि	:	चार वर्ष (आठ सेमेस्टर) अथवा जैसा कि एनसीटीई द्वारा निर्धारित किया जाए।
पात्रता	:	किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से वाणिज्य/कला/विज्ञान विषयों सहित उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा एनसीटीई द्वारा निर्धारित अनुसार।
सीटें	:	मूल इकाई 50 सीटों की होगी अथवा जैसा कि एनसीटीई द्वारा आवंटित किया जाए।
प्रवेश प्रक्रिया	:	प्रवेश हेतु मेरिट सूची (योग्यता सूची) किसी सरकारी बोर्ड या मान्यता प्राप्त समतुल्य बोर्ड की योग्यता परीक्षाओं के अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा यदि लागू हो तो किसी सरकार-अनुमोदित एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी, या जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 में निर्दिष्ट किया गया है।
शैक्षणिक वर्ष	:	शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, विश्वविद्यालय की वेबसाइट और सूचना पट्टों पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा चयनित उम्मीदवारों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों के परिणाम लंबित हैं, वे अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) से पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा दी गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दी जाएगी। प्रवेश निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है: 1. नियत तिथि तक शुल्क का भुगतान न किया गया हो। 2. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अधूरा हो। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न न हों।
पंजीयन	:	सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क के सत्यापन व जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीयन संख्या प्रदान की जाएगी।
शुल्क	:	पाठ्यक्रम शुल्क, उपयुक्त निकाय की पूर्व स्वीकृति से, प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।
पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना	:	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी, जो एनसीटीई के मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

परीक्षा उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम अंक एवं विभाजन का पुरस्कार	:	सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 35% अंक और कुल मिलाकर (एग्रीगेट) न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। द्वितीय श्रेणी: कुल मिलाकर 45% या उससे अधिक किंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। प्रथम श्रेणी: कुल मिलाकर 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रदान की जाएगी।
मूल्यांकन एवं परीक्षा	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
एटीकेटी हेतु पात्रता मानदंड	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
सामान्य	:	1. पाठ्यक्रम संबंधी सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, शैक्षणिक परिषद की सिफारिश पर, कुलपति छात्रों को पूर्व सूचना देते हुए, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम सामग्री समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है। 2. एनसीटीई के दिशानिर्देश और निर्देश, यदि कोई हों, इस अध्यादेश के प्रावधानों पर प्रभावी होंगे। 3. किसी भी विवाद का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किया जाएगा।

अध्यादेश - 20

डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (डी.एल.एड.)

शीर्षक	:	डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (डी.एल.एड.)
संकाय (फैकल्टी)	:	शिक्षा
अवधि	:	दो वर्ष (चार सेमेस्टर) अथवा जैसा कि एनसीटीई द्वारा निर्धारित किया जाए।
पात्रता	:	किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से किसी भी अनुशासन में उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा एनसीटीई द्वारा निर्धारित अनुसार।
सीटें	:	मूल इकाई 50 सीटों की होगी अथवा जैसा कि एनसीटीई द्वारा आवंटित किया जाए।
प्रवेश प्रक्रिया	:	प्रवेश हेतु मेरिट सूची (योग्यता सूची) किसी सरकारी बोर्ड या मान्यता प्राप्त समतुल्य बोर्ड की योग्यता परीक्षाओं के अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा यदि लागू हो तो किसी सरकार-अनुमोदित एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी, या जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 में निर्दिष्ट किया गया है।
शैक्षणिक वर्ष	:	शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, विश्वविद्यालय की वेबसाइट और सूचना पट्टों पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा चयनित उम्मीदवारों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों के परिणाम लंबित हैं, वे अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) से पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा दी गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दी जाएगी। प्रवेश निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है: 1. नियत तिथि तक शुल्क का भुगतान न किया गया हो। 2. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अधूरा हो। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न न हों।
पंजीयन	:	सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क के सत्यापन व जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीयन संख्या प्रदान की जाएगी।
शुल्क	:	पाठ्यक्रम शुल्क, उपयुक्त निकाय की पूर्व स्वीकृति से, प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।
पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना	:	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी, जो एनसीटीई के मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

परीक्षा उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम अंक एवं विभाजन का पुरस्कार	:	सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 35% अंक और कुल मिलाकर (एग्रीगेट) न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। द्वितीय श्रेणी: कुल मिलाकर 45% या उससे अधिक किंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। प्रथम श्रेणी: कुल मिलाकर 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रदान की जाएगी।
मूल्यांकन एवं परीक्षा	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
एटीकेटी हेतु पात्रता मानदंड	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
सामान्य	:	1. पाठ्यक्रम संबंधी सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, शैक्षणिक परिषद की सिफारिश पर, कुलपति छात्रों को पूर्व सूचना देते हुए, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम सामग्री समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है। 2. एनसीटीई के दिशानिर्देश और निर्देश, यदि कोई हों, इस अध्यादेश के प्रावधानों पर प्रभावी होंगे। 3. किसी भी विवाद का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किया जाएगा।

अध्यादेश – 21

बैचलर ऑफ एजुकेशन - स्पेशल एजुकेशन (बी.एड. स्पेशल एड.)

शीर्षक	:	बैचलर ऑफ एजुकेशन – स्पेशल एजुकेशन (बी.एड. स्पेशल एड.)
संकाय (फैकल्टी)	:	शिक्षा
अवधि	:	दो वर्ष (चार सेमेस्टर) अथवा जैसा कि एनसीटीई द्वारा निर्धारित किया जाए।
पात्रता	:	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी अनुशासन में स्नातक उत्तीर्ण अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा निर्धारित अनुसार।
सीटें	:	मूल इकाई 50 सीटों की होगी। इस इकाई के गुणक भी प्रबंधन बोर्ड द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं अथवा जैसा कि भारतीय पुनर्वास परिषद (रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया) द्वारा निर्धारित किया जाए।
प्रवेश प्रक्रिया	:	प्रवेश हेतु मेरिट सूची (योग्यता सूची) किसी सरकारी बोर्ड / विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त समतुल्य बोर्ड / विश्वविद्यालय की योग्यता परीक्षाओं के अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा यदि लागू हो तो किसी सरकार-अनुमोदित एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी, या जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 में निर्दिष्ट किया गया है।
शैक्षणिक वर्ष	:	शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, विश्वविद्यालय की वेबसाइट और सूचना पट्टों पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा चयनित उम्मीदवारों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों के परिणाम लंबित हैं, वे अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) से पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा दी गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दी जाएगी। प्रवेश निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है: 1. नियत तिथि तक शुल्क का भुगतान न किया गया हो। 2. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अधूरा हो। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न न हों।
पंजीयन	:	सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क के सत्यापन व जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीयन संख्या प्रदान की जाएगी।
शुल्क	:	पाठ्यक्रम शुल्क, उपयुक्त निकाय की पूर्व स्वीकृति से, प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।

पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना	:	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी।
परीक्षा उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम अंक एवं विभाजन का पुरस्कार	:	सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 35% अंक और कुल मिलाकर (एग्रीगेट) न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। द्वितीय श्रेणी: कुल मिलाकर 45% या उससे अधिक किंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। प्रथम श्रेणी: कुल मिलाकर 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रदान की जाएगी।
मूल्यांकन एवं परीक्षा	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
एटीकेटी हेतु पात्रता मानदंड	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
सामान्य	:	1. पाठ्यक्रम संबंधी सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, शैक्षणिक परिषद की सिफारिश पर, कुलपति छात्रों को पूर्व सूचना देते हुए, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम सामग्री समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है। 2. एनसीटीई के दिशानिर्देश और निर्देश, यदि कोई हों, इस अध्यादेश के प्रावधानों पर प्रभावी होंगे। 3. किसी भी विवाद का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किया जाएगा।

अध्यादेश - 22

बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बी.पी.एड.)

शीर्षक	:	बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बी.पी.एड.)
संकाय (फैकल्टी)	:	शिक्षा
अवधि	:	दो वर्ष (चार सेमेस्टर) अथवा जैसा कि एनसीटीई द्वारा निर्धारित किया जाए।
पात्रता	:	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी अनुशासन में स्नातक उत्तीर्ण अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा निर्धारित अनुसार।
सीटें	:	मूल इकाई 50 सीटों की होगी अथवा जैसा कि एनसीटीई द्वारा आवंटित किया जाए।
प्रवेश प्रक्रिया	:	प्रवेश हेतु मेरिट सूची (योग्यता सूची) किसी सरकारी बोर्ड / विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त समतुल्य बोर्ड / विश्वविद्यालय की योग्यता परीक्षाओं के अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा यदि लागू हो तो किसी सरकार-अनुमोदित एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी, या जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 में निर्दिष्ट किया गया है।
शैक्षणिक वर्ष	:	शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, विश्वविद्यालय की वेबसाइट और सूचना पट्टों पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा चयनित उम्मीदवारों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों के परिणाम लंबित हैं, वे अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) से पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा दी गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दी जाएगी। प्रवेश निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है: 1. नियत तिथि तक शुल्क का भुगतान न किया गया हो। 2. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अधूरा हो। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न न हों।
पंजीयन	:	सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क के सत्यापन व जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीयन संख्या प्रदान की जाएगी।
शुल्क	:	पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की पूर्व स्वीकृति से, प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।
पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना	:	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

परीक्षा उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम अंक एवं विभाजन का पुरस्कार	:	सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 35% अंक और कुल मिलाकर (एग्रीगेट) न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। द्वितीय श्रेणी: कुल मिलाकर 45% या उससे अधिक किंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। प्रथम श्रेणी: कुल मिलाकर 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रदान की जाएगी।
मूल्यांकन एवं परीक्षा	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
एटीकेटी हेतु पात्रता मानदंड	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
सामान्य	:	1. पाठ्यक्रम संबंधी सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, शैक्षणिक परिषद की सिफारिश पर, कुलपति छात्रों को पूर्व सूचना देते हुए, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम सामग्री समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है। 2. एनसीटीई के दिशानिर्देश और निर्देश, यदि कोई हों, इस अध्यादेश के प्रावधानों पर प्रभावी होंगे। 3. किसी भी विवाद का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किया जाएगा।

अध्यादेश - 23

मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (एम.पी.एड.)

शीर्षक	:	मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (एम.पी.एड.)
संकाय (फैकल्टी)	:	शिक्षा
अवधि	:	दो वर्ष (चार सेमेस्टर) अथवा जैसा कि एनसीटीई द्वारा निर्धारित किया जाए।
पात्रता	:	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बी.पी.एड.) उत्तीर्ण अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा निर्धारित अनुसार।
सीटें	:	मूल इकाई 40 सीटों की होगी अथवा जैसा कि एनसीटीई द्वारा आवंटित किया जाए।
प्रवेश प्रक्रिया	:	प्रवेश हेतु मेरिट सूची (योग्यता सूची) किसी सरकारी बोर्ड / विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त समतुल्य बोर्ड / विश्वविद्यालय की योग्यता परीक्षाओं के अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा यदि लागू हो तो किसी सरकार-अनुमोदित एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी, या जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 में निर्दिष्ट किया गया है।
शैक्षणिक वर्ष	:	शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, विश्वविद्यालय की वेबसाइट और सूचना पट्टों पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा चयनित उम्मीदवारों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों के परिणाम लंबित हैं, वे अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) से पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा दी गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दी जाएगी। प्रवेश निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है: 1. नियत तिथि तक शुल्क का भुगतान न किया गया हो। 2. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अधूरा हो। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न न हों।
पंजीयन	:	सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क के सत्यापन व जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीयन संख्या प्रदान की जाएगी।
शुल्क	:	पाठ्यक्रम शुल्क, उपयुक्त निकाय की पूर्व स्वीकृति से, प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।
पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना	:	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

परीक्षा उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम अंक एवं विभाजन का पुरस्कार	:	सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 35% अंक और कुल मिलाकर (एग्रीगेट) न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। द्वितीय श्रेणी: कुल मिलाकर 45% या उससे अधिक किंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। प्रथम श्रेणी: कुल मिलाकर 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रदान की जाएगी।
मूल्यांकन एवं परीक्षा	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
एटीकेटी हेतु पात्रता मानदंड	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
सामान्य	:	1. पाठ्यक्रम संबंधी सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, शैक्षणिक परिषद की सिफारिश पर, कुलपति छात्रों को पूर्व सूचना देते हुए, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम सामग्री समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है। 2. एनसीटीई के दिशानिर्देश और निर्देश, यदि कोई हों, इस अध्यादेश के प्रावधानों पर प्रभावी होंगे। 3. किसी भी विवाद का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किया जाएगा।

अध्यादेश - 24

बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स (बी.पी.ई.एस.)

शीर्षक	:	बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स (बी.पी.ई.एस.)
संकाय (फैकल्टी)	:	शिक्षा
अवधि	:	तीन वर्ष (छह सेमेस्टर) अथवा जैसा कि एनसीटीई द्वारा निर्धारित किया जाए।
पात्रता	:	किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से किसी भी अनुशासन/विषय में उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समकक्ष कोई अन्य योग्यता।
सीटें	:	मूल इकाई 50 सीटों की होगी अथवा जैसा कि एनसीटीई द्वारा आवंटित किया जाए।
प्रवेश प्रक्रिया	:	प्रवेश हेतु मेरिट सूची (योग्यता सूची) किसी सरकारी बोर्ड या मान्यता प्राप्त समतुल्य बोर्ड की योग्यता परीक्षाओं के अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा यदि लागू हो तो किसी सरकार-अनुमोदित एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी, या जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 में निर्दिष्ट किया गया है।
शैक्षणिक वर्ष	:	शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, विश्वविद्यालय की वेबसाइट और सूचना पट्टों पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा चयनित उम्मीदवारों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों के परिणाम लंबित हैं, वे अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) से पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा दी गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दी जाएगी। प्रवेश निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है: 1. नियत तिथि तक शुल्क का भुगतान न किया गया हो। 2. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अधूरा हो। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न न हों।
पंजीयन	:	सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क के सत्यापन व जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीयन संख्या प्रदान की जाएगी।
शुल्क	:	पाठ्यक्रम शुल्क, उपयुक्त निकाय की पूर्व स्वीकृति से, प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।
पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना	:	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

परीक्षा उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम अंक एवं विभाजन का पुरस्कार	:	सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 35% अंक और कुल मिलाकर (एग्रीगेट) न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। द्वितीय श्रेणी: कुल मिलाकर 45% या उससे अधिक किंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। प्रथम श्रेणी: कुल मिलाकर 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रदान की जाएगी।
मूल्यांकन एवं परीक्षा	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
एटीकेटी हेतु पात्रता मानदंड	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
सामान्य	:	1. पाठ्यक्रम संबंधी सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, शैक्षणिक परिषद की सिफारिश पर, कुलपति छात्रों को पूर्व सूचना देते हुए, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम सामग्री समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है। 2. एनसीटीई के दिशानिर्देश और निर्देश, यदि कोई हों, इस अध्यादेश के प्रावधानों पर प्रभावी होंगे। 3. किसी भी विवाद का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किया जाएगा।

अध्यादेश - 25

मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स (एम.पी.ई.एस.)

शीर्षक	:	मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स (एम.पी.ई.एस.)
संकाय (फैकल्टी)	:	शिक्षा
अवधि	:	दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
पात्रता	:	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.पी.ई.एस./बी.पी.एड. उत्तीर्ण अथवा इसके समकक्ष।
सीटें	:	मूल इकाई 40 सीटों की होगी अथवा जैसा कि एनसीटीई द्वारा आवंटित किया जाए।
प्रवेश प्रक्रिया	:	प्रवेश हेतु मेरिट सूची (योग्यता सूची) किसी सरकारी बोर्ड / विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त समतुल्य बोर्ड / विश्वविद्यालय की योग्यता परीक्षाओं के अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा यदि लागू हो तो किसी सरकार-अनुमोदित एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी, या जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 में निर्दिष्ट किया गया है।
शैक्षणिक वर्ष	:	शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, विश्वविद्यालय की वेबसाइट और सूचना पट्टों पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा चयनित उम्मीदवारों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों के परिणाम लंबित हैं, वे अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) से पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा दी गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दी जाएगी। प्रवेश निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है: 1. नियत तिथि तक शुल्क का भुगतान न किया गया हो। 2. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अधूरा हो। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न न हों।
पंजीयन	:	सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क के सत्यापन व जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीयन संख्या प्रदान की जाएगी।
शुल्क	:	पाठ्यक्रम शुल्क, उपयुक्त निकाय की पूर्व स्वीकृति से, प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।
पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना	:	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

परीक्षा उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम अंक एवं विभाजन का पुरस्कार	:	सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 35% अंक और कुल मिलाकर (एग्रीगेट) न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। द्वितीय श्रेणी: कुल मिलाकर 50% या उससे अधिक किंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। प्रथम श्रेणी: कुल मिलाकर 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रदान की जाएगी।
मूल्यांकन एवं परीक्षा	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
एटीकेटी हेतु पात्रता मानदंड	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
सामान्य	:	1. पाठ्यक्रम संबंधी सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, शैक्षणिक परिषद की सिफारिश पर, कुलपति छात्रों को पूर्व सूचना देते हुए, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम सामग्री समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है। 2. एनसीटीई के दिशानिर्देश और निर्देश, यदि कोई हों, इस अध्यादेश के प्रावधानों पर प्रभावी होंगे। 3. किसी भी विवाद का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किया जाएगा।

अध्यादेश - 26

डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग (डी.एन.टी.टी.)

शीर्षक	:	डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग (डी.एन.टी.टी.)
संकाय (फैकल्टी)	:	शिक्षा
अवधि	:	एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
पात्रता	:	किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से किसी भी अनुशासन में उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समकक्ष कोई अन्य योग्यता।
सीटें	:	मूल इकाई 60 सीटों की होगी। इस इकाई के गुणक भी प्रबंधन बोर्ड द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं।
प्रवेश प्रक्रिया	:	प्रवेश हेतु मेरिट सूची (योग्यता सूची) किसी सरकारी बोर्ड या मान्यता प्राप्त समतुल्य बोर्ड की योग्यता परीक्षाओं के अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा यदि लागू हो तो किसी सरकार-अनुमोदित एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी, या जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 में निर्दिष्ट किया गया है।
शैक्षणिक वर्ष	:	शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, विश्वविद्यालय की वेबसाइट और सूचना पट्टों पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा चयनित उम्मीदवारों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों के परिणाम लंबित हैं, वे अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) से पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा दी गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दी जाएगी। प्रवेश निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है: 1. नियत तिथि तक शुल्क का भुगतान न किया गया हो। 2. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अधूरा हो। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न न हों।
पंजीयन	:	सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क के सत्यापन व जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीयन संख्या प्रदान की जाएगी।
शुल्क	:	पाठ्यक्रम शुल्क, उपयुक्त निकाय की पूर्व स्वीकृति से, प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।
पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना	:	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी, जो एनसीटीई के मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

परीक्षा उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम अंक एवं विभाजन का पुरस्कार	:	सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 35% अंक और कुल मिलाकर (एग्रीगेट) न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। द्वितीय श्रेणी: कुल मिलाकर 45% या उससे अधिक किंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। प्रथम श्रेणी: कुल मिलाकर 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रदान की जाएगी।
मूल्यांकन एवं परीक्षा	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
एटीकेटी हेतु पात्रता मानदंड	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
सामान्य	:	1. पाठ्यक्रम संबंधी सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, शैक्षणिक परिषद की सिफारिश पर, कुलपति छात्रों को पूर्व सूचना देते हुए, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम सामग्री समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है। 2. एनसीटीई के दिशानिर्देश और निर्देश, यदि कोई हों, इस अध्यादेश के प्रावधानों पर प्रभावी होंगे। 3. किसी भी विवाद का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किया जाएगा।

अध्यादेश – 27

बैचलर ऑफ लॉ (एलएलबी)

शीर्षक	:	बैचलर ऑफ लॉ (एलएलबी)
संकाय (फैकल्टी)	:	विधि
अवधि	:	तीन वर्ष (छह सेमेस्टर)
पात्रता	:	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण अथवा समकक्ष; प्रतिशत एवं आयु सीमा संबंधी मानदंड भारतीय विधि परिषद (बार काउंसिल ऑफ इंडिया – बीसीआई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होंगे।
सीटें	:	मूल इकाई 60 सीटों की होगी। इस इकाई के गुणक भी प्रबंधन बोर्ड द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं।
प्रवेश प्रक्रिया	:	प्रवेश हेतु मेरिट सूची (योग्यता सूची) किसी सरकारी बोर्ड की योग्यता परीक्षाओं के अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा यदि लागू हो तो किसी सरकार-अनुमोदित एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी, या जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 में निर्दिष्ट किया गया है।
शैक्षणिक वर्ष	:	शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, विश्वविद्यालय की वेबसाइट और सूचना पट्टों पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा चयनित उम्मीदवारों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों के परिणाम लंबित हैं, वे अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) से पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा दी गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दी जाएगी। प्रवेश निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है: 1. नियत तिथि तक शुल्क का भुगतान न किया गया हो। 2. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अधूरा हो। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न न हों।
पंजीयन	:	सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क के सत्यापन व जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीयन संख्या प्रदान की जाएगी।
शुल्क	:	पाठ्यक्रम शुल्क, उपयुक्त निकाय की पूर्व स्वीकृति से, प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।
पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना	:	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

परीक्षा उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम अंक एवं विभाजन का पुरस्कार	:	सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 35% अंक और कुल मिलाकर (एग्रीगेट) न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। द्वितीय श्रेणी: कुल मिलाकर 45% या उससे अधिक किंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। प्रथम श्रेणी: कुल मिलाकर 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रदान की जाएगी।
मूल्यांकन एवं परीक्षा	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
एटीकेटी हेतु पात्रता मानदंड	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
सामान्य	:	1. पाठ्यक्रम संबंधी सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, शैक्षणिक परिषद की सिफारिश पर, कुलपति छात्रों को पूर्व सूचना देते हुए, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम सामग्री समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है। 2. भारतीय विधि परिषद (बीसीआई) के दिशानिर्देश और निर्देश, यदि कोई हों, इस अध्यादेश के प्रावधानों पर प्रभावी होंगे। 3. किसी भी विवाद का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किया जाएगा।

अध्यादेश – 28

बैचलर ऑफ आर्ट्स एवं बैचलर ऑफ लॉ (बी.ए.एल.एल.बी.)

शीर्षक	:	बैचलर ऑफ आर्ट्स एण्ड बैचलर ऑफ लॉ (बी.ए.एलएलबी)
संकाय (फैकल्टी)	:	विधि
अवधि	:	पांच वर्ष (दस सेमेस्टर)
पात्रता	:	किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से किसी भी अनुशासन में उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण; प्रतिशत संबंधी मानदंड भारतीय विधि परिषद (बार काउंसिल ऑफ इंडिया – बीसीआई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होंगे।
सीटें	:	मूल इकाई 60 सीटों की होगी। इस इकाई के गुणक भी प्रबंधन बोर्ड द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं।
प्रवेश प्रक्रिया	:	प्रवेश हेतु मेरिट सूची (योग्यता सूची) किसी सरकारी बोर्ड या मान्यता प्राप्त समतुल्य बोर्ड की योग्यता परीक्षाओं के अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा यदि लागू हो तो किसी सरकार-अनुमोदित एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी, या जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 में निर्दिष्ट किया गया है।
शैक्षणिक वर्ष	:	शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, विश्वविद्यालय की वेबसाइट और सूचना पट्टों पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा चयनित उम्मीदवारों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों के परिणाम लंबित हैं, वे अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) से पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा दी गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दी जाएगी। प्रवेश निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है: 1. नियत तिथि तक शुल्क का भुगतान न किया गया हो। 2. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अधूरा हो। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न न हों।
पंजीयन	:	सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क के सत्यापन व जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीयन संख्या प्रदान की जाएगी।
शुल्क	:	पाठ्यक्रम शुल्क, उपयुक्त निकाय की पूर्व स्वीकृति से, प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।
पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना	:	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

परीक्षा उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम अंक एवं विभाजन का पुरस्कार	:	सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 35% अंक और कुल मिलाकर (एग्रीगेट) न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। द्वितीय श्रेणी: कुल मिलाकर 45% या उससे अधिक किंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। प्रथम श्रेणी: कुल मिलाकर 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रदान की जाएगी।
मूल्यांकन एवं परीक्षा	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
एटीकेटी हेतु पात्रता मानदंड	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
सामान्य	:	1. पाठ्यक्रम संबंधी सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, शैक्षणिक परिषद की सिफारिश पर, कुलपति छात्रों को पूर्व सूचना देते हुए, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम सामग्री समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है। 2. भारतीय विधि परिषद (बीसीआई) के दिशानिर्देश और निर्देश, यदि कोई हों, इस अध्यादेश के प्रावधानों पर प्रभावी होंगे। 3. किसी भी विवाद का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किया जाएगा।

अध्यादेश – 29

बैचलर ऑफ कॉमर्स और बैचलर ऑफ लॉ (बी.कॉम.एलएलबी)

शीर्षक	:	बैचलर ऑफ कॉमर्स एण्ड बैचलर ऑफ लॉ (बी.कॉम.एलएलबी)
संकाय (फैकल्टी)	:	विधि
अवधि	:	पांच वर्ष (दस सेमेस्टर)
पात्रता	:	किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से किसी भी अनुशासन में उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण; प्रतिशत संबंधी मानदंड भारतीय विधि परिषद (बार काउंसिल ऑफ इंडिया – बीसीआई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होंगे।
सीटें	:	मूल इकाई 60 सीटों की होगी। इस इकाई के गुणक भी प्रबंधन बोर्ड द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं।
प्रवेश प्रक्रिया	:	प्रवेश हेतु मेरिट सूची (योग्यता सूची) किसी सरकारी बोर्ड या मान्यता प्राप्त समतुल्य बोर्ड की योग्यता परीक्षाओं के अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा यदि लागू हो तो किसी सरकार-अनुमोदित एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी, या जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 में निर्दिष्ट किया गया है।
शैक्षणिक वर्ष	:	शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, विश्वविद्यालय की वेबसाइट और सूचना पट्टों पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा चयनित उम्मीदवारों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों के परिणाम लंबित हैं, वे अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) से पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा दी गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दी जाएगी। प्रवेश निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है: 1. नियत तिथि तक शुल्क का भुगतान न किया गया हो। 2. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अधूरा हो। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न न हों।
पंजीयन	:	सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क के सत्यापन व जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीयन संख्या प्रदान की जाएगी।
शुल्क	:	पाठ्यक्रम शुल्क, उपयुक्त निकाय की पूर्व स्वीकृति से, प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।
पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना	:	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

परीक्षा उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम अंक एवं विभाजन का पुरस्कार	:	सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 35% अंक और कुल मिलाकर (एग्रीगेट) न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। द्वितीय श्रेणी: कुल मिलाकर 45% या उससे अधिक किंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। प्रथम श्रेणी: कुल मिलाकर 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रदान की जाएगी।
मूल्यांकन एवं परीक्षा	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
एटीकेटी हेतु पात्रता मानदंड	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
सामान्य	:	1. पाठ्यक्रम संबंधी सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, शैक्षणिक परिषद की सिफारिश पर, कुलपति छात्रों को पूर्व सूचना देते हुए, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम सामग्री समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है। 2. भारतीय विधि परिषद (बीसीआई) के दिशानिर्देश और निर्देश, यदि कोई हों, इस अध्यादेश के प्रावधानों पर प्रभावी होंगे। 3. किसी भी विवाद का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किया जाएगा।

अध्यादेश – 30

बैचलर ऑफ साइंस एण्ड बैचलर ऑफ लॉ (बी.एससी.एलएलबी)

शीर्षक	:	बैचलर ऑफ साइंस एण्ड बैचलर ऑफ लॉ (बी.एससी.एलएलबी)
संकाय (फैकल्टी)	:	विधि
अवधि	:	पांच वर्ष (दस सेमेस्टर)
पात्रता	:	किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से किसी भी अनुशासन में उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण; प्रतिशत संबंधी मानदंड भारतीय विधि परिषद (बार काउंसिल ऑफ इंडिया – बीसीआई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होंगे।
सीटें	:	मूल इकाई 60 सीटों की होगी। इस इकाई के गुणक भी प्रबंधन बोर्ड द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं।
प्रवेश प्रक्रिया	:	प्रवेश हेतु मेरिट सूची (योग्यता सूची) किसी सरकारी बोर्ड या मान्यता प्राप्त समतुल्य बोर्ड की योग्यता परीक्षाओं के अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा यदि लागू हो तो किसी सरकार-अनुमोदित एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी, या जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 में निर्दिष्ट किया गया है।
शैक्षणिक वर्ष	:	शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, विश्वविद्यालय की वेबसाइट और सूचना पट्टों पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा चयनित उम्मीदवारों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों के परिणाम लंबित हैं, वे अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) से पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा दी गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दी जाएगी। प्रवेश निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है: 1. नियत तिथि तक शुल्क का भुगतान न किया गया हो। 2. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अधूरा हो। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न न हों।
पंजीयन	:	सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क के सत्यापन व जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीयन संख्या प्रदान की जाएगी।
शुल्क	:	पाठ्यक्रम शुल्क, उपयुक्त निकाय की पूर्व स्वीकृति से, प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।
पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना	:	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

परीक्षा उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम अंक एवं विभाजन का पुरस्कार	:	सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 35% अंक और कुल मिलाकर (एग्रीगेट) न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। द्वितीय श्रेणी: कुल मिलाकर 45% या उससे अधिक किंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। प्रथम श्रेणी: कुल मिलाकर 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रदान की जाएगी।
मूल्यांकन एवं परीक्षा	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
एटीकेटी हेतु पात्रता मानदंड	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
सामान्य	:	1. पाठ्यक्रम संबंधी सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, शैक्षणिक परिषद की सिफारिश पर, कुलपति छात्रों को पूर्व सूचना देते हुए, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम सामग्री समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है। 2. भारतीय विधि परिषद (बीसीआई) के दिशानिर्देश और निर्देश, यदि कोई हों, इस अध्यादेश के प्रावधानों पर प्रभावी होंगे। 3. किसी भी विवाद का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किया जाएगा।

अध्यादेश – 31

बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड बैचलर ऑफ लॉ (बी.बी.ए.एलएलबी)

शीर्षक	:	बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड बैचलर ऑफ लॉ (बी.बी.ए.एलएलबी)
संकाय (फैकल्टी)	:	विधि
अवधि	:	पांच वर्ष (दस सेमेस्टर)
पात्रता	:	किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से किसी भी अनुशासन में उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण; प्रतिशत संबंधी मानदंड भारतीय विधि परिषद (बार काउंसिल ऑफ इंडिया – बीसीआई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होंगे।
सीटें	:	मूल इकाई 60 सीटों की होगी। इस इकाई के गुणक भी प्रबंधन बोर्ड द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं।
प्रवेश प्रक्रिया	:	प्रवेश हेतु मेरिट सूची (योग्यता सूची) किसी सरकारी बोर्ड या मान्यता प्राप्त समतुल्य बोर्ड की योग्यता परीक्षाओं के अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा यदि लागू हो तो किसी सरकार-अनुमोदित एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी, या जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 में निर्दिष्ट किया गया है।
शैक्षणिक वर्ष	:	शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, विश्वविद्यालय की वेबसाइट और सूचना पट्टों पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा चयनित उम्मीदवारों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों के परिणाम लंबित हैं, वे अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) से पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा दी गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दी जाएगी। प्रवेश निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है: 1. नियत तिथि तक शुल्क का भुगतान न किया गया हो। 2. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अधूरा हो। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न न हों।
पंजीयन	:	सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क के सत्यापन व जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीयन संख्या प्रदान की जाएगी।
शुल्क	:	पाठ्यक्रम शुल्क, उपयुक्त निकाय की पूर्व स्वीकृति से, प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।
पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना	:	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

परीक्षा उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम अंक एवं विभाजन का पुरस्कार	:	सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 35% अंक और कुल मिलाकर (एग्रीगेट) न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। द्वितीय श्रेणी: कुल मिलाकर 45% या उससे अधिक किंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। प्रथम श्रेणी: कुल मिलाकर 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रदान की जाएगी।
मूल्यांकन एवं परीक्षा	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
एटीकेटी हेतु पात्रता मानदंड	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
सामान्य	:	1. पाठ्यक्रम संबंधी सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, शैक्षणिक परिषद की सिफारिश पर, कुलपति छात्रों को पूर्व सूचना देते हुए, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम सामग्री समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है। 2. भारतीय विधि परिषद (बीसीआई) के दिशानिर्देश और निर्देश, यदि कोई हों, इस अध्यादेश के प्रावधानों पर प्रभावी होंगे। 3. किसी भी विवाद का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किया जाएगा।

अध्यादेश – 32

मास्टर ऑफ लॉ (एलएलएम)

शीर्षक	:	मास्टर ऑफ लॉ (एलएलएम)
संकाय (फैकल्टी)	:	विधि
अवधि	:	दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
पात्रता	:	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उत्तीर्ण अथवा भारतीय विधि परिषद (बार काउंसिल ऑफ इंडिया – बीसीआई) द्वारा निर्धारित कोई समकक्ष पात्रता।
सीटें	:	मूल इकाई 40 सीटों की होगी। इस इकाई के गुणक भी प्रबंधन बोर्ड द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं।
प्रवेश प्रक्रिया	:	प्रवेश हेतु मेरिट सूची (योग्यता सूची) किसी सरकारी बोर्ड या मान्यता प्राप्त समतुल्य बोर्ड की योग्यता परीक्षाओं के अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा यदि लागू हो तो किसी सरकार-अनुमोदित एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी, या जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 में निर्दिष्ट किया गया है।
शैक्षणिक वर्ष	:	शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, विश्वविद्यालय की वेबसाइट और सूचना पट्टों पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा चयनित उम्मीदवारों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों के परिणाम लंबित हैं, वे अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) से पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा दी गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दी जाएगी। प्रवेश निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है: 1. नियत तिथि तक शुल्क का भुगतान न किया गया हो। 2. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अधूरा हो। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न न हों।
पंजीयन	:	सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क के सत्यापन व जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीयन संख्या प्रदान की जाएगी।
शुल्क	:	पाठ्यक्रम शुल्क, उपयुक्त निकाय की पूर्व स्वीकृति से, प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।
पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना	:	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

परीक्षा उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम अंक एवं विभाजन का पुरस्कार	:	सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 35% अंक और कुल मिलाकर (एग्रीगेट) न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। द्वितीय श्रेणी: कुल मिलाकर 45% या उससे अधिक किंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। प्रथम श्रेणी: कुल मिलाकर 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रदान की जाएगी।
मूल्यांकन एवं परीक्षा	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
एटीकेटी हेतु पात्रता मानदंड	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
सामान्य	:	1. पाठ्यक्रम संबंधी सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, शैक्षणिक परिषद की सिफारिश पर, कुलपति छात्रों को पूर्व सूचना देते हुए, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम सामग्री समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है। 2. भारतीय विधि परिषद (बीसीआई) के दिशानिर्देश और निर्देश, यदि कोई हों, इस अध्यादेश के प्रावधानों पर प्रभावी होंगे। 3. किसी भी विवाद का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किया जाएगा।

अध्यादेश – 33

पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन (पी.जी.डी.सी.ए.)

परिचय	:	यह एक वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम मजबूत व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान करेगा और उद्योग एवं कार्यालय से संबंधित कौशल विकसित करेगा। यह प्रोग्रामिंग, डेटाबेस और सॉफ्टवेयर विकास में गहन ज्ञान प्रदान करेगा।
शीर्षक	:	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन (पी.जी.डी.सी.ए.)
संकाय (फैकल्टी)	:	कंप्यूटर विज्ञान
अवधि	:	एक वर्ष (2 सेमेस्टर)
पात्रता	:	किसी भी अनुशासन में स्नातक डिग्री।
सीटें	:	मूल इकाई 60 सीटों की होगी। इस इकाई के गुणक को अतिरिक्त अनुभाग के रूप में भी स्थापित किया जा सकता है।
प्रवेश प्रक्रिया	:	प्रवेश हेतु मेरिट सूची (योग्यता सूची) किसी सरकारी बोर्ड या मान्यता प्राप्त समतुल्य बोर्ड की योग्यता परीक्षाओं के अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा यदि लागू हो तो किसी सरकार-अनुमोदित एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी, या जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 में निर्दिष्ट किया गया है।
शैक्षणिक वर्ष	:	शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रथम चक्र के प्रारंभ से पूर्व समाचार पत्रों, विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट एवं अन्य प्रचार माध्यमों में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट एवं विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों के परिणाम लंबित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) या उससे पूर्व पात्रता मानदंडों को पूरा करने के प्रमाण के रूप में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा प्रवेश हेतु आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। प्रवेश निम्नलिखित कारणों से भी अस्वीकार किया जा सकता है: 1. अधिसूचना के अनुसार शुल्क समय पर जमा नहीं किया गया है। 2. आवेदन पत्र अपूर्ण है। 3. प्रवेश हेतु आवश्यक सहायक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हैं। **नोट:** छात्र द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज एवं शुल्क जमा करने के सत्यापन के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीयन संख्या प्रदान की जाएगी।
शुल्क	:	पाठ्यक्रम शुल्क, उपयुक्त निकाय की पूर्व स्वीकृति से, प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।
कार्यक्रम संरचना	:	कार्यक्रम संरचना एवं अन्य विवरण विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से अधिसूचित किए जाएंगे।

अध्यादेश – 34

डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए.)

परिचय	:	यह एक वर्षीय कार्यक्रम नौकरियों के लिए कंप्यूटर दक्षता विकसित करेगा। यह एक अल्पकालिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम होगा जो मौलिक कंप्यूटर कौशल, बुनियादी प्रोग्रामिंग, डेटाबेस प्रबंधन और इंटरनेट की मूल बातें आदि प्रदान करेगा।
शीर्षक	:	डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए.)
संकाय (फैकल्टी)	:	कंप्यूटर विज्ञान
अवधि	:	एक वर्ष (2 सेमेस्टर)
पात्रता	:	एक उम्मीदवार जिसने किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से, या तो औपचारिक स्कूली शिक्षा के माध्यम से या मुक्त विद्यालय प्रणाली के माध्यम से, लेवल 4/कक्षा 12 की स्कूली शिक्षा या उसके समतुल्य उत्तीर्ण की है, वह विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होगा। प्रवेश यूजीसी और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए कार्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश नियमों एवं दिशानिर्देशों तथा विनियमों के अनुसार दिया जाएगा।
सीटें	:	मूल इकाई 60 सीटों की होगी। इस इकाई के गुणक को अतिरिक्त अनुभाग के रूप में भी स्थापित किया जा सकता है।
प्रवेश प्रक्रिया	:	प्रवेश हेतु मेरिट सूची (योग्यता सूची) किसी सरकारी बोर्ड या मान्यता प्राप्त समतुल्य बोर्ड की योग्यता परीक्षाओं के अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा यदि लागू हो तो किसी सरकार-अनुमोदित एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी, या जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 में निर्दिष्ट किया गया है।
शैक्षणिक वर्ष	:	शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रथम चक्र के प्रारंभ से पूर्व समाचार पत्रों, विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट एवं अन्य प्रचार माध्यमों में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट एवं विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों के परिणाम लंबित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) या उससे पूर्व पात्रता मानदंडों को पूरा करने के प्रमाण के रूप में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा प्रवेश हेतु आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। प्रवेश निम्नलिखित कारणों से भी अस्वीकार किया जा सकता है: 1. अधिसूचना के अनुसार शुल्क समय पर जमा नहीं किया गया है। 2. आवेदन पत्र अपूर्ण है। 3. प्रवेश हेतु आवश्यक सहायक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हैं। नोट: छात्र द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज एवं शुल्क जमा करने के सत्यापन के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीयन संख्या प्रदान की जाएगी।

शुल्क	:	पाठ्यक्रम शुल्क, उपयुक्त निकाय की पूर्व स्वीकृति से, प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।
कार्यक्रम संरचना	:	कार्यक्रम संरचना एवं अन्य विवरण विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से अधिसूचित किए जाएंगे।

अध्यादेश – 35

बैचलर ऑफ साइंस (बी.एससी.) इन रिहैबिलिटेशन साइंस

शीर्षक	:	बैचलर ऑफ साइंस (बी.एससी.) इन रिहैबिलिटेशन साइंस
संकाय (फैकल्टी)	:	पुनर्वास विज्ञान
अवधि	:	चार वर्ष (आठ सेमेस्टर) अथवा जैसा कि भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा निर्धारित किया जाए।
पात्रता	:	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समतुल्य से विज्ञान विषयों सहित उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
सीटें	:	मूल इकाई 60 सीटों की होगी अथवा जैसा कि भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा आवंटित किया जाए।
प्रवेश प्रक्रिया	:	प्रवेश हेतु मेरिट सूची (योग्यता सूची) किसी सरकारी बोर्ड या मान्यता प्राप्त समतुल्य बोर्ड की योग्यता परीक्षाओं के अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा यदि लागू हो तो किसी सरकार-अनुमोदित एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी, या जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 में निर्दिष्ट किया गया है।
शैक्षणिक वर्ष	:	शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, विश्वविद्यालय की वेबसाइट और सूचना पट्टों पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा चयनित उम्मीदवारों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों के परिणाम लंबित हैं, वे अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) से पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा दी गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दी जाएगी। प्रवेश निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है: 1. नियत तिथि तक शुल्क का भुगतान न किया गया हो। 2. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अधूरा हो। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न न हों।
पंजीयन	:	सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क के सत्यापन व जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीयन संख्या प्रदान की जाएगी।
शुल्क	:	पाठ्यक्रम शुल्क, उपयुक्त निकाय की पूर्व स्वीकृति से, प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।

पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना	:	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी, जो भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) के मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन करेगी।
परीक्षा उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम अंक एवं विभाजन का पुरस्कार	:	सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 35% अंक और कुल मिलाकर (एग्रीगेट) न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। द्वितीय श्रेणी: कुल मिलाकर 45% या उससे अधिक किंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। प्रथम श्रेणी: कुल मिलाकर 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रदान की जाएगी।
मूल्यांकन एवं परीक्षा	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
एटीकेटी हेतु पात्रता मानदंड	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
सामान्य	:	1. पाठ्यक्रम संबंधी सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, शैक्षणिक परिषद की सिफारिश पर, कुलपति छात्रों को पूर्व सूचना देते हुए, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम सामग्री समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है। 2. भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) के दिशानिर्देश और निर्देश, यदि कोई हों, इस अध्यादेश के प्रावधानों पर प्रभावी होंगे। 3. किसी भी विवाद का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किया जाएगा।

अध्यादेश – 36

मास्टर ऑफ साइंस (एम.एससी.) इन रिहैबिलिटेशन साइंस

शीर्षक	:	मास्टर ऑफ साइंस (एम.एससी.) इन रिहैबिलिटेशन साइंस
संकाय (फैकल्टी)	:	पुनर्वास विज्ञान
अवधि	:	दो वर्ष (चार सेमेस्टर) अथवा जैसा कि भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा निर्धारित किया जाए।
पात्रता	:	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान या स्वास्थ्य विज्ञान में स्नातक उत्तीर्ण अथवा भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा निर्धारित अनुसार।
सीटें	:	मूल इकाई 20 सीटों की होगी अथवा जैसा कि भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा आवंटित किया जाए।
प्रवेश प्रक्रिया	:	प्रवेश हेतु मेरिट सूची (योग्यता सूची) किसी सरकारी बोर्ड/विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त समतुल्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की योग्यता परीक्षाओं के अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा यदि लागू हो तो किसी सरकार-अनुमोदित एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी, या जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 में निर्दिष्ट किया गया है।
शैक्षणिक वर्ष	:	शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, विश्वविद्यालय की वेबसाइट और सूचना पट्टों पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा चयनित उम्मीदवारों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों के परिणाम लंबित हैं, वे अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) से पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा दी गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दी जाएगी। प्रवेश निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है: 1. नियत तिथि तक शुल्क का भुगतान न किया गया हो। 2. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अधूरा हो। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न न हों।
पंजीयन	:	सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क के सत्यापन व जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीयन संख्या प्रदान की जाएगी।
शुल्क	:	पाठ्यक्रम शुल्क, उपयुक्त निकाय की पूर्व स्वीकृति से, प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।

पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना	:	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी, जो भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) के मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन करेगी।
परीक्षा उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम अंक एवं विभाजन का पुरस्कार	:	सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 35% अंक और कुल मिलाकर (एग्रीगेट) न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। द्वितीय श्रेणी: कुल मिलाकर 45% या उससे अधिक किंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। प्रथम श्रेणी: कुल मिलाकर 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रदान की जाएगी।
मूल्यांकन एवं परीक्षा	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
एटीकेटी हेतु पात्रता मानदंड	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
सामान्य	:	1. पाठ्यक्रम संबंधी सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, शैक्षणिक परिषद की सिफारिश पर, कुलपति छात्रों को पूर्व सूचना देते हुए, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम सामग्री समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है। 2. भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) के दिशानिर्देश और निर्देश, यदि कोई हों, इस अध्यादेश के प्रावधानों पर प्रभावी होंगे। 3. किसी भी विवाद का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किया जाएगा।

अध्यादेश – 37

बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस (बी.लिब.आई.एससी.)

शीर्षक	:	बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस (बी.लिब.आई.एससी.)
संकाय (फैकल्टी)	:	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान
अवधि	:	एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
पात्रता	:	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी अनुशासन में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए।
सीटें	:	मूल इकाई 60 सीटों की होगी।
प्रवेश प्रक्रिया	:	प्रवेश हेतु मेरिट सूची (योग्यता सूची) किसी सरकारी बोर्ड/विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त समतुल्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की योग्यता परीक्षाओं के अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा यदि लागू हो तो किसी सरकार-अनुमोदित एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी, या जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 में निर्दिष्ट किया गया है।
शैक्षणिक वर्ष	:	शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, विश्वविद्यालय की वेबसाइट और सूचना पट्टों पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा चयनित उम्मीदवारों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों के परिणाम लंबित हैं, वे अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) से पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा दी गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दी जाएगी। प्रवेश निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है: 1. नियत तिथि तक शुल्क का भुगतान न किया गया हो। 2. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अधूरा हो। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न न हों।
पंजीयन	:	सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क के सत्यापन व जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीयन संख्या प्रदान की जाएगी।
शुल्क	:	पाठ्यक्रम शुल्क, उपयुक्त निकाय की पूर्व स्वीकृति से, प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।
पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना	:	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी, जो यूजीसी के मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

परीक्षा उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम अंक एवं विभाजन का पुरस्कार	:	सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 35% अंक और कुल मिलाकर (एग्रीगेट) न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। द्वितीय श्रेणी: कुल मिलाकर 45% या उससे अधिक किंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। प्रथम श्रेणी: कुल मिलाकर 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रदान की जाएगी।
मूल्यांकन एवं परीक्षा	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
एटीकेटी हेतु पात्रता मानदंड	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
सामान्य	:	1. पाठ्यक्रम संबंधी सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, शैक्षणिक परिषद की सिफारिश पर, कुलपति छात्रों को पूर्व सूचना देते हुए, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम सामग्री समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है। 2. यूजीसी के दिशानिर्देश और निर्देश, यदि कोई हों, इस अध्यादेश के प्रावधानों पर प्रभावी होंगे। 3. किसी भी विवाद का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किया जाएगा।

अध्यादेश – 38

मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस (एम.लिब.आई.एससी.)

शीर्षक	:	मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस (एम.लिब.आई.एससी.)
संकाय (फैकल्टी)	:	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान
अवधि	:	एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
पात्रता	:	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक (बी.लिब.आई.एससी./बी.लिब.एससी.) या समकक्ष योग्यता।
सीटें	:	मूल इकाई 20 सीटों की होगी।
प्रवेश प्रक्रिया	:	प्रवेश हेतु मेरिट सूची (योग्यता सूची) किसी सरकारी बोर्ड/विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त समतुल्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की योग्यता परीक्षाओं के अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा यदि लागू हो तो किसी सरकार-अनुमोदित एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी, या जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 में निर्दिष्ट किया गया है।
शैक्षणिक वर्ष	:	शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होगा। एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
चयन प्रक्रिया	:	विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, विश्वविद्यालय की वेबसाइट और सूचना पट्टों पर प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट और विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा चयनित उम्मीदवारों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों के परिणाम लंबित हैं, वे अनंतिम प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) से पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा दी गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दी जाएगी। प्रवेश निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है: 1. नियत तिथि तक शुल्क का भुगतान न किया गया हो। 2. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अधूरा हो। 3. प्रवेश के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न न हों।
पंजीयन	:	सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क के सत्यापन व जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को पंजीयन संख्या प्रदान की जाएगी।
शुल्क	:	पाठ्यक्रम शुल्क, उपयुक्त निकाय की पूर्व स्वीकृति से, प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।
पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना	:	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी, जो यूजीसी के मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

परीक्षा उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम अंक एवं विभाजन का पुरस्कार	:	सेमेस्टर के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 35% अंक और कुल मिलाकर (एग्रीगेट) न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। द्वितीय श्रेणी: कुल मिलाकर 45% या उससे अधिक किंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। प्रथम श्रेणी: कुल मिलाकर 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को प्रदान की जाएगी।
मूल्यांकन एवं परीक्षा	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
एटीकेटी हेतु पात्रता मानदंड	:	विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3 के अनुसार।
सामान्य	:	1. पाठ्यक्रम संबंधी सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, शैक्षणिक परिषद की सिफारिश पर, कुलपति छात्रों को पूर्व सूचना देते हुए, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम सामग्री समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है। 2. यूजीसी के दिशानिर्देश और निर्देश, यदि कोई हों, इस अध्यादेश के प्रावधानों पर प्रभावी होंगे। 3. किसी भी विवाद का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किया जाएगा।

अध्यादेश – 39

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी.)

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2022 के उपबंधों के अनुरूप)

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:

1.1 इस अध्यादेश को विश्वविद्यालय में पीएच.डी. प्रदान करने हेतु अध्यादेश कहा जा सकता है।

1.2 यह अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. परिभाषाएँ: इस अध्यादेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(i) **"अधिनियम"** से तात्पर्य छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 से है, जो समय-समय पर संशोधित होता रहे।

(ii) **"सहायक संकाय"** से तात्पर्य एक अंशकालिक या अनुबंधित प्रशिक्षक से है, जो पूर्णकालिक संकाय सदस्य नहीं है, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण हेतु नियुक्त किया जाता है।

(iii) **"क्रेडिट"** से तात्पर्य एक सेमेस्टर की अवधि में प्रति सप्ताह आवश्यक शिक्षण घंटों की संख्या से है। एक सेमेस्टर में तीन-क्रेडिट पाठ्यक्रम का अर्थ है प्रति सप्ताह तीन एक घंटे के व्याख्यान, जिसमें प्रत्येक एक घंटे के व्याख्यान को एक क्रेडिट के रूप में गिना जाता है।

(iv) **"आयोग"** से तात्पर्य यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से है।

(v) **"डिग्री"** से तात्पर्य किसी उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 22(3) के उपबंधों के अनुसार प्रदान की गई डिग्री से है।

(vi) **"बाह्य परीक्षक"** से तात्पर्य ऐसे शिक्षाविद् / शोधकर्ता से है जिसके पास प्रकाशित शोध कार्य है और जो उस विश्वविद्यालय का हिस्सा नहीं है जहां पीएच.डी. विद्वान ने पीएच.डी. कार्यक्रम में पंजीयन कराया है।

(vii) **"विदेशी शैक्षणिक संस्थान"** से तात्पर्य – (i) ऐसे संस्थान से है जो अपने गृह देश में विधिवत स्थापित या निगमित है और अपने गृह देश में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं उच्च स्तरों पर शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करता है और (ii) जो पारंपरिक प्रत्यक्ष (फेस-टू-फेस) मोड के माध्यम से डिग्री प्रदान करने वाले अध्ययन कार्यक्रम प्रदान करता है, लेकिन दूरस्थ, ऑनलाइन, ओडीएल मोड को छोड़कर।

(viii) **"सरकार"** से तात्पर्य छत्तीसगढ़ सरकार से है।

(ix) **"निर्देशक/शोध पर्यवेक्षक"** से तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा पीएच.डी. विद्वान के शोध का पर्यवेक्षण करने हेतु मान्यता प्राप्त शिक्षाविद्/शोधकर्ता से है।

(x) **"उच्च शिक्षा संस्थान"** से तात्पर्य उन उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) से है जो यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 22 के अनुसार स्वयं या अपने संबद्ध विश्वविद्यालयों के माध्यम से डिग्री प्रदान करने के लिए सशक्त हैं।

(xi) **"अंत:विषयक/बहु-विषयक अनुसंधान"** से तात्पर्य पीएच.डी. विद्वान द्वारा दो या अधिक शैक्षणिक विषयों में किए गए अनुसंधान से है।

(xii) **"ऑनलाइन पाठ्यक्रम या ऑनलाइन मोड"** का वही अर्थ है जो यूजीसी (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम एवं ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम 2020 के तहत परिभाषित है।

(xiii) **"साहित्यिक चोरी"** से तात्पर्य किसी अन्य के कार्य या विचार को अपना बताकर प्रस्तुत करने की प्रथा से है।

(xiv) **"कार्यक्रम"** से तात्पर्य यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 22 की उप-धारा (3) के तहत आयोग द्वारा निर्दिष्ट डिग्री के लिए किए जाने वाले उच्च शिक्षा कार्यक्रम से है।

(xv) **"प्रॉस्पेक्टस"** से तात्पर्य किसी भी दस्तावेज से है, चाहे वह मुद्रित हो या अन्यथा, जो विश्वविद्यालय द्वारा आम जनता (जिसमें विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले भी शामिल हैं) को विश्वविद्यालय एवं कार्यक्रमों से संबंधित निष्पक्ष एवं पारदर्शी जानकारी प्रदान करने के लिए जारी किया जाता है।

(xvi) **"शोध प्रस्ताव"** से तात्पर्य एक संक्षिप्त विवरण से है जो प्रस्तावित शोध कार्य की रूपरेखा देता है, जिसे पीएच.डी. विद्वान पीएच.डी. कार्यक्रम में पंजीयन हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा।

(xvii) **"सेमेस्टर"** से तात्पर्य लगभग 6 माह की अवधि में फैले शैक्षणिक सत्र से है, जिसकी अवधि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एवं घोषित की जाएगी।

(xviii) **"विश्वविद्यालय"** से तात्पर्य कृष्णा विकास ग्लोबल यूनिवर्सिटी, रायपुर से है।

3. डिग्री का प्रदान:

विश्वविद्यालय के अनुमोदित संकायों के सभी विषयों में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी.) की डिग्री प्रदान की जा सकती है।

4. पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता मानदंड:

निम्नलिखित पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे:

(क) ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने पूरा किया है:

4-वर्षीय/8-सेमेस्टर स्नातक कार्यक्रम के बाद 1-वर्षीय/2-सेमेस्टर मास्टर डिग्री कार्यक्रम या 3-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के बाद 2-वर्षीय/4-सेमेस्टर मास्टर डिग्री कार्यक्रम या मास्टर डिग्री के समकक्ष घोषित योग्यताएँ, जिसमें कुल मिलाकर न्यूनतम 55% अंक या जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली लागू है, वहाँ बिंदु पैमाने (पॉइंट स्केल) पर

समकक्ष ग्रेड हो, या किसी मूल्यांकन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समकक्ष योग्यता हो, जो उसके गृह देश के कानून के तहत स्थापित या निगमित किसी प्राधिकारी या उस देश के किसी अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा शैक्षणिक संस्थान की गुणवत्ता और मानकों का आकलन, प्रत्यायन या आश्वासन करने के लिए अनुमोदित, मान्यता प्राप्त या अधिकृत हो।

एससी/एसटी/ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर)/दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) तथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्णयानुसार अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 5% अंकों या समकक्ष ग्रेड की छूट दी जा सकती है।

बशर्ते कि 4-वर्षीय/8-सेमेस्टर स्नातक कार्यक्रम के बाद प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवार को कुल मिलाकर न्यूनतम 75% अंक या जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली लागू है, वहाँ बिंदु पैमाने पर समकक्ष ग्रेड होना चाहिए। एससी/एसटी/ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर)/दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) तथा यूजीसी/सरकार द्वारा समय-समय पर निर्णयानुसार अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 5% अंकों या समकक्ष ग्रेड की छूट दी जा सकती है।

(ख) ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने एम.फिल. कार्यक्रम कुल मिलाकर न्यूनतम 55% अंक या जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली लागू है, वहाँ बिंदु पैमाने पर समकक्ष ग्रेड के साथ पूरा किया है, या किसी मूल्यांकन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समकक्ष योग्यता है, जो उसके गृह देश के कानून के तहत स्थापित या निगमित किसी प्राधिकारी या उस देश के किसी अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता और मानकों का आकलन, प्रत्यायन या आश्वासन करने के लिए अनुमोदित, मान्यता प्राप्त या अधिकृत हो, पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

``एससी/एसटी/ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर)/दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) तथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्णयानुसार अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 5% अंकों या समकक्ष ग्रेड की छूट दी जा सकती है।

5. कार्यक्रम की अवधि:

(क) पीएच.डी. कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि, पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) सहित, पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से तीन (3) वर्ष और अधिकतम अवधि छह (6) वर्ष होगी।

(ख) इस अध्यादेश के उपबंधों के अनुसार पुनः पंजीयन (री-रजिस्ट्रेशन) की प्रक्रिया के माध्यम से अधिकतम अतिरिक्त दो (2) वर्ष दिए जा सकते हैं; हालाँकि, पीएच.डी. कार्यक्रम पूरा करने की कुल अवधि पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से आठ (8) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

बशर्ते कि, महिला पीएच.डी. विद्वानों और दिव्यांग व्यक्तियों (40% से अधिक दिव्यांगता) को अतिरिक्त दो (2) वर्ष की छूट दी जा सकती है; हालाँकि, ऐसे मामलों में पीएच.डी. कार्यक्रम पूरा करने की कुल अवधि पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से दस (10) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ग) महिला पीएच.डी. विद्वानों को पीएच.डी. कार्यक्रम की पूरी अवधि में अधिकतम 240 दिनों का मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश दिया जा सकता है।

(घ) पूर्णकालिक मोड के पीएच.डी. विद्वान को शोध केंद्र में कम से कम 300 दिनों की उपस्थिति रखनी होगी और यह शोध पर्यवेक्षक और/या सह-पर्यवेक्षक द्वारा प्रमाणित होगी।

बशर्ते कि अंशकालिक मोड के पीएच.डी. विद्वान को शोध-प्रबंध (थीसिस) जमा करने तक प्रत्येक सेमेस्टर में संस्थान में पर्यवेक्षक और/या सह-पर्यवेक्षक के साथ न्यूनतम 30 संपर्क दिन व्यतीत करने होंगे।

6. विभागीय अनुसंधान समिति (डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी – डीआरसी):

(क) पीएच.डी. डिग्री से संबंधित सभी शैक्षणिक मामले एक विभागीय अनुसंधान समिति (डीआरसी) द्वारा संसाधित किए जाएंगे, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) संकाय/विभाग का प्रमुख – अध्यक्ष

(ii) संकाय/विभाग के वे सभी शिक्षक जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा पीएच.डी. पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त है।

(iv) समिति में डीआरसी के अध्यक्ष सहित कम से कम तीन सदस्य होंगे।

(iv) यदि मान्यता प्राप्त पीएच.डी. पर्यवेक्षकों की संख्या कम है, तो कुलपति अन्य/संबंधित विभागों से सदस्यों का नामांकन करेंगे।

(ख) डीआरसी की निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ होंगी:

(i) शोध प्रस्ताव की समीक्षा करना और शोध के विषय का अनुमोदन करना।

(ii) अध्ययन डिजाइन, शोध पद्धति और उन पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करना जिन्हें उसे करना होगा।

(iii) संबंधित आरएसी द्वारा प्रस्तुत पीएच.डी. विद्वान(विद्वानों) के शोध कार्य की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करना और उसका अनुमोदन करना।

(ग) प्रत्येक शोध विद्वान के लिए एक शोध सलाहकार समिति (रिसर्च एडवाइजरी कमेटी – आरएसी) होगी। पीएच.डी. विद्वान का शोध पर्यवेक्षक अन्य दो सदस्यों के साथ इस समिति का संयोजक होगा। यह समिति शोध प्रस्ताव की समीक्षा करेगी, विषय को अंतिम रूप देगी, शोध प्रोटोकॉल और अध्ययन डिजाइन के लिए मार्गदर्शन करेगी, पीएच.डी. विद्वान के शोध कार्य की प्रगति की समीक्षा करेगी और उसमें सहायता करेगी।

7. प्रवेश हेतु प्रक्रिया:

(क) पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा, जिसमें इस संबंध में यूजीसी/सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों/मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा।

(ख) पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश निम्नलिखित विधि का उपयोग करके किया जाएगा:

(i) विश्वविद्यालय उन छात्रों को प्रवेश दे सकता है जो यूजीसी-नेट/यूजीसी-सीएसआईआर नेट/गेट/सीईईडी और इसी प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के परीक्षणों/सरकारी स्तर के परीक्षणों में फेलोशिप के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, साक्षात्कार के आधार पर।

और/या

(ii) विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों को प्रवेश देना। प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा यूजीसी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए तैयार किया जाएगा (50% शोध पद्धति और 50% विषय-विशिष्ट)।

(iii) जिन छात्रों ने प्रवेश परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हैं, वे साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के पात्र हैं। एससी/एसटी/ओबीसी/दिव्यांग श्रेणी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) तथा आयोग/सरकार द्वारा समय-समय पर निर्णयानुसार अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए प्रवेश परीक्षा में 5% अंकों की छूट दी जाएगी।

(iv) विश्वविद्यालय उपलब्ध पीएच.डी. सीटों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले पात्र छात्रों की संख्या निर्धारित कर सकता है।

(v) सहायक आचार्यों (असिस्टेंट प्रोफेसर्स) के पद पर नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा आयोजित नेट और सेट/एसएलईटी को अर्हता प्राप्त करने वाले तथा पीएच.डी. प्रवेश के लिए नेट को अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के चयन के लिए, नेट स्कोर को 70% और साक्षात्कार में प्रदर्शन को 30% भारांक दिया जाएगा।

(vi) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों के चयन के लिए, प्रवेश परीक्षा को 70% और साक्षात्कार में प्रदर्शन को 30% भारांक दिया जाएगा।

(ग) विश्वविद्यालय संस्थान की वेबसाइट पर अग्रिम रूप से एक प्रॉस्पेक्टस अधिसूचित करेगा, जिसमें प्रवेश हेतु सीटों की संख्या, मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक के साथ उपलब्ध सीटों का विषय/अनुशासन-वार वितरण, प्रवेश के मानदंड, प्रवेश की प्रक्रिया, तथा उम्मीदवारों के लिए अन्य सभी प्रासंगिक जानकारी निर्दिष्ट होगी।

(घ) विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर सभी पीएच.डी. पर्यवेक्षकों की एक सूची (जिसमें पर्यवेक्षक का नाम, उसका पदनाम, तथा विभाग/संकाय निर्दिष्ट हो) तथा उनके अधीन प्रवेशित पीएच.डी. विद्वानों का विवरण (जिसमें पंजीकृत पीएच.डी. विद्वान का नाम, उसके शोध का विषय, तथा प्रवेश की तिथि निर्दिष्ट हो) रखेगा और इस सूची को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में अद्यतन (अपडेट) करेगा।

(ङ) डीआरसी, साक्षात्कार के दौरान उम्मीदवार की शोध रुचि, प्रति संकाय सदस्य विद्वानों की संख्या, पर्यवेक्षकों के बीच उपलब्ध विशेषज्ञता के आधार पर, उम्मीदवार और पर्यवेक्षक की आपसी सहमति से एक पात्र उम्मीदवार के लिए पर्यवेक्षक का आवंटन करेगी।

8. शोध पर्यवेक्षक का आवंटन:

विश्वविद्यालय का कोई भी स्थायी संकाय सदस्य जो प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हो, जिसके पास पीएच.डी. हो, और सहकर्मी-समीक्षित (पीयर-रिव्यूड) या संदर्भित (रेफरीड) पत्रिकाओं में कम से कम पांच शोध प्रकाशन हों, तथा विश्वविद्यालय का कोई भी स्थायी संकाय सदस्य जो सहायक प्रोफेसर (असिस्टेंट प्रोफेसर) के रूप में कार्यरत हो, जिसके पास पीएच.डी. डिग्री हो और सहकर्मी-समीक्षित या संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम तीन शोध प्रकाशन हों, शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मान्यता प्राप्त शोध पर्यवेक्षक अन्य संस्थानों में शोध विद्वानों का पर्यवेक्षण नहीं कर सकते, जहाँ वे केवल सह-पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा किसी संकाय सदस्य के पर्यवेक्षण में पीएच.डी. प्रदान किया जाना जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं है, इन विनियमों का उल्लंघन होगा।

केंद्र सरकार/सरकारी शोध संस्थानों में कार्यरत पीएच.डी. विद्वानों के लिए, जिनकी डिग्री विश्वविद्यालय द्वारा दी जाती है, ऐसे शोध संस्थानों के वैज्ञानिक जो प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर के समकक्ष हैं, यदि वे उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो उन्हें पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जा सकती है।

बशर्ते कि उन क्षेत्रों/अनुशासनों में जहां कोई या केवल सीमित संख्या में सहकर्मी-समीक्षित या संदर्भित पत्रिकाएँ हैं, विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति को शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता देने के लिए उपरोक्त शर्त में छूट दे सकता है, जिसके कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाएंगे।

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से, उसी संस्थान के उसी विभाग या अन्य विभागों, या अन्य संस्थानों से सह-पर्यवेक्षकों की अनुमति दी जा सकती है।

सहायक संकाय (एडजंक्ट फैकल्टी) सदस्य शोध पर्यवेक्षक के रूप में कार्य नहीं करेंगे और केवल सह-पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं।

(क) अंतःविषयक/बहु-विषयक शोध कार्य के मामले में, यदि आवश्यक हो, तो विभाग/संकाय/विश्वविद्यालय के बाहर से एक सह-पर्यवेक्षक नियुक्त किया जा सकता है।

(ख) एक पात्र प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर किसी भी समय क्रमशः आठ (8)/ छह (6)/ चार (4) पीएच.डी. विद्वानों तक का मार्गदर्शन कर सकते हैं।

(ग) किसी महिला पीएच.डी. विद्वान के विवाह या अन्य कारणों से स्थानांतरण के मामले में, शोध डेटा को उस उच्च शिक्षा संस्थान (एचईआई) में स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाएगी, जहाँ विद्वान स्थानांतरित होना चाहती है, बशर्ते कि अध्यादेश की अन्य सभी शर्तों का पालन किया जाए और शोध कार्य किसी वित्त पोषण एजेंसी से मूल संस्थान/पर्यवेक्षक को स्वीकृत परियोजना से संबंधित न हो। हालाँकि, ऐसी विद्वान पहले से किए गए शोध के भाग के लिए मूल संस्थान और पर्यवेक्षक को उचित श्रेय देगी।

(घ) सेवानिवृत्ति से पहले तीन वर्ष से कम की सेवा शेष रखने वाले संकाय सदस्यों को अपने पर्यवेक्षण में नए शोध विद्वान लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालाँकि, ऐसे संकाय सदस्य पहले से पंजीकृत पीएच.डी. विद्वानों का सेवानिवृत्ति तक पर्यवेक्षण जारी रख सकते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद सह-पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं, लेकिन 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद नहीं।

9. पीएच.डी. कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का प्रवेश:

(क) प्रत्येक पर्यवेक्षक खंड 8(ख) में निर्दिष्ट अनुमत पीएच.डी. विद्वानों की संख्या से अतिरिक्त, अतिरिक्त संख्या (सुपरन्यूमेरी) पर दो अंतर्राष्ट्रीय शोध विद्वानों तक का मार्गदर्शन कर सकता है।

(ख) विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के पीएच.डी. प्रवेश के लिए अपनी स्वयं की चयन प्रक्रिया निर्धारित करेगा, जिसमें इस संबंध में संबंधित वैधानिक/नियामक निकायों द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों/मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) किसी भी समय, एक संकाय सदस्य के अधीन, या तो पर्यवेक्षक या सह-पर्यवेक्षक के रूप में, पीएच.डी. विद्वानों की कुल संख्या खंड 8(ख) और 9(क) में निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होगी।

10. पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क):

क्रेडिट आवश्यकताएं, संख्या, अवधि, पाठ्यक्रम, पूरा करने के लिए न्यूनतम मानक आदि।

(क) पीएच.डी. पाठ्यक्रम कार्य के लिए क्रेडिट आवश्यकता "शोध एवं प्रकाशन नैतिकता" (रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स) सहित न्यूनतम 12 क्रेडिट है। पाठ्यक्रम कार्य में शोध पद्धति शामिल होनी चाहिए, जिसमें कंप्यूटर अनुप्रयोग शामिल हो सकते हैं। पाठ्यक्रम सामग्री संबंधित विषय के अध्ययन बोर्ड (बोर्ड ऑफ स्टडीज) द्वारा डिजाइन की जाएगी।

(ख) डीआरसी पीएच.डी. पाठ्यक्रम कार्य के लिए क्रेडिट आवश्यकताओं के भाग के रूप में यूजीसी मान्यता प्राप्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की भी सिफारिश कर सकती है।

(ग) सभी पीएच.डी. विद्वान, विषय की परवाह किए बिना, अपने डॉक्टरेट काल के दौरान अपने चुने हुए पीएच.डी. विषय से संबंधित शिक्षण/शिक्षा/शिक्षाशास्त्र/लेखन में प्रशिक्षण लेंगे। पीएच.डी. विद्वानों को ट्यूटोरियल या प्रयोगशाला कार्य तथा मूल्यांकन करने के लिए प्रति सप्ताह 4-6 घंटे का शिक्षण/अनुसंधान सहायक (टीचिंग/रिसर्च असिस्टेंटशिप) कार्य भी सौंपा जा सकता है।

(घ) पहले से एम.फिल. डिग्री धारक या जिन्होंने पहले से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम.फिल. या प्री-पीएच.डी. में पाठ्यक्रम कार्य पूरा कर लिया है, जिसमें विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के समकक्ष आवश्यक क्रेडिट अर्जित किए हैं, उन्हें डीआरसी द्वारा पीएच.डी. पाठ्यक्रम कार्य से छूट दी जा सकती है।

(ङ) एक पीएच.डी. विद्वान को कार्यक्रम में जारी रहने और अपना शोध-प्रबंध (थीसिस) जमा करने के लिए पात्र होने हेतु पाठ्यक्रम कार्य में न्यूनतम 55% अंक या यूजीसी 10-बिंदु पैमाने (10-पॉइंट स्केल) में समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना होगा।

(च) पर्यवेक्षक की सिफारिश और डीआरसी की स्वीकृति पर, उम्मीदवार विश्वविद्यालय के भीतर या बाहर संबद्ध संकाय/विभाग में पाठ्यक्रम कार्य कर सकते हैं।

11. शोध डिग्री समिति (रिसर्च डिग्री कमेटी – आरडीसी) एवं उसके कार्य:

(क) एक शोध डिग्री समिति (आरडीसी) होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:

1. कुलपति या उनके नामांकित व्यक्ति
2. संकाय के अधिष्ठाता (डीन)
3. अध्ययन संकाय (स्कूल ऑफ स्टडीज) के विभाग/संकाय के प्रमुख
4. अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष / संबंधित विषय के वरिष्ठ संकाय सदस्य
5. विश्वविद्यालय प्रोफेसर / मान्यता प्राप्त संस्थान के निदेशक के स्तर का एक बाह्य विषय विशेषज्ञ, जिसे कुलपति द्वारा संबंधित अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दिए गए छह (6) विशेषज्ञों के पैनल में से नियुक्त किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ का कार्यकाल अध्ययन बोर्ड (बीओएस) की अवधि के साथ सह-अवधि (कोटर्मिनस) का होगा।

   एक बाह्य विशेषज्ञ और अन्य दो सदस्य गणपूर्ति (कोरम) का निर्माण करेंगे।

(ख) आरडीसी की बैठक संकाय/विभाग की आवश्यकता के अनुसार विश्वविद्यालय कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

विशेष परिस्थितियों में, कुलपति बाह्य विषय विशेषज्ञ को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑनलाइन बैठक में शामिल होने की अनुमति दे सकते हैं।

समिति डीआरसी द्वारा तैयार स्वीकृत पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक की सूची को उनकी विशेषज्ञता के साथ पुष्टि करेगी।

आरडीसी पीएच.डी. डिग्री के लिए उम्मीदवार के पंजीयन की औपचारिक सिफारिश करेगी। आरडीसी को डीआरसी द्वारा अग्रेषित सारांश (सिनोप्सिस) में (यदि आवश्यक हो) संशोधन/परिवर्तन सुझाने का अधिकार है।

12. छह मासिक प्रगति रिपोर्ट:

(क) प्रत्येक छह माह में, पीएच.डी. विद्वान डीआरसी के समक्ष एक प्रस्तुति देने और अपने कार्य की प्रगति पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होगा। डीआरसी अपनी सिफारिश पीएच.डी. विद्वान की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति के साथ विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगी।

(ख) यदि पीएच.डी. विद्वान की प्रगति असंतोषजनक है, तो डीआरसी इसके कारणों को दर्ज करेगी और सुधारात्मक उपाय सुझाएगी। यदि पीएच.डी. विद्वान इन सुधारात्मक उपायों को लागू करने में विफल रहता है, तो डीआरसी विशिष्ट कारणों के साथ पीएच.डी. कार्यक्रम से पीएच.डी. विद्वान का पंजीयन रद्द करने की सिफारिश कर सकती है।

13. शोध-प्रबंध (थीसिस) के सारांश (समरी) का प्रस्तुतीकरण:

(क) शोध-प्रबंध/थीसिस जमा करने से पूर्व, पीएच.डी. विद्वान डीआरसी के समक्ष एक प्रस्तुति देगा, जो सभी संकाय सदस्यों और अन्य शोध विद्वानों के लिए भी खुली होगी, ताकि प्रतिक्रिया और टिप्पणियाँ प्राप्त की जा सकें, जिन्हें पर्यवेक्षक की सलाह पर मसौदा शोध-प्रबंध में शामिल किया जा सकता है।

(ख) पीएच.डी. विद्वान को शोध-प्रबंध जमा करने से पहले कम से कम दो शोध पत्र प्रकाशित करने होंगे, जिनमें से एक यूजीसी केयर लिस्ट/स्कोपस/डब्ल्यूओएस में सूचीबद्ध पत्रिका में और एक सहकर्मी-समीक्षित (पीयर-रिव्यूड)/संदर्भित (रेफरीड) पत्रिका में प्रकाशित हो, तथा सम्मेलनों/सेमिनारों में दो पत्र प्रस्तुतियाँ देनी होंगी।

(ग) विश्वविद्यालय के पास यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट अनुसार शोध कार्य में साहित्यिक चोरी (प्लेजियरिज्म) का पता लगाने के लिए सुपरिभाषित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का उपयोग करने की एक प्रणाली होगी, और शोध अखंडता (रिसर्च इंटीग्रिटी) पीएच.डी. डिग्री प्रदान करने वाली सभी शोध गतिविधियों का एक अभिन्न अंग होगी।

(घ) एक पीएच.डी. विद्वान मूल्यांकन के लिए कार्य के सारांश की तीन प्रतियाँ और शोध-प्रबंध (थीसिस) की तीन प्रतियाँ (क) यह घोषणा (अंडरटेकिंग) कि कोई साहित्यिक चोरी नहीं है, और (ख) शोध पर्यवेक्षक से एक प्रमाण पत्र जो शोध-प्रबंध की मौलिकता की पुष्टि करता है और यह प्रमाणित करता है कि शोध-प्रबंध किसी अन्य विश्वविद्यालय को किसी अन्य डिग्री/डिप्लोमा के पुरस्कार के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है, के साथ प्रस्तुत करेगा।

(ङ) पीएच.डी. शोध-प्रबंध की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति जमा करना पीएच.डी. शोध-प्रबंध जमा करने के समय अनिवार्य होगा।

14. मूल्यांकन एवं आकलन विधियाँ, डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक/क्रेडिट आदि:

(क) पर्यवेक्षक संबंधित शोध क्षेत्र में सक्रिय रूप से लगे एसोसिएट प्रोफेसर के पद से नीचे के न होने वाले कम से कम छह परीक्षकों के नामों का एक पैनल प्रस्तुत करेगा। पर्यवेक्षक से परीक्षकों का पैनल और उम्मीदवार से कार्य का सारांश प्राप्त होने पर, कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक इस उद्देश्य के लिए कुलपति द्वारा गठित परीक्षा समिति (संकाय के अधिष्ठाता, अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष, विभाग/संकाय के प्रमुख) की बैठक बुलाएगा। समिति, पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तुत पैनल पर विचार करते हुए, परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए छह नामों का एक पैनल तैयार करेगी। कुलपति समिति द्वारा अनुशंसित पैनल और पर्यवेक्षक के पैनल दोनों में से दो परीक्षकों की नियुक्ति करेंगे।

एक पीएच.डी. विद्वान द्वारा जमा किया गया पीएच.डी. शोध-प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया जाएगा जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हों। ऐसे परीक्षक ऐसे शिक्षाविद् होंगे जिनके पास उस क्षेत्र में विद्वत्तापूर्ण प्रकाशनों का अच्छा रिकॉर्ड हो। बाह्य परीक्षकों में से एक को राज्य के बाहर से और जहाँ भी संभव हो, भारत के बाहर से चुना जाना चाहिए।

यदि दोनों बाह्य परीक्षक उनके द्वारा सुझाई गई किसी भी सुधार को शामिल करने के बाद शोध-प्रबंध को स्वीकार करने की सिफारिश करते हैं, तो शोध-प्रबंध का बचाव करने के लिए पीएच.डी. विद्वान की मौखिक परीक्षा (वाइवा वोस) आयोजित की जाएगी।

यदि बाह्य परीक्षकों में से एक अस्वीकृति की सिफारिश करता है, तो विश्वविद्यालय शोध-प्रबंध को परीक्षकों के स्वीकृत पैनल में से किसी अन्य बाह्य परीक्षक को भेजेगा, और मौखिक परीक्षा तभी आयोजित की जाएगी जब वैकल्पिक परीक्षक शोध-प्रबंध को स्वीकार करने की सिफारिश करता है।

यदि वैकल्पिक परीक्षक शोध-प्रबंध को स्वीकार करने की सिफारिश नहीं करता है, तो शोध-प्रबंध अस्वीकृत कर दिया जाएगा, और पीएच.डी. विद्वान को पीएच.डी. के पुरस्कार के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

मौखिक परीक्षा बोर्ड में विषय में आरडीसी के अध्यक्ष, शोध पर्यवेक्षक और दो बाह्य परीक्षकों में से कम से कम एक शामिल होगा। मौखिक परीक्षा शोध डिग्री समिति (आरडीसी) के सभी सदस्यों/संकाय सदस्यों/शोध विद्वानों, छात्रों और अन्य इच्छुक शिक्षाविदों के लिए खुली होगी।

(ख) विश्वविद्यालय, मौखिक परीक्षा के परिणाम की घोषणा सहित, पीएच.डी. शोध-प्रबंध के मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया, शोध-प्रबंध जमा करने की तिथि से छह (6) माह की अवधि के भीतर पूरी करेगा।

15. मौखिक परीक्षा (वाइवा वोस):

मौखिक परीक्षा विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग/विषय के अध्ययन संकाय या विश्वविद्यालय द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किसी स्थान पर आयोजित की जाएगी। मौखिक परीक्षा की तिथि, समय और स्थान की सूचना कुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर कम से कम एक सप्ताह पूर्व दी जाएगी। मौखिक परीक्षा के समय, परीक्षक बोर्ड को बाह्य परीक्षकों की रिपोर्टें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिन्हें मौखिक परीक्षा की रिपोर्ट के साथ कुलसचिव को वापस कर दिया जाएगा। बाह्य परीक्षक, आंतरिक परीक्षक और डीआरसी अध्यक्ष औपचारिकताएँ पूरी करेंगे और रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

16. अंशकालिक मोड के माध्यम से पीएच.डी.:

(क) अंशकालिक मोड के माध्यम से पीएच.डी. कार्यक्रम की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इन विनियमों में निर्धारित सभी शर्तें पूरी हों।

(ख) विश्वविद्यालय अंशकालिक पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए उस संगठन के उपयुक्त प्राधिकारी से, जहाँ उम्मीदवार कार्यरत है, उम्मीदवार के माध्यम से एक "अनापत्ति प्रमाण पत्र" (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) प्राप्त करेगा, जिसमें स्पष्ट रूप से निम्नलिखित बताया गया हो:

- उम्मीदवार को अंशकालिक आधार पर अध्ययन करने की अनुमति है।
- उसकी आधिकारिक ड्यूटियाँ उसे अनुसंधान के लिए पर्याप्त समय समर्पित करने की अनुमति देती हैं।
- यदि आवश्यक हो, तो उसे पाठ्यक्रम कार्य पूरा करने के लिए ड्यूटी से रिहा कर दिया जाएगा।

17. अनंतिम प्रमाण पत्र (प्रोविजनल सर्टिफिकेट) जारी करना:

पीएच.डी. डिग्री के वास्तविक पुरस्कार से पूर्व, विश्वविद्यालय उम्मीदवार को इस आशय का एक अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करेगा कि पीएच.डी. इस अध्यादेश के उपबंधों के अनुसार प्रदान की जा रही है।

18. पर्यवेक्षक का परिवर्तन:

उम्मीदवार को विशेष परिस्थितियों में डीआरसी या कुलपति द्वारा इस उद्देश्य हेतु गठित समिति की सिफारिश पर, कुलपति द्वारा पर्यवेक्षक बदलने की अनुमति दी जा सकती है। पर्यवेक्षक के परिवर्तन के कारण शोध के विषय में कोई प्रमुख परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

19. इन्फ्लिबनेट (INFLIBNET) के साथ जमा:

मूल्यांकन प्रक्रिया के सफल समापन के बाद और पीएच.डी. डिग्री(डिग्रियों) के पुरस्कार की घोषणा से पहले, विश्वविद्यालय पीएच.डी. शोध-प्रबंध की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति इन्फ्लिबनेट को जमा करेगा, ताकि इसे सभी उच्च शिक्षा संस्थानों और शोध संस्थानों के लिए सुलभ बनाया जा सके।

20. शब्दों और अभिव्यक्तियों की परिभाषा:

इस अध्यादेश में प्रयुक्त किंतु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियाँ, जो पीएच.डी. डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया हेतु यूजीसी विनियम 2022 में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो यूजीसी (पीएच.डी. डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम 2022 में उन्हें प्रदत्त किए गए हैं।

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13 मई 2026

क्रमांक GENS/20989/2026/38-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13–05–2026 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार मिश्रा, उप–सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 13th May 2026

NOTIFICATION

No. GENS/20989/2026/38-2.— Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 10816 / कृ.वि.ग्लो.यू. / प्र.परि. / प्र.अ. / 2026 / 23959, Dated 6-5-2026 has approved the subsequent Statute No. 01 to 25 and Ordinance No. 01 to 39 of Krishna Vikas Global University, Raipur Under Section 26(5) and Section 28(4) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

2. The State Government hereby gives its approval for notification of these Statute and Ordinance in Official Gazette.

3. The above Statute and Ordinance shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR MISHRA, Deputy Secretary.

KRISHNA VIKAS GLOBAL UNIVERSITY, RAIPUR

[Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act 2005, Vide Amendment Act 2025 (No. 13 of 2025)]

FIRST STATUTES

In exercise of the power conferred by sub section (2) of section 26 of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act 2005, the Governing Body of Krishna Vikas Global University, Raipur makes the following First Statutes;

SHORT TITLE, SCOPE, AND COMMENCEMENT

(1) The Statutes shall be called the First Statutes of Krishna Vikas Global University, Raipur.

(2) These Statutes shall come into force with effect from the date of the notification in the state Gazette of Chhattisgarh.

(3) The first statutes have been framed under section 26 of the Chhattisgarh Private University (Establishment & Operations) Act, 2005.

(4) The "Statutes" means the Statutes of the University.

(5) Nothing in these Statutes shall be deemed to debar the University from amending the Statutes subsequently according to the provision of Section 27 of the Act and the amended Statutes, if any, shall be applicable with immediate or retrospective or prospective effect from such a date as prescribed in the notification.

DEFINITIONS

In these Statutes, unless the context otherwise requires:

(1) "**Act**" means the "Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005". All words and expressions defined in the Act and the Rules shall have the meaning respectively assigned to them in the Act and the Rules.

(2) "**Academic Year**" means nearly twelve months duration devoted to the completion of requirements specified in the scheme and curriculum of the concerned Academic Programme(s) and apportioned into "terms/semester" as stipulated in the Ordinances.

(3) "**Board of Studies**" means the Board of Studies of the University in a subject concerned.

(4) "**CGPURC**" means 'Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission.

(5) "**Commission**" means the University Grants Commission.

(6) "**Convocation**" means the Convocation of the University.

(7) "**Course**" means prescribed` area(s) or course(s) of study or programme(s) and /or any other component(s) leading to the conferment or award of degree, diploma, certificate or any other academic distinction or title of the University.

(8) "**Employee**" means any person working on the payroll of the university.

(9) "**Faculty**" means the Faculty of the University.

(10) **"Government"** means Government of Chhattisgarh.

(11) "**Programme**" or "**Programme of study**" means a higher education programme pursued for a degree specified by the Commission under sub-section (3) of section 22 of the UGC Act, 1956.

(12) "**Regular Education**" means and includes delivering instruction, teaching, learning, education, and related activities directly by the teachers to students in classes or otherwise at the University campus.

(13) "**Regulation**" means Regulations of the University.

(14) "**Rules**" means the "Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Rules, 2005".

(15) "**Scheme and Curriculum**" means and includes nature, duration, pedagogy, syllabus, eligibility, and other related details (by whatever name it may be called) for the concerned course(s) of the University.

(16) "**Seal**" means the common Seal of the University.

(17) "**Subject/course**" means the basic unit(s) of instruction, teaching, training, research, etc., by whatever name it may be called, as prescribed under the scheme and curriculum.

(18) "**University**" means Krishna Vikas Global University, Raipur.

(19) "**Visitor**" means the Governor of the state of Chhattisgarh.

CONTENTS

STATUTE - 1.....

Objectives of the University.....

STATUTE - 2.....

University Seal and Emblems.....

STATUTE - 3.....

Visitor.....

STATUTE - 4.....

Appointment, Terms & Conditions and Powers of the Chancellor.....

STATUTE - 5.....

Appointment, Terms & Conditions and Powers of the Vice-Chancellor.....

STATUTE - 6.....

Appointment, Terms & Conditions and Powers of the Registrar.....

STATUTE - 7.....

Appointment, Terms & Conditions and Powers of the Chief Finance and Accounts Officer (CFAO).....

STATUTE - 8.....

Other Officers of the University.....

STATUTE - 9.....

Powers and Functions of Governing Body.....

STATUTE - 10.....

Powers and Functions of Board of Management.....

STATUTE - 11.....

Formation, Powers and Functions of Academic Council.....

STATUTE - 12.....

Powers and Functions of Finance Committee.....

STATUTE - 13.....

The Examination Council.....

STATUTE - 14.....

The Board of Studies.....

STATUTE - 15.....

Other Authorities.....

STATUTE - 16.....

Faculties and Courses / Subjects.....

STATUTE - 17.....

Appointment of Teachers & Other Academic Staff in the University.....

STATUTE - 18.....

Appointment of other Administrative and Non-Teaching Staff.....

STATUTE - 19.....

Conferment of Honorary Degree and Academic Distinctions.....

STATUTE - 20.....

Awards of Scholarship, Fellowship & Studentship.....

STATUTE - 21.....

Arbitration / Grievance Redressal Committee.....

STATUTE - 22.....

Removal of Academic Staff, Administrative Staff, and other Employees of the University.....

STATUTE - 23.....

Presumption of Lawful Exercise of Power.....

STATUTE - 24.....

Presumption of Validity of Act or Proceedings and Indemnity Against General Proceedings.....

STATUTE - 25.....

Convocation of the University .....

STATUTE - 1

Objectives of the University

[Refer to Section 3 of the CGPURC (Establishment and Operation) Act, 2005]

Apart from the objects of the University described in Section 3 of the Act, the University shall also have the following objects:

(1) To offer contemporary knowledge in Science, Technology, Pharmacy, Management and other relevant field of studies along with necessary skills.

(2) To carry out research and innovations for the betterment of the society and the Nation.

(3) To collaborate with other Universities, Research Institutions, Industries, Government and Non- Government Organizations towards fulfillment of the University's objectives.

(4) To pursue any other objective as may be approved by the Government based on the recommendations of the Regulatory Commission, from time to time.

STATUTE - 2

University Seal and Emblems

(1) The university shall have a common seal to be used for the purposes of the University and the design of the seal shall be as decided by the University, subject to further change or amendment as deemed necessary from time to time.

(2) The University may also decide to make and use such Flag, Anthem, Insignia, Vehicle Flag and other symbolic or graphic expressions, abbreviations or likewise, for such purposes as deemed necessary from time to time, and which are not of such nature that are not permitted by the State or the Central Government.

STATUTE - 3

Visitor

[Refer to Section 15 of the CGPURC (Establishment and Operation) Act, 2005]

(1) The Governor of Chhattisgarh shall be the Visitor of the University.

(2) The Visitor shall preside at the Convocation of the University to confer degrees and diplomas.

(3) All proposals regarding conferment of Honorary Degree and Academic Distinctions shall be placed before the Visitor for his final approval.

(4) The powers of the Visitor shall be such as may be prescribed in the Act, and amended time to time.

STATUTE - 4

Appointment, Terms & Conditions and Powers of the Chancellor

[Refer to Section 16 of the CGPURC (Establishment and Operation) Act, 2005]

(1) In accordance with the Act, the Chancellor shall be appointed by the sponsoring body for a period of three years with the prior approval of the Visitor. The sponsoring body shall, by simple majority, finalize the name of the Chancellor. The President / Secretary of the Sponsoring Body shall send the name, along with bio-data of the proposed Chancellor to the Visitor for approval. After the approval of the Visitor, the Chancellor shall be appointed by the Sponsoring Body.

(2) The Chancellor shall exercise powers as specified in Section 16 of the Act.

(3) The Chancellor shall hold office for a period of three years and shall be eligible for reappointment with the approval of the Visitor following the procedure laid down above under clause (1) of the Statute. Provided that the Chancellor shall, notwithstanding the expiring of the term, continue to hold his office until either he is reappointed or his successor enters upon his office.

(4) In case of an emergency like illness, absence or death of the Chancellor, the Vice-Chancellor shall perform his duties till the Chancellor reassumes his office or the new Chancellor is appointed.

(5) It shall be the duty of the Chancellor to ensure that the Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations are faithfully observed.

(6) The Chancellor shall exercise general control over the affairs of the University.

(7) The Chancellor shall be entitled to receive such honorarium, expenses and allowances as may be decided by the Sponsoring Body.

(8) In a special meeting called for the purpose, the Sponsoring Body may consider a “No Confidence Motion” against the Chancellor and, if passed by two third majority, can recommend to the Visitor for the removal of the Chancellor.

(9) The Chancellor may resign from his post/office by a handwritten letter of resignation addressed to the Visitor. The Chancellor shall cease to hold the office from the date on which his resignation is accepted.

STATUTE - 5

Appointment, Terms & Conditions and Powers of the Vice-Chancellor

[Refer to Section 17 of the CGPURC (Establishment and Operation) Act, 2005]

(1) The Vice-Chancellor will be the principal executive & academic officer of the University.

(2) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Visitor as laid down in Section 17 of the Act.

(3) The Visitor, on the advice of the Chancellor, shall appoint the First Vice Chancellor for a period of two years.

(4) The subsequent Vice-Chancellor shall hold office for a term of four years according to the provisions of clause (4) of Section 17 of the Act.

Provided that, on the expiry of term, the Vice-Chancellor may be eligible for appointment for another term.

Provided further that, in case of an emergency like illness, long absence, resignation or death of a Vice- Chancellor, the Chancellor shall assign the duties of the Vice-Chancellor to a senior Professor of the University. However, this period of interim arrangement shall not exceed more than six months.

(5) In addition to all such powers as described in section 17 of the Act, the Vice-Chancellor shall also exercise powers prescribed in the different Statutes.

(6) The Vice-Chancellor shall receive pay and other allowances as decided by the sponsoring body from time to time.

(7) The superannuation age of the Vice Chancellor shall be 70 years. He shall hold the office up to 70 years or till the expiry of his term, whichever is earlier.

(8) The qualification of the Vice Chancellor shall be such as may be decided by the UGC in its regulations from time to time.

(9) The Vice-Chancellor may resign by a handwritten letter addressed to the Visitor, while endorsing a copy of it to the Chancellor to this effect. The Vice-Chancellor shall cease to hold the office from the date on which his resignation is accepted.

STATUTE - 6

Appointment, Terms & Conditions and Powers of the Registrar

[Refer to Section 18 of the CGPURC (Establishment and Operation) Act, 2005]

(1) The Registrar shall be an officer of the University. All contracts shall be signed and all documents and records shall be authenticated by the Registrar on behalf of the University.

(2) The qualification for the post of Registrar shall be as per UGC norms

(3) The Registrar shall be a full-time salaried officer of the University and shall discharge his duties under general superintendence and control of the Vice-Chancellor.

(4) The appointment of the Registrar shall be made by the Governing Body on the recommendation of the selection committee constituted for the purpose. However, the first Registrar shall be appointed by the Sponsoring Body for a period of two years. The subsequent Registrars, other than the first Registrar, shall be appointed by the Governing Body on the recommendation of the Selection Committee constituted for the purpose. The Selection committee shall consist of:

(a) Vice-Chancellor – (Chairman)

(b) Nominee of the Chancellor

(c) Nominee of the Regulatory Commission

(d) Two members nominated by the Governing Body

(5) Selection of Registrar:

The University shall adopt the following procedure for selection of the Registrar:

(a) The University would invite applications for the post through the process of an advertisement in newspapers of wider circulation.

(b) A summary of all the candidates applied for the post shall be prepared by the Committee, consisting of three Professors of the University approved by the Governing Body for the purpose.

(c) The date of meeting of the Selection Committee will be fixed and a notice to this effect shall be given to the members of the Selection Committee at least 15 days in advance.

(d) The Selection Committee shall interview and adjudge the merit of each candidate and send its final recommendation to the Governing Body for its approval.

(e) If a suitable candidate is not found, subsequent advertisements shall be issued.

When the Office of the Registrar falls vacant or when the Registrar is, by reason of illness or long absence due to any other reason, unable to perform his duties of the office, the duties of the office shall be performed by such person as the Chancellor and/or Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(6) The Registrar shall receive pay and other allowances as approved by the Governing Body from time to time.

(7) The age of retirement of the Registrar shall be sixty-two years.

(8) Duties and Powers of the Registrar shall be:

(a) To maintain the records, the common property, and any such other property of the University as the Governing Body may decide.

(b) To conduct the official correspondences of the Governing Body, Board of Management, Academic Council and any other Body or Committee of which he is the Secretary.

(c) To issue notices conveying the dates of meeting of the University authorities to the members and to make necessary arrangements for the conduction of the meetings and for other duties assigned by the Board of Management from time to time, he shall render desired assistance.

(d) To provide the copies of the agenda of the meeting of the Governing Body, Academic Council, Board of Management, and such other Bodies which are formed under the direction of the Chancellor/Vice-Chancellor and to record the minutes and send the same to the Vice- Chancellor and Chancellor. He shall also make available all such papers, documents, and information as the Visitor/Chancellor/Vice-Chancellor may desire.

(e) To discharge all such functions as assigned to him by the Chancellor/Vice-Chancellor of the University.

(f) To supervise and control the work of the staff working in different offices/units of the University and writing their confidential report.

(g) To take disciplinary action, whenever needed, against the non-teaching employees of the University as prescribed in the Regulations.

(9) The Registrar may resign from his office addressing to the vice Chancellor of the University through a notice for the period of three months. He may cease to hold office from the date of acceptance of his resignation.

STATUTE - 7

Appointment, Terms & Conditions and Powers of the Chief Finance and Accounts Officer (CFAO)

[Refer to Section 19 of the CGPURC (Establishment and Operation) Act, 2005]

(1) The Chief Finance and Accounts Officer (CFAO) shall be an officer of the University responsible for handling accounts and finances of the University.

The qualification of CFAO shall be a chartered accountant or any other equivalent qualification. Persons with three years of experience as manager finance / account officer in any University / Institute / Organization shall also be eligible for the post.

(2) The CFAO shall be a full-time salaried officer of the University and shall discharge his duties under general superintendence and control of the Vice-Chancellor.

(3) The appointment of CFAO shall be made by the Chancellor on the recommendation of the selection committee constituted for the purpose. However, the first CFAO shall be appointed by the Chancellor for a period of two years. The subsequent CFAO, other than the first CFAO, shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the Selection Committee constituted for the purpose. The Selection Committee shall consist of:

(a) Vice-Chancellor – (Chairman)

(b) Nominee of the Chancellor

(c) Nominee of the Regulatory Commission

(d) Two expert members nominated by the Governing Body

(e) Registrar as Member Secretary

(4) Selection of CFAO:

The University shall adopt the following procedure for the selection of the CFAO:

(a) The University would invite applications for the post through the process of an advertisement in newspapers of wider circulation.

(b) A summary of all the candidates applied for the post shall be prepared by the Committee, consisting of three Professors of the University approved by the Governing Body for the purpose.

(c) The date of meeting of the Selection Committee will be fixed and communicated to the candidates and a notice shall also be given to the members of the Selection Committee at least 15 days in advance.

(d) The Selection Committee shall interview and adjudge the merit of each candidate and send its final recommendation to the Governing Body for it's approval.

(e) If suitable candidate is not found, subsequent advertisements shall be issued.

(f) When the Office of the CFAO falls vacant or when the CFAO is unable to perform

his duties of the office by reason of illness or long absence due to any other reason, the duties of the office shall be performed by such person as the Chancellor/Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(g) If any time upon representation made or otherwise, and after making such inquiry as may be deemed necessary, the situation warrants that the continuance of the CFAO is not in the interest of the University, the Vice-Chancellor may request the Chancellor, in writing stating the reasons therein, for the removal of the CFAO. The Chancellor shall put up the matter for consideration of the Governing Body whose decision shall be final.

Provided that before taking such action of the removal, the CFAO shall be given an opportunity of being heard.

(5) The CFAO shall receive pay and other allowances as decided by the Governing Body from time to time.

(6) The age of retirement of CFAO shall be sixty-two years.

(7) Duties of the CFAO shall be:

(a) To manage the Accounts and Funds of the University for maintaining the records properly and for regularly getting them audited.

(b) To supervise, control and regulate the working of Accounts and Finance of the University.

(c) To maintain the financial records and any such other finance-related records of the University as the Governing Body may decide.

(d) To discharge all such functions as assigned by the Chancellor/Vice-Chancellor of the University.

(8) The CFAO may resign by giving three months' notice to the Chancellor through the Vice Chancellor. He shall cease to hold office from the date of acceptance of his resignation.

STATUTE - 8

Other Officers of the University

[Refer to Section 20 of the CGPURC (Establishment and Operation) Act, 2005]

Pro-Vice Chancellor

(a) The Pro-Vice Chancellor shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the Vice- Chancellor of the University for a term of four years.

(b) The Pro-Vice-Chancellor shall be eligible for reappointment for subsequent terms by following the procedure as laid down above in the clause (1).

(c) In the absence of the Vice-Chancellor, the Pro-Vice Chancellor shall perform the duties of the Vice- Chancellor to dispose of routine matters of the University.

(d) The Pro-Vice Chancellor shall be eligible to receive pay and other allowances as decided by the Sponsoring Body from time to time.

(e) The Pro-Vice Chancellor shall perform his duty under the superintendence of the chancellor and the vice chancellor. He shall discharge any other academic and administrative duties specifically assigned by the Chancellor & Vice-Chancellor from time to time.

(f) The Pro-Vice Chancellor may tender his resignation by writing an application addressed to the Chancellor citing the reasons there in, at least a week in advance. He shall cease to hold the office from the date of the acceptance of his resignation.

Director General

1. The Director General of the University shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the sponsoring body generally for a term of three years.
2. The Director General may be reappointed for subsequent terms following the procedure laid down in clause (1) as above.
3. The Director General shall perform duties and functions as assigned to him by Chancellor / Sponsoring Body from time to time.
4. The Director General shall be eligible to receive pay and other allowances as decided by the Chancellor/ Sponsoring Body from time to time.
5. The Director General shall be responsible
   (a) To take note of the minutes of meeting of the Governing body and circulate the same to members.
   (b) On the instructions of the Chancellor to advise on the planning and development of the University, particularly in respect of the norms and standards of education, teaching and research in the University.
   (c) Keeping Vice chancellor in loop can recommend and apply for the membership

of other Institutions like Association of Indian Universities. Commonwealth Universities, Association of International Universities, India International Centre etc.

(d) to coordinate with the concerned Deans with regard to the collaboration with any University / Research Institutes in Indian as well as foreign countries.

(e) to handle the grants under various heads, including the grant for organization of Seminars / conferences / publications / travel grants/ Guest Lectures / Visiting Professors etc., out of the Teaching, Research & Development budget.

(f) to carry out any other function and responsibility as assigned by the Sponsoring Body/ Chancellor from time to time.

Dean Academic Affairs

1. The Dean Academic Affairs shall be appointed by the Vice-Chancellor of the University for a term of three years on the recommendation of the Chancellor.
2. The Dean Academic Affairs may be reappointed for subsequent terms following the same procedure as laid down in clause (1) as above.
3. The Dean Academic Affairs shall perform the duties and functions as assigned by the Vice-Chancellor from time to time.
4. The Dean Academic Affairs shall be eligible to receive pay and allowances as decided by the Sponsoring Body / Chancellor / Vice-Chancellor.
5. The Dean Academic Affairs shall be responsible

   (a) to coordinate and supervise the procedure of admission of students made by the various University Teaching Departments through Chairpersons.

   (b) to arrange the accommodation of all University classes, including evening classes. Diploma Courses, etc.

   (c) to get the Academic Calendars prepared and approved.

   (d) to coordinate with the Deans in respect of matters of inter-school.

   (e) to carry out any other function and duties as assigned by the Chancellor/ Vice-chancellor from time to time.

Dean Student's Welfare

1. The Dean Student's Welfare (DSW) shall be appointed by the Vice-Chancellor for a term of three years and shall be eligible for reappointment.

   Provided that notwithstanding the fact that his term of three years has not expired the Board of Management may, on a report from the Vice-Chancellor, terminate the appointment of Dean Students Welfare if it is satisfied that further continuance of the Dean Students Welfare will be detrimental to the cause for which he/she has been appointed or to the interest of the University.

2. Where the Dean, Student's Welfare is a full-time salaried officer, he/ she shall;
   a. possess at least a Master's degree in the second division in some subject along with Ph.D. degree and having about five years of experience teaching post-graduate classes or ten years of experience teaching degree classes, experience of guiding extra-curricular activities and understanding of student's problems.
   b. draw salary in the pay scale as decided by the Governing Body.
3. The Dean Student's Welfare, if appointed on full-time basis, from amongst the Teachers of the University shall continue to hold his/her lien on his/her substantive post and shall be eligible to all the benefits that would have otherwise accrued to him but for his appointment as Dean Student's Welfare.
4. The Dean Student's Welfare shall be entitled to leave, leave salary, allowances, provident fund, medical and other benefits as may be prescribed by Governing Body of the University for the Employees of the University.
5. i) The Dean Student's Welfare shall be the Adviser Cum Treasurer of the University Students Council.
   ii) Subject to the control of the Vice-Chancellor, the DSW shall
      a) make arrangements to ensure suitable housing facilities for students;
      b) arrange for employment of students in accordance with plans approved by the Vice- Chancellor;
      c) communicate with the guardians of the students concerning the welfare of students;
      d) obtain travel facilities for the students from competent authorities;
      e) assist the students in obtaining Scholarships, Studentships, etc. by giving them information relating thereto;
      f) perform such other duties as may be assigned to him from time to time by the Registrar with the approval of the Vice-Chancellor.

Controller of Examination

1. The Controller of Examination will be an officer of the University and shall be appointed by the Vice Chancellor from amongst the Teachers/Officers of the University.
2. When the office of the Controller of Examination is either vacant by reasons of either illness or absence for any other cause, unable to perform the duties of the office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice Chancellor may appoint any one among the teachers / officers for the purpose.
3. The Controller of Examination shall facilitate the conduct of Examination and all other necessary arrangements and execute all processes connected with examination and declaration of results after the approval from the competent Authority.

4. The powers and duties of the Controller of Examinations shall be the same as specified in the Regulations of the University.

Dean/Director of Schools

1. There shall be a Dean/Director for each School in the University.
2. The Dean/Director of the concerned school shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the Vice Chancellor for a term of four years among the Professors or based on merit of the available faculty of the concerned School.
3. The responsibilities of the Dean/Director of the School shall be as follows:
    a) The Dean/Director shall be responsible for the observance of the Statutes, the Ordinances and the Regulations relating to the schools.
    b) The Dean/Director shall be responsible for overall supervision and control of the organization and the conduct of teaching and research work in the schools.
    c) The Dean/Director shall exercise such other powers and perform such other functions and duties as may be assigned by the Governing Body/ Chancellor/Vice-Chancellor.

Considering smooth functioning and administrative requirements, the University may create some additional posts of officers, such as Director / Dean, Deputy Registrar, Assistant Registrar, Chief Proctor, Dean of Research Department, Account Officer, Administrative Officer, Public Relations Officer, Training and Placement Officer, Sport Officer, Librarian, Nodal Officers etc. as required from time to time. These officers may be appointed independently, or an additional charge may be assigned to some teacher/officer. The appointment procedure, qualification, powers, duties, and salary shall be as prescribed by the Vice–Chancellor from time to time, with final consent of the Chancellor.

STATUTE - 9

Powers and Functions of Governing Body

[Refer to Section 22 of the CGPURC (Establishment and Operation) Act, 2005]

In addition to the powers vested in the Governing Body in accordance with the provisions under sub-section (3) of Section 22 of the Act, the Governing Body of the University shall also have the following powers and functions:

(1) To make review and approve, from time to time, the broad policies, plans and procedures and suggest measures for the improvement and development of the University.

(2) To make recommendations on any matter referred to it by the Chancellor/Sponsoring Body.

(3) To make recommendations to the Sponsoring Body for the creation of new posts of officers/teachers/staff of the University.

(4) To exercise such other powers and functions as may be assigned by the Sponsoring Body.

(5) To consider and approve the recommendations made by the Board of Management / Academic Council / Chancellor / Vice-Chancellor.

STATUTE - 10

Powers and Functions of Board of Management

[Refer to Section 23 of the CGPURC (Establishment and Operation) Act, 2005]

(1) The formation and functions of the Board of Management shall be the same as laid down under Section 23 of the Act.

(2) The term of the nominated members of the Board of Management shall be for three years. No member shall be nominated for more than two consecutive terms.

(3) Powers and Functions of the Board of Management shall be:

(a) To scrutinize the financial accounts together with audit report presented before it and take appropriate action on it.

(b) To prepare the Annual / Supplementary Budget of the University and to place it before the Governing Body for its consideration and approval.

(c) To adopt and follow the Budget for Expenditure as approved by the Governing Body.

(d) To perform any other function which may be assigned by the Governing Body/Chairman of the Board of Management.

(e) To propose creation of new posts of teachers, other officers and the staff of the University and recommend the same to the Governing Body for approval.

(f) To obtain approval of the Governing Body before the implementation of such decisions of the Board of Management which may be having bearing on the finances of the University.

(g) To consider and approve the minutes of the selection committee for the teachers/staff and forward the same to the Governing Body for necessary action.

STATUTE - 11

Formation, Powers and Functions of Academic Council

[Refer to Section 24 of the CGPURC (Establishment and Operation) Act, 2005]

The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall coordinate and exercise general supervision over the academic policies and programmes of the University.

(1) The Academic Council shall consist of the following members:

(a) Vice-Chancellor (Chairman)

(b) Director / Dean of Academics

(c) Deans of all the faculty

(d) All Heads of the University Teaching Department

(e) Three representatives from amongst the Scientists/ Educationalists/ Technologists/ Industrialists nominated by the Chancellor.

(f) One nominee of the Chancellor

(g) Two alumni of the university

(h) Registrar shall be the Member Secretary

(2) The term of the nominated members of the Academic Council shall be three years. No member shall be nominated for more than two consecutive terms.

(3) The Vice-Chancellor shall preside over the meetings of the Academic Council and in his absence any other person nominated by the Chancellor shall preside over the meeting.

(4) The Registrar shall be the Member-Secretary of the Academic Council and in the absence of the Registrar, any other person authorized by the Vice Chancellor shall act as the Member Secretary.

(5) One half of the members the Academic Council including the Chairperson shall form the quorum at a meeting.

Provided that no quorum shall be necessary for adjourned meeting.

Ordinarily fifteen clear days notice shall be given for all meetings of the Academic Council and agenda papers shall be issued at least seven days before the date of the meeting. The notice for emergent meeting shall ordinarily be 3 days.

(6) Subject to the provisions of the Act, the Academic Council shall have the following powers, and functions; namely,

(a) To co-opt members, persons having special knowledge or experience in the subject matter of any particular business which may come before the Council for consideration. The members so co-opted shall have all the rights of the members of the Council in regard to the transaction of the business in relation to which they may be co-opted.

(b) To promote teaching and research and related activities in the University.

(c) To make recommendations to the Governing Body on the proposals received from the different Faculties of the University for the conferment of degrees, honorary degrees or any such other distinction or honor of the University.

(d) To exercise general supervision over the academic policies and programmes of the University and to give directions regarding methods of instruction, teaching and evaluation of research or improvements in academic standards.

(e) To consider matters of general academic interest either on its own initiative or on a reference made by a school or the Board of Management or the Governing Body and to take appropriate action thereon.

(f) To give proposal to the Governing Body for the institution of fellowship, scholarships, studentship, exhibition, medals and prizes and to make rules for their award.

(g) To formulate or modify schemes for the organization and assignment of subject to the Faculties/Schools/Departments, and to report to the Governing Body as to the expediency of abolition, reconstitution or division of any School/Department of the university.

(h) To recognize the Certificates, Diplomas and Degrees of other Universities and Institutions and to determine their equivalence.

(i) To consider academics-related proposals submitted by the Faculties/Departments of the University.

(j) To approve the syllabus of different courses/subjects submitted by the Faculties/Departments and to arrange for the conduct of the examinations according to the Ordinances made for the purpose.

(k) To recommend to the Governing Body, the rates of remuneration and allowances for the Examination work.

(l) To delegate such of its powers to the Dean / Chairman, as it may deem fit.

(m) To report or to make recommendations on any matter referred to it by the Chancellor or the Governing Body or Board of Management, as the case may be.

(n) To exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed from time to time.

STATUTE - 12

Powers and Functions of Finance Committee

[Refer to Section 26 1(a) of the CGPURC (Establishment and Operation) Act, 2005]

(1) The Finance Committee shall consist of the following persons, namely:

(i)	The Chancellor	Chairman
(ii)	The Vice-Chancellor	Member
(iii)	The Registrar	Member
(iv)	One member nominated by the Governing Body	Member
(v)	Chief Finance and Accounts Officer	Member Secretary

(2) The tenure of the members of the finance committee, other than ex-officio members, shall be of three years.

(3) The finance committee shall meet at least twice in each academic year. A notice for the meeting of the finance committee shall be given so as to reach the Committee members at least ten days in advance of the meeting and the agenda for the meeting shall be sent to members at least five days in advance of the meeting.

(4) Three members of the finance committee, including Chairman, shall constitute the quorum at the meetings.

(5) Functions and Powers of the Finance Committee shall be:

(a) To prepare the annual estimates of income and expenditure of the University and to put up to the Governing Body for its consideration and approval.

(b) To consider the annual accounts of the University prepared under the direction of the Vice- Chancellor and to put up to the Governing Body for its consideration and approval.

(c) To make its recommendations to the Governing Body to accept bequests and donations of the property to the University on such terms as it deems proper.

(d) To recommend mechanisms and ways and means to generate resources for the University.

(e) To consider any other matter referred to it by the Governing Body and make its recommendations thereon.

(f) To advise on any matter affecting finances.

STATUTE - 13

The Examination Council

[Refer to Section 26 1(a) of the CGPURC (Establishment and Operation) Act, 2005]

1. The Examination Council shall comprise of the following –
   a) The Vice-Chancellor,
   b) One nominee of the Chancellor,
   c) Director / Dean Academics,
   d) Registrar,
   e) Controller of Examination as the Member Secretary.
2. The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Examination Council.
3. The meeting of the Council shall be held at least twice a year.
4. Three members shall form the quorum.
5. The functioning and operations of the Examination Council shall be as per the Ordinances of the University.

STATUTE - 14

The Board of Studies

[Refer to Section 26 1(a) of the CGPURC (Establishment and Operation) Act, 2005]

1. There shall be a Board of Studies for each subject comprising of the following -
   (a) The Head of the Department as the Chairperson
   (b) All Professors and All Associate Professors of the department
   (c) Two Assistant Professors of the department to be nominated, on rotation basis, by the Vice–Chancellor
   (d) One subject expert, not below the rank of Professor, from outside the university to be nominated by the Vice-Chancellor.
   (e) One member from the industry nominated by the Vice–Chancellor
   (f) One alumnus in the subject nominated by the Vice-Chancellor.
2. The Vice-Chancellor shall constitute the Board of Studies for various subjects.
3. The tenure of the Board of Studies shall be three years.
4. Syllabi of different courses for various programmes shall be prepared by the Board of Studies of the respective subject for submission, through the Dean of the Faculty, to the Academic Council for its approval.
5. The meetings of the Board of Studies shall be held at least twice a year.

STATUTE - 15

Other Authorities

[Refer to Section 26 1(d) and 25 of the CGPURC (Establishment and Operation) Act, 2005]

1. The university may appoint other authorities as may be necessary for its smooth functioning.
2. The composition, constitutional power, and functions of other authorities of the University shall be such as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances.

STATUTE - 16

Faculties and Courses / Subjects

[Refer to Section 26 1(a) of the CGPURC (Establishment and Operation) Act, 2005]

1. Each Faculty shall have such departments as may be assigned to it by the Academic Council from time to time.
2. All branches / subjects / specialization within the school and certificates / diplomas / undergraduate / graduate / postgraduate / doctorate will fall under each of these Schools.
3. For study and research leading to the award of Ph.D., D.Litt. / D.Sc., and fellowship qualifications in all areas of study and such other faculties as may be approved by the State Govt. / UGC shall be added from time to time.
4. The University shall include the following Faculties:

S.N.	Name of Faculty	Subject / Course
1	Engineering / Technology/Architecture/ Design	Computer Science & Engineering (CSE), CSE (AI), CSE (AI/ML), Civil Engineering, Civil Engineering (AI/ML), Mechanical Engineering, Mechanical Engineering (AI/ML), Electrical Engineering, Electrical Engineering (AI/ML), Electronics & Telecommunication Engineering, Electronics & Telecommunication Engineering (AI/ML), Mechanical Engineering (Robotics & Automation), Automobile (Electric & Hybrid Vehicle), Information Technology, Biomedical Engineering, Production & Industrial Engineering , Data Science, Cyber Security, Internet of Things, Cloud Computing, Cloud Technology, Blockchain, Additive Manufacturing, Architecture, Planning, Sustainable Architecture, Interior Architecture, Urban & Regional Planning, Environmental Planning, Artificial Intelligence & Machine Learning, Interior Design, Interior & Furniture Design, Fashion Design, Fashion & Apparel Design, Fashion Technology, Textile Design, Fashion Management, Product Design, Product & Industrial Design, Industrial Design & Innovation, Product Design & Manufacturing Technology, Product Innovation & Development, Product & Industrial Design, Design Thinking & Innovation Strategy
2	Sciences	Physics, Chemistry, Mathematics, Statistics, Computer Science, Information Technology, Geology, Data Science, Artificial Intelligence, AI Application, Cyber Security, Cloud Computing, Cloud Technology, Animation & VFX, Computer Application, Forensic Science, Food Science & Technology, Nanoscience, Nanotechnology, Nutrition & Dietetics, Botany, Zoology, Microbiology, Biochemistry, Biomedical Science, Biotechnology, Molecular Biology, Bioinformatics, Genetics, Environmental Science, Environmental Management, Environmental Chemistry, Sustainable Development, Water Resource Management, Industrial Chemistry, Bio-Chemistry

S.N.	Name of Faculty	Subject / Course
3	Business Administration/ Commerce/ Management/ Finance	Commerce, E-Commerce, Finance, Accounting & Finance, Banking & Insurance, Taxation, Business Analytics, Financial Markets, Economics, Logistics and Supply Chain Management, Marketing, Finance, Human Resource Management, International Business, Data Analytics, Entrepreneurship, Banking & Financial Services, Artificial Intelligence for Business, Digital Marketing, Business Analytics, Event Management, Public Relation
4	Arts/ Humanities/ Social Sciences	English, Hindi, Sanskrit, Philosophy, Linguistics, Liberal Arts, Arts & Humanities, Tourism Studies, Education, Animation & Multimedia, Human Rights, International Relations, Political Science, Sociology, Psychology, Anthropology, Economics, Public Policy & Governance, Geography, Social Work, Peace & Conflict Studies, Yoga, Rural Development, Urban Development, Public Relation
5	Pharmacy / Pharmaceutical	Pharmacy, Pharmacology, Pharmaceutics, Pharmacognosy, Pharma Chemistry, Pharmaceutical Biotechnology
6	Law	Legal Foundation, Public Law, Private Law, Business & Corporate Law
7	Education/ Teachers Training	Physical Education, Yogic Sciences, Physical Education & Sports, Sports Coaching, Sports Science, Sports Medicine, Sports Nutrition, Sports Management, Sports Technology, Education, Arts and Education, Commerce and Education, Science and Education, Nursery Teacher Training, Educational Technology, Educational Management, Special Education
8	Journalism/ Mass Communication/ Media	Journalism, Mass Communication, Media Studies, Digital Media, Film, Television & Media Production, Film & TV Production, Advertising & Public Relations
9	Library and Information Sciences	Library & Information Sciences
10	Fine Art / Performing Art/ Visual Art / Applied Art	Visual Arts, Fine Arts, Applied Arts, Performing Arts (Music/Dance/Theatre), Painting, Sculpture, Printmaking, Art History
11	Hotel Management/ Hospitality/ Tourism/ Travel	Hospitality & Tourism Management, Digital Marketing, Healthcare & Hospital Management, Event Management, Hotel Management, Tourism and Hospitality Management, Hospitality Management, Catering Technology and Tourism, International Trade Management, Hospitality & Hotel Management
12	Rehabilitation Science	Rehabilitation Science, Speech & Hearing Audiology & Speech Therapy, Rehabilitation Psychology, Special Education

5. The University may run some identified programs of an interdisciplinary nature jointly by two departments of different faculties. In such cases joint meeting of the concerned Board of Studies shall prepare the course structure and scheme of examination, and shall be approved by the Academic Council. The Vice-Chancellor may appoint a course coordinator from any of the departments. At the graduate level, some subjects of the other faculties may also be allowed in the light of interdisciplinary studies with the approval of the Academic Council.

STATUTE - 17

Appointment of Teachers & Other Academic Staff in the University

[Refer to Section 26 of the CGPURC (Establishment and Operation) Act, 2005]

1. The Board of Management (BoM) shall finalize the vacancies for teaching positions, viz., Professors, Associate Professors, and Assistant Professors across the Schools/ Departments from time to time following the UGC and other regulatory bodies after receiving the proposal from the Faculty/ Department via the Academic Council of the University. BoM shall forward the recommendations to the Governing Body for approval of the posts to proceed with the direct recruitment process.
2. The Governing Body (GB) shall assess the recommendation of the Academic Council and approve filling up the teaching vacancies through an open advertisement and transparent selection process, ensuring periodic recruitment as per institutional needs.
3. The advertisement for vacant teaching positions shall be advertised in National daily newspapers of wider circulation and on the university official website, clearly mentioning the essential and desirable qualifications and specializations, if any, the pay scale for each advertised post as per norms prescribed by the UGC and the concerned regulatory body from time to time. The last date of the receipt of the applications must be clearly mentioned.
4. The applications received shall be duly recorded before screening. A screening Committee of three members, appointed by the Vice Chancellor, shall screen all the applications and prepare a summary along with the academic score of all the candidates satisfying the essential qualifications to be called for interview.

   The list of eligible and non-eligible candidates shall be displayed on the university notice board/ website with reasons of rejection of non-eligible candidates.

5. The applications and the summary along with the academic scores of all the eligible candidates shall be placed before the selection committee with the relevant documents.
6. Selection Committee and quorum:
   a. The selection Committee shall consist of the following people:
      i. Vice-Chancellor – Chairman
      ii. An academician not below the rank of Professor to be nominated by the CGPURC.
      iii. Three experts in the subject concerned nominated by the Vice Chancellor out of the panel of names approved by the relevant statuary body of the university, who shall be from outside the University.
      iv. Dean of the Faculty
      v. Head/ Chairperson of the Department/ School, not below the rank of Professor.
      vi. A teacher representing SC/ ST/ OBC/ Minority/ Women/ Differently-abled

categories to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of the candidates from any of these categories is the applicant and if any of the members of the selection committee does not belong to that category.

vii. Registrar of the University shall act as the member secretary

b. Five members (excluding member secretary), including at least two external subject experts, shall constitute the quorum.

Note:

i. The academicians and subject experts nominated for the selection committee shall be at least one level above the cadre level of the applicant.

ii. For the selection of Professor, experts shall be experienced professors. The Dean/ Head shall not be below the rank of Professor.

iii. For selection to the posts like librarian and sport administration, as the case may be, at least one member shall be nominated from amongst practicing librarian and director, physical education/sports respectively as an expert.

7. The recommendations of the Selection Committee shall be placed before the BoM/ GB or equivalent statutory body of the University for an appropriate decision.
8. In case of any dispute/ dissent note in the selection, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision shall be final.
9. After approval of the BoM/ GB, the Registrar shall issue the appointment letter to the selected candidates, indicating service conditions, insurance, retirement benefits etc. in the light of UGC guidelines from time to time, with his signature and seal on the University Letter head.
10. In addition to direct recruitment the university shall upgrade the cadre of existing faculty members following Career Advancement Scheme (CAS) of the UGC and other regulatory bodies. The process for such advancement shall be as per UGC guidelines from time to time.
11. In addition to regular teachers the AC/ BoM/ GB shall appoint people of eminence with outstanding academic and research achievements such as Professor of Eminence, Distinguished Professor, Adjunct Professor, Visiting Professor, Professor of Practice following UGC guidelines for introducing academic innovation and excellence in teaching, research and extension activities of the university. The terms and conditions, duration, honorarium etc. can be mutually agreed upon by the university as per UGC guidelines.
12. In addition to full-time teachers, the Vice-Chancellor with approval of BoM/ GB shall decide to engage for a fixed period, part-time, contractual and/or assignment-based positions following State Government guidelines from time to time.

13. Any dispute /legal matter in appointment shall be subject to the jurisdiction of concerned District court/ High court of Chhattisgarh.

STATUTE - 18

Appointment of other Administrative and Non-Teaching Staff

[Refer to Section 26 of the CGPURC (Establishment and Operation) Act, 2005]

1. The number of other administrative and non-teaching posts and their emoluments shall be such as may be recommended by the Board of Management and approved by the Governing Body. The Governing Body can also abolish or suspend any other administrative and non-teaching post in the University on the recommendation of the Board of Management.
2. Minimum qualifications for appointment of other Administrative and Non–teaching Staff shall be as per the State / CGPURC as prescribed from time to time. The University shall also meet other minimum conditions of appointment mandated.
3. The superannuation age for other Administrative and Non–teaching Staff shall be 62 years.
4. Selection committees for the appointment of non-teaching staff-
   (a) The committee shall consist of the following members:
      i. The Vice-Chancellor – Chairman,
      ii. One nominee of the Chancellor,
      iii. One nominee of the Governing Body,
      iv. CFAO or his nominee,
      v. Registrar as Member Secretary.
   (b) Meetings of the selection committee:
      i. The meetings of the selection committee shall be convened by the chairman of the selection committee as and when necessary.
      ii. Three members of the selection committee shall form the quorum.
      iii. The Chairman of the selection committee shall have both a deliberative and a casting vote.
      iv. After the approval of the appointment as recommended by the selection committee and approved by the Board of Management and Governing Body, the appointment letter shall be issued by the Registrar of the University.
   (c) All staff members shall adhere to the code of conduct established by the University as outlined within the rules and regulations.
   (d) General:
      i. Any dispute / Legal matter in the appointment shall be subject to the jurisdiction of the District Court / High Court of Chhattisgarh.
      ii. Any other provisions not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the University from time to time, with the prior

approval of the Chhattisgarh Private University Regulatory Commission (CGPURC).

iii. In case of any ambiguity in the Hindi version of the Statute, the English version shall be considered final.

STATUTE - 19

Conferment of Honorary Degree and Academic Distinctions

[Refer to Section 26 of the CGPURC (Establishment and Operation) Act, 2005]

1. Proposal of conferring an Honorary Degree or Academic Distinctions to some distinguished personality shall be made in writing, along with the details of the proposed recipient, by the Governing Body to the Chancellor and subsequently the Visitor for his final approval.
2. Every proposal for the conferment of an Honorary Degree or Academic Distinction shall be made separately and considered for the proposed recipient.

STATUTE - 20

Awards of Scholarship, Fellowship & Studentship

[Refer to Section 26 of the CGPURC (Establishment and Operation) Act, 2005]

1. Award of scholarships, fellowships and studentships and exemption of fees to the students shall be based on merit, merit-cum-means. The policy and identification of such beneficiary students shall be made by the Board of Management.
2. The approval for the fee exemption, scholarship, fellowship & studentship to the students shall be given by the Governing Body on the merit of the case.

STATUTE - 21

Arbitration / Grievance Redressal Committee

[Refer to Section 26 of the CGPURC (Establishment and Operation) Act, 2005]

1. There shall be an Arbitration/ Grievance Redressal Committee in the University to deal with the grievances of students, teachers, and other employees of the University.
2. The Grievance Redressal Committee shall consist of the following members:
   (a) Proctor – Chairman
   (b) Dean Student Welfare
   (c) Chief Warden
   (d) Two members nominated by the Vice-Chancellor out of which one member shall be female
   (e) Deputy Registrar (Establishment) – Member Secretary
2. The committee shall entertain and consider the grievances or complaints submitted to it in writing.
3. It shall be incumbent on the committee to entertain and consider such grievances or complaints. The Grievance Redressal Committee shall hear and settle grievances as far as possible within one month, extendable by fifteen days if required. The report, along with recommendations, shall be submitted to the Vice-Chancellor for final decision.
4. In case the aggrieved complainant, who is an employee of the University, is not satisfied with the decision of the Vice–Chancellor, he may file an appeal before the Board of Management. The decision of the Board of Management on such reports shall be final.
5. The University shall appoint ‘Lokayukt’ for the University subject to the eligibility and procedure determined time to time by the University Grants Commission. The Lokayukt shall exercise his powers subject to the norms notified by the University Grants Commission and the competent authorities of the University.

STATUTE - 22

Removal of Academic Staff, Administrative Staff, and other Employees of the University

1. Notwithstanding anything contained in the terms of the contract of service or the appointment of an academic staff, administrative staff, and non-academic and non-administrative staff of the University, such person may be removed from the University Service by the appointing authority where such person is found to be:
   (a) of unsound mind, or
   (b) has been convicted in a criminal case by a court of law of any offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment, or
   (c) otherwise, guilty of serious misconduct in discharging his duties and abuse of powers, or
   (d) found guilty by a duly established inquiry committee.
2. Where the removal of such academic staff, administrative staff, or non-academic and non-administrative staff is for a reason other than that specified in the aforesaid clause 1 above, such a person shall be terminated as per the terms of the employment contract.
3. Any employee charged with any reason mentioned in (a) to (d) above will be given a chance to defend himself by providing him with an opportunity to be heard before any final action is taken against him.

STATUTE - 23

Presumption of Lawful Exercise of Power

Subject to various provisions of these Statutes, where these Statutes confer authority upon any person to:

(a) Make any subsidiary legislation,

(b) Make any instrument,

(c) Exercise any power or function.

The Statute conferring the power prescribes conditions, subject to the observance performance or existence of which any such power may be exercised; such conditions shall be presumed to have been duly fulfilled if in the document evidencing the exercise of the authority, there is a statement that such authority had been conferred by such Statute.

STATUTE - 24

Presumption of Validity of Act or Proceedings and Indemnity Against General Proceedings

1. Subject to these Statutes, Acts or proceedings of the Governing Body, Board of Management, or any other officer, authority, body, committee, or board of the University shall not be invalidated or questioned on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution thereof.
2. No suit, prosecution, or any other legal proceedings shall lie against the University or for any act or omission of any officer, authority, body, committee, or board of employees of the University in the performance of the powers and functions under the provisions of these Statutes or any Ordinances. Regulations or rules made thereunder, provided such act or omission was actuated by good faith.

STATUTE - 25

Convocation of the University

1. A Convocation to confer Degrees, Diplomas, and other distinctions of the University shall ordinarily be held annually and shall be called the Annual Convocation. A special convocation may also be held at such time as may be necessary and convenient. The date of Convocation shall be fixed by the Vice-Chancellor in consultation with the Chancellor and with the approval of the Visitor.
2. The Visitor shall, when present, preside over the Convocation of the University. Provided that when the Visitor is not present, the Chancellor shall preside over the convocation of the University.

   Provided that in absence of the visitor and the Chancellor, the Vice-Chancellor shall preside the Convocation of the University.
3. The Vice Chancellor shall decide and notify the minutes and functioning of the Convocation in consultation with the Board of Management. This includes notification of the Convocation, the date and time of the Convocation, academic robes, seating arrangement on the dais, seating arrangement in the Convocation Hall/Podium, the Convocation procession, etc..

KRISHNA VIKAS GLOBAL UNIVERSITY, RAIPUR

[Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act 2005, Vide Amendment Act 2020 (No. 12 of 2020)]

FIRST ORDINANCES

In exercise of the power conferred by sub section (2) of section 28 of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act 2005, the Vice-Chancellor of Krishna Vikas Global University, Raipur makes the following First Ordinances;

1. Short Title and commencement

(a) The Ordinance may be called the first Ordinances of Krishna Vikas Global University, Raipur

(b) These Ordinances shall come into force from the date of its publications in the official gazette.

2. Definitions

In these Ordinances unless the context otherwise requires.

(a) **"University"** means Krishna Vikas Global University, Raipur

(b) **"AIU"** means Association of Indian Universities.

(c) **"Qualifying examination"** means an examination the passing of which makes students eligible for admission to a particular course of study leading to a Bachelors, Masters, M. Phil, Doctorate or Diplomas or Certificate conferrable by the University.

(d) **"ATKT"** Candidate means a candidate who has failed in not more than 35% of the total number of papers in the semester examination where the calculation of 35% shall always be rounded off and is appearing in the examination of the same semester again which is conducted with the next semester examination.

(e) **"Equivalent examination"** means an equivalent examination conducted by

(i) Any recognized Board of Secondary Education or

(ii) Any Indian or Foreign University or organization recognized by the concerned statutory authority or

(iii) Any Indian University incorporated by any law in force for the time being and recognized by the University as equivalent to its corresponding examination.

(f) **"Gap period"** means the period between the last dates attended at an educational institution (excluding coaching Institutes) as a regular student and the date of taking admission in the University.

NOTE: **"Words and Expressions"** used but not defined in these Ordinances and defined in the Chhattisgarh Private University (Establishment and Operation) Act, 2005, as context requires, have the same meaning as assigned to them in the Act and the Rules made there.

3. The **FIRST ORDINANCES** on the subjects enumerated in the contents shall be as given in the schedule appended here to.

CONTENTS

ORDINANCE - 1 .....

New Education Policy (2020): UG & PG Degree Program .....

ORDINANCE – 2 .....

Guideline For Admission of Students and Enrolment .....

ORDINANCE – 3 .....

Conduct of University Examinations .....

ORDINANCE – 4 .....

Award of Degrees, Diplomas, Certificates and Other Academic Distinctions .....

ORDINANCE – 5 .....

Conditions for Award of Fellowships and Scholarships, Stipends, Medals and Prizes ....

ORDINANCE – 6 .....

Creation of Other Bodies for Improvement of Academic Performance Environment of the University .....

ORDINANCE – 7 .....

Policies to Curb Ragging, and Establishment of Vishakha Committee and Prevention of Caste Based Discrimination in the University .....

ORDINANCE – 8 .....

Norms for the Residence of the Students of the University .....

ORDINANCE – 9 .....

Disciplinary Actions Against the Students .....

ORDINANCE – 10 .....

Co-Operation and Collaboration with other Universities and Institutes of Higher Education .....

ORDINANCE - 11 .....

Bachelor of Pharmacy (B. Pharm.) .....

ORDINANCE - 12 .....

Master of Pharmacy (M. Pharm.) .....

ORDINANCE - 13 .....

Diploma in Pharmacy (D. Pharm.) .....

ORDINANCE - 14 .....

Doctor of Pharmacy (Pharm. D) .....

ORDINANCE - 15 .....

Bachelor of Education (B.Ed.) .....

ORDINANCE - 16 .....

Master of Education (M.Ed.) .....

ORDINANCE - 17 .....

Bachelor of Science & Bachelor of Education (B.Sc.B.Ed.) .....

ORDINANCE - 18.....
Bachelor of Arts & Bachelor of Education (B.A.B.Ed.) .....
ORDINANCE - 19.....
Bachelor of Commerce & Bachelor of Education (B.Com.B.Ed.) .....
ORDINANCE - 20.....
Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.) .....
ORDINANCE – 21 .....
Bachelor of Education - Special Education (B.Ed Spl.Ed.).....
ORDINANCE - 22.....
Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) .....
ORDINANCE - 23.....
Master of Physical Education (M.P.Ed.) .....
ORDINANCE - 24.....
Bachelor of Physical Education and Sports (B.P.E.S.).....
ORDINANCE - 25.....
Master of Physical Education and Sports (M.P.E.S.).....
ORDINANCE - 26.....
Diploma in Nursery Teachers Training (D.N.T.T.).....
ORDINANCE – 27.....
Bachelor of Law (LLB) .....
ORDINANCE – 28.....
Bachelor of Arts & Bachelor of Law (B.A.LLB) .....
ORDINANCE – 29.....
Bachelor of Commerce & Bachelor of Law (B.Com.LLB).....
ORDINANCE – 30.....
Bachelor of Science & Bachelor of Law (B.Sc.LLB) .....
ORDINANCE – 31.....
Bachelor of Business Administration & Bachelor of Law (B.B.A.LLB) .....
ORDINANCE – 32.....
Master of Law (LLM) .....
ORDINANCE – 33.....
Post Graduate Diploma in Computer Applications (P.G.D.C.A.).....
ORDINANCE – 34.....
Diploma in Computer Applications (D.C.A.).....
ORDINANCE - 35.....
Bachelor of Science (B.Sc.) in Rehabilitation Science .....
ORDINANCE - 36.....
Master of Science (M.Sc.) in Rehabilitation Science .....
ORDINANCE - 37.....

Bachelor of Library and Information Science (B.Lib.I.Sc.) .....

ORDINANCE - 38.....

Master of Library and Information Science (M.Lib.I.Sc.) .....

ORDINANCE – 39.....

Doctor of Philosophy (Ph.D.) .....

ORDINANCE - 1

New Education Policy (2020): UG & PG Degree Program

Ordinance for the Grant of Undergraduate Degree and Postgraduate Degree in accordance with provisions of University Grants Commission (Minimum Standards of Instruction for the Grant of Undergraduate and Postgraduate Degree) Regulations, 2025.

1. Short Title and Commencement

1.1 This Ordinance shall be called the Ordinance for grant of certificates, diploma, Under Graduate Degree and Post Graduate Degree by the Krishna Vikas Global University. However, the programmes regulated by Bar Council of India (BCI), Pharmacy Council of India (PCI), Medical Council of India (MCI), Indian Council of Agricultural Research (ICAR) and any other Regulatory Body other than University Grants Commission (UGC) shall be outside the purview of this Ordinance.

1.2 This Ordinance shall be applicable from the Academic Session 2025-26 onwards from the 1st Semester of Courses/Programmes run by the University.

1.3 The Provisions of the Ordinance shall apply to the three-year (six semester) Bachelor Degree, four-year (eight semester) Bachelor Degree (Honours/Honours with Research), one-year Undergraduate certificate course, two-year Undergraduate diploma course, one-year Postgraduate diploma course, two-year Master Degree Programme and one-year Master Degree Programme. Following shall be the Programmes run by the University:

S.N.	Name of Faculty	Name of Program
(1)	(2)	(3)
1	Engineering / Technology/Architecture/ Design	B.Tech. M.Tech. in Computer Science & Engineering (CSE), CSE (AI), CSE (AI/ML), Civil Engineering, Civil Engineering (AI/ML), Mechanical Engineering, Mechanical Engineering (AI/ML), Electrical Engineering, Electrical Engineering (AI/ML), Electronics & Telecommunication Engineering, Electronics & Telecommunication Engineering (AI/ML), Mechanical Engineering (Robotics & Automation), Automobile (Electric & Hybrid Vehicle), Information Technology, Biomedical Engineering, Production & Industrial Engineering , Data Science, Cyber Security, Internet of Things, Cloud Computing, Cloud Technology, Blockchain, Additive Manufacturing, Artificial Intelligence & Machine Learning B.Arch. M.Arch. in Sustainable Architecture, Interior Architecture B.Plan. M.Plan. in Urban & Regional Planning, Environmental Planning B.Des. M.Des. in Interior Design, Interior & Furniture Design, Fashion Design, Fashion & Apparel Design, Fashion Technology, Textile Design, Fashion Management, Product Design, Product & Industrial Design, Industrial Design & Innovation, Product Design & Manufacturing Technology, Product Innovation & Development, Product & Industrial Design, Design Thinking & Innovation Strategy B.I.D. (Bachelor of Industrial Design) M.I.D. (Master of Industrial Design B.F.Tech. (Bachelor of Fashion Technology) M.F.Tech. (Master of Fashion Technology)

S.N.	Name of Faculty	Name of Program
(1)	(2)	(3)
2	Sciences	B.Sc. M.Sc. in Physics, Chemistry, Mathematics, Statistics, Computer Science, Information Technology, Geology, Data Science, Artificial Intelligence, AI Application, Cyber Security, Cloud Computing, Cloud Technology, Animation & VFX, Computer Application, Forensic Science, Food Science & Technology, Nanoscience, Nanotechnology, Nutrition & Dietetics, Botany, Zoology, Microbiology, Biochemistry, Biomedical Science, Biotechnology, Molecular Biology, Bioinformatics, Genetics, Environmental Science, Environmental Management, Environmental Chemistry, Sustainable Development, Water Resource Management, Industrial Chemistry, Bio-Chemistry B.C.A. M.C.A. in Data Science, Artificial Intelligence, AI Application, Cyber Security, Cloud Computing, Cloud Technology, Animation & VFX, Computer Application
3	Business Administration/ Commerce/ Management/ Finance	B.Com. M.Com. B.B.A. M.B.A. in E-Commerce, Finance, Accounting & Finance, Banking & Insurance, Taxation, Business Analytics, Financial Markets, Economics, Logistics and Supply Chain Management, Marketing, Finance, Human Resource Management, International Business, Data Analytics, Entrepreneurship, Banking & Financial Services, Artificial Intelligence for Business, Digital Marketing, Business Analytics, Event Management, Public Relation B.H.M. (Bachelor of Hotel Management) M.H.M. (Master of Hotel Management B.T.H.M. (Bachelor of Tourism and Hospitality Management) M.T.H.M. (Master of Tourism and Hospitality Management)
4	Arts/ Humanities/ Social Sciences	B.A. M.A. in English, Hindi, Sanskrit, Philosophy, Linguistics, Liberal Arts, Arts & Humanities, Tourism Studies, Education, Animation & Multimedia, Human Rights, International Relations, Political Science, Sociology, Psychology, Anthropology, Economics, Public Policy & Governance, Geography, Social Work, Peace & Conflict Studies, Yoga, Rural Development, Urban Development, Public Relation B.S.W. M.S.W.

S.N.	Name of Faculty	Name of Program
(1)	(2)	(3)
5	Journalism/ Mass Communication/ Media	BA MA in Journalism, Mass Communication, Media Studies, Digital Media, Film, Television & Media Production, Film & TV Production, Advertising & Public Relations BJMC (Bachelor of Journalism and Mass Communication) MJMC (Master of Journalism and Mass Communication
6	Fine Art / Performing Art/ Visual Art / Applied Art	B.A. M.A. in Visual Arts, Fine Arts, Applied Arts, Performing Arts (Music/Dance/Theatre), Painting, Sculpture, Printmaking, Art History B.F.A. (Bachelor of Fine Arts) M.F.A. (Master of Fine Arts) B.V.A. (Bachelor of Visual Arts) M.V.A. (Master of Visual Arts) B.A.A. (Bachelor of Applied Arts) M.A.A. (Master of Applied Arts) B.P.A. (Bachelor of Performing Arts) M.P.A. (Master of Performing Arts)
7	Hotel Management/ Hospitality/ Tourism/ Travel	BA MA BBA MBA in Hospitality & Tourism Management, Digital Marketing, Healthcare & Hospital Management, Event Management, Hotel Management, Tourism and Hospitality Management, Hospitality Management, Catering Technology and Tourism, International Trade Management, Hospitality & Hotel Management BHM (Bachelor of Hotel Management) MHM (Master of Hotel Management)

2. Definitions

In this Ordinance, unless the context otherwise requires, -

i. **"Act"** means the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005, as amended from time to time.

ii. **"Academic Council"** or **"Senate"** means the body empowered to take decisions in all academic matters in the University;

iii. **"Academic Year"** means a duration of twelve months commencing either in January/February or in the month of July/August, as the case may be, of every calendar of every year;

iv. **"Award"** means qualifications such as certificate, diploma and degree awarded by the University when a student has met the requirements of the qualifications;

v. **"Academic Bank of Credits (ABC)"** means an academic service mechanism as a digital, virtual or online entity established by the Commission with the approval of the Central Government to facilitate students to become its account holders, thereby paving the way for seamless student mobility between or within the University and other Higher Educational Institutions through a formal system of credit recognition, credit accumulation, credit transfers and credit redemption to promote distributed and flexible teaching-learning;

vi. **"Assessment Bands"** means clubbing of levels between two mandatory stages as per NCrF levels are equated with the assessment stage which will be mandatory stage for a student/learner to clear;

vii. **"Biannual Admission"** means the process of admitting students twice a year i.e. in July/August and in January/February;

viii. **"CGPURC"** means Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission;

ix. **"Choice Based Credit System (CBCS)"** means a system wherein students can take courses of their choice, learn at their own pace, undergo additional courses and acquire more than the required credits, and adopt an interdisciplinary approach as per guidelines issued by statutory body

x. **"Commission"** means the University Grants Commission (UGC);

xi. **"Course"** means one of the specified units which go to comprise a specified programme of study;

xii. **"Credit"** means the number of hours of instruction required per week over the duration of a semester as designed in the National Credit Framework (NCrF);

xiii. **"Credit Point"** means the products of grade point and number of credits for a course;

xiv. **"Credit requirement"** means the value assigned for a course/programme. A student who has met the credit requirements means he/she has successfully completed the course programme;

xv. **"Credit transfer"** means the mechanism by which the Higher Educational Institutions registered with the ABC are able to receive or provide prescribed credits to individual Academic Bank Accounts in adherence to the norms for the courses undergone /experiences gained by the students through the offline/online/Private/RPL mode;

xvi. **"Cumulative Grade Point Average (CGPA)"** means overall cumulative performance of a student over all semesters. The CGPA is the ratio of total credit points secured by a student in various courses up to the semester concerned and the sum of the total credit points of all the registered courses in those semester concerned. It is expressed up to two decimal places;

xvii. **"Degree"** means a degree awarded by a Higher Educational Institution in accordance with the provisions of section 22(3) of the UGC Act, 1956;

xviii. **"Dual Degree"** means earning two sperate degrees either from one HEI or more than one HEIS;

xix. **"Government"** means Government of Chhattisgarh;

xx. **"Grade Point"** means a numerical weight allotted to each letter grade on a 10-point scale, as prescribed by the University, from time to time;

xxi. **"Grade Sheet"** means a certificate based on the grades earned by the student. The grade sheet shall contain the course details (code, title, number of credits, grade secured etc.) along with SGPA of the semester and CGPA earned till that semester. The final semester grade sheet shall also reflect the cumulative total of marks obtained by the student in all semesters out of maximum marks allocated for which the grades of the program were evaluated. However, the final result shall be based on the grades/CGPA.

xxii. **"Higher Educational Institution"** means the Higher Education Institutions (HEIs) which are empowered to award degrees by themselves or through their affiliating Universities in accordance with Section 22 of the UGC Act, 1956;

xxiii. **"Learning outcome"** means statements of what a learner knows, understand and is able to do on completion of a learning process and a programme/course of study;

xxiv. **"Letter Grade"** means an index of the performance of a student in a course. Grades are denoted by letters - O, A^+, A, B^+, B, C, P, F and AB;

xxv. **"Levels"** means a series of sequential stages, as given in National Credit Framework (NCrF), expressed in terms of a range of learning outcomes against which typical qualifications are positioned/located.

xxvi. **"Massive Open Learning Courses (MOOCs)"** means such online courses that are developed as per the following the four-quadrant approach.

xxvii. **"Multiple entry and exit"** means an enabling mechanism wherein the learner can exit after a level and join back to continue in the programme and acquire higher qualifications within a specified duration;

xxviii. **"National Credit Frame Work (NCrF)"** means a comprehensive credit framework encompassing elementary, school, higher, and vocational education & training, integrating creditisation of learning in various dimensions like academics, vocational skills and experiential learning including relevant experience and proficiency/professional levels acquired;

xxix. **"National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF)"** means a descriptive framework formulated by UGC that organizes qualifications according to a series of levels of knowledge/skills;

xxx. **"Online Mode"** means a mode of providing flexible learning opportunities by overcoming the separation of teacher and learner using the internet, e-learning materials and full-fledged programme delivery through the internet using technology-assisted mechanisms and resources;

xxxi. **"Open and Distance Learning Mode (ODL)"** means a mode of providing flexible learning opportunities by overcoming the separation of teacher and learner using a variety of media, including print, electronic, online and occasional interactive face-to-face meetings with the learners or Learner support services to deliver teacher-learning experiences, including practical and work experiences;

xxxii. **"Programme"** or **"Programme of study"** means a higher education programme pursued for a degree specified by UGC under sub-section (3) of section 22 of the UGC act;

xxxiii. **"Semester"** means an academic session spread over 14-20 weeks of duration of teaching work. In case of Academic Year commencing from July, the odd semester shall normally be scheduled from July to December and the even semester shall be scheduled from January to July. In case of Academic Year commencing from January, the odd semester shall normally be scheduled from January to July and the even semester shall be scheduled from July to December;

xxxiv. **"Semester Grade Point Average (SGPA)"** means a measure of performance of a student in a particular semester. It is ratio of total credit points secured by a student in various courses registered in a semester and the total credits of all courses in that semester. SGPA shall be expressed up to two decimal places;

xxxv. **"Recognition of Prior Learning (RPL)"** means an assessment process designed to evaluate an individual skills, knowledge, and experience acquired through formal, non-formal, or informal learning experiences;

xxxvi. **"Student"** means a person admitted to and pursuing a specific credit-based course/programme of study in the University;

xxxvii. **"Transcript"** means a certificate issued to all enrolled students in a program after successful completion of the program. It shall contain the SGPA of all semesters and the CGPA;

xxxviii. **"UG Certificate"** means a certificate awarded after completing 1 year of study (2 semesters) in the chosen fields of study in a UG programme;

xxxix. **"UG diploma"** means a diploma awarded after 2 years (4 semesters) in the chosen fields of study in a UG programme;

xl. **"University"** means Krishna Vikas Global University, Raipur;

3. Eligibility for Admission and availability of seats

a) A candidate who has passed Level 4/Class 12 schooling from a recognized Board of Education, either through formal schooling or through the open school system, or its equivalent shall be eligible for admission to an undergraduate programme in the University. Admission shall be given on the basis of merit and as per admission rules

& guidelines for admission to a programme and regulation framed by UGC & State Government, from time to time.

b) A candidate, irrespective of the disciplines taken by him in Level 4/Class 12 schooling, is eligible for admission in any discipline of UG Programme provided the student qualifies the National Level or University Level entrance examination in the discipline of UG programme. The University shall provide the necessary bridge course to the students to address the knowledge gaps in case the same is needed for students from varied disciplines are admitted.

c) A student can pursue two UG programmes simultaneously and earned dual degree with flexibility in terms change of discipline/institution/mode of learning as given in the UGC's Curriculum and Credit Framework for undergraduate programmes, and guidelines issued by UGC for pursuing Two Academic Programmes simultaneously, under intimation to the University. A student can pursue two academic programmes, one in full time physical mode and another in Open and Distance Learning (ODL)/Online mode provided that class timings for one programme do not overlap with the class timings of the other programme. Furthermore, the Degree or diploma programmes under ODL/Online mode shall be pursued with only such HEls which are recognized by UGC/Statutory Council/Govt. of India for running such programmes.

d) Learning from multiple modes other than regular modes such as ODL, online and RPL modes shall be creditable through a well-defined assessment process and the same shall be subject to the guidelines/regulations notified by UGC on ODL, Online and RPL, from time to time.

e) International students shall be admitted in the University in accordance with the "Guidelines for Admission and Supernumerary seats of International Students in Undergraduate and Postgraduate Programmes in Higher Educational Institutions in India", as amended from time to time. The University may create up to 25% supernumerary seats exclusively for international students over and above the total sanctioned post which will not include the international students under exchange programmes or through Memorandum of Understanding (MoU) between the University and other HEls or between Government of India and other countries. The University shall admit international students based on the equivalence of entry qualification held by him, to be determined by UGC or any other body recognised by UGC for such purpose or the concerned regulatory body of the country.

f) Learnings achieved by the student outside of formal learning or though learning and training in the work place or in the community shall be based on the validation of prior learning outcomes achieved such student with experience and expertise in any particular profession shall be assessed by the University, as per the UGC "Guidelines for Implementation of Recognition of Prior Learning (RPL) in Higher Education", as amended from time to time.

g) Student enrolment in a programme in any undergraduate programme shall be restricted to 60 seats and for postgraduate programme it shall be restricted to 40 seats. In case of greater demand for more admissions, on the basis of application forms received, in a programme, the University can open more sections with the permission of CGPURC and Government.

h) On the basis of availability of academic and physical facilities, maximum of 10% of seats may be earmarked for eligible lateral entrants in the second year, third year and fourth year if the student has successfully completed the first year, second year and third year respectively of the same programme and wants to re-enter into the programme after a break in studies, under intimation to CGPURC.

i) The process of admission for 1st semester of all programme shall normally start from June/July of every year. However, in view of "biannual admission" envisaged by UGC, under certain circumstances, the University may also start the process of giving admission for 1st semester in the month of December/January also in a programme for which adequate infrastructure and teachers are available and after obtaining approval from CGPURC.

j) The notice for admission to all programmes shall be published by the University in it's web site and at other appropriate places, mentioning therein the last date and mode of submission of application form, number of available seats, eligibility criteria, relevant documents required to be submitted for admission, duration of the programme etc.

k) There shall be a provision for multiple entry and exit points, subject to the fulfilment of criteria laid down, subsequently in this Ordinance.

1) To enable multiple entry and exit points in the academic programmes, qualifications such as Certificate, Diploma, and Degree are organized in a series of levels in an ascending order from level 4.5 to level 6, Level 4.5 represents Certificate, level 5 represents Diploma, level 5.5 represents Bachelor's Degree and Level 6 represents Bachelor Degree (Honours/Honours with Research)/ B.Tech/B.E. / PG-Diploma

Qualification and minimum credit requirements are as mentioned in Table-1, along with the entry and exit options for students, who enter the undergraduate programme.

m) Documents required (Transfer Certificate /Caste Certificate/Mark sheets/Migration Certificate etc.) for admission to these programmes shall be such as may be decided by the University, as per guidelines/instructions issued by the appropriate body, from time to time.

4. Nomenclature of Degrees, Diploma & Certificates and Credit requirement

a) **UG Certificate:** A student who opt to exit after successful completion of 1st year (2nd Semester) and have secured at least 40 credits shall be awarded a UG Certificate if he has, in addition, undergone a minimum 4-credit skill enhancement course(s) over and above the credit earned by him after the completion of 2nd Semester. He may be allowed to re-enter the degree programme within three years and complete the degree programme within the stipulated maximum period of seven years.

b) **UG Diploma:** A student who opt to exit after successful completion of 2nd year (4th Semester) and have secured at least 80 credits shall be awarded a UG Diploma if he has, in addition, undergone a minimum 4-credit skill enhancement course(s) over and above the credit earned by him after the completion of 4th Semester. He may be allowed to re-enter the degree programme within three years and complete the degree programme within the stipulated maximum period of seven years.

c) **3-year UG Degree:** A student who wish to undergo a 3-year UG programme shall be awarded UG degree in the major discipline after successful completion of three years, securing 120 credits and satisfying the minimum credit requirement.

d) **4-year UG Degree (Honours):** A four-year UG Honours Degree in the major discipline shall be awarded to a student who completes a four-year degree programme with 160 credits and satisfying the minimum credit requirement.

e) **4-year UG Degree (Honours and Research):** A student who secures at least 75% marks in the first six semesters and wish to undertake research at the undergraduate level can choose a research stream in the fourth year. He shall be required to do a research project or dissertation under the guidance of a faculty member of the University. A research project/dissertation shall be in the major discipline. A student who secures 160-credit points including 12 credits in research project/dissertation shall be awarded UG degree (Honours and Research).

f) **UG Degree Programme with Single Major:** A student who secures a minimum of 50% credits from the major discipline for the 3-year/4-year UG degree shall be awarded a single major. For remaining 50% credits, the student shall choose skill courses, apprenticeships and multi-disciplinary subjects.

g) **UG Degree Programme with Double Major:** A student who secures a minimum of 40% credits from the Major discipline for the 3-year/4-year UG degree shall be awarded a Double Major.

h) **Interdisciplinary UG Programmes:** In this programme, the credits for core courses shall be distributed among the constituent discipline/subject so as to get core competencies in the interdisciplinary programme.

i) **Multidisciplinary UG Programmes:** For a student pursuing a multidisciplinary programme of study, the credits of core courses shall be distributed among the broad discipline such as life sciences, physical sciences, mathematical and computer sciences, data analysis, social sciences, etc.

Note:

a) The nomenclature of all the programmes shall be as per the guidelines issued by UGC, from time to time.

b) The University shall decide on the list of courses under major category and credit distribution for double major, interdisciplinary and multidisciplinary programmes. Minimum credit requirements for award of a degree under each category is given as hereinunder, in the form of a table.

Table-1: Qualification Type and Credit Requirements

S.N.	NHEQF Levels	Qualification Title	Credit Requirements (Minimum)
1	Level 4.5	Undergraduate Certificate (in the field of learning/discipline) for those who exit after the first year (two semesters) of the undergraduate programme. (Programme duration: first year or two semesters of the undergraduate programme)	40
2	Level 5	Undergraduate Diploma (in the field of learning/discipline) for those who exit after the first two years (four semesters) of the undergraduate programme (Programme duration: First two years or four semesters of the undergraduate programme)	80
3	Level 5.5	Bachelor' Degree (e.g. Bachelor of Arts, Bachelor of Science, Bachelor of Commerce, Bachelor of Business Administration etc.)	120

		Programme duration: Three years or six semesters	
4	Level 5.5	Bachelor of Vocation (B.Voc.) Programme duration: Three years or six semesters	120
5	Level 6	Bachelor of Engineering, Bachelor of Technology (B.Tech.) Programme duration: Four years or eight semesters	160
6	Level 6	B.A.-B.Ed., B.Sc.-B.Ed., B.Com-B.Ed. (Four-year dual degree integrated Teacher Education Program)	160
7	Level 6	Bachelor's Degree (Honours/Honours with Research) Programme duration: Four years or eight semesters	160
8	Level 6	Postgraduate Diploma. For those who exit after successful completion of the first year or two semesters of the 2-year Postgraduate programme. Programme duration: One year or two semesters	40
9	Level 6.5	Master's Degree (e.g. M.A., M.Com., M.Sc. etc.) Programme duration: Two years or four semesters after obtaining a 3-year Bachelor's degree.	80
10	Level 6.5	Master's Degree (e.g. M.A., M.Com., M.Sc. etc.) Programme duration: One year or two semesters after obtaining a 4-year Bachelor's degree (Honours/Honours with research).	40
11	Level 7	Master's Degree (e.g. M.E., M.Tech., etc.) Programme duration: Two years or four semesters after obtaining a 3-year Bachelor's degree (e.g. B.E., B.Tech. etc).	80
12	Level 8	Doctoral Degree	credits for course work and a thesis and published work.

Note:

(i) Honours students not undertaking research shall do 3 courses of 12 credits in lieu of a research project/Dissertation.

(ii) As per the guidelines promulgated by UGC/Statutory bodies, the university may allot additional credits in a manner that shall facilitate the students to meet the minimum credit requirements.

5. Curricular Components of The Undergraduate Programme

The curriculum shall consist of major stream courses, minor stream courses and courses from other disciplines, language courses, skill courses, and a set of courses on Environmental education, understanding India, Digital and technological solutions, Health & Wellness, Yoga educations, and sports & fitness. At the end of the second semester, a student can decide either to continue with the chosen major or request for a change of major. The minor stream courses include vocational courses which shall help the student to equip with job-oriented skills.

6. Disciplinary/Interdisciplinary Major

The major would provide the opportunity for a student to pursue in-depth study of a particular subject or discipline. A Student may be allowed to change major within the broad discipline at the end of the second semester by giving her/him sufficient time to explore interdisciplinary courses during the first year. Advanced-level disciplinary/interdisciplinary course, a course in research methodology, and a project/dissertation shall be conducted in the seventh semester. The final semester shall be devoted to seminar presentation, preparation, and submission of project report/dissertation. The project work/dissertation shall be on a topic in the disciplinary programme of study or an interdisciplinary topic.

7. Disciplinary/Interdisciplinary Minor

A Student shall have the option to choose courses from disciplinary/interdisciplinary minors and skill-based courses relating to a chosen vocational education programme. A student who takes a sufficient number of courses in a discipline or an interdisciplinary area of study other than the chosen major shall quality for a minor in that discipline or in the chosen interdisciplinary area of study. A student may declare the choice of the minor and vocational stream at the end of the second semester, after exploring various courses.

8. Vocational Education and Training

Vocational Education and Training shall form an integral part of the undergraduate programme to impart skills along with theory and practical. A minimum of 12 credits shall be allotted to the Minor stream relating to Vocational Educational and Training and these can be related to the major or minor discipline or choice of the student. These courses shall be useful to find a job for those students who exit before completing the programme.

9. Courses from Other Disciplines (Multidisciplinary) (9 Credits)

All UG students are required to undergo 3 introductory-level courses relating to any of the broad disciplines given below. These courses are intended to broaden the intellectual experience and form part of liberal arts and science education. Students are not allowed to choose or repeat courses already taken at the higher secondary level (class 12) in the proposed major and minor stream under this category.

a) Natural and Physical Sciences: A students can choose basic courses from disciplines. such as Natural Science, for example, Biology, Botany, Zoology, Biotechnology, Biochemistry, Chemistry, Physics, Biophysics, Astronomy and Astrophysics, Earth and Environmental Sciences, Microbiology, Forensic Science etc.

b) Mathematics, Statistics, and Computer Application: Courses under this category shall facilitate the student to use and apply tools and techniques in their major and minor disciplines. The course may include training in programming software like Python among others and applications software like STATA, SPSS, tally, etc. Basic courses under this category shall be helpful for gaining knowledge in science and social science in data analysis and the application of quantitative tools.

c) Library, Information, and Media Sciences: Courses from this category shall help the student to understand the recent developments in information and media science (journalism, mass media, and communication).

d) Commerce and Management: Courses from this category includes Business management, Accountancy, Finance, Financial Institutions, Fintech, etc.

e) Humanities and Social Sciences: Courses relating to Social Sciences, for example, include for e.g. Anthropology, Communication and Media, Economics, History, Linguistics, Political Science, Psychology, Social Work, Sociology, etc These courses shall enable students to understand the individuals and their social behaviour, society, and nation. Students shall also be introduced to survey methodology from available large-scale database for India. The courses under humanities include, for example, Archaeology, History, Comparative Literature, Arts & Creative expressions, Creative Writing and Literature, language(s), Philosophy, etc., and interdisciplinary courses relating to humanities. The list of Courses that can include interdisciplinary subjects such as Cognitive Science, Environmental Science, Gender Studies, Global Environment & Health, International Relations, Political Economy and Development, Sustainable Development, Women's and Gender Studies, etc. shall be useful to understand society.

10. Ability Enhancement Courses (AEC) (08 Credits): Modern Indian Language (MIL) & English Language Focused on Language and Communication Skills

Students are required to achieve competency in a Modern Indian Language (MIL) and in the English language with special emphasis on language and communication skills. The courses shall aim at enabling the students to acquire and demonstrate the core linguistic skills, including critical reading and expository and academic writing skills that shall help them to articulate their arguments and present their thinking clearly and coherently and recognize the importance of language as a mediator of knowledge and identity. It would also enable students to acquaint themselves with the cultural and intellectual heritage of the chosen MIL and English language, as well as provide them a reflective understanding of the structure and complexity of the language/literature related to both the MIL and

English language. The courses shall also emphasize development and enhancement of skills such as communication, and the ability to participate/conduct discussion and debate.

11. Skills Enhancement Courses (SEC)

These courses are aimed at imparting practical skills, hands-on training, soft skills, etc., to enhance the employability of students. The University shall design courses as per the students' needs and available resources.

12. Value-Added Courses (VAC) common to all UG Students (7 Credits)

i. Understanding India: The course aims at enabling the students to acquire and demonstrate the knowledge and understanding of contemporary India with its historical perspective, the basic framework of the goals and policies of national development, and the constitutional obligations with special emphasis on constitutional values and fundamental rights and duties. The course shall focus on developing an understanding among student-teachers of the Indian knowledge systems, the Indian education system, and the roles and obligations of teachers to the nation in general and to the school/community/society. The course shall endeavour to deepen knowledge about understanding of India's freedom struggle and of the values and ideals that it represented to develop an appreciation of the contributions made by people of all sections and regions of the country. The course shall help learners understand and cherish the values enshrined in the Constitution of India and help them prepare for their roles and responsibilities as effective citizens of a democratic society.

ii. Environmental science/education: The course aims to equip students with the ability to apply the acquired knowledge, skills, attitudes and values required to take appropriate actions for mitigating the effects of environmental degradation, climate change and pollution, effective waste management, conservation of biological diversity, management of biological resources, forest and wildlife conservation sustainable development and living. The course shall also deepen the knowledge and understanding of India's environment, in its totality, its interactive processes and its effects on the future quality of people's lives.

iii. Digital and technological solutions: Courses in cutting-edge areas that are fast gaining prominences such as Artificial Intelligence (AI), 3-D machining, big data analysis, machine learning, drone technologies and Deep learning with important applications to health, environment and sustainable living that shall be woven into undergraduate education for enhancing the employability of the youth.

iv. Health & Wellness, Yoga education, sports and fitness: Course components relating to health shall seek to promote an optimal state of physical, emotional, intellectual, social, spiritual and environmental well-being of a person. Sports and fitness activities shall be organised outside the regular University hours. Yoga education would focus on preparing the students physically and mentally for the integration of their physical, mental and spiritual faculties and also equipping them with basic knowledge about one's personality, maintaining self-discipline and self-control, to learn to handle oneself in all life situations. The focus on sports and fitness components of the courses shall be on the improvement of physical fitness like strength, speed, coordination, endurance and flexibility; acquisition of sports skills including motor skills as well as basic movement skills relevant to a particular sport; improvement of tactical abilities; and improvement of mental abilities.

The University shall introduce other innovative value-added courses relevant to the discipline or common to all UG programmes as per requirement.

13. Indian Knowledge System (IKS)

Courses related to IKS shall be incorporated in the syllabus.

a) Topics related to IKS shall be an integral part of the UG course curriculum for all disciplines

b) The credits taken into IKS shall be 5% of total mandated credits in 4-year UG programme. 50% of the credits apportioned to the IKS shall be assigned to the core disciplinary and multidisciplinary courses. A student may be allowed to opt for internship/apprenticeship in any of the disciplines/topics that are part of IKS.

c) In addition, the University shall ensure to have one/two paper in foundation courses on IKS preferably during the first four semester of UG programme minimum three/four credit for three-year/four-year UG programme respectively as a part of Value-added Course (VAC).

d) The courses under IKS shall be categorised into Foundational Courses (Specialised to IKS) and Elective Courses (Discipline Specific) in selected disciplines/multidiscipline.

i. **Foundational Courses:** This will cover the basic knowledge of IKS and it may contain basic knowledge of Indian literature, Culture, Astronomy, Arts & crafts, Architecture, music etc.

ii. **Elective courses (Discipline Specific):** This course shall contain the advanced knowledge pertaining to the specific discipline such as Indian Mathematics and Indian Astronomy. It will be part of Major discipline.

14. Summer Internship/Apprenticeship (3 Credits)

A key aspect of the new UG programme is induction of the students into actual work situations. All students shall be required to undergo internships/Apprenticeships in a firm, industry or organisation or training in labs with faculty and researchers in the University or other HEls/research institutions during the summer term. Students shall be provided with opportunities for internships with local industry, business organisations, health and allied areas, local governments (such as panchayats and municipalities), parliament or elected representatives, media organisations, artists, crafts persons and a wide variety of organisations so that students may actively engage with the practical side of their learning to further improve their employability. A student who wishes to exit after the first two semesters shall have to undergo a 4-credit work-based learning/internship during the summer in order to get a UG certificate.

15. Community Engagement and Service

The curricular component of 'community engagement and service shall seek to expose students to the socio-economic issues in society so that the theoretical learnings can be supplemented by actual life experiences to generate solutions to real life problems. This can be part of summer term activity or part of a major or minor course depending upon the major discipline, to be decided by the University.

16. Field-based Learning/Minor project

The field-based learning/Minor project shall provide opportunities to students to understand the different socio-economic contexts. It shall aim at giving students exposure to development related issues in both rural and urban settings. It shall also give opportunities to students to observe situations in rural and urban contexts, and to observe and study actual field situations regarding issues related to socio-economic development. Students shall be given the opportunities to gain a first hand understanding and knowledge of the policies, rules & regulations, organisational structures, processes and programmes that guide that guide the development process. They would have the opportunity to gain an understanding of the complex socio-economic problems in the community and innovations required to generate solutions to the identified problems. This can be part of summer term project or part of a major or minor course depending upon the major discipline, to be decided by the University.

17. Research Project/Dissertation (12 Credits)

Students opting for a 4-year Bachelor's degree (Honours with Research) are required to take up research projects under the guidance of a faculty member. The students are expected to complete the research project in the eighth semester. The research outcomes of their project work may be published in peer-reviewed journals or may be presented in conferences/seminars or may be patented.

The principle of calculating credits acquired by a candidate by virtue of relevant experiential learning including relevant experience and professional levels acquired and proficiency attained levels (post-completion of an academic grade/skill-based programme) by the learner/student in the industry for PG programmes is given in the Table below:

Table-2: Credit Assignment for relevant experience/proficiency

Experience cum proficiency Levels	Description of the relevant experiential learning including relevant experience and professional level acquired and attaining proficiency levels	Weightage /multiplication Factor	No. of years of experience (Only Indicative)
Trained Qualification attained	If a student has completed the course work /education/training and has been taught the skills and knowledge needed for a particular job of activity.	1	Less than or equal to 1 year
Proficient	Proficient would mean having the level of advancement in a particular professions, skillset or knowledge.	1.33	More than 1 but less than or equal to 4
Expert	Expert means having high level of knowledge and experience in a trade or profession	1.67	More than 4 but less than or equal to 7
Master	Master is someone who have exceptional skill or knowledge of a subject/domain	2	More than 7

18. Other Activities

This component shall include participation in activities related to National Service Scheme (NSS), National Cadet Corps (NCC), Youth Red Cross, adult education/literacy initiatives, mentoring school students, and other similar activities.

19. Massive Open Online Courses (MOOCs)

MOOC's provide flexibility to learners to switch to alternative modes (off-line, ODL, online learning & hybrid mode). The University shall, as per the guidelines/recommendations received from UGC, allow up to 40% of the total courses/credit units being offered in a semester of a programme offered through the SWAYAM/NPTEL or any other online UGC approved platform.

The University shall develop its guidelines for the implementation of MOOC-based courses. These guidelines shall outline the process of course selection, credit transfer, and other relevant aspect to ensure a smooth integration of MOOCs into the curriculum.

20. Structures For Undergraduate Programme: Semester System

In the curriculum designed for the 3-year Bachelor programme/4-year Bachelor with Honours/Honours with Research, students get opportunities for multiple exits and entries in the programme with earning a Certificate/Diploma/Degree after the completion of required minimum credit units as per Table 1.

* Student exiting the programme after securing 40 credits (Level 4.5 who shall be awarded UG Certificate) or 80 credits (Level 5, who shall be awarded UG Diploma) are also required to secure 4 additional credits in work/domain based vocational courses offered during summer term or industrial internship/apprenticeship.

The 4-year Bachelor's degree programme is considered a preferred option since it would provide the opportunity to experience the full range of holistic and multidisciplinary education in addition to a focus on the chosen major and minor as per the choice of the student (Table-IIA & Table -IIB)

Table IIA: Minimum credit requirement to award degree under each category

S.N.	Category of Course	Minimum Credit Requirement	
		3-Year UG Programmes	4-Year UG Programmes
1	Major (Core) Courses	60 (50%)	80 (50%)
2	Minor (Elective) Courses	24	32
3	Multidisciplinary/Interdisciplinary/Allied Courses	09	09
4	AEC (Ability Enhancement Courses)	08	08
5	SEC (Skill Enhancement Courses)	09	09
6	VAC (Value Added Courses) including Indian Knowledge System (IKS)	07	07
7	Summer Internship	03	03
8	Dissertation (Research Project)		12*
Total Credits		**120**	**160**

Note:

*Honors student not undertaking research project will have to do three courses of 12 credits in lieu of a research project/dissertation.

Table IIB: The Semester-wise and Broad Course Category-wise Distribution of credits of the Undergraduate Programme:

Semester	Discipline Specific Courses Core	Minor	Inter-disciplinary Courses	Ability Enhancement courses (Language)	Skill Enhancement courses Internship/ Dissertation	Common Value-Added Courses	Total Credits
I	(100 level)	(100 level)	(1 course)	(1 course)	(1 course)	(1 or 2 course)	20
II	(100 level)	(100 level)	(1 course)	(1 course)	(1 course)	(1 or 2 course)	20
	A student **exiting** the programme after securing 40 credits shall be awarded **UG Certificate** in the relevant Discipline/Subject provided he secures provided he has undergone a minimum 4-credit skill enhancement course(s) over and above the 40 credit earned for completing level 4.5.						40
III	(200 Level)	(200 & above)	(1 course)	(1 course)	(1 course)	-	20
IV	(200 Level)	(200 & above)	-	(1 course)	-	-	20
	A student **exiting** the programme after securing 80 credits shall be awarded **UG Diploma** in the relevant Discipline/Subject provided he secures additional 4 credit in skill based vocational courses offered during first year or second year summer term.						80
V	(300 Level)	(200 & above)	-	-	(Internship)	-	20
VI	(300 Level)	(200 & above)	-	-	-	-	20
	Students who want to undertake 3-year UG programme shall be awarded UG Degree in the relevant Discipline/Subject upon securing 120 credits.						120
VII	(400 Level)	(300& above)	-	-	-	-	20
VIII	(400 Level)	(300& above)	-	-	(Research Project/Dissertation)	-	20
	A Student shall be awarded UG Degree (Honours) with Research in the relevant Discipline/Subject provided he secures 160 credits.						160

Note:

a) The total number of credits mentioned column (8) in each semester is minimum. The University may decide the number of credits for each course (e.g., major, Minor, Multidisciplinary, etc.) to fulfil the minimum number of credit requirements. The University may offer additional 10% credit, as per requirement.

b) Students may be permitted to audit course(s) of their choice offered by the University provided they meet the pre-requisite for the course.

c) A student has to earn a minimum of 50% of total credits in a discipline to earn an undergraduate degree with a major in that discipline.

d) The level of minor stream courses can be from 300 or above level. 50% of the total credits from minors must be secured in the relevant subject/discipline and another 50% of the total credits from a minor can be earned from any discipline (multidisciplinary) as per students' choice.

e) Students are not allowed to take the same courses studied in Level 4/class XII under the interdisciplinary category.

f) 40% of the credits in any category may be earned through online courses approved by the University as per the existing UGC regulations.

g) VIII-Semester core major shall be seminar-based with students' presentations and discussions.

h) Students shall be encouraged to enrol in activities such as NSS/NCC/Youth Red Cross, etc.

21. Structure of Postgraduate (PG) Programmes

For 2-year PG Programme:

Students entering 2-year PG programme after a 3-year Undergraduate programme can choose to do

(i) only course work in the third and fourth semester or

(ii) course work in the third semester and research in the fourth semester or

(iii) only research in the third and fourth semester.

For 1-year PG Programme:

Students entering 1-year PG after a 4-year Undergraduate programme can choose to do

(i) only coursework or

(ii) research or

(iii) coursework and research.

For 5-year Integrated Programme (UG+PG):

At the PG level, the curricular component of 5-year integrated programme will be similar to that of 2-year PG programme mentioned above.

Credit Distribution:

a) For 1-year PG

Curricular Components	PG Programme (one year) for 4-year PG (Hons./Hons. with Research) Minimum Credits			
	Course Level	Coursework	Research Thesis/Project/Patent	Total Credits
Coursework + Research	500	20	20	40
Coursework	500	40	-	40
Research	-	-	40	-

b) For 2-year PG

Curricular Components		Two-Year PG Programme (Generic and Professional) Minimum Credits			
		Course Level	Coursework	Research Thesis/Project/Patent	Total Credits
PG Diploma		400	40	-	40
1st Year (1 & 2nd Semester)		400 500	24 16	-	40
Students who exit at the end of 1 year (2nd Semester) shall be awarded a Postgraduate Diploma					
2nd Year (3 & 4 Semester)	Coursework & Research	500	20	20	40
	Coursework (or)	500	40	-	40
	Research	-	-	40	

Exit Point:

For those who join 2-year PG programmes, there shall only be one exit point. Students who exit at the end of 1st year shall be awarded a Postgraduate Diploma.

The PG programme shall include vocational courses relevant to the chosen discipline.

22. Levels of Courses

Courses shall be coded on the basis of learning outcomes, level of difficulty, and academic rigor. The coding structure is as follows:

i. **0-99:** Pre-requisite courses required to undertake an introductory course which will be a pass or fail course with no credits. It will replace the existing informal way of offering bridge courses that are conducted in some of the colleges/universities.

ii. **100-199:** Foundation or introductory courses that are intended for students to gain an understanding and basic knowledge about the subjects and help decide the subject or discipline of interest. These courses may also be prerequisites for courses in the major subject. These courses shall put focus on foundational theories, concepts, perspectives principles, methods and procedures of critical thinking in order to provide a broad understanding for taking up more advance courses. These courses seek to equip students with the general education needed for advance study, expose students to the breadth of different fields of study; provide a foundation for higher specialised higher level coursework; acquaint students with the breadth of (inter) disciplinary fields in the arts, humanities, social sciences, and natural sciences, and to the historical and contemporary assumptions and practical of vocational or professional fields; and to lay the foundation for higher level coursework.

iii. **200-299:** Higher-level courses including subject-specific courses intended to meet the credit requirements for minor or major areas of learning. These courses can be part of a major and can be pre-requisite courses for advanced-level major courses.

iv. **300-399:** Higher-level courses which are required for majoring in a disciplinary /interdisciplinary area of study for the award of a degree.

v. **400-499:** Advanced courses which would include lecture courses with practicum, seminar-based course, term papers, research projects, hands-on-training, internship/apprenticeship projects at the undergraduate level or First year Postgraduate theoretical and practical courses.

vi. **500-599:** Course at first-year Master's degree level for a 2-year Master's degree programme.

vii. **600-699:** Courses for second-year of 2-year Master's or 1-year Master's degree programme.

viii. **700-799 & above:** Courses limited to doctoral students.

23. Admission Paths for Postgraduate Programme

a) Students shall be admitted to a 2-year postgraduate programme with the second year devoted entirely to research for those who have completed the 3-year Bachelor's programme.

b) Students completing a 4-year Bachelor's programme with Honors/Research, may be admitted to a 1-year Postgraduate programme.

c) A student is eligible for admission in a PG programme either in the major or minor discipline taken by the student in his/her UG programme.

d) Irrespective of the major or minor discipline taken by a student in a UG programme, a student is eligible for admission in any discipline of PG programmes if the student qualifies the National level or University level entrance examination in the discipline of PG programme.

e) Candidates who have completed 4-year UG programme or a 3-year UG and 2-year Pg programme or 5-year integrated programme (UG + PG) in STEM subjects will be eligible for admission in M.E., M.Tech. in allied areas.

f) The University shall also run an integrated five-year Bachelor's programme in specified subjects/programme.

Entry 5: The entry requirement for Level 6.5 is

a) A Bachelor's Degree (Honours/Research) for the one-year/two-semester Master's degree programme.

b) A Bachelor's Degree for the two-year/four-semester Master's degree programme.

c) A Bachelor's Degree for the one-year/two-semester Post Graduate diploma programme.

d) A programme of study leading to the Master's degree and Post-Graduate Diploma is open to those who have met the entrance requirements, including specified levels of attainment, in the programme admission regulations. Admission to a programme of study is based on the evaluation of documentary evidence (including the academic record) of the applicant's ability to undertake postgraduate study in a specialist field of enquiry.

Exit 5: For postgraduate programmes, there shall only be one exit point for those who join the 2-year Master's programme, i.e. at the end of the first year of the Master's programme. Students who exit after the first year shall be awarded the Post-Graduate Diploma.

24. Credit Requirements of a Postgraduate Programme

a) A one-year/two-semester Master's degree programme after a Bachelor's degree with Honours/Honours with Research shall require 40 credits for individuals who have completed a Bachelor's degree with Honours/Honours with Research.

b) The two-year/four- semester Master's degree programme after a Bachelor's degree shall require a total of 80 credits from both years of the programme, with 40 credits in the first year and 40 credits in the second year of the programme at level 7.

c) A one-year/two-semester Post-Graduate Diploma programme after a Bachelor's degree and requires 40 credits for individuals who have completed a Bachelor's degree.

*A student shall be allowed to enter/re-enter only at the odd semester and can only exit after the even semester. Re-entry at various levels as lateral entrants in academic programme should be based on the earned credits and proficiency test records.

* The validity of credits earned shall be to a maximum period of 7-years or as specified by the ABC. The procedure for depositing credits earned, its shelf life, redemption of credits, would be as per UGC (Establishment and Operationalization of Academic Bank of Credits (ABC) scheme in Higher Education) Regulations, 2021.

25. Norms for Duration, Entry level Qualifications and Statutory Reservations of the Technical Programmes

To make the students employable after every exit, the skill component with progressive enhancement in skills in respective disciplines may be introduced in the curriculum right from the 1st year of the program by the concerned regulatory body/University/Technical Board, as the case may be. While allowing exit at the end of first year, institutes may prescribe mandatory skill course module on Technical Communication and Computer Proficiency (Data Entry etc.), Civil/Mechanical Draftsman ship, Electrical maintenance etc.

S.N.	Academic Level	Entry Level Qualifications	Qualifications at Exit	NCrF Level
1	10th Standard	-	10th Standard	3.0
2	1st Diploma year	10th Completed	A candidate exits with 10+1 year of Diploma; Certificate of Vocation (C.Voc.)	3.5
3a	12th Standard	Passed 11th Standard	12th Standard	4.0
3b	2nd Year of Diploma	A candidate completing 10+1 year of Diploma (C.Voc.) or equivalent vocational training with level 3.5 of passed 12th standard.	A candidate exits with 10+2 years with Diploma of Vocation	4.0
4a	3rd Year of Diploma	A candidate completing 10+2 years with Diploma of Vocation or equivalent vocational training with level 4	Diploma in Engineering	4.5
4b	1st year of UG Degree	A candidate completing 10+2 years with Diploma of Vocation or passed 12th standard or equivalent vocational training with level 4	UG Certificate	4.5
5	2nd year of UG Degree	A candidate with Diploma in appropriate branch of engineering /UG Certificate /equivalent vocational or training programme level 4.5	UG Diploma in Engineering	5.0
6	3rd year of UG Degree	A candidate with ((10 + 3 + 1) / (12 + 2)) / UG Diploma (Engineering) in appropriate domain with level 5	B.Voc./B.Sc.	(Engg.)/UG Degree
7	Final year of UG Degree	A candidate with 3 yrs Bachelor degree in Vocation /B.Sc. (Engg.)/UG degree with Level 5.5	B.E./B.Tech./UG	Degree (Honours)
8	1st year of PG Degree	A candidate with 4 yrs Bachelor degree (Level 6.00)	PG Diploma/M.Voc.	6.5
9	Final year of PG Degree	1st year of PG Degree/PG Diploma /M.Voc. (Level 6.5) in appropriate domain	M. Tech. /PG degree (Engg.) / PG degree	7.0
10	Ph.D./Fellow Programme	B.Tech. with 75% marks or equivalent CGPA/PG	-	8

26. National Credit Framework for UG and PG courses in Engineering

National Credit Framework (NCrF) for UG & PG Courses in Engineering Students who exit after 2nd year of B.Tech. course must undergo skill modules on IT/Hardware Networking/METLAB or Branch specific skill module. Course structure at 3rd year and 4th year of B.Tech. is already Engineering specific, students who exit after 3-years may be awarded UG Degree/B.Voc./B.Sc. (Engg.).

For Diploma students who exit after 1st year, Certificate of Vocation (C.Voc.) and who exit after 2nd year, Industrial Training Certificate (ITC)/Diploma of Vocation may be awarded.

At each entry level, University shall identify the educational gaps/skill gaps and suitable bridge courses may be offered.

Specialization shall be as per the Respective Regulatory Bodies issued from time to time.

27. Attendance

Requirement of attendance shall be as per University Ordinance governing the examinations. In general, attendance of a least seventy-five percent shall be required in each course to appear in the end semester examination.

For special reasons such as prolonged illness deficiency in the percentage of attendance in each course may be condoned by the Vice Chancellor.

28. Examination & Evaluation

Evaluation shall be based on continuous assessment, in which sessional work and the terminal examination shall contribute to the final grade. Sessional work shall consist of class tests, mid-semester examination(s), homework assignments, etc., as determined by the faculty in charge of the course of study. Progress towards achievement of learning outcomes shall be assessed using the following; time-constrained examinations; closed-book and open-book tests; problem-based assignments; practical assignment laboratory reports; observation of practical skills; individual project reports (case-study reports); team project reports; oral presentations, including seminar presentation; viva voce interviews; computerized adaptive assessment, examination on demand, modular certification, etc.

Each course shall correspond to an examination paper comprising of external and internal evaluations. The semester end theory examination for Major, Minor, Open/Generic and DSC (Discipline specific Course) vocational, value added, SEC (Skill Enhancement Course) and ABC (Ability Enhancement Course) shall be of a duration as promulgated through the examination's regulations approved by the Academic Council of the University.

The credit structure for theory/Practical/tutorial, internal, external examinations and total marks for an examination shall be as per the program structure approved by the Academic Council of the University as per UGC norms. Students shall acquire a minimum passing mark in internal and external examinations separately to be declared as pass in the respective courses, as prescribed by the Academic Council.

a) The academic performance of a candidate shall be evaluated in respect of the courses of study prescribed for each semester through the evaluation. The evaluation of students admitted in the programme shall be based on End Semester Examinations 70% marks of total marks and Continuous Internal Assessment 30% of total marks.

b) The End Semester examinations shall be held as per the academic calendar notified by the University and the duration of end semester examination shall be of three or two hours.

c) The minimum percentage of marks to pass the programme in each semester shall be 40% in each course, comprising of end semester examinations and continuous evaluation.

d) A programme shall have a specified number of credits in each semester. The number of credits, along with grade points that the student has satisfactorily cleared, shall measure the performance of the student.

e) Semester examination result shall have following categories:

   i. **Passed** i.e., those who have passed in all courses of the semester examination in internal and external examination separately.

   ii. **Promoted** (ATKT), i.e., those who have earned minimum 50% of credits in a particular year, including both the semesters (even and odd) or those who have earned any number of credits in odd semester.

   iii. **Detained**, i.e., those who are not promoted as per the above provisions shall be detained. Such students have to appear in the examination of next academic session to earn required credits (excluding the credits already earned) as per the provisions of this Ordinance and only then he/she may continue the programme within stipulated period as per the provisions of this Ordinance.

f) However, a student of any semester who has been detained/not appeared in examination due to less attendance/not applied for examination/ applied but not appeared shall be out from the programme. Such a student has to take admission in the next session as an ex-student through the procedure adopted/notified by the University.

29. Continuous Internal Assessment

a) Continuous Internal Assessment shall be of 30% marks of total marks allotted for the course.

b) The components for continuous internal assessment for each course shall be decided by the Board of Studies of concerned subject.

c) Continuous Internal assessment shall be carried forward in case of ATKT students, there shall not be any provision of conducting internal assessment tests for ATKT students under any circumstances.

30. Evaluation and Certification of MOOCS and Vocational Courses

The guidelines of the University/SWAYAM portal/UGC shall be followed for evaluation and certification of MOOCs, Vocational Courses, Field Projects/Internship/Apprenticeship/ Community engagement and service/ Research Project.

31. Letter Grades and Grade Points

The Semester Grade Point Average (SGPA) is computed from the grades as a measure of the student's performance in a given semester. The SGPA is based on the grades of the current term, while the Cumulative GPA (CGPA) is based on the grades in all courses taken after joining the programme of study.

The University may also mention marks obtained in each course and a weighted average of marks based on marks obtained in all the semesters taken together, for the benefit of students.

Letter Grade	Grade Points	Description	Range of Marks (%)
O	10	Outstanding	>90 to <=100
A^+	9	Excellent	>80 to <=90
A	8	Very good	>70 to <=80
B^+	7	Good	>60 to <=70
B	6	Above Average	>50 to <=60
C	5	Average	>40 to <=50
P	4	Pass	=40
F	0	Fail	<40
Ab	0	Absent	Absent

Computation of SGPA and CGPA:

Computation of SGPA and CGPA shall be as per the recommendations of UGC; the following procedure shall be adopted to compute the Semester Grade Point Average (SGPA) and Cumulative Grade Point Average (CGPA):

i. The SGPA is the ratio of the sum of the product of the number of credits with the grade points scored by a student in all the courses taken by a student and the sum of the number of credits of all the courses undergone by a student, i.e.

$SGPA\ (S_i) = \Sigma(C_i \times G_i) / \Sigma C_i$

Where C_i is the number of credits of the ith course and G_i is the grade points scored by the student in the ith course.

Example for Computation of SGPA

Semester	Course	Credit	Letter Grade	Grade Point	Credit X Grade
1	Course 1	3	A	8	3 X 8 = 24
1	Course 1	4	B^+	7	4 X 7 = 28
1	Course 1	3	B	6	3 X 6 = 18
1	Course 1	3	O	10	3 X 10 = 30
1	Course 1	3	C	5	3 X 5 = 15
1	Course 1	4	B	6	4 X 6 = 24
		20			**139**
					SGPA = 139/20 = 6.95

ii. The Cumulative Grade Point Average (CGPA) is also calculated in the same manner, taking into account all the courses undergone by a student over all the semesters of a programme, i.e.

$CGPA = \Sigma(C_i \times S_i) / \Sigma C_i$

Where S_i is the SGPA of the ith semester and C_i is the total number of credits in that semester.

Example for Computation of CGPA

Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4
Credit 20 SGPA 6.9	Credit 20 SGPA 7.8	Credit 20 SGPA 5.6	Credit 20 SGPA 6.0
CGPA = (20 X 6.9 + 20 X 7.8 + 20 X 5.6 + 20 X 6.0)/80 = 6.6			

The SGPA and CGPA shall be rounded off to 2 decimal points and reported in the transcripts. On completing all requirements for the award of the undergraduate certificate/ diploma/ degree, the CGPA shall be calculated, and this value shall be indicated on the

certificate/diploma/degree. The 3-year (6 semester) undergraduate degrees should also indicate the Division obtained as per Table 4:

Table 4: Distribution of Divisions

Division	Criterion
First division with distinction	If the student earns minimum number of credits for the award of the degree with CGPA of 7.5 or above
First division	If the student earns minimum number of credits required for the award of the degree with CGPA of 6.0 above but less than 7.5
Second division	If the student earns minimum number of credits required for the award of the degree with CGPA of 4.5 or above but less than 6.0
Third division	If the student earns minimum number of credits required for the award of the degree with CGPA of 4.00 or above but less than 4.5

Note:

The conversion of CGPA into percentage shall be as follows to facilitate its application in other academic matters.

Equivalent Percentage = CGPA x 10 the percentage shall be rounded off up to the second decimal point.

The Candidate shall be awarded a certificate/diploma/degree when he/she successfully earns the minimum required credits for the certificate/ diploma/degree.

32. Rules for Promotion

a. A student shall be promoted and may take admission in the 2nd semester immediately after the 1 semester end examination, irrespective of any number of back papers.

b. A student may take admission in the 3rd semester provisionally, immediately after the 2nd semester end examination and his/her admission shall be confirmed and she/he shall be promoted to the 3rd semester provided he/she has earned minimum 50% credits, including both 1st and 2nd semesters.

c. A student shall be promoted and may take admission in the 4th semester immediately after the 3rd semester, irrespective of any number of back papers in 3rd semester.

d. A student may take admission in the 5th semester provisionally, immediately after the 4th semester examination and his/her admission shall be confirmed and he/she shall be promoted to the 5th semester provided he/she has earned minimum 50% credits

including both 3rd and 4th semesters, Further student must clear all the papers of 1st and 2nd semesters.

e. A student shall be promoted and may take admission in the 6th semester immediately after the 5th semester with any number of back papers.

f. Examination of back papers of odd semesters shall be conducted along with odd semesters end examinations, similarly examinations of back papers of even semesters shall be conducted along with even semester end examinations.

g. Further, a special examination of the 5th semester shall be conducted along with the 6th semester for the students who have cleared all the papers till 4th semester.

h. A special examination of the 4th semester shall be conducted after the declaration of end semester result, those students having back papers only in the 6th semester shall be eligible to appear in this special examination.

i. A student may take admission in the 7th semester (Fourth year of UG) only after clearing all the semesters up to the 6th semester.

j. A student shall be promoted and may take admission in 8th semester (Fourth year of UG) provisionally, immediately after the 7th semester examination, irrespective of number of back papers in the 7th semester. Further, a special examination of the 7th semester shall be conducted along with the 8th semester for clearing the back papers of 7th semester.

k. A special examination of the 8th semester shall be conducted soon after declaration of the semester result. Any student having back papers in 8th semester shall be eligible to appear in this special examination.

1. A student may choose honours course in the fourth year before the commencement of the fourth year by applying for the same, in a manner laid down for the same. A four year UG Honors degree in the major discipline shall be awarded to those who complete a four-year degree programme with greater or equal to 160 credits as per Table 5.

m. Further students who secure 75% marks or above or equivalent 7.5 CGPA in the first six semesters and wish to undertake research at the undergraduate level can choose a research stream in the fourth year. They should do a research project or dissertation under the guidance of a faculty member of the department. The research project/dissertation shall be in the major discipline. The research outcomes of their project work may be published in peer-reviewed journals or may be-presented in conferences/seminars or may be patented.

n. In case a student is detained or not promoted to higher semester, he/she shall be held up till the backlog papers are cleared for which he/she can take attempt in the next appropriate examination provided that the same is done within the maximum duration allowed for the programme. Continuous internal assessment marks of such students shall be carried forward for the corresponding course in which he/she is appearing.

o. For counting 50% credits both theory as well as practical courses shall be considered and 0.5 shall be rounded up.

33. Issue of Transcript

Based on the recommendations on Letter grades, grade points and SGPA and CGPA, the university shall issue the transcript for each semester and a consolidated transcript indicating the performance in all semesters.

34. Credit Transfer

a) The credit transfer shall be implemented as per the policy of the University framed in accordance with the guidelines issued by the UGC from time to time.

b) The member institutions of the Academic Bank of Credit established vide University Grants Commission (Establishment and Operation of Academic Bank of Credits in Higher Education) Regulations 2021 shall accept and transfer the credits as per the provisions of this regulation as amended from time to time.

c) Except for the cases of provisional promotions, the university shall facilitate credit transfer of students between them However, the student may be required to fulfil some eligibility criteria, drawing parity for a course, framed by the University in which the student seeks admission.

35. General

a) There shall be no provision for repeat or improvement of the programme, once a student has cleared it.

b) There shall be no provision for revaluation. However, re-totalling is permissible as per the University rule.

c) Exit options shall be available only at the end of even semesters and entry options shall be available only in the beginning of odd semesters with the prevailing syllabus.

d) If a student appears for 2nd semester end examination and discontinues for 3rd semester and wishes to take admission for 4th semester in future, shall not be allowed

for 4th semester. Such a student shall have to seek admission in 3rd semester, as per university regulation. This is also applicable to other odd semesters.

e) Any points related to NHEQF not covered by this Ordinance shall be as prescribed by the University through Ordinance/regulation/guidelines from time to time.

f) If any question arises related to the matters not covered in the Ordinance, the relevant provisions made in the Ordinance/statutes of the university or UGC shall be applicable.

g) Any points related to ABC and multiple entry and exit which are not covered in this ordinance shall be dealt with as per the regulations of the University in accordance with the provisions of UGC guidelines/regulations issued by, from time to time.

h) If any dispute arises pertaining to the interpretation of the provisions of this Ordinance, if shall be referred to the Board of Management for its opinion.

i) The guidelines, related to this programme, issued from time to time by the statutory bodies e.g. UGC or any other relevant regulatory body shall be adopted for implementation.

j) In matters not covered under this Ordinance, general rules and regulations of the University shall be applicable.

k) UGC amendment notifications, if any, shall be deemed to have been incorporated in the existing Ordinance, mutatis mutandis, by the University.

1) Notwithstanding the above, the University shall ensure that the study programme leading to award of degree/diploma/certificate shall conform to the standard set by the relevant regulations and norms of the UGC or the relevant statutory body.

Table: Sample UGCF for Multidisciplinary Course of Study

Semester	Core (DSC)	Elective (DES)	Generic Elective (GE)	Ability Enhancement Course (AEC)	Skill Enhancement Course (SEC)	Internship Apprenticeship /Project	Value Addition Course	Total Credits
I	Discipline A-1(4) Discipline B-1(4) Discipline C-1(4)		Choose one from a pool of courses GE-1(4)	Choose one from a pool of ABC courses (2)	Choose one from a pool of courses (2)	-	-	22
II	Discipline A-2(4) Discipline B-2(4) Discipline C-2(4)		Choose one from a pool of courses GE-2(4)	Choose one from a pool of ABC courses (2)	Choose one from a pool of courses (2)	-	-	22
Students on exit shall be awarded undergraduate certificated (in the Field of Multidisciplinary study after securing the requisite 44 credits in semester I and II								44
III	Discipline A-3(4)			Choose one of from a pool			Choose one from	22

	Discipline B-3(4) Discipline C-3(4)	Choose one from a pool of courses DSE A/B/C (4) OR Choose one from a pool of courses GE-3(4)		ABC courses (2)	Choose one SEC OR Internship/Apprenticeship/Project/community outreach (2)	a pool of courses (2)	
IV	Discipline A-4(4) Discipline 8-4(4) Discipline C-4(4)	Choose one from a pool of courses DSE A/B/C (4) OR Choose one from a pool of courses GE-3(4)		Choose one from a pool of ABC courses (2)	Choose one SEC OR Internship/Apprenticeship/Project/community outreach (2)	Choose one from a pool of courses (2)	22
Students on exit shall be awarded undergraduate certificated (in the Field of Multidisciplinary study after securing the requisite 88 credits on completion of semester IV							88
V	Discipline A-5(4) Discipline B-5(4) Discipline C-5(4)	Choose one from a pool of courses DSE A/B/C (4)	Choose one from a pool of courses GE-5(4)	-	Choose one SEC OR Internship/Apprenticeship/Project/community outreach (2)	-	22
VI	Discipline A-6(4) Discipline B-6(4) Discipline C-6(4)	Choose one from a pool of courses DSE A/B/C (4)	Choose one from a pool of courses GE-6(4)	-	Choose one SEC OR Internship/Apprenticeship/Project/community outreach (2)	-	22
Students on exit shall be awarded Bachelor of (in the Field of Multidisciplinary study) after securing the requisite 132 credits on completion of semester VI							132
VII	DSC-(4)	Choose three DSE (3x4) courses OR Choose two DSE (2x4) and one GE(4) course OR Choose one DSE and two GE(4) courses OR All three GE 7,8 & 9 (Total = 12)		-	-	Dissertation on Major (4+2) OR Dissertation on Minor (4+2) OR Academic project/Entrepreneurship (4+2)	22
VIII	DSC-(4)	Choose three DSE (3x4) courses OR Choose two DSE (2x4) and one GE(4) course OR Choose one DSE and two GE(4) courses OR All three GE 10,11 & 12 (Total = 12)		-	-	Dissertation on Major (4+2) OR Dissertation on Minor (4+2) OR Academic project/Entrepreneurship (4+2)	22
Students on exit shall be awarded Bachelor of (in the Field of Multidisciplinary study) (Honors or Honors with Academic Project/Entrepreneurship) after securing the requisite 176							176

UNIVERSITY LOGO

KRISHNA VIKAS GLOBAL UNIVERSITY, RAIPUR

GRADE SHEET

FIRST SEMESTER

Name of the Program -
Name of the University -
Address of the University -

Batch		Year	
Enrollment No.		Roll No.	
Name of the Student		Examination	
Father's / Husband's Name		Mother's Name	

Programm Code	Programme Title	Credits	Grade	Grade Point	Credit Points (Credit x Grade Point)
	Programme 1	6	A	8	48
	Programme 2	6	C	5	30
	Programme 3	4	B+	7	28
	Programme 4	4	O	10	40
	TOTAL	20			146
	SGPA	146/20			7.3

* Grade in Repeat Examination

RESULT SEMSTER WISE

SEMSTER	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
TOTAL CREDITS								
OBTAINED CREDITS								
ADDIONAL CREDITS								
SGPA								
ATTEMPT								
RESULT								

SGPA - Semester Grade Point Average
CGPA - Cumulative Grade Point Average
Equivalent Percentage = CGPA x 10

Date of Result **Registrar/Controller of Examination**

ORDINANCE – 2

Guideline For Admission of Students and Enrolment

[Refer to Section 28 (1) (a) of the CGPURC (Establishment and Operation) Act, 2005]

Admission and Enrolment of students in the University shall be regulated in the manner hereinafter provided.

1. APPLICABILITY

This Ordinance shall apply to all Programmes leading to Undergraduate, Postgraduate Degrees, Diplomas and Certificates.

2. ADMISSION

i. The University shall be handling bi-annual admissions may admit students twice a year, in July/August and January/February or as the case may be, subject to the fulfilment of conditionalities laid down in the matter.

ii. The University shall provide multiple entry and exit options in the academic programmes.

iii. Admissions in the University shall be as per the Academic Calendar and Ordinances of the University. The University shall follow the guidelines issued by the Central Government / State Government / UGC / CGPURC from time to time.

iv. The University admissions are open to all those holding requisite eligibility qualifications.

v. The admission policy of the University shall be formulated by the Board of Management and recommended to the Governing Body for approval.

vi. Admission shall be done on the basis of marks of qualifying examinations of any government board or equivalent board OR based on the rank obtained in the entrance examination conducted by university or entrance examination conducted by any government approved agency as applicable.

vii. Admission to all courses in the University departments shall be made based on competitive merit by the Rules, if any, made by the State Government / any other regulatory body.

viii. Mobility of a student from vocational education to general education or vice-versa shall be as per the procedure prescribed in the relevant guidelines issued by the concerned regulatory bodies.

ix. Students may also take admission in any higher odd semester, provided they fulfil promotion rules as prescribed in the Ordinance. A student is automatically deemed to

be admitted in the next semester provided he/she fulfils the criteria as mentioned in the Ordinance. This is applicable for students continuing the academic session.

x. Unless otherwise provided, no candidate shall be eligible for admission to the undergraduate courses in the University till the candidate has passed with minimum passing marks as fixed by the University, the Senior Secondary School Certificate Examination or Higher Secondary School Certificate Examination from a recognized Board of Secondary Education

xi. No candidate shall be admitted to any post-graduate course, unless he/she has passed, with minimum passing marks as fixed by the University, a UG degree examination from a recognized University or any examination recognized as equivalent to a degree by the Academic Council and possesses such further qualifications as may be prescribed by the Ordinances.

xii. The University shall reserve the right to deny admission to a candidate.

xiii. At the time of admission, every student and his/her parent or legal guardian shall be required to sign a declaration to the effect that the student submits himself/herself to the disciplinary and pecuniary jurisdiction of the University.

xiv. A student who has passed a part of any degree or diploma from another recognized University /recognized awarding body shall be admitted to a subsequent higher class for such examination after its equivalence has been determined by the Academic Council.

xv. Admission to the University shall be done as per the UGC / Government Guidelines.

xvi. If the date specified or the date decided by the Academic Council as the last date of admission happens to be a holiday, the next working day shall be treated as the last date of admission.

xvii. Admission of a student to any course shall be subject to the availability of a vacant seat in that particular course in which admission is sought based on merit.

xviii. A candidate who has been wrongly admitted to any course shall forfeit his/her right as a student in the University and shall not be allowed to appear in an Examination of the University.

xix. A candidate who has been rusticated or has been disqualified from appearing in an examination by any other University /Institution shall not be admitted to any course of study in this University during the period of rustication or disqualification.

xx. No student enrolled in the University shall be promoted to any subsequent higher class of a course unless he fulfils the criteria for promotion as per the regulations framed by the Academic Council in this regard.

xxi. No student migrating from other University shall be admitted to any course of the University unless he/she has passed the qualifying examination with minimum passing marks as fixed by the Governing Body.

3. ADMISSION COMMITTEE

i. There shall be an Admission Committee, which will be responsible for regulating the whole admission process under the guidance of the Vice–Chancellor.

ii. The Academic Council may constitute an Admission Committee to regulate admissions to the University.

iii. The Committee shall:

a. Scrutinize the Application forms for the admission of the candidate, following the conditions of admission prescribed by the Academic Council from time to time.

b. Conduct the Admission Test(s) and/or Interview, or as otherwise directed by the Academic Council.

c. Prepare the merit list based on the norms of admission in the University.

4. INTERNATIONAL STUDENTS

i. Foreign Students may be admitted to the programme accordingly to the policy guidelines laid down by the Government of India / University / AIU / UGC from time to time.

ii. The Academic Council may set up an International Students' Cell to deal with the admission and guidance of international students. This Cell will not only control the admission of the students but will also provide necessary guidance and counselling for securing admission.

iii. The International Students shall include the following:

a. **Foreign Students:** Students holding passports issued by foreign countries, including people of Indian origin who have acquired the nationality of foreign countries, shall be treated as foreign students.

b. **Non-Resident Indians (NRI):** Only those Non-Resident Indian students who have studied and passed the qualifying examinations from schools or colleges in foreign countries shall be treated as international students. This shall include the students studying in the schools or colleges situated in foreign countries, even if affiliated to the Boards of Secondary Education or Universities located in India, but shall not include students studying in the schools or colleges situated in India and affiliated to the Boards of Secondary Education or Universities of foreign countries. Students passing the qualifying examinations from Boards or Universities located in foreign

countries as external students and dependents or NRI studying in India shall not be treated as international students.

iv. Documents Required for Admission of International Students

a. **Visa:** All international students shall require a student visa endorsed by this University to join any course. A candidate wishing to join a research programme shall require a research visa endorsed by this University. The visa should be valid for the prescribed duration of the course. A visa is not required for NRI candidates. Students who are doing a full-time course in some other institutions do not require a separate visa for joining part-time courses, provided that their current visa is valid for the entire duration of the course.

b. **No Objection Certificate:** All international students wishing to undertake any research work or join Ph.D. or M.Phil. Programmes will have to obtain prior Security clearance from the Ministry of Home Affairs or External Affairs and the approval of the Department of Secondary and Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India, and this must be on the research visa endorsed by this University.

v. **Eligibility Qualifications:** Only those students who have qualified from foreign Universities or Boards of Higher Education recognized as equivalent by the Academic Council, by the guidelines of the Association of Indian Universities (AIU), shall be eligible for admission.

vi. The procedure of admissions for international students shall be as per the regulations framed by the Academic Council in this regard.

vii. The international students shall abide by the rules of the University and the code of conduct as applicable to Indian students doing the same courses and the law of the land

viii. The medium of instruction in the University shall be English.

5. RESERVATION

i. The University shall follow the prevailing reservation policies of the State Government applicable to educational institutions, and any specific directives given by the State Government to the University. If the reserved seats are vacant due to their non-availability, then the same shall be filled by other candidates according to merit.

ii. A fixed proportion of the seats in each course shall be filled by the domicile of the State of Chhattisgarh based on merit, provided they satisfy the eligibility criteria for admission. The Governing Body shall fix the number of such seats by the prevailing guidelines of the State Government. In case the allotted State quota seats remain vacant, the same may be converted into open category seats.

iii. For the seats to he filled in each course by the domicile of Chhattisgarh, the reservation policy of the State Government shall be applicable.

6. ENROLMENT IN THE UNIVERSITY

i. Every student admitted to the program shall be enrolled before appearing in the first semester examination through the procedure prescribed by the University after paying the Enrolment fees decided by the University.

ii. The Director of Admissions shall submit the details of admitted students in a prescribed format within the stipulated time after the last date of admission, along with all the relevant original documents and enrolment fee, as specified by the Academic Council from time to time, to the Registrar.

iii. The Transfer and Migration Certificates submitted by students at the time of admission shall become the property of the University.

iv. Enrolled students shall be issued a new Transfer Certificate and Migration Certificate under the seal of the University at the time of leaving the University.

v. No person shall be admitted to any examination of the University unless he/she has been duly enrolled as a student of the University.

vi. If a student takes a Migration Certificate to join another University, his/her enrolment to the University shall lapse until he/she subsequently returns with a Migration Certificate from that University to join any course of the University. Fresh enrolment and enrolment fees in such cases shall be necessary.

vii. The application form for admission shall, among other things, be accompanied by

   a. The school or College Leaving Transfer Certificate, duly signed by the Head of the Institute last attended by the candidate as a regular student

   b. Duly attested / self-attested Photocopies of the statements of marks along with the original copies, which shall be returned after verification, based on which the candidate is seeking admission in a particular Course. For an applicant passing the qualifying examination as a private candidate, certificates from the gazetted officers to the effect that he bears good character and morals shall be required. If the candidate has passed the qualifying examination from a Board other than the Chhattisgarh Board of Secondary Education or a University other than this University, then he shall submit, in addition to the school or college leaving certificate, an eligibility and a Migration Certificate issued by competent authority together with migration fee, and Character Certificate as prescribed by the University, If any one of the document/s are found to be forged, tampered or false, the student's admission shall automatically stand cancelled and necessary legal action may be initiated.

viii. The candidate must submit a self-attested copy of the qualifying examination before enrolment.

ix. The Student Section of the University, under the guidance of the Registrar, shall maintain a record of all enrolled students studying in the various Faculties or Schools or carrying out research work in the University

7. Eligibility Criteria for Admission (Diploma / Undergraduate / Postgraduate / Ph.D.)

i. A candidate who has passed Level 4/Class 12 schooling (either through formal schooling or through the open school system) or its equivalent shall be eligible for admission to an undergraduate programme or Integrated undergraduate/postgraduate degree programme.

ii. A candidate who has passed Class 10 schooling (either through formal schooling or through the open school system) or its equivalent shall be eligible for admission to a diploma programme.

iii. Irrespective of the disciplines taken by a candidate in level 4/class 12 schooling, he/she is eligible for admission in any discipline of UG programme if he/she qualifies the National level or University level entrance examination in the discipline of UG programme. Where required, the University may provide the necessary bridge courses to the students to address the knowledge gaps that may arise when students from varied disciplines are admitted.

iv. A candidate shall be eligible for admission to a postgraduate degree programme if he/she has passed a 3-year undergraduate degree (level 5.5, a total of 120 credits) / 4-year undergraduate degree with Honours/Honours with Research (level 6, a total of 160 credits).

v. Irrespective of the major or minor disciplines taken by a student in a UG programme, a student is eligible for admission in any discipline of PG programmes if the student qualifies for the National level or University level entrance examination in the discipline of PG programme.

vi. A student can pursue two UG programmes simultaneously with flexibility in terms of change of discipline/institution/mode of learning as given in the UGC's Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes, and Guidelines for Pursuing Two Academic Programmes simultaneously.

vii. A student can pursue two PG programmes simultaneously with flexibility in terms of change of discipline/institution/mode of learning as given in the UGC's Curriculum and Credit Framework for Postgraduate Programmes and Guidelines for Pursuing Two Academic Programmes simultaneously.

ORDINANCE – 3

Conduct of University Examinations

[Refer to Section 28 (1) (e) of the CGPURC (Establishment and Operation) Act, 2005]

CHAPTER – I

1. DEFINITIONS

i. **"Academic Programme"** means a Programme of courses and/or any other component leading to a Bachelor's Degree, Master's Degree, Post-graduation and Graduation Diplomas, M. Phil, Ph. D. Degrees and Certificates.

ii. **"ATKT Candidate/Promoted Candidate"** means a candidate who has secured less than 35% in one or more papers in the Semester Examination and is allowed to keep a higher term and shall have to appear in the Examination of the failed semester again.

iii. **"Attested"** means attested by the Forwarding Officer.

iv. **"Co-examiner"** means a co-examiner in a written paper other than the paper setter.

v. **"External Examiner"** means an examiner who is not employed by the University or its Institutions/Centres/Departments.

vi. **"Ex-student"** means a candidate who was admitted to an examination as a regular candidate in the University and was not declared pass or was not able to appear in the examination, though an admission card was issued to him by the University and seeks admission again to the said examination.

vii. **"Forwarding Officer"** means the officer who is the Head of the Department from where the candidate had pursued regular courses of study as a regular student or was a regular student and wants to appear in an examination as an Ex-Student.

viii. **"Internal Examiner"** means an examiner who is in the employment of the University.

a. In the case of a theory paper, an examiner, including a paper setter is a teacher of the University. Departments/Study Centres.

b. In case of practical and viva-voce examination, an examiner is a teacher in the University, Departments, Study Centres of the Institution, whose candidates are being examined at that examination centre.

ix. **"Regular Candidate"** means a candidate who is pursuing a regular course of study in the Teaching Department and seeks to appear in an examination of the University.

x. **"Regular course"** means a regular full-time course of study in a University Teaching Department in each subject that a candidate intends to offer an examination.

xi. **"Student"** means a person admitted to any of the Departments of the University to which this Ordinance is applicable.

xii. **"University"** means Krishna Vikas Global University, Raipur.

CHAPTER – II

2. General

i. The University shall adopt and abide by the directions/guidelines issued by the UGC and other statutory bodies concerned from time to time with respect to the conduct of examinations.

ii. The units of evaluation, namely, tests, seminars, presentations, class performance, fieldwork, etc., and the weightage assigned to each of such units in respect of each course shall be determined by the appropriate academic body of the University and shall be made known to the students at the beginning of the academic session of the year, or the semester, as the case may be.

iii. The nature of the final examination, whether written (online/offline) or oral or both, with respect to each course shall also be made known to the students at the beginning of the academic session. There shall be continuous evaluation in each course in addition to semester/year-end examinations, and the credits in respect of each course shall be prescribed by the appropriate academic body and made known to the students. No credit can be earned by the student unless the student is assessed for the achievement of the desired competencies and outcomes of a program.

iv. The University shall work out and adopt a table of conversion of grades into percentages and vice versa.

v. While the actual process of evaluation shall be confidential, the system of evaluation shall be sufficiently transparent, and a student shall be given access to his/her answer script as per the procedure laid down in this regard by the University.

vi. The University shall accord priority to continuous formative assessment.

vii. All University examinations shall be conducted by the Controller of Examinations.

viii. Registrar, in consultation with Controller of Examinations, will appoint the Superintendent / Deputy Superintendent / Assistant Superintendent, with the final approval of the Vice-Chancellor. Chancellor

ix. The Superintendent of the Examination at each centre shall be personally responsible for the safe custody of question papers and the answer books sent to him and shall render to the University office a complete account of used and unused papers and answer books.

x. The Superintendent shall supervise the work of Invigilators working under him and shall conduct the examination strictly according to the instructions issued to him by the University.

xi. The University may change the Examination Centre of the examination time if it deems it proper without assigning any reason.

xii. The University may, from time to time, appoint a Board of Quality Auditors to see that the examinations are conducted strictly by the rules and procedures laid down. In the event of the Academic Auditors pointing out a breach of rules or procedure, the Vice-Chancellor may take such action as may be necessary including postponement or cancellation, wholly or in part of the examination at the centre, and if any such action is taken report of the action taken shall be made to the Board of Management at its next meeting.

xiii. The Controller of Examination may appoint Teaching or Non–Teaching Staff for invigilation from the University or from other educational institutions, and also from other professional bodies or any qualified individual as found suitable.

xiv. The Vice-Chancellor may cancel an Examination at all Centres if he is satisfied that there has been a leakage of question papers or any other irregularity, which in his opinion warrants such a step and reports the action taken at the next meeting of the Board of Management.

xv. The Board of Management, in consultation with the Academic Council, may issue such general instructions for the guidance of the Examiners. Centre Superintendents, Tabulators and Collators as it considers necessary for the proper discharge of their duties.

xvi. If a candidate has any communication to make on the subject of his/her examination paper, it shall be made in writing to the Controller of Examination directly.

xvii. If any attempt is made by or on behalf of a candidate to secure preferential treatment in the matter of his or her examination, the matter shall be reported to the Controller of Examination, who shall place the matter before the Vice-Chancellor for further necessary action.

xviii. Where the practical examination is held earlier than the examination in theory papers, a candidate shall not be deemed to have been admitted to the theory examination until he is issued an admission card for appearing in the examination.

xix. Semester-end and practical examinations shall be conducted by the Controller of Examinations.

xx. For any other type of examination, not covered above, the mode of conduct of examination shall be as specifically provided in the syllabus/scheme of examination and the absence of such a provision shall be decided by the Controller of Examinations on the recommendation of the Director of the concern school for Coordination Committee, with the approval of the Vice-Chancellor

CHAPTER – III

3. Examination Fees & filling of Examination Forms

i. The Controller of Examination or, in his absence, the Registrar of the University shall notify the Examination fees payable by the students for various courses of examinations after the same is approved by the Governing Body.

ii. As per the schedule prepared for the conduct of the examination, the students shall be required to deposit the prescribed examination fee along with the examination form for the concerned examination.

iii. The fee shall be collected by the Controller of Examination, and the application form duly scrutinized by the Controller of Examinations for necessary action.

iv. If a student fails to fill up the examination form and deposit the fee, he/she shall be required to pay a late fee as per the regulations laid down by the University in this regard.

v. The student who fails to present himself/herself, for whatever reason, in the examination shall not be entitled to any refund of the examination fee

vi. The entire fees paid by a candidate whose application for appearing at an Examination is cancelled on account of producing fraudulent documents or giving false particulars shall stand forfeited.

vii. In case the candidate fails to submit the Examination Form within the prescribed time by the University, late fees for each passing day will be charged by the University as decided and approved by the Governing Body of the University.

4. Examination Question Paper Setting / Moderation

4.1 The Examination Committee in each subject shall recommend a panel of three names for the appointment of the paper setter of each theory paper.

4.2 The Vice-Chancellor shall appoint paper-setters, co-examiners, and practical/viva-voce examiners ordinarily from amongst persons recommended by the Examination Committee. He may, however, appoint a person whose name is not included in the list of names recommended by the Examination Committee of the University.

4.3 An Examiner's work shall be deemed to be unsatisfactory if -

i. Mistakes of such nature are found in his work in the course of checking and scrutiny, which affect the result, or

ii. He/she is found by the Examination Council of the University to have inordinately delayed the work without good cause or

iii. There is an adverse report from the Head Examiner or

iv. If there are serious complaints against his/her paper setting.

4.4 The paper setter shall lay down a memorandum of instructions for the guidance of the co-examiners so that the latter may conform to the standard of the former in the evaluation of the answer books.

4.5 After the receipt of the question paper(s) from the paper setter, the same shall be moderated by the Moderator(s) who are to be appointed subject wise by the Controller of Examination with the approval of Vice Chancellor Controller of Examination shall ensure that minimum of three question papers duly moderated in each subject are available in the question paper bank.

4.6 No person shall act as a paper-setter or Examiner either in theory, viva-voce or practical examination if any of his relatives is taking the examination, provided that this provision shall not debar him from acting as an Examiner for practical at a centre other than at which his relative is appearing.

4.7 No person shall act as Moderator or Tabulator for any examination if any of his relations is appearing or has appeared at that Examination.

5. Admit Card

5.1 The Controller of Examinations will issue the admit card to the eligible candidates.

5.2 The Controller of Examination shall issue an admit card in favour of a candidate if:

i. The application of the candidate is complete in all respects.

ii. The fee as prescribed has been paid by the candidate.

iii. The Clearance from the concerned departments.

iv. The Controller of Examination may, if he is satisfied that an admit card has been lost or destroyed, grant a duplicate admit card on Payment of a fee prescribed.

5.3 The admit card issued in favour of a candidate to appear at an examination may be withdrawn if it is found that:

i. The admit card was issued by mistake, or the candidate was not eligible to appear in the examination.

ii. Any of the particulars given or documents submitted by the candidate in the application for enrolment, admission to the University are false, fake or incorrect.

6. Time Table of University Examinations

i. The schedule of examinations shall be notified by the Controller of Examinations at least 14 days before the commencement of the University examinations.

ii. Changes, if any, in the schedule of examinations shall be duly notified by the Controller of Examinations.

CHAPTER – IV

7. Conduct of Examination

i. The Centre Superintendent of the concerned examination shall be responsible for preparing the Invigilation Duty Chart and other necessary arrangements.

ii. It shall be the duty of the Centre Superintendent to ensure that an examinee / admit card holder is the same person who has filled the application form for appearing at the examination.

iii. A Candidate shall not be admitted into the Examination Hall unless he/she produces a valid admit card duly issued to him/her by the Controller of Examination.

iv. The Centre Superintendent will ensure the submission of all answer sheets immediately after the examinations to the University.

v. No Examinee shall leave the Examination Hall within half an hour of the start of the Examination for any purpose whatever, and no latecomer will be permitted in the Examination Hall after half an hour of its commencement.

vi. Examinees desirous of leaving the Examination Hall temporarily shall be permitted to do so as prescribed by the Controller of Examination.

8. Appointment of Amanuensis/ Writer

8.1 An amanuensis shall be allowed in case of:

i. Visually Impaired Candidates, and

ii. The candidates who are disabled due to an accident or disease and are unable to write with their own hands.

Candidates under Clause 8.1 above shall have to produce a Medical Certificate from an appropriate Medical Authority.

8.2 The Controller of Examinations, on receiving an Application from the candidate one week before the commencement of the Examination, will arrange for the appointment of an amanuensis and shall inform the Centre Superintendent concerned.

i. The amanuensis shall be a person of a lower academic qualification than the candidate concerned.

ii. The Centre Superintendent shall arrange for a suitable room for the disabled candidate and appoint a Special Invigilator from the list supplied by the office of the Controller of Examinations.

One extra hour shall be given to the visually impaired candidates.

iii. A candidate shall not be admitted into the Examination Hall unless he/she produces the Admit card before the Centre Superintendent or the Invigilator. A candidate

shall produce their Admit card whenever required by the Centre Superintendent or the Invigilator.

iv. In the Examination Hall, the candidate shall be under the disciplinary control of the Centre Superintendent, and he/she shall obey his/her instructions. In the event of a candidate disobeying the instructions of the Centre Superintendent or his undisciplined conduct or ignorant behaviour towards the Centre Superintendent or any Invigilator, the candidate may be excluded from that day's Examination, and if he/she persists in misbehaviour, he may be excluded from the rest of the Examinations by the Centre Superintendent of the Examination. The Centre Superintendent of the Examination will send a detailed account of the action and the reasons leading to such action to the Controller of the Examination on the same day.

v. Except as otherwise decided by the Examination Council of the University, the examination answer books shall be retained by the University for a period of 1 year after the completion of the examination. Foil and counterfoil of the marks obtained by the examinees, except the tabulated results, shall be destroyed or otherwise disposed of after 1 year from the date of declaration of the results of the Examination.

9. Use of Unfair Means & Misbehaviour

i. No candidate shall bring with him/her in the Examination Hall any book, paper, notes, electronic gadgets, or other materials which may be used by him/her in connection with the Examination, nor shall he/she communicate or receive any information from any other candidate in the Examination Hall.

ii. No candidate shall note or write anything on the blotting paper, admit card or Question Paper or any other object/material except the answer book supplied to him/her.

iii. No candidate shall assist or receive assistance from any other candidate or person at an Examination or make use of any dishonest or unfair means in connection with the Examination.

iv. Any candidate detected cheating or making use of any dishonest or unfair means in connection with an Examination shall be reported to the Controller of Examinations by the Centre Superintendents or through him by an Invigilator or an Official of the University, as the case may be. The Controller of Examinations shall place the aforesaid matter before the Examination Council of the University for consideration, which may, if satisfied that the allegations are true, disqualify the candidate from

passing that Examination and debar him/her from appearing at any University Examination for a period not exceeding two years.

v. Any candidate detected using unfair means in an Examination Hall shall be reported to the Controller of Examinations by the concerned Centre Superintendents or through him by an Invigilator or by an Official of the University, as the case may be. The Controller of Examinations shall place the aforesaid matter in writing before the Examination Council of the University for appropriate action, deemed necessary in the case.

vi. Any candidate who, in the opinion of the Centre Superintendents, is guilty of any misconduct in the Examination Hall may be recommended for expulsion for that Paper by the Controller of Examinations, and the same shall be reported to the Examination Council of the University for its approval.

vii. Any candidate found guilty of seeking ways and means or harassing, pressurising or using or threatening to use force to make any Centre Superintendents, Invigilator, or any official of the University desist from his duties relating to the conduct of Examination shall be deemed to have used unfair means and indulged in gross misconduct. Such a case shall be reported to the Examination Council of the University by the person concerned through the Controller of Examinations. The Examination Council of the University may, if satisfied that the allegations are true, disqualify the candidate from passing that Examination and/or expel him/her from the University.

viii. Any candidate who has been inflicted punishment as above shall not be admitted to any programme as a Regular Student. Such a person may be allowed to appear at the next term-end Examination only, in which he/she is entitled to appear as an Ex-Student after the expiry of the period of punishment.

ix. If a candidate acts violently or uses force or makes a display of force towards the Superintendent or any person at the Centre or in its precincts endangering the personal safety of either of them or acts in a manner likely to the authorities in the discharge of their duties, the superintendent may expel the candidate from the Centre and he may take police help.

x. If a candidate brings any dangerous weapon within the precincts of the Examination Centre, he may be expelled from the centre and/or handed over to the police by the Superintendent.

xi. A candidate expelled on any of the grounds mentioned above will not be allowed to appear in the subsequent papers.

xii. In every case where action is by the Controller of Examinations under above a full report shall be sent to the University and the Board of Management may according

to the gravity of the offence further punish a candidate by cancelling his examination and/or debarring him appearing at any of the Examination of the University for one or more years after allowing the candidate to show the cause and considering any explanation submitted by the candidate.

xiii. In case a person, who is an impostor, is found to be taking an Examination on behalf of a bona fide candidate, it will be assumed that this impersonation is being done at the instance and with the connivance of the bona fide candidate, and action against such person and such Bonafide candidate would be taken as under –

a. The Bonafide candidate who did not take the Examination himself/herself shall be debarred from pursuing any course of studies or from appearing at any Examination of the University in future.

b. In case the person who has impersonated the Bonafide candidate is a student of the University, he/she shall be debarred from taking any Examination of the University in future. The case of impersonation will be reported to the police.

c. If the person who has impersonated the Bonafide candidate is not a student of the University, he/she may be handed over to the Police for appropriate action.

xiv. The Centre Superintendent shall take action against an Examinee who is found using or attempting to use unfair means in the examination hall or within the premises of the Examination Centre during the hour of Examination, in the following manner:

a. The Examinee shall be called upon to surrender all the objectionable materials found in his or her possession, including the answer book, and a memorandum shall be prepared with the date and time.

b. The Statement of the Examinee and the Invigilator shall be recorded.

c. The Examinee shall be issued a fresh answer book marked 'Duplicate Using Unfair Means' to attempt an answer within the remaining time prescribed for the Examination.

d. All the materials so collected and the entire evidence, along with a statement of the Examinee and the answer book duly signed, shall be forwarded to the Controller of Examination by name in a separate confidential sealed registered packet marked 'Unfair means' along with the remarks of the Centre Superintendent.

e. The material so collected from the Examinee together with both the answer books, viz. the answer book collected while using unfair means and the other supplied afterward will be sent to the Examiner by the Controller of Examinations for assessing both the answer books separately and to report if the Examinee has used unfair means material collected from his/her possession.

f. The cases of the use of unfair means at the Examination as reported by the Centre Superintendent, along with the report of the Examiner, shall be examined by the Examination Council of the University. The Committee shall, after examining the cases, decide the action to be taken in each case and report it to the Board of Management through competent authority.

g. A candidate found talking during the Examination hours shall be warned not to do so. If the candidate continues to do so despite the warning by the Invigilator, the answer book of such an Examinee shall be withdrawn, and a second answer book shall be supplied. Only the second answer book shall be sent for valuation. The first book shall be cancelled and sent to the Controller of the Examination. In case the student is required to be warned again, no second copy shall be given, and the Examinee may be expelled by the Centre Superintendent from that particular paper.

xv. The Examination Council of the University may cancel the Examination of a candidate and/or debar him from appearing at any Examination of the University for one or more years, if it is discovered afterwards that the candidate was in any manner guilty of misconduct in connection with his Examination and/or was instrumental in/or has abetted the tempering of university records including the answer book, mark sheet, rule charts, etc.

xvi. The Controller of Examination shall have the power to expel an Examinee from examinations on subsequent examination days on any of the following grounds:

a. That the Examinee has adopted unfair means in the Examination.

b. That the examinees created a nuisance or serious disturbance at the Examination Centre.

c. That the Examinee showed a seriously aggressive attitude towards an Invigilator or a member of the staff entrusted with the examination work.

d. If necessary, the University may get police assistance.

CHAPTER – V

10. Valuation of Examination Answer Sheets

i. The office of the Controller of Examinations shall prepare for every subject an institution-wise list of names of persons qualified for appointment as Examiners. The list shall be in two parts, the first part containing the names of persons working as teachers in the University Department and the second part containing names of persons other than the teachers of the University qualified for appointment as Examiners from outside of the University.

ii. Notwithstanding the provisions contained in this ordinance, the Vice-Chancellor, in consultation with the Examination Council of the University, may, in so far as that particular examination is concerned, modify all or some of the rules to meet the constraints.

11. Declaration of Result

i. The Controller of Examination shall publish the results of the semester (including both the semester-end examinations and the internal continuous evaluation) University examination on the University notice board in addition to the University website. However, after scrutiny of the detailed result, if it is observed by the Controller of Examination that there has been a distinct change of standard in the examination as a whole or a particular course, he may refer the matter to the Moderation Committee, specially constituted for the purpose by the Vice-Chancellor.

ii. The award list containing the marks obtained by a student in various courses shall be issued by the Controller of Examinations at the end of each semester after the declaration of the result.

iii. The Examination Council of the University will be responsible for the declaration of the result. In this regard, the functions of the Examination Council of the University will be as follows:

   a. To scrutinize the complaints against the question papers and to take necessary action. To decide cases of candidates whose answer books were lost in transit.

   b. To exercise such other powers as the Academic Council may delegate to it from time to time.

   c. In case of any unintended errors in the publication of the results on being pointed out the corrected version of the results have to be published again within 48 hours for the notice of errors.

NOTE: If any action is to be taken against any Examiner, Centre Superintendent or Invigilator, the matter shall be referred to the Board of Management with the recommendation of the Examination Council of the University.

12. Display of Answer Sheets

i. A candidate may apply for his / her copy of the answer sheet of any subject within 7 Days of the declaration of the result on a chargeable basis.

ii. The University is liable to provide a second copy of the answer sheet free of cost if the first copy is illegible or is not what the candidate has requested.

13. Grace Mark

i. Notwithstanding anything contained in the concerned Ordinance, an examinee who has appeared in all the theory papers, practical, viva, internal assessment, field work, project work at the end-semester examination as a regular candidate and fails by a total of not more than five marks in not more than three subjects in any of the examinations, may be given a grace of up to five marks in total to enable him to pass the examinations. These marks shall not be counted towards the total. No grace marks shall be awarded in other than theory papers and to ATKT Students.

ii. If a Candidate falls short of the first or second division by one mark, he/she may be given a maximum grace of one mark to enable him/her to improve his/her division by the Vice–Chancellor.

CHAPTER – VI

14. Miscellaneous

The Centre Superintendent shall send a confidential report to the Controller of the Examination about the conduct of the Examination, mentioning therein the performance of the invigilators and the general behaviour of the Examinees. He/she shall send a daily report on the number of Examinees attending each of the examinations, absentee roll numbers and such other information relating to the Examinations being held at the centre as may be considered necessary, along with any other matter which he thinks fit to be brought to the notice of the University. He shall also be responsible for the maintenance and submission to the Controller of the Examination of the account of advance money received and expenditure incurred in connection with the conduct of the Examinations.

15. Modification in the University Result

A candidate whose result has been declared may apply for revaluation of his any answer book/ re-totalling marks or results to the Controller of Examination in the prescribed format within fifteen days after which a late fee for each day will be applicable as decided by the Management shall be charged up to a delay of next 30 days.

Provided that in case of revaluation, no candidate shall be allowed to have 40% of the total theory papers revalued and in case of decimal rounded off to the next whole digit.

(Example – In case of 6 papers, the candidate can opt for 3 papers to be revalued)

Provided also that no revaluation shall be allowed in case of scripts of practical, field work, sessional works, tests, thesis, & Project Work submitted in place of a paper at the Examination.

ORDINANCE – 4

Award of Degrees, Diplomas, Certificates and Other Academic Distinctions

[Refer to Section 28 (1) (c) of the CGPURC (Establishment and Operation) Act, 2005]

1. The Candidate, after passing the examination prescribed for a particular certificate, diploma or degree, shall become entitled to the award of the said certificate, diploma or degree, respectively, as the case may be.
2. The Registrar shall place the names of all the successful candidates for the award of certificates, diplomas or degrees before the Academic Council soon after the declaration of the results. On approval by the Academic Council, the Provisional Certificates. Diplomas and Degrees shall be issued to the respective candidates by the Registrar.
3. The approval accorded by the Academic Council for the award of the Certificates, Diplomas, Degrees or any other distinctions/awards shall be placed before the Board of Management for its concurrence. On being concurred by the Board of Management, the degrees, diplomas and certificates shall be awarded to the successful candidates at convocation.
4. The Certificates, Diplomas and Degrees shall be signed by the Vice-Chancellor.

ORDINANCE – 5

Conditions for Award of Fellowships and Scholarships, Stipends, Medals and Prizes

[Refer to Section 28 (1) (d) of the CGPURC (Establishment and Operation) Act, 2005]

1. To encourage meritorious and deserving students to pursue Courses/Programmes of study and research in the University without great financial strain, the University shall strive to provide for an adequate number of Scholarships, Fellowships, Studentships and Free-ships for financial help and also provide for the award of Medals and Prizes.
2. Scholarships shall be awarded to the students of the University, subject to the availability of funds. Rules for award of the same shall be as laid down in the Regulations.
3. All awards of Fellowships, Research Scholarships and other Scholarships shall be made on the recommendation of a Committee constituted by the Board of Management.
4. There shall also be a scheme of merit / need-based Scholarships, subject to the availability of funds, the quantum of which shall be as decided by the University from time to time.
5. The value and duration of Scholarships/ Fellowships instituted by the University shall be as laid down by the Academic Council and approved by the Board of Management. The selection of the candidates, terms and conditions of award of Scholarships / Fellowships, suspension, termination and continuation of Scholarships / Fellowships shall be governed by the directives of the Board of Management.
6. Subject to the general conditions applicable to all Research Fellowships and Scholarships as laid down in the regulations, the value, duration and conditions for the award of All India Fellowships shall be such as are prescribed by the University Grants Commission/CSIR/DST / other Bodies or as per the norms of the University.

ORDINANCE – 6

Creation of Other Bodies for Improvement of Academic Performance Environment of the University

[Refer to Section 28 (1) (i) of the CGPURC (Establishment and Operation) Act, 2005]

The University shall have the power to make committees, both permanent and ad hoc, based on the need and purpose, as the case may be, as per the orders of the Board of Management.

ORDINANCE – 7

Policies to Curb Ragging, and Establishment of Vishakha Committee and Prevention of Caste Based Discrimination in the University

1. **Anti-Ragging Policy:** The University shall set up an Anti-Ragging Committee in terms of the Supreme Court guidelines given in the University of Kerala Vs. Council, Principals, Colleges, Kerala & Ors., 2009, to implement a zero-tolerance policy towards ragging and implement such anti-ragging guidelines as laid down in the aforesaid judgment of the Hon'ble Supreme Court.

2. **Policy to Prevent Sexual Harassment:** The University shall set up an Vishakha Committee in terms of the guidelines given in the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013 to implement a zero-tolerance policy towards Sexual Harassment of Women at Workplace and implement Policy to Prevent Sexual Harassment as laid down in the aforesaid judgment of the Hon'ble Supreme Court.

3. **Policy to Prevent Caste Based Discrimination:** The University shall set up an Internal Complaints redressal Committee in terms of the guidelines given in the (Promotion of Equity in Higher Educational Institutions) Regulations, 2012 to implement a zero-tolerance policy towards Caste Based Discrimination and implement Policy Prevent Caste Based Discrimination as laid down in the aforesaid judgment of the Hon'ble Supreme Court

ORDINANCE – 8

Norms for the Residence of the Students of the University

[Refer to Section 28 (1) (g) of the CGPURC (Establishment and Operation) Act, 2005]

1. The University shall run hostels for the student enrolled. It shall provide a stimulating and holistic living environment that shall contribute significantly to the superior academic performance of the students.
2. Every hosteler shall always maintain a high standard of discipline and conduct themselves as per the instructions given by the University authorities.
3. Admission to the hostel shall be subject to the availability of rooms. In case of demand for rooms in excess of capacities of the hostel, the allotment of rooms shall be done by the Registrar, in consultation with the Warden of the hostel.
4. On admission to the hostel, the parents and students shall fill-up the form of undertaking and nominate the local guardian.
5. The students shall occupy the room allotted to him/her. He / She shall not change the room or shift the furniture in/out of his/her room without the permission of the hostel Warden.
6. The residents of the hostel shall be responsible for the care and maintenance of the Tiles, Furniture, Furnishing, Fixtures etc. Any damage to hostel property shall reimbursed by the residents.
7. The residents shall be debarred from using any electrical appliances other than those provided.
8. The residents shall be prohibited from possessing firearms, weapons or potentially dangerous instruments. Defaulters shall be dealt with through serious disciplinary action against them, including rustication, police complaints or legal action.
9. Consumption of drugs/alcohol/intoxicants/smoking shall be strictly prohibited in the hostel premises. Defaulters shall be severely dealt with, and disciplinary action like expulsion, etc., shall be initiated against them.
10. The students residing in the University Hostel shall pay such fees as may be prescribed by the Board of Management from time to time.
11. Each Hostel shall have Warden(s), appointed by the Vice-Chancellor on the recommendation of the Registrar for such duration and on such terms and conditions as may be prescribed by the Board of Management from time to time.
12. The Student has to comply with the Hostel Policy made by the University; in case of non – non-compliance, strict disciplinary action will be taken. University reserves the right to remove any student from Hostel with immediate effect in case of non-compliance.

ORDINANCE – 9

Disciplinary Actions Against the Students

[Refer to Section 28 (1) (h) of the CGPURC (Establishment and Operation) Act, 2005]

1. Every student in the University shall at all times display good behaviour show diligence in studies, maintain decorum and dignity take proper interest in curricular activities- shall observe a code of conduct both within and outside the campus in a manner befitting a student of a world class University and observe all rules of the University.
2. Each student shall show due respect and courtesy to the teachers, administrators and other employees in and outside of the University and good behaviour towards fellows \ students.
3. The Vice–Chancellor will constitute a Disciplinary Committee which will handle all the cases of disciplinary cases of the University.
4. Before inflicting such punishment as aforesaid, the Disciplinary Committee shall give the student concerned an opportunity of personal hearing and record the reasons for inflicting the punishment in writing.
5. The Disciplinary Committee concerned shall have the power to temporarily suspend the student for such a time as may be necessary to conduct an inquiry into his/her conduct in connection with the alleged offence
6. Any violation of the code of conduct or breach of any rule or regulation of the University by the student shall constitute an act of indiscipline and shall make him/her liable for strict disciplinary action.
7. The following acts shall constitute acts of gross indiscipline, and students indulging in any of them shall be liable to disciplinary action:
    a. Disobeying the teachers and displaying misdemeanour within and outside the University premises.
    b. Indulging in vandalism /violence and damaging University and/or Public property or property of a fellow student.
    c. Quarrelling, fighting and passing derogatory remarks in the University premises against its teachers/employees/canteen and mess workers etc.
    d. Possession and use of firearms, weapons and potentially dangerous instruments, etc.
    e. Consumption and sale of drugs/alcohol/intoxicants/tobacco, etc.
    f. Indulging in ragging / sexual harassment / cast-based discrimination, which is strictly prohibited as per the Supreme Court Ruling and is a cognizable offence.
    g. Any other act which the Disciplinary Committee may determine to be undesirable.
8. The University will take the actions against the case as follows with the approval of the Vice–Chancellor:

a. Suspend such student from attending the classes.
b. Suspend and disqualify such student from appearing in any upcoming Examination,
c. Expel such a student from the University
d. Expel / Rusticate such student.

9. The period during which a student remains suspended for completion of an inquiry shall be reckoned in the calculation of his/her attendance for appearing at an Examination provided he/she is found innocent.
10. The rustication of a student from a Faculty /School of Study/Centre shall entail the removal of his/her name from the register of enrolled students.
11. The fees of the student rusticated from the University shall be confiscated.
12. A student so rusticated shall not be readmitted to the University before the completion of a period of three years or the prescribed duration (whichever is earlier) from the date of his/her rustication. A rusticated student seeking re-admission after the prescribed duration from the date of his/her rustication shall submit an affidavit of maintaining good conduct during his/her stay in the University as a student.

ORDINANCE – 10

Co-Operation and Collaboration with other Universities and Institutes of Higher Education

[Refer to Section 28 (1) (j) of the CGPURC (Establishment and Operation) Act, 2005]

1. The University may seek cooperation and collaboration with the existing universities and Institutes of Higher Education in India and abroad and execute a Memorandum of Understanding (MoU) detailing the extent and area of cooperation and collaboration mutually agreed upon.
2. ln the interest of academic excellence, the University may like to collaborate with institutions of repute concerning academic exchange programs. Such proposals may be sent by the University or received from other institutions. The University shall get the proposal scrutinized by a committee appointed by the Vice-Chancellor. Then the proposal shall be placed before the Vice Chancellor for necessary action.
3. The University may collaborate with universities and Institutes of Excellence engaged in Higher Education in the country and abroad for the Research and consultancy work from time to time.
4. The University may collaborate with the Government organizations and Institutes for providing training, teaching and guidance to the students.

ORDINANCE - 11

Bachelor of Pharmacy (B. Pharm.)

Title	:	Bachelor of Pharmacy (B. Pharm.)
Faculty	:	Pharmacy
Duration	:	Four Years of Eight Semester and Three Years of Six Semesters for lateral Admission, as per the regulations or guidelines of the Regulatory Body.
Eligibility	:	1. Must have passed Higher Secondary (10+2) examination with science subjects from a recognized Board 2. The candidate who have passed Diploma in Pharmacy from recognized Board/University or equivalent shall be eligible for lateral admission in third semester/second year as prescribed by the Pharmacy Council of India.
Seats	:	The basic unit will be of 100 seats or as allotted by Pharmacy Council of India.
Admission Procedure	:	Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations of any government board or recognised equivalent board and/or entrance examination conducted by university or entrance examination conducted by any government approved agency as applicable or as specified in Ordinance No. 2 of the University.
Academic Year	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
Selection Procedure	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice board of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete.

		3. The supporting documents required for admission are not annexed.
Registration	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification & submission of all the necessary documents and fees.
Fee	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of the appropriate body.
Course Structure & Examination Scheme	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
Award of division and minimum percentage to pass the examination	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 50% marks in each paper. A second division will be awarded for scoring at least 50% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
Evaluation and Examination	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
Eligibility Criteria for ATKT	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
General	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. 2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE - 12

Master of Pharmacy (M. Pharm.)

Title	:	Master of Pharmacy (M. Pharm.)
Faculty	:	Pharmacy
Duration	:	Two Years of Four Semesters
Eligibility	:	Must have passed Graduation in Pharmacy from a recognized University or as prescribed by the Pharmacy Council of India.
Seats	:	The basic unit will be of 15 seats or as allotted by Pharmacy Council of India.
Admission Procedure	:	Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations of any government board / university or recognised equivalent board and/or entrance examination conducted by university or entrance examination conducted by any government approved agency as applicable or as specified in Ordinance No. 2 of the University.
Academic Year	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
Selection Procedure	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
Registration	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.

Fee	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of the appropriate body.
Course Structure & Examination Scheme	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
Award of division and minimum percentage to pass the examination	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 50% marks in each paper. A second division will be awarded for scoring at least 50% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate
Evaluation and Examination	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
Eligibility Criteria for ATKT	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
General	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE - 13

Diploma in Pharmacy (D. Pharm.)

Title	:	Diploma in Pharmacy (D. Pharm.)
Faculty	:	Pharmacy
Duration	:	Two Years of Four Semesters
Eligibility	:	Must have passed Higher Secondary (10+2) examination with science subjects from a recognized Board of Education. And as prescribed by the Pharmacy Council of India.
Seats	:	The basic unit will be of 60 seats or as allotted by Pharmacy Council of India.
Admission Procedure	:	Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations of any government board or recognised equivalent board and/or entrance examination conducted by university or entrance examination conducted by any government approved agency as applicable or as specified in Ordinance No. 2 of the University.
Academic Year	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
Selection Procedure	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
Registration	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.

Fee	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of the appropriate body.
Course Structure & Examination Scheme	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
Award of division and minimum percentage to pass the examination	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 40% marks in each paper and at least an aggregate of 50%. A second division will be awarded for scoring at least 50% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate
Evaluation and Examination	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
Eligibility Criteria for ATKT	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
General	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE - 14

Doctor of Pharmacy (Pharm. D)

Title	:	Doctor of Pharmacy (Pharm. D Programme / Pharm.D. Post Baccalaureate Programme)
Faculty	:	Pharmacy
Duration	:	6-year (5 years of academic study + 1 year of internship) and 3 years (2 years of academic study + 1 year of internship) for lateral admission, as per the regulations or guidelines of the Regulatory Body.
Eligibility	:	1. Must have passed Higher Secondary (10+2) examination with Physics and Chemistry as compulsory subjects along with Mathematics or Biology (PCB/PCM) from a recognized Board 2. The candidate who have passed B.Pharm. from recognized University or equivalent shall be eligible for lateral admission in fourth year as prescribed by the Pharmacy Council of India.
Seats	:	The basic unit will be of 30 seats (for Pharm.D. Programme) and 10 seats (for Pharm.D. Post Baccalaureate Programme) or as allotted by Pharmacy Council of India.
Admission Procedure	:	Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations of any government board or recognised equivalent board and/or entrance examination conducted by university or entrance examination conducted by any government approved agency as applicable or as specified in Ordinance No. 2 of the University.
Academic Year	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
Selection Procedure	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice board of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s):

		1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
Registration	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification & submission of all the necessary documents and fees.
Fee	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of the appropriate body.
Course Structure & Examination Scheme	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
Award of division and minimum percentage to pass the examination	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 50% marks in each paper. A second division will be awarded for scoring at least 50% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
Evaluation and Examination	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
Eligibility Criteria for ATKT	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
General	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. 2.In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE - 15

Bachelor of Education (B.Ed.)

Title	:	Bachelor of Education (B.Ed.)
Faculty	:	Education
Duration	:	Two Years of Four Semesters or as prescribed by NCTE
Eligibility	:	Must have passed Graduation in any discipline from a recognized University or as prescribed by the National Council of Teachers Education (NCTE) there to.
Seats	:	The basic unit will be of 100 seats or as No. of seats as allotted by NCTE.
Admission Procedure	:	Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations of any government board / university or recognised equivalent board / university and/or entrance examination conducted by university or entrance examination conducted by any government approved agency as applicable or as specified in Ordinance No. 2 of the University.
Academic Year	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
Selection Procedure	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
Registration	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.

Fee	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of the appropriate body.
Course Structure & Examination Scheme	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council, following the norms and guidelines of NCTE.
Award of division and minimum percentage to pass the examination	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
Evaluation and Examination	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
Eligibility Criteria for ATKT	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
General	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guidelines and directives of NCTE if any will supersede the provisions of this Ordinance. 3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE - 16

Master of Education (M.Ed.)

Title	:	Master of Education (M.Ed.)
Faculty	:	Education
Duration	:	Two Years of Four Semesters or as prescribed by NCTE
Eligibility	:	Must have passed Bachelor of Education (B.Ed.) from a recognized University or as prescribed by the National Council of Teachers Education (NCTE) there to.
Seats	:	The basic unit will be of 40 seats or as No. of seats as allotted by NCTE.
Admission Procedure	:	Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations of any government board / university or recognised equivalent board / university and/or entrance examination conducted by university or entrance examination conducted by any government approved agency as applicable or as specified in Ordinance No. 2 of the University.
Academic Year	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
Selection Procedure	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
Registration	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.

Fee	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of the appropriate body.
Course Structure & Examination Scheme	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council, following the norms and guidelines of NCTE.
Award of division and minimum percentage to pass the examination	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
Evaluation and Examination	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
Eligibility Criteria for ATKT	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
General	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guidelines and directives of NCTE if any will supersede the provisions of this Ordinance. 3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE - 17

Bachelor of Science & Bachelor of Education (B.Sc.B.Ed.)

Title	:	Bachelor of Science & Bachelor of Education (B.Sc.B.Ed.)
Faculty	:	Education
Duration	:	Four Years of Eight Semesters or as prescribed by NCTE
Eligibility	:	Must have passed Higher Secondary (10+2) examination with science subjects from a recognized Board of Secondary Education or as prescribed by the NCTE.
Seats	:	The basic unit will be of 50 seats or as No. of seats as allotted by NCTE.
Admission Procedure	:	Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations of any government board or recognised equivalent board and/or entrance examination conducted by university or entrance examination conducted by any government approved agency as applicable or as specified in Ordinance No. 2 of the University.
Academic Year	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
Selection Procedure	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
Registration	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.

Fee	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of the appropriate body.
Course Structure & Examination Scheme	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council, following the norms and guidelines of NCTE.
Award of division and minimum percentage to pass the examination	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
Evaluation and Examination	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
Eligibility Criteria for ATKT	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
General	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guidelines and directives of NCTE if any will supersede the provisions of this Ordinance. 3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE - 18

Bachelor of Arts & Bachelor of Education (B.A.B.Ed.)

Title	:	Bachelor of Arts & Bachelor of Education (B.A.B.Ed.)
Faculty	:	Education
Duration	:	Four Years of Eight Semesters or as prescribed by NCTE
Eligibility	:	Must have passed Higher Secondary (10+2) examination with Arts/Commerce/Science subjects from a recognized Board of Secondary Education or as prescribed by the NCTE.
Seats	:	The basic unit will be of 50 seats or as No. of seats as allotted by NCTE.
Admission Procedure	:	Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations of any government board or recognised equivalent board and/or entrance examination conducted by university or entrance examination conducted by any government approved agency as applicable or as specified in Ordinance No. 2 of the University.
Academic Year	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
Selection Procedure	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
Registration	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.

Fee	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of the appropriate body.
Course Structure & Examination Scheme	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council, following the norms and guidelines of NCTE.
Award of division and minimum percentage to pass the examination	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
Evaluation and Examination	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
Eligibility Criteria for ATKT	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
General	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guidelines and directives of NCTE if any will supersede the provisions of this Ordinance. 3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE - 19

Bachelor of Commerce & Bachelor of Education (B.Com.B.Ed.)

Title	:	Bachelor of Commerce & Bachelor of Education (B.Com.B.Ed.)
Faculty	:	Education
Duration	:	Four Years of Eight Semesters or as prescribed by NCTE
Eligibility	:	Must have passed Higher Secondary (10+2) examination with Commerce/Arts/Science subjects from a recognized Board of Secondary Education or as prescribed by the NCTE.
Seats	:	The basic unit will be of 50 seats or as No. of seats as allotted by NCTE.
Admission Procedure	:	Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations of any government board or recognised equivalent board and/or entrance examination conducted by university or entrance examination conducted by any government approved agency as applicable or as specified in Ordinance No. 2 of the University.
Academic Year	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
Selection Procedure	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.

Registration	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
Fee	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of the appropriate body.
Course Structure & Examination Scheme	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council, following the norms and guidelines of NCTE.
Award of division and minimum percentage to pass the examination	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
Evaluation and Examination	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
Eligibility Criteria for ATKT	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
General	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guidelines and directives of NCTE if any will supersede the provisions of this Ordinance. 3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE - 20

Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.)

Title	:	Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.)
Faculty	:	Education
Duration	:	Two Years of Four Semesters or as prescribed by NCTE
Eligibility	:	Must have passed Higher Secondary (10+2) examination in any discipline from a recognized Board of Secondary Education or as prescribed by the NCTE there to.
Seats	:	The basic unit will be of 50 seats or as No. of seats as allotted by NCTE.
Admission Procedure	:	Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations of any government board or recognised equivalent board and/or entrance examination conducted by university or entrance examination conducted by any government approved agency as applicable or as specified in Ordinance No. 2 of the University.
Academic Year	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
Selection Procedure	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
Registration	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.

Fee	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of the appropriate body.
Course Structure & Examination Scheme	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council, following the norms and guidelines of NCTE.
Award of division and minimum percentage to pass the examination	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
Evaluation and Examination	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
Eligibility Criteria for ATKT	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
General	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guidelines and directives of NCTE if any will supersede the provisions of this Ordinance. 3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 21

Bachelor of Education - Special Education (B.Ed Spl.Ed.)

Title	:	Bachelor of Education – Special Education (B.Ed. Spl. Ed.)
Faculty	:	Education
Duration	:	Two Years of Four Semesters or as prescribed by NCTE
Eligibility	:	Must have passed Graduation in any discipline from a recognized University or as prescribed by the National Council of Teachers Education (NCTE) there to.
Seats	:	The basic unit will be of 50 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management or as prescribed by Rehabilitation Council of India
Admission Procedure	:	Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations of any government board / university or recognised equivalent board / university and/or entrance examination conducted by university or entrance examination conducted by any government approved agency as applicable or as specified in Ordinance No. 2 of the University.
Academic Year	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
Selection Procedure	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.

Registration	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
Fee	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of the appropriate body.
Course Structure & Examination Scheme	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council
Award of division and minimum percentage to pass the examination	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
Evaluation and Examination	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
Eligibility Criteria for ATKT	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
General	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guidelines and directives of NCTE if any will supersede the provisions of this Ordinance. 3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE - 22

Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.)

Title	:	Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.)
Faculty	:	Education
Duration	:	Two Years of Four Semesters or as prescribed by NCTE
Eligibility	:	Must have passed Graduation in any discipline from a recognized University or as prescribed by the National Council of Teachers Education (NCTE) there to.
Seats	:	The basic unit will be of 50 seats or as No. of seats as allotted by NCTE.
Admission Procedure	:	Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations of any government board / university or recognised equivalent board / university and/or entrance examination conducted by university or entrance examination conducted by any government approved agency as applicable or as specified in Ordinance No. 2 of the University.
Academic Year	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
Selection Procedure	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
Registration	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.

Fee	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
Course Structure & Examination Scheme	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
Award of division and minimum percentage to pass the examination	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
Evaluation and Examination	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
Eligibility Criteria for ATKT	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
General	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guidelines and directives of NCTE if any will supersede the provisions of this Ordinance. 3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE - 23

Master of Physical Education (M.P.Ed.)

Title	:	Master of Physical Education (M.P.Ed.)
Faculty	:	Education
Duration	:	Two Years of Four Semesters or as prescribed by NCTE
Eligibility	:	Must have passed Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) from a recognized University or as prescribed by the National Council of Teachers Education (NCTE) there to.
Seats	:	The basic unit will be of 40 seats or as No. of seats as allotted by NCTE.
Admission Procedure	:	Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations of any government board / university or recognised equivalent board / university and/or entrance examination conducted by university or entrance examination conducted by any government approved agency as applicable or as specified in Ordinance No. 2 of the University.
Academic Year	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
Selection Procedure	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
Registration	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.

Fee	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of the appropriate body.
Course Structure & Examination Scheme	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
Award of division and minimum percentage to pass the examination	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
Evaluation and Examination	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
Eligibility Criteria for ATKT	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
General	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guidelines and directives of NCTE if any will supersede the provisions of this Ordinance. 3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE - 24

Bachelor of Physical Education and Sports (B.P.E.S.)

Title	:	Bachelor of Physical Education and Sports (B.P.E.S.)
Faculty	:	Education
Duration	:	Three Years of Six Semesters or as prescribed by NCTE.
Eligibility	:	Must have passed Higher Secondary (10+2) examination in any discipline/subject from a recognized Board of Secondary Education or any other qualification equivalent there to.
Seats	:	The basic unit will be of 50 seats or as No. of seats as allotted by NCTE.
Admission Procedure	:	Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations of any government board or recognised equivalent board and/or entrance examination conducted by university or entrance examination conducted by any government approved agency as applicable or as specified in Ordinance No. 2 of the University.
Academic Year	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
Selection Procedure	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
Registration	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.

Fee	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of the appropriate body.
Course Structure & Examination Scheme	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
Award of division and minimum percentage to pass the examination	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
Evaluation and Examination	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
Eligibility Criteria for ATKT	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
General	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guidelines and directives of NCTE if any will supersede the provisions of this Ordinance. 3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE - 25

Master of Physical Education and Sports (M.P.E.S.)

Title	:	Master of Physical Education and Sports (M.P.E.S.)
Faculty	:	Education
Duration	:	Two Years of Four Semester
Eligibility	:	Must have passed B.P.E.S./B.P.Ed. from a recognized University or equivalent there to.
Seats	:	The basic unit will be of 40 seats or as No. of seats as allotted by NCTE.
Admission Procedure	:	Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations of any government board / university or recognised equivalent board / university and/or entrance examination conducted by university or entrance examination conducted by any government approved agency as applicable or as specified in Ordinance No. 2 of the University.
Academic Year	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
Selection Procedure	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
Registration	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.

Fee	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of the appropriate body.
Course Structure & Examination Scheme	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council.
Award of division and minimum percentage to pass the examination	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 50%. A second division will be awarded for scoring at least 50% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
Evaluation and Examination	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
Eligibility Criteria for ATKT	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
General	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guidelines and directives of NCTE if any will supersede the provisions of this Ordinance. 3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE - 26

Diploma in Nursery Teachers Training (D.N.T.T.)

Title	:	Diploma in Nursery Teachers Training (D.N.T.T.)
Faculty	:	Education
Duration	:	One Year of Two Semesters
Eligibility	:	Must have passed Higher Secondary (10+2) examination in any discipline from a recognized Board of Secondary Education or any other qualification equivalent there to.
Seats	:	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
Admission Procedure	:	Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations of any government board or recognised equivalent board and/or entrance examination conducted by university or entrance examination conducted by any government approved agency as applicable or as specified in Ordinance No. 2 of the University.
Academic Year	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
Selection Procedure	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
Registration	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.

Fee	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of the appropriate body.
Course Structure & Examination Scheme	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council, following the norms and guidelines of NCTE.
Award of division and minimum percentage to pass the examination	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
Evaluation and Examination	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
Eligibility Criteria for ATKT	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
General	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guidelines and directives of NCTE if any will supersede the provisions of this Ordinance. 3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 27

Bachelor of Law (LLB)

Title	:	Bachelor of Law (LLB)
Faculty	:	Law
Duration	:	Three Year of Six Semesters
Eligibility	:	Must have passed Graduation from a recognized University or equivalent and Percentage and age limit Criteria applicable as per the guide lines issued by the Bar Council of India (BCI)
Seats	:	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
Admission Procedure	:	Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations of any government board and/or entrance examination conducted by university or entrance examination conducted by any government approved agency as applicable or as specified in Ordinance No. 2 of the University.
Academic Year	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
Selection Procedure	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
Registration	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.

Fee	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of the appropriate body.
Course Structure & Examination Scheme	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council
Award of division and minimum percentage to pass the examination	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
Evaluation and Examination	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
Eligibility Criteria for ATKT	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
General	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guidelines and directives of Bar Council of India (BCI) if any will supersede the provisions of this Ordinance. 3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 28

Bachelor of Arts & Bachelor of Law (B.A.LLB)

Title	:	Bachelor of Arts & Bachelor of Law (B.A.LLB)
Faculty	:	Law
Duration	:	Five Years of Ten Semesters
Eligibility	:	Must have passed Higher Secondary (10+2) examination in any discipline from a recognized Board of Secondary Education and percentage Criteria applicable as per the guide lines issued by the Bar Council of India (BCI).
Seats	:	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
Admission Procedure	:	Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations of any government board or recognised equivalent board and/or entrance examination conducted by university or entrance examination conducted by any government approved agency as applicable or as specified in Ordinance No. 2 of the University.
Academic Year	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
Selection Procedure	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.

Registration	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
Fee	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of the appropriate body.
Course Structure & Examination Scheme	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council
Award of division and minimum percentage to pass the examination	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
Evaluation and Examination	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
Eligibility Criteria for ATKT	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
General	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guidelines and directives of Bar Council of India (BCI) if any will supersede the provisions of this Ordinance. 3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 29

Bachelor of Commerce & Bachelor of Law (B.Com.LLB)

Title	:	Bachelor of Commerce & Bachelor of Law (B.Com.LLB)
Faculty	:	Law
Duration	:	Five Years of Ten Semesters
Eligibility	:	Must have passed Higher Secondary (10+2) examination in any discipline from a recognized Board of Secondary Education and percentage Criteria applicable as per the guide lines issued by the Bar Council of India (BCI).
Seats	:	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
Admission Procedure	:	Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations of any government board or recognised equivalent board and/or entrance examination conducted by university or entrance examination conducted by any government approved agency as applicable or as specified in Ordinance No. 2 of the University.
Academic Year	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
Selection Procedure	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.

Registration	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
Fee	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of the appropriate body.
Course Structure & Examination Scheme	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council
Award of division and minimum percentage to pass the examination	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
Evaluation and Examination	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
Eligibility Criteria for ATKT	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
General	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guidelines and directives of Bar Council of India (BCI) if any will supersede the provisions of this Ordinance. 3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 30

Bachelor of Science & Bachelor of Law (B.Sc.LLB)

Title	:	Bachelor of Science & Bachelor of Law (B.Sc.LLB)
Faculty	:	Law
Duration	:	Five Years of Ten Semesters
Eligibility	:	Must have passed Higher Secondary (10+2) examination in any discipline from a recognized Board of Secondary Education and percentage Criteria applicable as per the guide lines issued by the Bar Council of India (BCI).
Seats	:	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
Admission Procedure	:	Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations of any government board or recognised equivalent board and/or entrance examination conducted by university or entrance examination conducted by any government approved agency as applicable or as specified in Ordinance No. 2 of the University.
Academic Year	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
Selection Procedure	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.

Registration	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
Fee	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of the appropriate body.
Course Structure & Examination Scheme	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council
Award of division and minimum percentage to pass the examination	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
Evaluation and Examination	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
Eligibility Criteria for ATKT	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
General	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guidelines and directives of Bar Council of India (BCI) if any will supersede the provisions of this Ordinance. 3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 31

Bachelor of Business Administration & Bachelor of Law (B.B.A.LLB)

Title	:	Bachelor of Business Administration & Bachelor of Law (B.B.A.LLB)
Faculty	:	Law
Duration	:	Five Years of Ten Semesters
Eligibility	:	Must have passed Higher Secondary (10+2) examination in any discipline from a recognized Board of Secondary Education and percentage Criteria applicable as per the guide lines issued by the Bar Council of India (BCI).
Seats	:	The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
Admission Procedure	:	Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations of any government board or recognised equivalent board and/or entrance examination conducted by university or entrance examination conducted by any government approved agency as applicable or as specified in Ordinance No. 2 of the University.
Academic Year	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
Selection Procedure	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.

Registration	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.
Fee	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of the appropriate body.
Course Structure & Examination Scheme	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council
Award of division and minimum percentage to pass the examination	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
Evaluation and Examination	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
Eligibility Criteria for ATKT	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
General	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guidelines and directives of Bar Council of India (BCI) if any will supersede the provisions of this Ordinance. 3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 32

Master of Law (LLM)

Title	:	Master of Law (LLM)
Faculty	:	Law
Duration	:	Two Years of Four Semesters
Eligibility	:	Must have passed Graduation in LAW from a recognized University or equivalent eligibility if any prescribed by the Bar council of India (BCI).
Seats	:	The basic unit will be of 40 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
Admission Procedure	:	Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations of any government board or recognised equivalent board and/or entrance examination conducted by university or entrance examination conducted by any government approved agency as applicable or as specified in Ordinance No. 2 of the University.
Academic Year	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
Selection Procedure	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
Registration	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.

Fee	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of the appropriate body.
Course Structure & Examination Scheme	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council
Award of division and minimum percentage to pass the examination	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
Evaluation and Examination	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
Eligibility Criteria for ATKT	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
General	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guidelines and directives of Bar Council of India (BCI) if any will supersede the provisions of this Ordinance. 3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 33

Post Graduate Diploma in Computer Applications (P.G.D.C.A.)

Introduction	:	The one year post graduate programme shall give strong practical focus and develop industry & office related skills. It shall offer in depth knowledge in programming, data base and software development.
Title of the Course	:	Post Graduate Diploma in Computer Applications (P.G.D.C.A.)
Faculty	:	Computer Science
Duration	:	One year of 2 semesters.
Eligibility	:	Bachelor's degree in any discipline.
Seats	:	The basic unit will be of 60 seats. Multiple of this unit can also be set up as additional section.
Admission Procedure	:	Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations of any government board or recognised equivalent board and/or entrance examination conducted by university or entrance examination conducted by any government approved agency as applicable or as specified in Ordinance No. 2 of the University.
Academic year	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
Selection Procedure	:	The University shall issue admission notification in news- papers, on the notice board of the university and in other publicity media before the start of first cycle. The list of candidates selected for admission shall be displayed on the website and on the notice board of the University. The candidates whose results are awaited can also apply. However, such candidates must produce requisite documents as a testimony of fulfilling the eligibility criteria on or before the cut-off date failing which, the application for admission shall be rejected. The admission may also be rejected on account of the following reasons: 1 The fees are not submitted on time, as per notification. 2 The application form is incomplete. 3 The supporting documents required for admission are not attached along with the application form.

Note: Registration number shall be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents by the student along with fees.

Fees : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of the appropriate body.

Programme structure : The Programme structure and other details shall be notified separately by the University.

ORDINANCE – 34

Diploma in Computer Applications (D.C.A.)

Introduction	:	The one-year programme shall develop computer competency for jobs. It shall be a short-term vocational course that shall provide fundamental computer skills, basic programming, data base management and basics of internet etc.
Title of the Course	:	Diploma in Computer Applications (D.C.A.)
Faculty	:	Computer Science
Duration	:	One year of 2 semesters.
Eligibility	:	A candidate who has passed Level 4/Class 12 schooling, from a recognized Board of Education, either through formal schooling or through the open school system, or its equivalent shall be eligible for admission to the programme in the University. Admission shall be given as per admission rules & guidelines for admission to a programme and regulation framed by UGC & State Government, from time to time.
Seats	:	The basic unit will be of 60 seats. Multiple of this unit can also be set up as additional section.
Admission Procedure	:	Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations of any government board or recognised equivalent board and/or entrance examination conducted by university or entrance examination conducted by any government approved agency as applicable or as specified in Ordinance No. 2 of the University.
Academic year	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
Selection Procedure	:	The University shall issue admission notification in news- papers, on the notice board of the university and in other publicity media before the start of first cycle. The list of candidates selected for admission shall be displayed on the website and on the notice board of the University. The candidates whose results are awaited can also apply. However, such candidates must produce requisite documents as a testimony of fulfilling the eligibility criteria on or before the cut-off date failing

which, the application for admission shall be rejected.

The admission may also be rejected on account of the following reasons:

1 The fees are not submitted on time, as per notification.

2 The application form is incomplete.

3 The supporting documents required for admission are not attached along with the application form.

Note: Registration number shall be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents by the student along with fees.

Fees : The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of the appropriate body.

Programme structure : The Programme structure and other details shall be notified separately by the University.

ORDINANCE - 35

Bachelor of Science (B.Sc.) in Rehabilitation Science

Title	:	Bachelor of Science (B.Sc.) in Rehabilitation Science
Faculty	:	Rehabilitation Science
Duration	:	Four Years of Eight Semesters or as prescribed by RCI
Eligibility	:	Must have passed Higher Secondary (10+2) examination with science subjects from a recognized Board or equivalent.
Seats	:	The basic unit will be of 60 seats or as allotted by Rehabilitation Council of India (RCI).
Admission Procedure	:	Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations of any government board or recognised equivalent board and/or entrance examination conducted by university or entrance examination conducted by any government approved agency as applicable or as specified in Ordinance No. 2 of the University.
Academic Year	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
Selection Procedure	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
Registration	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.

Fee	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of the appropriate body.
Course Structure & Examination Scheme	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council, following the norms and guidelines of Rehabilitation Council of India.
Award of division and minimum percentage to pass the examination	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
Evaluation and Examination	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
Eligibility Criteria for ATKT	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
General	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guidelines and directives of Rehabilitation Council of India. if any will supersede the provisions of this Ordinance. 3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE - 36

Master of Science (M.Sc.) in Rehabilitation Science

Title	:	Master of Science (M.Sc.) in Rehabilitation Science
Faculty	:	Rehabilitation Science
Duration	:	Two Years of Four Semesters or as prescribed by RCI
Eligibility	:	Must have passed Graduation in Science or Health Science from a recognized University or as prescribed by the Rehabilitation Council of India.
Seats	:	The basic unit will be of 20 seats or as allotted by Rehabilitation Council of India.
Admission Procedure	:	Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations of any government board/university or recognised equivalent board/university and/or entrance examination conducted by university or entrance examination conducted by any government approved agency as applicable or as specified in Ordinance No. 2 of the University.
Academic Year	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
Selection Procedure	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
Registration	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.

Fee	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of the appropriate body.
Course Structure & Examination Scheme	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council, following the norms and guidelines of Rehabilitation Council of India.
Award of division and minimum percentage to pass the examination	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
Evaluation and Examination	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
Eligibility Criteria for ATKT	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
General	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guidelines and directives of Rehabilitation Council of India. if any will supersede the provisions of this Ordinance. 3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE - 37

Bachelor of Library and Information Science (B.Lib.I.Sc.)

Title	:	Bachelor of Library and Information Science (B.Lib.I.Sc.)
Faculty	:	Library and Information Science
Duration	:	One Year of Two Semesters
Eligibility	:	Must have passed Graduation in any discipline from a recognized University.
Seats	:	The basic unit will be of 60 seats.
Admission Procedure	:	Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations of any government board/university or recognised equivalent board/university and/or entrance examination conducted by university or entrance examination conducted by any government approved agency as applicable or as specified in Ordinance No. 2 of the University.
Academic Year	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
Selection Procedure	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
Registration	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.

Fee	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of the appropriate body.
Course Structure & Examination Scheme	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council, following the norms and guidelines of UGC.
Award of division and minimum percentage to pass the examination	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
Evaluation and Examination	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
Eligibility Criteria for ATKT	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
General	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guidelines and directives of UGC. if any will supersede the provisions of this Ordinance. 3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE - 38

Master of Library and Information Science (M.Lib.I.Sc.)

Title	:	Master of Library and Information Science (M.Lib.I.Sc.)
Faculty	:	Library and Information Science
Duration	:	One Year of Two Semesters
Eligibility	:	Bachelor's in Library Science (B.Lib.I.Sc./B.Lib.Sc.) or equivalent qualification from a recognized university.
Seats	:	The basic unit will be of 20 seats.
Admission Procedure	:	Merit list for admission shall be prepared on the basis of marks of qualifying examinations of any government board/university or recognised equivalent board/university and/or entrance examination conducted by university or entrance examination conducted by any government approved agency as applicable or as specified in Ordinance No. 2 of the University.
Academic Year	:	Academic year shall ordinarily commence on 1st of July and end on 30th June every year. An academic year will be divided into two semesters. The first semester will be from July to December and the second semester will be from January to June.
Selection Procedure	:	The University shall issue admission notification on University Website and, on the notice boards of the University, before the start of every academic year. The list of candidates selected will be displayed on the Website, on the University notice board and the selected candidates will be informed directly about their admission. The candidates whose results are awaited can also apply the provisional admission. Such candidates, however, must produce proof of passing the qualifying examination before the cut-off date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected on any of the following ground(s): 1. The fee is not paid by the due date. 2. The application form is not submitted by the candidate is incomplete. 3. The supporting documents required for admission are not annexed.
Registration	:	Registration number will be assigned to the student by the University after verification &submission of all the necessary documents and fees.

Fee	:	The Course fee will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of the appropriate body.
Course Structure & Examination Scheme	:	The course structure and scheme of the examination will be prepared by the concerned Board of Studies and approved by the Academic Council, following the norms and guidelines of UGC.
Award of division and minimum percentage to pass the examination	:	In order to pass the examination at the end of the semester, it will be essential to score at least 35% marks in each paper and at least an aggregate of 45%. A second division will be awarded for scoring at least 45% and above but less than 60% in aggregate. First division will be awarded to an examinee scoring 60% and above in aggregate.
Evaluation and Examination	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
Eligibility Criteria for ATKT	:	As per Ordinance no. 3 of the University.
General	:	1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system of pattern of examination with prior information to the student. The course content is subject to change from time to time. 2. The guidelines and directives of UGC. if any will supersede the provisions of this Ordinance. 3. In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 39

Doctor of Philosophy (Ph.D.)

(In consonance with the provisions of University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2022)

1. Short Title and Commencement:

1.1 This Ordinance shall be called the Ordinance for Award of Ph.D. in the University.

1.2 This Ordinance shall be applicable from the date of its publication in the State Gazette.

2. Definitions. In this Ordinance, unless the context otherwise requires:

i. "**Act**" means the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005, as amended from time to time.

ii. "**Adjunct Faculty**" means a part-time or contingent instructor, but not full-time faculty member hired to teach by the University.

iii. "**Credit**" means the number of hours of instruction required per week over the duration of a semester. A three-credit course in a semester means three one-hour lectures per week, with each one-hour lecture counted as one credit.

iv. "**Commission**" means the University Grants Commission (UGC) established under section 4 of the UGC Act, 1956.

v. "**Degree**" means a degree awarded by a Higher Educational Institution in accordance with the provisions of section 22(3) of the UGC Act, 1956.

vi. "**External examiner**" means an academic /researcher with published research work who is not part of the University where the Ph.D. scholar has registered for the Ph.D. programme.

vii. "**Foreign Educational Institution**" means - (i) an institution duly established or incorporated in its home country and offering educational programmes at the undergraduate, postgraduate and higher levels in its home country and (ii) which offers programme(s) of study leading to the award of a degree through conventional face-to-face mode, but excluding distance, online, ODL mode.

viii. "**Government"** means Government of Chhattisgarh.

ix. "**Guide/Research Supervisor**" means an academician/researcher recognized by the University to supervise the Ph.D. scholar for his/her research.

x. "**Higher Educational Institution**" means the Higher Education Institutions (HEIs) which are empowered to award degrees by themselves or through their affiliating Universities in accordance with Section 22 of the UGC Act, 1956.

xi. "**Interdisciplinary /Multidisciplinary Research**" means research conducted by the Ph.D. scholar in two or more academic disciplines.

xii. "**Online Courses or Online Mode**" means the same as defined under the UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations 2020.

xiii. "**Plagiarism**" means the practice of taking someone else's work or idea and passing them as one's own.

xiv. "**Programme**" means a higher education programme pursued for a degree specified by the Commission under sub-section (3) of section 22 of the UGC Act, 1956.

xv. "**Prospectus**" means any document, whether in print or otherwise, issued for providing fair and transparent information relating to the University and programmes, to the general public (including to those seeking admission in the University) by the University.

xvi. "**Research Proposal**" means a brief write-up giving an outline of the proposed research work which the Ph.D. scholar shall submit along with the application for registration for Ph.D. programme.

xvii. "**Semester"** means an academic session spread over of about 6 months of duration, the duration to be decided and declared by the University.

xviii. "**University**" means Krishna Vikas Global University, Raipur.

3. Award of Degree:

The degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) may be granted in all disciplines of the approved faculties in the University.

4. Eligibility criteria for admission to Ph.D. Program: The following shall be eligible to seek admission to the Ph.D. programme:

a. Candidates who have completed:

A 1-year/ 2-semester master's degree programme after a 4-year/ 8-semester bachelor's degree programme or a 2-year/ 4-semester master's degree programme after a 3-year bachelor's degree programme or qualifications declared equivalent to the master's degree by the corresponding statutory regulatory body, with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed or equivalent qualification from a foreign educational institution accredited by an assessment and accreditation agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other

statutory authority in that country to assess, accredit or assure quality and standards of the educational institution.

A relaxation of 5% marks or its equivalent grade may be allowed for those belonging to SC/ ST/ OBC (non-creamy layer)/ Differently-Abled, Economically Weaker Section (EWS) and other categories of candidates as per the decision of the Government from time to time.

Provided that a candidate seeking admission after a 4-year/ 8-semester bachelor's degree programme should have a minimum of 75% marks in aggregate or its equivalent grade on a point scale wherever the grading system is followed. A relaxation of 5% marks or its equivalent grade may be allowed for those belonging to SC/ ST/ OBC (non-creamy layer)/ Differently-Abled, Economically Weaker Section (EWS) and other categories of candidates as per the decision of the UGC/ Government from time to time.

b. Candidates who have completed the M.Phil. programme with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed or equivalent qualification from a foreign educational institution accredited by an assessment and accreditation agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country to assess, accredit or assure quality and standards of educational institutions, shall be eligible for admission to the Ph.D. programme.

A relaxation of 5% marks or its equivalent grade may be allowed for those belonging to SC/ ST/ OBC (non-creamy layer)/ Differently-Abled, Economically Weaker Section (EWS) and other categories of candidates as per the decision of the Government from time to time.

5. Duration of the Program:

a. Ph.D. Programme shall be for a minimum duration of three (3) years, including course work, and a maximum duration of six (6) years from the date of admission to the Ph.D. programme.

b. A maximum of an additional two (2) years can be given through a process of re-registration as per the provisions of this Ordinance; provided, however, that the total period for completion of a Ph.D. programme should not exceed eight (8) years from the date of admission in the Ph.D. programme.

Provided further that, female Ph.D. scholars and Persons with Disabilities (having more than 40% disability) may be allowed an additional relaxation of two (2) years; however,

the total period for completion of a Ph.D. programme in such cases should not exceed ten (10) years from the date of admission in the Ph.D. programme.

c. Female Ph. D. Scholars may be provided Maternity Leave/ Child Care Leave for up to 240 days in the entire duration of the Ph. D. programme

d. The Ph. D. Scholar on full time mode shall put at least 300 days attendance in research center and certified by the research supervisor and/ or co-Supervisor.

Provided the Ph. D Scholar on Part time mode have to spend minimum 30 contact day per semester till the thesis submission in the institution with the supervisor and/ or Co supervisor.

6. Departmental Research Committee (DRC):

a. All academic matters related to Ph.D. degree shall be processed by a Departmental Research Committee (hereafter: DRC) consisting of the following:

i. Head of the School/ Department -Chairman

ii. All the teachers of the School/ Department recognized by the University as Ph. D. supervisors.

iii. The committee shall comprise of at least three members, including the chairman of the DRC.

iv. The Vice Chancellor shall nominate members from other/ related departments in case the number of the recognized Ph.D. supervisors is less.

b. The DRC shall have the following responsibility:

i. To review the research proposal and approve the topic of research.

ii. To approve the study design and methodology of research and the course(s) that he/ she has to do.

iii. To periodically review and approve the progress of the research work of the Ph.D. scholar(s), submitted by respective RAC.

c. There shall be a Research Advisory Committee (RAC) for each research scholar. The research supervisor of the Ph.D. scholar shall be the Convener of this committee with two other members. This committee will review the research proposal, finalize the topic, guide for research protocol and study design, review and assist in the progress of the research work of the Ph.D. scholar.

7. Procedure for Admission:

a. Admission to Ph.D. Program will be through an Entrance Test conducted at the level of the University, keeping in view the guidelines/ norms in this regard issued by the UGC / Government from time to time.

b. The admission to the Ph.D. programme shall be made using the following method:

i. The University may admit students who qualify for fellowship in UGC-NET/ UGC-CSIR NET/ GATE/ CEED and similar National level tests/Government level tests based on an interview.

And/or

ii. Admit the students through an Entrance Test conducted at the University level. The syllabus for the entrance test shall be prepared by the Board of Studies concerned following the UGC Guidelines (50% on research methodology and 50% subject specific).

iii. Students who have secure 50% marks in the entrance test are eligible to be called for the interview. The relaxation of 5% marks will be allowed in the entrance examination for the candidates belonging to SC/ ST/ OBC/ Differently abled category, economically weaker section (EWS) and other categories of Candidate as per the decision of the commission / Government from time to time.

iv. University may decide the number of eligible students to be called for an interview based on the number of Ph.D. seats available.

v. For the selection of candidates who qualify the NET and SET / SLET conducted by Government for appointment to the post of Assistant Professors and who qualify NET for Ph.D. admission a weightage of 70% for the NET score and 30% for the performance in the interview shall be given.

vi. For the selection of candidates based on the entrance test conducted by the university a weightage of 70% for the entrance test and 30% for the performance in the interview shall be given.

c. The University shall notify a prospectus well in advance on the institution's website specifying the number of seats for admission, subject/ discipline-wise distribution of available seats with the recognized supervisor, criteria for admission, the procedure for admission, and all other relevant information for the candidates.

d. The university shall maintain a list of all the Ph.D. supervisors (specifying the name of the supervisor, his/ her designation, and the department/ school), along with the details

of Ph.D. scholars (specifying the name of the registered Ph. D. scholar, the topic of his/ her research and the date of admission) admitted under them on its website and update this list every academic year.

e. The DRC will allocate the supervisor, with the mutual consent of the candidate and the supervisor, for an eligible candidate depending on the number of students per faculty member, available specialization among supervisor and the research interest of the candidate during interview.

8. Allocation of Research Supervisor:

Any permanent faculty working as Professor/ Associate Professor of the University with a Ph.D., and at least five research publications in peer-reviewed or refereed journals and any permanent faculty working as *Assistant professor* in the university with a Ph.D. degree and at least three research publications in peer-reviewed or refereed journals may be recognized as Research Supervisor. Such recognized research supervisors cannot supervise research scholars in other institutions, where they can only act as co-supervisors. Ph.D. awarded by a university under the supervision of a faculty member who is not an employee of the university would be in violation of these Regulations.

For Ph.D. scholars working in Central Government/ Government research institutions whose degrees are given by the University, the scientists in such research institutions who are equivalent to Professor/ Associate Professor/ Assistant Professor can be recognized as supervisors if they fulfill the above requirements.

Provided that in areas/ disciplines where there is no, or only a limited number of peer-reviewed or refereed journals, the University may relax the above condition for recognition of a person as Research Supervisor with reasons to be recorded in writing.

Co-Supervisors from within the same department or other Departments of the same institution or other institutions may be permitted with the approval of the competent authority.

Adjunct Faculty members shall not act as Research Supervisors and can only act as co-supervisors.

a. In the case of interdisciplinary/ multidisciplinary research work, if required, a Co-Supervisor from outside the Department/ School/ University may be appointed.

b. An eligible Professor/ Associate Professor/ Assistant Professor can guide up to eight (8)/ six (6)/ four (4) Ph.D. scholars, respectively, at any given time.

c. In case of relocation of a female Ph.D. scholar due to marriage or otherwise, the research data shall be allowed to be transferred to HEI to which the scholar intends to

relocate, provided all the other conditions in the ordinance are followed, and the research work does not pertain to a project sanctioned to the parent Institution/ Supervisor by any funding agency. Such scholar shall, however, give due credit to the parent institution and the supervisor for the part of research already undertaken.

d. Faculty members with less than three years of service before superannuation shall not be allowed to take new research scholars under their supervision. However, such faculty members can continue to supervise Ph.D. scholars who are already registered until superannuation and as co-supervisor after superannuation, but not after attaing the age of 70 years.

9. Admission of International students in Ph.D. program:

a. Each supervisor can guide up to two international research scholars on a supernumerary basis over and above the permitted number of Ph.D. scholars as specified in clause 8(c).

b. The University shall decide their own selection procedure for Ph.D. admission of international students, keeping in view the guidelines/ norms in this regard issued by statutory/ regulatory bodies concerned from time to time.

c. At any point, the total number of Ph.D. scholars under a faculty member, either as a supervisor or a co-supervisor, shall not exceed the number prescribed in clause 8(c) and 9(a).

10. Course work:

Credit Requirements, number, duration, syllabus, minimum standards for completion, etc.

a. The Credit requirement for the Ph.D. coursework is minimum of 12 credits including "Research and Publication Ethics". The course work must include research methodology which may consist of computer Application. The course content shall be designed by the Board of Studies (BoS) of the concerned subject.

b. The DRC can also recommend UGC recognized online courses as part of the credit requirements for the Ph.D. Course Work.

c. All Ph.D. scholars, irrespective of discipline, shall be required to train in teaching/ education/ pedagogy/ writing related to their chosen Ph.D. subject during their doctoral period. Ph.D. scholars may also be assigned 4-6 hours per week of teaching / research assistantship for conducting tutorial or laboratory work and evaluations.

d. Candidates already holding M.Phil. degree or those who have already completed the course work in M.Phil. or Pre Ph.D. from any recognized university / Institution having earned the requisite credits at par with the University curriculum may be exempted by the DRC from the Ph.D. course work.

e. A Ph.D. scholar must obtain a minimum of 55% marks or its equivalent grade in the UGC 10-point scale in the course work to be eligible to continue in the programme and submit his or her thesis.

f. On recommendation of the supervisor and approval of DRC, the course work may be carried out by the candidates in sister school/ department either within or outside the university.

11. Research Degree Committee and its Functions:

a. There shall be the Research Degree Committee (RDC) consisting of the following members:

1. Vice Chancellor or his/ her Nominee
2. Dean of the Faculty
3. Head of the Department/ School of Studies in the subject
4. Chairman Board of Studies/ Senior faculty member of the concerned subject.
5. One external subject expert of the rank of a University Professor/ Director of recognized institute to be appointed by the Vice Chancellor out of a panel of six (6) expert given by the Chairman of the Board of Studies concerned. The term of the subject expert shall be coterminous with the tenure of the BoS.

One External Expert and two other members shall form the quorum.

b. The meeting of the RDC shall be held in the university office as per the requirement of the Faculty/ Department.

In special circumstances, Vice Chancellor may permit the external subject expert to join the meeting online through video conference.

The committee shall confirm a list of approved Supervisor/ Co-Supervisor along with their specialization prepared by the DRC.

The RDC shall formally recommend the registration of the candidate for the Ph.D. degree. The RDC has right to suggest revision/ alteration (if required) in the synopsis forwarded by the DRC.

12. Six monthly Progress Report:

a. Every six months, the Ph.D. Scholar shall appear before the DRC to make a presentation and submit a brief report on the progress of his/ her work. The DRC shall submit its recommendation along with a copy of the Ph.D. Scholars' progress report to the University.

b. In case the progress of the Ph.D. scholar is unsatisfactory, the DRC shall record the reasons for the same and suggest corrective measures. If the Ph.D. scholar fails to implement these corrective measures, the DRC may recommend, with specific reasons, the cancellation of the registration of the Ph.D. scholar from the Ph.D. programme.

13. Submission of Summary of Thesis:

a. Before submitting the dissertation/ thesis, the Ph.D. scholar shall make a presentation before the DRC which shall also be open to all faculty members and other research scholars for getting feedback and comments which may be incorporated into the draft thesis under the advice of the supervisor.

b. The Ph.D. Scholar must publish at least two research papers, one in journal listed in the UGC Care List/ Scopus/ WOS, one in peer reviewed /refereed journal and two paper presentations in conference /seminars before submission of the thesis.

c. University shall have a mechanism using well-developed software applications to detect Plagiarism in research work as specified by the UGC and the research integrity shall be an integral part of all the research activities leading to the award of a Ph.D. degree.

d. A Ph.D. scholar shall submit the three copies of the summary of the work and three copies of the thesis for evaluation, along with (a) an undertaking that there is no plagiarism and (b) a certificate from the Research Supervisor attesting to the originality of the thesis and that the thesis has not been submitted for the award of any other degree/ diploma to any other University.

e. Submission of an electronic copy of the thesis is mandatory at the time of submission of the Ph.D. thesis.

14. Evaluation and Assessment Methods, minimum standards/ credits for award of the degree, etc.:

a. The supervisor shall submit a panel of at least six names of examiners actively engaged in the area concerned of research not below the rank of Associate Professor. On the receipt of the panel of examiner from the supervisor and summary of work from the candidate, the registrar/ controller of examinations shall call a meeting of the examination committee (Dean of the Faculty, BoS Chairman, Head of the Department/ School) constituted by Vice–Chancellor of the university for the purpose. The committee, considering the panel submitted by the Supervisor, shall prepare a panel of six names to act as examiner. The vice chancellor will appoint two examiners out of both the panels recommended by the committee and that of the supervisor.

The Ph.D. thesis submitted by a Ph.D. scholar shall be evaluated by at least two external examiners who are experts in the field. Such examiners should be academics with a good record of scholarly publications in the field. One of the external examiners should be chosen from outside the state and wherever possible from outside India.

The viva-voce of the Ph.D. scholar to defend the thesis shall be conducted if both the external examiners recommend acceptance of the thesis after incorporating any corrections suggested by them.

If one of the external examiners recommends rejection, the University shall send the thesis to an alternate external examiner from the approved panel of examiners, and the viva-voce examination shall be held only if the alternate examiner recommends acceptance of the thesis.

If the alternate examiner does not recommend acceptance of the thesis, the thesis shall be rejected, and the Ph.D. scholar shall be declared ineligible for the award of a Ph.D.

The viva-voce board shall consist of the Chairman of the RDC in the subject, Research Supervisor and at least one of the two external examiners. The viva-voce shall be open to all the members of the Research Degree Committee/ faculty members/ research scholars, and students and other interested academicians.

b. The University shall complete the entire process of evaluating a Ph. D. thesis, including the declaration of the viva-voce result, within a period of six (6) months from the date of submission of the thesis.

15. VIVA VOCE Examination:

The viva voce examination shall be conducted at the university teaching department/ School of studies in the subject or at any place fixed by the university for the purpose. The date, time and place of viva voce examination shall be notified by the registrar on the university notice board at least a week before. At the time of viva voce examination, the board of examiners shall be provided with the reports of the external examiners which shall be returned along with the report of viva voce examination to the registrar. The external examiner, internal examiner and DRC chairman will complete the formalities and submit the report.

16. Ph.D. through Part-time Mode:

a. Ph.D. programmes through part-time mode will be permitted, provided all the conditions stipulated in these Regulations are fulfilled.

b. The University shall obtain a "No Objection Certificate" through the candidate for a part-time Ph.D. programme from the appropriate authority in the organization where the candidate is employed, clearly stating that:

- The candidate is permitted to pursue studies on a part-time basis.
- His/ her official duties permit him/ her to devote sufficient time to research.
- If required, he/ she will be relieved from the duty to complete the course work.

17. Issuing a Provisional Certificate:

Prior to the actual award of the Ph.D. degree, the University shall issue a provisional certificate to the candidate of the effect that the Ph.D. is being awarded in accordance with the provisions of this Ordinance.

18. Change of Supervisor:

The candidate may be allowed to change the Supervisor by the Vice Chancellor, on the recommendation of the DRC or committee constituted by the VC for the purpose under special circumstances. No major change in the topic of research will be permitted due to the change of supervisor

19. Depository with INFLIBNET:

Following the successful completion of the evaluation process and before the announcement of the award of the Ph.D. degree(s), the University shall submit an electronic copy of the Ph.D. thesis to INFLIBNET, for hosting the same so as to make it accessible to all the Higher Educational Institutions and research institutions.

20. Definitions of words and expressions:

Words and expressions used and not defined in this ordinance but defined in UGC Regulation 2022 for Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. degree shall have the meanings assigned in the UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. degree) regulation 2022.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.